राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 6] नवीं विधान सभा के षष्ठम् सत्र का दूसरा दिवस [संख्या 2

मंगलवार

25 फरवरी, 1992

राजस्थान विधान सभा की बैठक
पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन,
जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री सुरेन्द्र गोयल : प्रश्न संख्या 1।

श्री ईश्वरलाल सैनी द्वारा दिये गये नोटिस से सम्बन्धित मामला

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) :

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी सेवा में एक नोटिस प्रस्तुत किया था कुछ ज्यादतियों की बाबत। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जनजाति के लोग खास करके जो मीणे रहते थे 80 प्रतिशत, उनका यू आई. टी. ने बगैर सोचे समझे धड़ाधड़ डेढ़ से 2 करोड़ रुपयों का नुकसान किया है। जब मैंने उसके सम्बन्ध में हमारे माननीय जो वहां के पत्रकार बन्धु हैं....

श्री अध्यक्ष : यह आप शून्यकाल में उठा लें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैंने यह नोटिस दिया था। मैं सत्र के प्रथम दिन धरने पर बैठूंगा क्योंकि मेरे साथ ज्यादती हुई है। जो मैंने उठाया था मसला....

श्री अध्यक्ष : आप शून्यकाल में उठा लीजिए, मैं बता दूंगा।

श्री ईश्वरलाल सैनी : उसमें मैंने यह निवेदन किया था....

श्री अध्यक्ष : शून्यकाल में उठा लेना, मैं बता रहा हूं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : एक निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : निवेदन फिर अभी कर लेंगे तो बाद में कैसे करेंगे? यह आप बाद में कर लेना।

श्री ईश्वरलाल सैनी : शून्य काल में ही उठा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : ये प्रश्न भी आपके ही हैं। अभी प्रश्न पूरे हो जायें उसके बाद ले लेंगे।

(७)

श्री ईश्वरलाल सैनी : लेकिन यह भी नियम था....

श्री अध्यक्ष : जो बात अभी कह रहे हैं वह शून्यकाल में कह देना।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अभी अभिभाषण हुआ है वह भी नियमों में ही आता था। एक निवेदन है कि अभिभाषण की वजह से मैंने कल धैर्य रखा। मेरे साथ ज्यादती हुई है उसका जो जवाब आया है सरकार से अगर मैं वह सुनाऊं तो यह सदन भी हंसेगा और आप भी हंसेंगे।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री ईश्वरलाल सैनी : शून्यकाल होते ही इस सम्बन्ध में अवसर देंगे माननीय अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र गोयल।

राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध विचाराधीन मामले

1. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध गम्भीर मामले विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार इन अधिकारियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(सहायता मंत्री) : **श्री कैलाश मेघवाल** (माननीय मुख्य मंत्री के स्थान पर) (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाकर निस्तारण किया जा रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री सुरेन्द्र गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने जो सूची दी है उसमें सबसे पुरानी कार्यवाही किस अधिकारी के खिलाफ है ? उस अधिकारी के निलम्बन का मामला कब से चल रहा है और उसका निस्तारण क्यों नहीं हुआ ? विलम्ब का क्या कारण है ?

दूसरा मेरा निवेदन है कि प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ जो कार्यवाही होती है उसकी जांच प्रशासनिक अधिकारी ही करते हैं जिससे निष्पक्ष न्याय नहीं होता है। इसलिए क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ की गयी कार्यवाही की जांच न्यायिक अधिकारियों से करवाने का सरकार विचार रखती है ?

तीसरा, मंत्री महोदय बताने की कृपा करें कि क्या आज तक अनियमितताओं में दोषी पाये जाने पर किसी प्रशासनिक अधिकारी को सेवा मुक्त किया गया है ? यदि हां, तो उनके नाम बताये जायें। मंत्री महोदय कृपया यह बतायें कि किस अधिकारी की पत्रावली अभियोजन की स्वीकृति के लिए कब से लम्बित पड़ी है और इसमें विलम्ब

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

का क्या कारण है ? और अभी तक स्वीकृति दे दी गई है या नहीं दी गई है ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पुराना केस 1985 का है श्री धर्मपालसिंह राठौड़ का और यह अभी तक चल रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सेवा नियम क्लासीफिकेशन कन्ट्रोल एण्ड अपील रूल्स हमारे यहां लागू है और इसके अनुसार हर स्तर पर जब जांच कार्यवाही चालू होती है तो जांच कार्यवाही चालू प्राथमिक रूप से होती है। प्राथमिक रूप से जांच कार्यवाही चालू होने के बाद डेलीक्वेन्ट ऑफिसर को अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाता है। इस अवसर के बाद राज्य सरकार उसको वापस देती है कि सही रूप से राजस्थान सिविल सर्विस रूल्स के नियम 16 या 17 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार हैं या नहीं। जब कार्यवाही नियम 16 के अन्तर्गत चालू हो जाती है तो उसके बाद उसकी एक लम्बी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में आप जानते हैं कि कई तरह की बातें हैं डाकुमेन्ट्स बताना, स्पष्टीकरण देना, साक्ष्य लेना। इसमें दोनों ही स्थितियां पैदा हो जाती हैं और कई बार सामान्य परिस्थिति में भी कार्यवाही लम्बी हो जाती है। और कई बार डेलीक्वेन्ट ऑफिसर को जो कानूनी अधिकार प्राप्त है अपना स्पष्टीकरण देने का, दस्तावेज दिखाने का और अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का इसलिए वह कार्यवाही लम्बी हो जाती है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस तरह की राज्य स्तर पर जहां कार्यवाही होती है वहां पर किसी तरह का कोई विलम्ब न हो, कोई लम्बा नहीं हो इस बात की पूरी कोशिश की जायेगी।

दूसरा जो माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है कि प्रशासनिक आधार पर नहीं न्यायिक आधार पर प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जांच की जाए तो मेरा इसमें यही निवेदन है कि सदन के सामने मसला है। वर्तमान व्यवस्था विधि के अनुसार है और उसके अनुसार तो प्रशासनिक आधार पर ही जांच के प्रावधान हैं। अगर इसको यह सदन संशोधित करके बदलना चाहेगा तो उस प्रक्रिया में हम आ जायेंगे।

दूसरे, माननीय अध्यक्ष महोदय, अनियमिततायें दो तरह की होती हैं। एक तो होती है गम्भीर और एक होती है साधारण। गम्भीर अनियमितताओं की जांच नियम 16 के अन्तर्गत होती है और जो साधारण होती है उसमें समरी ट्रायल होती है और उसमें 17 के अन्तर्गत क्योंकि सजा भी कम है तो यह परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं।

जो अन्तिम पूरक प्रश्न पूछा है उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही प्रकरण सेंक्शन फॉर प्रासीक्यूशन राज्य सरकार के पास विचाराधीन है और वह एक प्रकरण है अधिकारी का नाम पूछा है तो मैं बताता हूं यह श्री सी. डी. देवल हैं और यह प्रकरण अभी 16-9-91 से है.... (व्यवधान)....पूछा है किस के खिलाफ मैंने सुना है और मैंने नोट किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल यह था कि किसके विरुद्ध अभियोजन के लिए

(8)

(श्री कैलाश मेघवाल)

राज्य सरकार के पास प्रकरण विचाराधीन है। अब किसके विरुद्ध है तो नाम देना ही पड़ेगा और वह नाम यह है। इसमें फैक्ट है, कोई मैं मिलावट नहीं कर रहा हूं। फैक्ट यह है कि एक ही प्रकरण सबसे पुराना 16-9-91 का विचाराधीन है।

श्री सुरेन्द्र गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदय, सेवा मुक्त किन-किन अधिकारियों को किया है उनके नाम की सूची पूछी है। यह माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करें कि आज तक कितने सेवा मुक्त हुए हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का स्कोप आप अध्ययन कर लें किस-किस को कब-कब सेवा मुक्त किया गया या किस अवधि में सेवा मुक्त किया गया। ऐसी जानकारी चाही जाती तो मैं निश्चित रूप से लेकर आता। लेकिन इस प्रश्न के स्कोप में यह प्रश्न नहीं आता।

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, जो जवाब दिया है उसके अन्दर यह बताया गया है कि किस अधिकारी के खिलाफ गम्भीर आरोप हैं और किसके खिलाफ अनियमिततायें हैं। दूसरी बात जो लास्ट में बताया है यादराम आर्य उसके खिलाफ कब से जांच लम्बित है, क्या शिकायत है और क्या मकराना में इसके खिलाफ शिकायत हुई है ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, गम्भीर आरोपों की ही मेरे से सूची मांगी गई है और इसलिए मैंने गम्भीर आरोपों की सूची प्रस्तुत कर दी है। जहां तक श्री यादराम आर्य का आपने जिक्र किया है, इनके विरुद्ध स्टाम्प ड्यूटी का नुकसान कर आर्थिक हानि पहुंचाने की कार्यवाही चल रही है। यह अभी तक इनकी लिखित में प्रतीक्षित है। मकराना से आने वाली किसी तरह की शिकायत की जानकारी अभी तक मैंने प्राप्त नहीं की है क्योंकि वह चाही नहीं गयी थी। अगर वह जानकारी चाही जाती तो मैं अवश्य रखता....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी पब्लिक इम्पारटेन्स का सवाल नहीं है। आप चाहते हैं कि 10 सवाल हों तो मैं 4 से ज्यादा सप्लीमेन्ट्री अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रशासनिक अधिकारियों से सम्बन्धित है। यह सारा जो हमारा कार्य करने का तरीका है 85 आदमियों के खिलाफ सीरियस चार्जेज इन्वेस्टीगेशन के तहत हैं जिनकी जांच चल रही है। इनमें से काफी अधिकारी रिटायरमेन्ट पा गये। आखिर आप किस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं ? इसमें आप क्या सुधार करना चाहते हैं ? नहीं तो ये मामले पेन्डिंग पड़े रहेंगे और इनमें कुछ तो शैतान अधिकारी हैं जिनके खिलाफ पांच-पांच और 6-6 इन्क्वायरी चल रही हैं। एक-एक अधिकारी के खिलाफ। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय जो कार्मिक विभाग के मंत्री हैं, मैं उनसे जानकारी करना चाहूंगा कि इस प्रक्रिया के अन्दर क्या आप आमूल-चूल सुधार कर रहे हैं ? जिन लोगों के पैंगेन्स के ऊपर, जिन लोगों के खिलाफ इन्क्वायरी शुरू होती है वे एक-न-एक रूप अख्तियार करके उसको

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

डिले करने की कोशिश करते हैं। उस प्रक्रिया में क्या सुधार करना चाहते हैं ? कृपया यह जानकारी दें अन्यथा यह बेमानी हो जायेगी पूरी इंक्वायरी। इसमें आप करते चले जा रहे हैं और उन पर कोई असर नहीं है। एक-एक अधिकारी के खिलाफ चार-चार, पांच-पांच इंक्वायरी हैं पर उनके ऊपर असर नाम की कोई चीज नहीं है। कोई एक्शन लें। मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें से कितने अधिकारियों के खिलाफ सीरियस चार्जेज की जांच चल रही है ? उनमें से कितनों को संस्पेण्ड किया उनके नाम बताने की कृपा करें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय....मैं भूल जाऊंगा....

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : नहीं भूलेंगे आप। मेरा छोटा-सा सवाल है। आपकी याददाश्त कमजोर नहीं है। आपकी 58 साल की उम्र है।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रशासनिक अधिकारियों का पब्लिक इम्पोर्टेन्स का मामला है जो माननीय मंत्रीजी ने बताया और अभी माननीय प्रद्युम्नसिंहजी ने कहा कि 85 अधिकारियों के खिलाफ ऐसी कार्यवाही की जा रही है। मैं एक सीरियस आफेंस के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि एक पी. डी. पालीवाल नाम के वरिष्ठ अधिकारी हैं। जब वे जयपुर में सक्षम अधिकारी थे जगजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति की जमीन का विवाद था, जो आज भी करोड़ों रुपयों की जमीन है। इस सम्बन्ध में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और यह पूरा मामला लोकायुक्त महोदय के पास गया। उन्होंने इस सम्बन्ध में गवर्नमेण्ट के पास में रिपोर्ट भेजी। उसके आधार पर पी.डी. पालीवाल को सस्पेण्ड कर दिया गया और ठीक एक महीने के बाद में उनको रीइन्स्टेट कर दिया गया। मैं इतनी जानकारी मुख्य मंत्री महोदय से लेना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई भी मामला उठता है तो उसे सस्पेण्ड कर दिया जाता है या ट्रान्सफर कर दिया जाता है और थोड़े दिनों के बाद वह अधिकारी प्रमोशन पाकर अच्छे पद पर पहुंच जाते हैं जिसकी जनता में यह धारणा होती है कि इन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। इसलिए इस वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए और न्यायिक अधिकारियों से इनकी जांच करवाई जानी चाहिए।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रद्युम्नसिंहजी ने बड़ा मौलिक सवाल खड़ा किया है। पहले तो मैं उनसे यह निवेदन कर लूं कि 85 अधिकारियों के खिलाफ जो कार्यवाही चल रही है उसमें से 5 सेवानिवृत्त हुए हैं। 80 अभी तक सेवा में हैं। दूसरा, आपने जो कहा कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मैं पहले ही बता चुका यह प्रक्रिया अपनी ही बनाई हुई है। राज्य सरकार की सारी कार्यवाही हो जाने के बाद राज्य सरकार अपना जो दण्ड देना चाहती है वह निर्णय लेने के बाद यह पत्रावली पब्लिक सर्विस कमीशन जो है राजस्थान का वहां पर भी जाती है। माननीय प्रद्युम्नसिंहजी, आपको मालूम होगा कि हर स्टेज पर परीक्षण भी होता है, अधिकारी व्यस्त भी होता है तो वहां

(श्री कैलाश मेघवाल)

से पत्रावली वापस आने के बाद फिर राज्य सरकार अन्तिम रूप से निर्णय लेती है। इस स्थिति में लम्बाई हो जाती हैं। मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि कई अधिकारी जब सेवानिवृत्ति के नजदीक आ जाते हैं तो उनकी यह कोशिश रहती है कि किसी न किसी स्टेज पर हरडल्स डाले जाएं। मिस यूज आफ दी प्रोसेस आफ प्रोसीक्यूशन जो होता है, आप तो स्वयं जानते हैं, शायद वकील रहे हों तो, कि इसमें कई बार वकील मिस यूज आफ दी प्रोसेस आफ प्रोसीक्यूशन करना चालू कर दे तो उससे बड़ी लम्बाई की जा सकती है। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं इसके बारे में एक टिप्पणी बना कर यह जल्दी से जल्दी जांच खत्म हों और प्रभावी रूप से काम चल सके और अधिकारियों पर भी जाँचों का प्रभावी अंकुश लग सके, इस बात के प्रयत्न किये जायेंगे। इस बात को मैंने नोट कर लिया है।

माननीय चन्द्रभानजी ने जो मामला उठाया है, लोकायुक्त कानून आपने भी पढ़ा है और सभी ने पढ़ा है। लोकायुक्त कानून अपनी एक रिपोर्ट देता है। यह सही है कि जिस अधिकारी का उन्होने जिक्र किया है उसके खिलाफ लोकायुक्त की रिपोर्ट मिल गयी और मिलने के बाद सरकार ने उस आधार पर उनने खिलाफ कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है और वह कार्यवाही चल रही है। इसको जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

डा. चन्द्रभान : मैंने जिस अधिकारी की चर्चा की वह तो डिप्टी सेक्रेटरी, मेडिकल एण्ड हेल्थ है। उनके खिलाफ कार्यवाही को ड्राप कर दिया (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : यह असत्य है, जिस अधिकारी के खिलाफ इन्होंने कहा कि उसके खिलाफ कार्यवाही ड्राप कर दी गयी; यह असत्य है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, ये श्री पी. डी. पालीवाल आज की तारीख में उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं शासन विभाग हैं। यह क्यों कर दिया गया ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे यह सवाल नहीं कर रहा न मैं किसी अधिकारी को यहां बचाने की या फंसाने की चेष्टा कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, सीरियस चार्जेज के आफेन्स हैं उनका आपने आई.ए.एस. में प्रमोशन कर दिया। कम से कम यह तो नहीं करिये आप। आई.ए.एस. में आपने प्रमोशन कर दिया और सीरियस चार्जेज की इंक्वायरी है जिनके खिलाफ, उनके बारे में क्या जवाब देना चाहते हैं ?....(व्यवधान) नीतिगत निर्णय यह होगा कि जिनके खिलाफ सीरियस चार्जेज की इंक्वायरी है....

श्री अध्यक्ष : अब हो गया। अब क्या है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या उन आर. ए. एस. अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी अपना नोट बनाकर भेजेंगे उसमें इसका भी ध्यान रखेंगे। श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : क्या सरकार यह विचार रखती है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ यह बात मानी हुई है कि गम्भीर आरोप हैं और प्रमोशन तय हो चुका है कि अनियमित कार्यवाही उसके की है, ऐसे अधिकारी जिम्मेदारी की पोस्ट पर नहीं रहें जब तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाए या कार्यवाही ड्राप न हो जाए तब तक उनको किसी महत्वपूर्ण पद पर वापस नहीं रखा जाएगा।

नम्बर दो, कितने अधिकारियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाई हुई हैं ? जिनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाई हुई है कोई सक्षम अधिकारी उनकी जांच करे। बड़े अधिकारियों के खिलाफ छोटे अधिकारी क्या कार्यवाही करेंगे ? इसकी क्या व्यवस्था सरकार करने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ध्यान रखेंगे। नोट बनायेंगे उसमें ध्यान रखेंगे आपके सुझावों का। (व्यवधान)

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सहकारिता... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह तो मुख्य मंत्रीजी बनायेंगे, सहकारिता मंत्री ने कैसे कहा कि नोट बनायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : सदन में मंत्रीजी ने कहा तो बनायेंगे भी।

श्री केदारनाथ शर्मा (श्रीगंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अधिकारियों के खिलाफ सीरियस चार्जेज का इंवेस्टीगेशन हो रहा हो तो किसी भी अफसर का प्रमोशन नहीं हो, इसके बारे में मुख्य मंत्रीजी आश्वासन तो देंगे। सीरियस चार्जेज हैं, प्राइमाफेसी केस बन गया है, इंवेस्टीगेशन चल रही है फिर प्रमोशन हो जाएगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है और आप जो बात कह रहे हैं वह वास्तव में गम्भीर है। मैं पिछले दो वर्ष से इस बात का अध्ययन कर रहा हूं कि इस कानून की प्रक्रिया से और नियमों की प्रक्रिया से इस व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया जाए जिसके कारण दोषी व्यक्ति को तत्काल सजा मिल सके लेकिन इसमें कई मामले सुप्रीम कोर्ट में गये कोई हाई कोर्ट में गये, आज इस इंक्वायरी में छोटी सी बात को लेकर तीन वर्ष की मेहनत बिल्कुल बेकार चली जाती है जिस समय कोई न कोई निर्णय इस प्रकार का होता है। मैं आपको यह विश्वास दे सकता हूं कि आपने भी मामला उठाया और हम भी विचार कर रहे हैं कि इस सारी प्रक्रिया में किसी प्रकार से ऐसा परिवर्तन हो जिसके कारण किसी दोषी अधिकारी को अपनी इच्छा के अनुसार बचने की कार्यवाही करने का मौका नहीं दें।

अब माननीय केदारनाथजी शर्मा ने कहा कि ऐसे लोगों को प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए। प्रमोशन में भी जब तक लोगों को चार्ज शीट नहीं दे दी जाए और उसके बाद भी उसको प्रमोशन की जो भी डी.पी.सी. वगैरह जो सलेक्शन कमेटी होती है उसमें उसका केस बंद लिफाफे में रखा जाता है और जब तक उसका

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लिफाफा नहीं खुलता तब तक उसको प्रमोशन नहीं मिलता । आज भी जिन लोगों के खिलाफ रूल 16 में इंक्वायरी चल रही है उनको इस प्रकार के प्रमोशन नहीं मिलते । लेकिन बाद में जाकर अगर दो वर्ष या तीन वर्ष के बाद में इंक्वायरी खत्म होती है और वह निर्दोष होता है तो उसी तारीख से उसका प्रमोशन माना जाएगा । इस प्रकार की स्थिति में मैं समझता हूं इसमें कुछ कमियां हैं जिनको दूर करने की कोशिश हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : मुख्य मंत्री के पद पर पदासीन होने के बाद आपने कहा था कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके नाक में से मैं यह बेइमानी निकलवा दूंगा । दो साल के बाद में 85 लोगों की पेंडिंग इंक्वायरी चल रही है आपने देश में ऐसी क्या हवा बनाई है जिससे अधिकारियों में, कर्मचारियों में इस बात का भय पैदा हो कि अगर हम गड़बड़ करेंगे तो मुख्य मंत्रीजी हमारी नाक में से यह बेइमानी निकलवा लेंगे ? आपने कौन-से ऐसे प्रयास किये कि आपके कहने के बाद में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 85 अधिकारियों के खिलाफ जांच हो रही है, यही नाक में से निकालने की प्रक्रिया है ।

जिला सवाईमाधोपुर की सहकारी समितियां

2. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जिला सवाई माधोपुर में कुल कितनी सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं ? कितनी के चुनाव हुए हैं और कितनी के नहीं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) जिला सवाई माधोपुर में कितनी सहकारी समितियों के विरुद्ध जांच चल रही है ?

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज वर्मा) : (1) सवाई माधोपुर जिले में 681 सहकारी समितियां पंजीकृत हैं जिनमें से 7 समितियां अवसायनाधीन हैं । शेष 594 कार्यरत समितियों में से 445 समितियों के चुनाव हो चुके हैं एवं 149 में चुनाव होने हैं । किस्मवार सहकारी संस्थाओं की सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(2) सवाई माधोपुर जिले की 23 सहकारी समितियों के मामलों में राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 के तहत जांच चल रही है ।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें ।)

श्री रामस्वरूप मीणा : आपने बताया कि इतनी सहकारी समितियों के चुनाव हो चुके हैं एवं 149 के चुनाव होने हैं । मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 149 सहकारी समितियों के चुनाव कब होंगे ? क्या होंगे या नहीं होगे ? कब तक सरकार इनको पूरा करवायेगी ? पहली बात । दूसरी बात, जिन सहकारी समितियों

(श्री रामस्वरूप मीणा)

के चुनाव कराये गये हैं उनमें धांधलियां हुई थीं, चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए थे। आपने अपने मंत्री पद का दुरुपयोग करके दबाव डालकर चुनाव करवाये हैं। आपको शिकायत बरवाला सहकारी समिति की भी हुई थी, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं, यह भी आप बतायें।

तीसरा मेरा आपसे निवेदन है कि सवाई माधोपुर की सहकारी समितियों के अन्दर जो घोटाले हुए हैं उन घोटालों की क्या जांच आप करवा रहे हैं? जांच चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा, यह जांच कब तक पूरी होगी? कौन जांच कर रहा है? कितने व्यक्तियों के खिलाफ अब तक जांच पूरी हो चुकी है। किनको दोषी पाया गया है? क्या कार्यवाही आपने उनके विरुद्ध की है? व्यवस्थापकों के खिलाफ पिछली बार मैंने स्वयं आपसे व्यक्तिगत मिलकर कई भ्रष्टाचार के मामले पेश किये थे, उनके बारे में आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। इस प्रकार जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उसका आप जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल हो गया, अब तो आप भाषण दे रहे हैं। सवाल तो हो गया।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, साहब, मंत्री महोदय से निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : उनको बोलने दीजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी प्रश्न किया, कितनी सहकारी समितियों के बाकी हैं। 18 प्रकार की सहकारी समितियों के बाकी हैं। इनकी समस्त चुनाव प्रक्रिया जारी है।

श्री रामस्वरूप मीणा : समझ में नहीं आ रहा है, आवाज स्पष्ट आ जाय। आवाज स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : जोर से बोलिये, जरा जोर से।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो यह बात कही है भ्रष्टाचार, अपने पद का दुरुपयोग किया है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठो, आप बीच में काहे को बोल रहे हो?

श्री रामस्वरूप मीणा : आप बैठ जाइये। आप कौन होते हैं वकालत करने वाले?

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : पद का दुरुपयोग किया है उसका जवाब देंगे मंत्रीजी को अभी कि मंत्रीजी ने कहां कहां अपने पद का दुरुपयोग किया है।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये। आप बिराजिये। जवाब सुनेंगे कि नहीं? आप जवाब सुनेंगे कि नहीं? सुन लें आप जवाब।

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था कि 18 प्रकार की

(श्री चतुर्भुज वर्मा)

समितियों में कुल 149 के चुनाव बाकी हैं। अब 149 के चुनाव अलग-अलग तरह के हैं। मान लो, दुग्ध-डेयरी के 92 हैं तो वे चुनाव हम नहीं कराते, वे विभाग कराता है। तो 92 तो यह निकल गयीं। इसी प्रकार से बहुत-सी बुनकर सोसायटीज़ हैं उसके चुनाव हम नहीं करवाते, वे इनमें निकल गयीं। केवल 19 बाकी हैं ग्राम सेवा सहकारी समिति के। जिसमें दो के चुनाव पर हाई कोर्ट से स्टे है। केवल 17 हैं, 17 की प्रक्रिया हमने प्रारम्भ कर दी है।

श्री रामस्वरूप मीणा : 19 कहां-कहां बाकी हैं, आप उनके बारे में बतायें। 19 जो आपने बतायी हैं, बकाया हैं, वे कौन-कौनसी हैं, आप बतायें पहले।

श्री अध्यक्ष : वे 19 सहकारी समितियां पूछ रहे हैं। माननीय मंत्रीजी, वह पूछ रहे हैं कौनसी हैं वे 19।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मंत्रीजी को पता नहीं है 19 कौन-कौनसी सहकारी समितियां हैं। आप इसका जवाब दिलवाइयें।

श्री चतुर्भुज वर्मा : मैंने आपको बताया उसकी सूची आपको दे दी गयी है। केवल दो पर हाई कोर्ट से स्टे है। 17 के बाकी हैं जिनकी प्रक्रिया जारी कर कर दी है।

श्री रामस्वरूप मीणा : अजी, मैं तो पूछ रहा हूं, सहकारी समितियां जिनके आप चुनाव कराते हैं उनके नाम बताइये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि उनके आप नाम बतावें जिनके चुनाव नहीं कराये गये हैं। आप उनके नाम बतायें, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : आप आइटम नम्बर 7 में देख लीजिये। आइटम नम्बर 7, जो आपको लिस्ट दी है उसमें 19 सहकारी समिति आगे लिखा हुआ है। उसका नाम लिखा हुआ है। श्री परसादी लाल मीणा।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, क्या बरधाला ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव की धांधली की जांच जोइन्ट रजिस्ट्रार भरतपुर ने की है ? इसमें मंत्रीजी के खिलाफ टिप्पणी है ? मंत्रीजी ने 23 तारीख को चुनाव होने थे उस सोसायटी के, 19 तारीख को टेलीफोन करके यह कहा, जो मैं आपको पढ़कर सुना देना चाहता हूं। इनके जोइन्ट रजिस्ट्रार की यह रिपोर्ट है, दिनांक 22.2.91 को संभागीय मंत्री महोदय का टेलीफोन आया जिसमें उन्होंने यह व्यक्त किया कि वे श्री गंगासहाय त्रिवेदी नाम के अहिरावण को हटाना चाहते हैं और दिनांक 19.2.91 में ही चुनाव करा देना चाहते हैं। (व्यवधान)....अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि 23 तारीख को चुनाव होने थे उस दिन जोइन्ट रजिस्ट्रार सहकारी समिति, भरतपुर ने जो रिपोर्ट दी है उसमें यह माना था कि निर्वाचन अधिकारी मेरे कार्यालय में था और

(श्री परसादी लाल मीणा)

उन्होंने 23 तारीख को रिपोर्ट दी है उसमें यह माना है कि बरधाला ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव नहीं कराये गये। उन्होंने 9.3 को यह रिपोर्ट भेजी कि चुनाव करा दिये। उसके बाद जोईन्ट रजिस्ट्रार ने यह रिपोर्ट अपने रजिस्ट्रार को दी है। तो मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा, माननीय सदस्य बोल रहे हैं दुरुपयोग नहीं किया, यह आपके जोइन्ट रजिस्ट्रार की रिपोर्ट है, आप पढ़ लीजिये इसको। अगर इसमें दोषी मंत्री नहीं हों। यह चुनाव इस तरह से होते हैं।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये, भाषण दे रहे हैं। सवाल हो गया।

श्री परसादी लाल मीणा : आपकी अनुमति है, अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र गहलोत : सही रिपोर्ट नहीं है। यह गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। यह बिल्कुल गलत है।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप जवाब सुनिये। बैठिये।

श्री परसादी लाल मीणा : मंत्रीजी को इस्तीफा देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अब आप जवाब सुनिये। आप जवाब सुनिये पहले। पहले जवाब सुन लीजिये।

श्री चतुर्भुज वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जिस जोइन्ट रजिस्ट्रार के लिये माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनका रिटायरमेंट हो चुका है और मैंने किसी प्रकार का.... (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : यह रिपोर्ट आपके कार्यालय में है।

श्री अध्यक्ष : आप सुन तो लीजिये।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय सदस्य, मैं आपकी बात सुनने के लिये तैयार हूं। अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी प्रकार का टेलीफोन नहीं किया। इन्होंने जो आरोप लगाया उसके लिये मैंने, रजिस्ट्रार साहब ने खुद जाकर बरधाला में जाकर जांच की है और जांच प्रक्रिया चालू है। परिणाम आने के बाद बता देंगे।

श्री परसादी लाल मीणा : जांच रिपोर्ट में क्या दोषी पाया गया और क्या वहां के निर्वाचन अधिकारी को सस्पैण्ड किया गया?

श्री चतुर्भुज वर्मा : अभी कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई।....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गहलोत : वह व्यक्ति रिटायर हो चुका, वह बाद में कुछ भी कह सकता है।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दूसरे प्रश्न का तो उत्तर आया नहीं, साहब, अभी तक।

श्री परसादी लाल मीणा : क्या यह सही है कि निर्वाचन अधिकारी को निलम्बित किया गया था? यदि निलम्बित किया गया था तो कौनसे कारण थे?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये आप। नैक्स्ट, श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : नहीं, साहब, जवाब दिलाया जाय पहले।

श्री अध्यक्ष : रिप्लाई हो गया, अब क्या बाकी बचा इसमें ? आपका सवाल हो गया पूरा। आप बैठिये। आपका हो गया। हरिसिंहजी पूछेंगे। आपका हो गया, जवाब दे दिया ना। आप बैठिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सामने ही नहीं देखते। मैं इतनी देर से हाथ उठा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं इनकी तरफ देख रहा हूं। माननीय हरिसिंहजी। आप बैठिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा 74 में जिनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है उनके बारे में क्या कर रहे हैं मंत्री महोदय ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। अब आप बैठिये। माननीय सदस्य, बिराज जाइये। अब आप बैठिये। आप बार-बार क्यों खड़े हो रहे हैं ? आप बैठें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह पूछना चाह रहा हूं कि चुनाव प्रक्रिया के तहत वह तारीख मनोनयन और मनोनयन पत्रों की जांच और वापसी के लिये तय है, क्या उस दिन चुनाव के नतीजों की घोषणा की जा सकती है ? नम्बर एक।

बरधाला ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव की घोषणा मनोनयन पत्रों की जांच की तारीख 19.2.91 को मंत्री महोदय ने स्वयं ने करवायी है जब कि चुनाव 23.2 को होने का था। और अगर वह अधिकारी दोषी हैं तो मंत्री महोदय ने उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

श्री राजेन्द्र गहलोत : वह तो रिटायर हो चुका।

श्री हरिसिंह : नहीं, वह रिटायर नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, अब आप बैठिये। हो गया आपका सवाल। मंत्रीजी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, साथ के साथ मेरा सवाल है।

श्री अध्यक्ष : इनका सवाल तो हो जाय।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : साथ ही जवाब दे देंगे ना।

श्री अध्यक्ष : फिर जवाब आयेगा नहीं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : छोटा-सा एक सवाल है, साहब

श्री अध्यक्ष : आप बाद में पूछ लेना। पहले जवाब आ जाय।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा कि बरधाला के सम्बन्ध में मैं जांच करवा रहा हूं।

श्री परसादी लाल मीणा : क्या जांच करवा रहे हैं।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री माहिर आजाद।

श्री परसादीलाल मीणा : ये खुद दोषी हैं। ये क्या जांच करवायेंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माहिर आजाद सवाल पूछ रहे हैं।

श्री रामस्वरुप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच चल रही है, जांच कब तक पूरी होगी, यह बतायें।

श्री अध्यक्ष : माहिर आजाद सवाल पूछ रहे हैं। पहले आप उनका सवाल तो पूरा होने दीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : ये सहकारी विभाग को एक दुकान की तरह चला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद। उनका सवाल है, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय मंत्री महोदय बतायें, जांच कब तक पूरी होगी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर तहसील की आटूनकलां ग्राम सेवा सहकारी समिति की जांच किस स्टेज पर चल रही है? दूसरा, इसके अध्यक्ष के चुनाव में केवल एक प्रार्थी सिराज रसूल जैतली का ही अध्यक्ष के लिए नामांकन आया लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने कहा, मेरे पास ए. आर. का फोन आया है और उसने दूसरा नामांकन अपने पास से निकालकर के, जो अवैध था, जो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए एनटाइटल नहीं था, उसको अध्यक्ष घोषित कर दिया। मैं आपसे मिला था। मैंने आपको इस सारे प्रकरण की जानकारी भी दी थी। आपने उसकी जांच के आदेश भी दिये। मैं यह जानना चाहता हूं कि अब एक–डेढ़ साल गुजर गया, इसकी जांच किस स्टेज पर चल रही है? कब तक इसका नतीजा आ जायेगा, क्या स्थिति है?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के चुनावों की एक प्रक्रिया है कि चुनावों में किसी प्रकार की अनियमितता हो तो उस अनियमितता की किसी न्यायालय में, या किसी रजिस्ट्रार के पास जाकर अपील होती है, उसके ऊपर निर्णय होता है। अब आपने जो बात कही है कि इसकी जांच कब तक पूरी हो जायेगी, जांच आरम्भ हुई है तो पूरी हो जायेगी। जहां तक आपने प्रश्न उठाया, कौनसी समिति है–वह बरनाला समिति है। आप बैठ जाओ....

अनेक माननीय सदस्य : बैठ जाओ।

(14)

श्री परसादी लाल मीणा : ये नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : तमीज नहीं है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । (व्यवधान) आर्डर प्लीज । जवाब दे रहे हैं, जवाब भी नहीं सुनेंगे आप ? सुनिये आप, बैठिये आप । जवाब सुनिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस समिति के चुनावों की अनियमितता के सम्बन्ध में हाईकोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत की गई है । 19·2·91 को हाईकोर्ट ने यह आदेश दिये हैं कि इन आरोपों के सम्बन्ध में मामले की जांच रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान 6 सप्ताह में पूरी कर कानून के अनुसार कार्यवाही करें । यह जांच हो रही है, हो जायेगी । मैं आपको यह विश्वास देता हूं कि इसमें कोई पक्षपात हमारी तरफ से नहीं होगा । यह तारीख 8·2·92 की है ।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

उदयपुर की झीलों में पेटाकाश्त की भूमि का बेचान

3. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर के समीप स्थित झीलें यथा फतेहसागर, पिछोला एवं उदयसागर की डूब भूमि पर पेटाकाश्त हक दिया हुआ है ? क्या पेटाकाश्त हकदार मूल पट्टाधारी द्वारा यह भूमि बेचान की जा सकती है ? यदि हां, तो गत 3 वर्षों में किन-किन व्यक्तियों द्वारा ऐसी भूमि बेचान की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर नगर के समीप की झीलें यथा फतेहसागर, पिछोला, स्वरूप सागर एवं उदय सागर तथा गोवर्धन विलास तालाब की डूब भूमि पर भराव कर भूमि को डूब क्षेत्र से बाहर किया गया ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की पहचान क्या प्रशासन ने की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी हां, यह सही है कि उदयपुर नगर के समीप स्थित फतेह सागर, पिछोला एवं उदय सागर की डूब की भूमि पर पेटाकाश्त का हक दिया हुआ है । जिन व्यक्तियों को पेटाकाश्त के अधिकार दिये जाते हैं, उन्हें भूमि हस्तान्तरण के अधिकार नहीं दिये जाते हैं । गत तीन वर्षों में किसी व्यक्ति द्वारा कोई विक्रय या हस्तान्तरण नहीं किया गया है ।

(2) उदय सागर तथा गोवर्धन विलास तालाब में कोई भराव नहीं डाला गया है । उदयपुर नगर के समीप स्थित फतेह सागर, पिछोला, स्वरूपसागर की डूब की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा भराव किया गया है । कइयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गई है, तथा शेष के विरुद्ध की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि जिन व्यक्तियों को पेटाकाश्त भूमि के अधिकार दिये जाते हैं, उन्हें हस्तान्तरण करने या विक्रय करने का अधिकार नहीं है। यह तीन साल के अन्दर ऐसा नहीं हुआ होगा, यह बताने की कृपा करें और ऐसे जो हस्तान्तरण और विक्रय हुए हैं, उन लोगों की जानकारी देने की कृपा करें। मेरा दूसरा सवाल यह है, जैसा आपने स्वीकार किया है, कि फतेहसागर, पिछोला, स्वरूपसागर की डूब की भूमि पर....

श्री रामसिंह विश्नोई : यह तो रेवेन्यू डिपार्टमेण्ट का काम है, इनका काम नहीं है। यह किन मंत्री को पूछ लिया आपने ?

श्री अध्यक्ष : आप अपना सवाल करिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : फतेहसागर, पिछोला और स्वरूपसागर की जो तालाब की भूमि है, उसके ऊपर जितने भी होटल्स या मकान बने हैं, वहां सारे लोग निरन्तर अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी सूची देने की कृपा करें। दूसरा, मैं यह जानना चाहूंगा कि उदयपुर के जो तालाब हैं, उनसे ही उदयपुर की पेयजल की व्यवस्था की जाती है। इन तालाबों को जिस भराव से भरा जा रहा है, उससे इन तालाबों की पानी की भराव क्षमता कम हो रही है और उसके कारण हमको पानी की दिक्कत आने वाली है। इसमें केवल कुछ व्यक्ति ही नहीं बल्कि यू. आई. टी. के लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने भराव करके वहां पर पार्क निकाला। इसमें सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने क्यों नहीं कार्यवाही की, जबकि पानी का इससे सम्बन्ध था ? इन अधिकारियों ने किन-किन के खिलाफ कार्यवाही की, यह बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, तीन साल पहले के ऐसे आठ प्रकरण हैं और इन आठों प्रकरणों में वहां के जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग ने मिली जुली कार्यवाही की थी। इनमें से 6 प्रकरण ऐसे हैं, जो कि विभिन्न न्यायालयों में हैं। कोई राजस्व मंडल में चले गये, कोई हाई कोर्ट और मुंसिफ कोर्ट में चले गये और न्यायालयों के हस्तक्षेप के कारण उनके खिलाफ जो कार्यवाही की जा रही थी, वह अभी रुकी हुई है। न्यायालयों के फैसलों के बाद हम उसमें आगे कार्यवाही करेंगे। माननीय सदस्य ने जो पी. एच. ई. डी. के बारे में पूछा है, यह सही है कि आजकल जो जलाशय उदयपुर नगर के समीप हैं, उन पर पी.एच.ई.डी. और सिंचाई विभाग दोनों का अधिकार है। मैं माननीय रामसिंह जी और देवेन्द्र सिंह जी से भी सहमत हूं कि राजस्व विभाग का भी उसमें हस्तक्षेप आ जाता है। पानी जब नीचे जाता है और जमीन बाहर निकलती है तो वह राजस्व विभाग में आ जाता है। तो यह सवाल वैसे तो मिला-जुला हो गया था लेकिन मैंने इसलिए उचित नहीं समझा कि पहली बार तो मैं आया और एक स्थगन के लिए निवेदन करूं। फिर मैंने माननीय गंगारामजी

(श्री कैलाश मेघवाल)

चौधरी से भी इसके बारे में सम्पर्क कर लिया है और उनसे भी सारी जानकारी ले ली।

श्री अध्यक्ष : आपका परिचय नहीं दिया।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपका यह क्षेत्र विस्तृत है।

श्री यदुनाथ सिंह : आप हैं कौन ?

श्री कैलाश मेघवाल : यह तो माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे। यह मेरा अधिकार नहीं है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने परिचित ही नहीं कराया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : ये आपसे बहुत ज्यादा परिचित हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : तो माननीय विधायक ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया और मैं चाहता हूं कि इस पर गंभीरता से राज्य सरकार भी विचार करे कि पी.एच.ई.डी., सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग, और यह भराव कई बार ऐसे खराब तरह का होता है जिससे पानी में प्रदूषण भी होता है। राज्य सरकार की इच्छा है कि जो अधिकतम भराव क्षमता है, उसमें किसी तरह की कमी न आवे, उस जमीन पर किसी तरह का अतिक्रमण न हो और न वहां पर भराव डाल कर के कोई लोग उसको कम कर सकें। इसके बारे में प्रयत्न किये जा रहे हैं। मैं पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी से सम्पर्क करके इस समस्या के समाधान के बारे में विचार करूंगा और विचार करके आवश्यक निर्देश दिये जायेंगे।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं केवल यह और जानना चाहता हूं कि उदयपुर नगर कश्मीर के बाद पर्यटन की दृष्टि से उत्तम माना जाता है। यह नगर झीलों के नाम से जाना जाता है। जो होटल इसके आस-पास खुल गये हैं, उनकी गन्दगी तालाबों में जाकर गिर रही है। पर्यटन की दृष्टि से इन तालाबों को स्वच्छ रखना आवश्यक है और इसके लिए राज्य सरकार क्या करने जा रही है यह बताने की कृपा करें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं उदयपुर से हूं और इस जिले का सौन्दर्य मैंने 40 साल पहले भी देखा है और आज भी देखा है। मैं माननीय विधायक की इस बात से सहमत हूं कि पर्यावरण की दृष्टि से और पर्यटन की दृष्टि से इन झीलों को सुरक्षित रखना और इनमें किसी तरह का प्रदूषण नहीं हो, इस बात की कार्यवाही की जाय। लेकिन जो होटलें बन गयी हैं, कई तरह के कानून बने हुये हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उन होटलों को हटाया जाना या गिरा देना–यह तो सम्भव नहीं होगा। जो नियमानुसार बने हुये हैं उनका मलबा या रिफ्यूज सागर में जा रहा है। इस बात की पूरी जांच करवा कर कि मलबा इन झीलों में न जाय इस बात का प्रयत्न राज्य सरकार करेगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट । श्री अमीन खां ।

सीमावर्ती एवं अकालग्रस्त क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानें ।

4. **श्री अमीन खां (शिव)** : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या सरकार दूर दराज क्षेत्र के सीमावर्ती रेगिस्तानी एवं अकालग्रस्त क्षेत्रों में जहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की 80 प्रतिशत से अधिक आबादी है, उन ग्रामों में पृथक से उचित मूल्य के सामान की दुकानें खोलने का विचार रखती है ?

(2) क्या सरकार ज़िला बाड़मेर की तहसील शिव के शास्तीगांव, बहाला, सगोशलीया, रातड़ी, खुडानी ग्रामों में पृथक से उचित मूल्य की दुकानें खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री (श्री रामकिशोर मीणा) : (1) माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सभी क्षेत्रों में उचित मूल्य के सामान की दुकानें खोलती है । किसी क्षेत्र विशेष के लिये पृथक से मापदण्ड के अतिरिक्त दुकानें खोलने का विचार नहीं रखती है ।

(2) तहसील शिव के ग्राम शास्तीगांव एवं खुडानी में उचित मूल्य की दुकानें खोली जा चुकी हैं । ग्राम सगोशलीया, वहाला एवं रातड़ी में राशन सामग्री वितरण की व्यवस्था पूर्व से ही है ।

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के पहले खण्ड में मंत्री जी ने यह बताया कि किसी क्षेत्र विशेष में अतिरिक्त दुकान नहीं खोल सकते । रेगिस्तान क्षेत्र ऐसा है, जहां एक आबादी से दूसरी आबादी के बीच में 25 किलोमीटर की दूरी है और आदिवासी भीलों का पूरा गांव है । वहाता जिसकी 1976 की जनसंख्या के अनुसार 676 की आबादी है और आज 1100 से ज्यादा की आबादी है, उस गांव के लोगों को 25 किलोमीटर दूर से अनाज और शक्कर लानी पड़ती है । अभी मुख्य मंत्री जी और मंत्रीजी जब बाड़मेर पधारे तो वहां पर उन्होंने कहा कि इस बाड़मेर जिले में विशेष अतिरिक्त वितरण व्यवस्था शुरू कर देंगे । तो आप इस अकाल पीड़ित एरिया के लिये विशेष अतिरिक्त दुकान खोलने का विचार क्यों नहीं करते ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : भारत सरकार से कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार के क्षेत्रों के लिए विशेष आवंटन किया जाय । अगर वे विशेष आबंटन कर देंगे तो आपकी इच्छापूर्ति हो जायेगी ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस प्रश्न के उत्तर को पोलिटिकल ट्विस्ट देने की चेष्टा की है कि हमको आवंटन बढ़ जायेगा तब हम दुकान खोल देंगे । सवाल है कि एक निश्चित आबादी के लिये आपको मिल रहा है । माननीय सदस्य यह बार-बार पूछ रहे हैं कि आप एक एक्स गांव को वाई गांव जाने के लिये मजबूर कर रहे हैं जो 25 किलोमीटर दूर है । वाई को

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

राशन तो मिल रहा है। उनकी मांग सिर्फ इतनी सी है कि उस दूरी को दृष्टिगत रखते हुये क्या आप इन गांवों के अन्दर दुकान खोलने का इरादा रखते हैं या नहीं। चूंकि प्रधान मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी वहां गये थे और दोनों ने यह बात कही थी कि इस इलाके को प्राथमिकता के आधार पर जो दूर दराज की आबादी है, उनको राशन सुलभ करा दिया जायेगा। तो, माननीय मुख्य मंत्री जी, वैसे तो आपकी इच्छा है। राजनैतिक ट्विस्ट देने में, हमने आपसे सीखा है, और भी उम्मीद रखते हैं।....(व्यवधान)...आपसे सीख लिया इसलिये हम आपसे पूछ रहे हैं। डिस्टेंस के आधार पर दुकानें खोलने का आपका इरादा है या नहीं ? क्योंकि अतिरिक्त की आवश्यकता तो है या नहीं, एग्जिस्टिंग कोटे में उस गांव को देने का आपका इरादा है या नहीं, यह बताने की चेष्टा करें।

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 हजार की जनसंख्या पर एक राशन की दुकान खोलने का भारत सरकार का लक्ष्य है और उसमें अभी तक राजस्थान का टोटल एवरेज 2900 के करीब है। बाड़मेर जिले में जो दुकानें हैं और गांव की जो जनसंख्या है, अनुपात है वह 2680 है। इस साल का जो लक्ष्य था उसके अगेंस्ट 31 दुकानें खोली जा चुकी हैं। यदि 2 हजार से ऊपर या उससे कुछ कम भी जनसंख्या होगी तो हम सबसे पहले सहकारी समितियों को प्राथमिकता देते हुये....(व्यवधान)....किसी का आवेदन इन गांवों का नहीं मिला है। यदि कोई आवेदन करेगा, दो हजार के आसपास जनसंख्या होगी तो दूरी को ध्यान रखते हुये वहां पर अतिरिक्त दुकान खोलने में कोई दिक्कत नही होगी, खोल देंगे।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : रेगिस्तानी इलाकों में केवल बाड़मेर ही आता है क्या ?

श्री अध्यक्ष : अब हो गया। मेन प्रवचन हो गया। अभी तक 4 सवाल हुये हैं, एक-दो सवाल और लेना चाहता हूं।

डा. चन्द्रभान : मैं केवल एक सवाल यह पूछना चाहता हूं कि फेयर प्राइस शॉप पर क्या-क्या सामान उपलब्ध होता है ? जो गेहूं और चीनी की बात करते हैं वह तो उपलब्ध ही नहीं हो रहा है। आपने कितनी दुकानें खोली हैं ? नयी दुकान खोलने का क्या प्रावधान ?... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जैसलमेर में कृषकों को सिचाई हेतु जल वितरण

श्री जितेन्द्र सिंह (जैसलमेर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में सरकार द्वारा नहरी क्षेत्र में कृषकों को जो भूमि आवंटित की गई थी उनके खेतों को सिचाई हेतु पानी देना बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(श्री जितेन्द्र सिंह)

(2) क्या सरकार उपरोक्त कृषकों को पुनः जल वितरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री (श्री भंवरलाल) : (1) जिन वितरण प्रणालियों में कार्य पूर्ण होकर पानी छोड़ा गया, उनमें कहीं भी पानी देना बंद नहीं किया गया है।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से तीन बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहूंगा । प्रथम, यह पूर्णतया सत्य है कि माह नवम्बर और दिसम्बर में जैसलमेर जिले की मोहनगढ़ क्षेत्र की इन्दिरा गांधी नहर की वितरिकाओं में जल प्रवाहित नहीं हो रहा था। मैं स्वयं मोहनगढ़ गया था, मोहनगढ़ के कृषकों का एक शिष्टमण्डल मेरे पास आया और तारीख 10 दिसम्बर, 91 को मैंने जैसलमेर स्थित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता महोदय के समक्ष इस जानकारी से उनको अवगत कराया कि इतने काश्तकारों की अपूरणीय क्षति हुई है और यह तथ्य समाचार पत्रों में भी भली भांति प्रकाशित हो चुका है। दूसरा यह है कि इस क्षेत्र के काश्तकारों को काश्त के लिये मोगों से पानी दिया जा रहा था वह भी विभाग ने बन्द कर दिया जिससे काश्तकारों को क्षति हुई। तीसरा, जो बिन्दु है जिसमें मैं माननीय मंत्री महोदय का स्पष्टीकरण चाहूंगा वह यह है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मण्डल के समक्ष एक प्रस्ताव चल रहा है कि जैसलमेर क्षेत्र के काश्तकारों को जो पानी दिया जायेगा उसमें आधी कटौती कर दी जायेगी। तो इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि ऐसा अगर प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उसको त्याग दिया जाय क्योंकि इससे इस क्षेत्र के काश्तकारों को अपूरणीय क्षति हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा कि माह नवम्बर और दिसम्बर में पानी वितरित नहीं किया गया था, मुझे जो विभाग से जानकारी मिली है, मोहनगढ़ माइनर, मण्डाऊ वितरिका और खालों से इस क्षेत्र के कृषकों को बिना किसी गतिरोध के पानी वितरित किया जा रहा है। अब कुछ ऐसी जगह से इनके पास कोई इत्तिला आयी हो, अगर स्पेसिफिक है तो वह बता दें कि फलां तारीख से पानी बन्द है। पानी बन्द का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और कोई वितरिका में अगर पानी बन्द हुआ है किन्हीं कारणों से और अधिकारियों ने कोई जानकारी नहीं दी है तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। दूसरा, इन्होंने पानी के लिये, वाटर चैनल के लिये पूछा है। उसमें निश्चित तौर से अधिकृत रूप से 12 वितरिकाओं में पानी दे रहे हैं। इसके साथ साथ वाटर चैनल चल रहा है जो निर्माण कार्य के लिये है। अनधिकृत रूप से कई जगह काश्तकारों ने पानी लिया। उसके विषय में माननीय सदस्य की शिकायत निश्चित रूप से सही होगी। इसको हमने बन्द किया

२०

(श्री भंवरलाल शर्मा)

है, क्योंकि जब पानी हमें निर्माण कार्य के लिये उपलब्ध नहीं होगा तो उस पानी को काश्तकारों को नहीं दे पायेंगे। इसी प्रकार के मोगे बीरबलसागर के वाटर सप्लाई चैनल हैं, अनधिकृत मोगों की संख्या चार है, रकबा 40 हैक्टेयर है। सागरमल गोपा की बुर्जी 30 से 240 वाटर सप्लाई चैनल, अनधिकृत लोगों की संख्या 20 है और रकबा है 112 हैक्टेयर। इसलिये इन मोगों को निश्चित रूप से हमने बन्द किया है। आपने तीसरा बिन्दु पानी की कटौती के बारे में उठाया। पानी की कटौती के बारे में एक कमेटी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बनायी है उसमें सिंचाई मंत्री....

श्री यदुनाथसिंह : आपसे पूछ कर बनायी क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : तो क्या आपसे पूछते ? उस कमेटी में सिंचाई मंत्री, इन्दिरा गांधी नहर मंत्री मैं भी सदस्य हूं और बाकी दो-तीन मेम्बर और टेक्नीकल स्टाफ के अधिकारी हैं। इस प्रकार से स्टेज-2 में कमेटी बनी हुई है। अभी कोई तथ्य नहीं है कि कोई ऐसा निर्णय हो चुका हो। जहां पर पानी की आवश्यकता होगी और वाटर लोगिंग नहीं होगा तो निश्चित रूप से पानी दिया जायेगा। काश्तकारों का अहित नहीं होगा।

श्री जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन काश्तकारों को मोगों के द्वारा पानी दिया जा रहा था, वह दुबारा देना चालू कर दिया जाय। अभी तो वहां पर पूरी भूमि का आवंटन भी नहीं हुआ है, जल की कमी नहीं है। यदि अनौपचारिक रूप से भी काश्तकार उस पानी को इस्तेमाल कर रहे थे तो विभाग की अनौपचारिक या मौन स्वीकृति तो उनको थी। फिर अब उनको इस लाभ से क्यों वंचित रखा जा रहा है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : जहां तक वाटर सप्लाई चैनल का प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति चोरी करके ले जाये और कहे चोरी का सामान फिर दिला दो तो यह कोई उचित नहीं है ? फिर भी अकाल से प्रभावित क्षेत्र का मामला है इसलिए यदि सिंचाई और निर्माण कार्य में उपयोग लिये जाने के बाद यदि अतिरिक्त पानी होगा तो जिस प्रकार से पहले प्रक्रिया चालू थी उसको चालू रखा जायेगा और उसको रोकेंगे नहीं।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : यह सही है कि जैसलमेर में द्वितीय चरण के किसानों को पिछले दिनों पानी नहीं मिला। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जैसलमेर में इंदिरा गांधी मुख्य नहर, वितरिकाएं माइनर और सब माइनर की केपेसिटी क्या है ? पिछले दो महीने में जो पानी वितरित किया जाना चाहिए था वह कितना कम रहा और क्लोजर कब-कब रहे ? इसके बारे में बता दें तो सारी बात स्पष्ट हो जायेगी।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इन्दिरा गांधी नहर मंत्री महोदय से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसलमेर के जिस क्षेत्र में पानी दिया जा रहा है क्या वहां के

(श्री हेतराम बेनीवाल)

लिए एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स की यह स्पष्ट राय है कि यदि वहां पानी ज्यादा दिया गया तो भूमि में वाटर लोगिंग हो जायेगा और भूमि खेती लायक नहीं रहेगी ? (व्यवधान) मैं यह बात इसलिए कर रहा हूं कि अखबारों में कुछ अर्सा पहले एक रिपोर्ट छपी थी कि इस भूमि में कितना पानी उपयुक्त होगा । क्या इंदिरा गांधी नहर मंत्री बतायेंगे कि वहां पर पर एकड़ कितना पानी सप्लाई किया जा रहा है और कितना उपयोग होगा ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक क्लोजर का प्रश्न है शायद कल्ला साहब ने ध्यान से सुना नहीं होगा । मैं पहले ही यह जवाब दे चुका हूं कि नवम्बर और दिसम्बर माह में, जिसके लिए प्रश्नकर्त्ता डाक्टर जितेन्द्र सिंह ने पूछा है, कब तक पानी दिया गया और किस समय यह बंद रही ।

जहां तक पानी के डिस्चार्ज का प्रश्न है 150 क्यूसेक पानी निर्माण कार्य और सिंचाई... (व्यवधान) दोनों कार्यों के लिए दिया जाता है ।

श्री हेतराम बेनीवाल : सिर्फ निर्माण कार्य के लिए 150 क्यूसेक ? मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्यूसेक किसे कहते हैं ? क्यूसेक क्या होता है ? यह मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि 150 क्यूसेक पानी सिर्फ निर्माण कार्य के लिए दिया जा रहा है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : आप ध्यान से सुनिए । आप भी काश्तकार हैं और मैं भी काश्तकार हूं । 150 क्यूसेक पानी, सिंचाई और निर्माण दोनों कार्यों के लिए है.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोलने तो दें । आप जवाब सुन लीजिए ।

श्री भंवरलाल शर्मा : हार्ड पेन के बारे में पूछा है । वहां पर पांच लिफ्ट हैं । माननीय हेतराम जी ने समाचार पत्रों के जरिये जो शंका बतायी है वह बात बिल्कुल सही है । एक बागड़सर लिफ्ट है उसको छोड़कर जिसमें कोई भी हार्डपेन एरिया नहीं है, साहवा लिफ्ट पर 28 प्रतिशत है. कोलायत, गजनेर....(व्यवधान) यही पूछा है ।

श्री हेतराम बेनीवाल : जो जैसलमेर में फ्लो में पानी दिया जा रहा है उसका पूछा है ।

श्री अध्यक्ष : जितना पानी वहां जज्ब कर सकती है उतना ही देंगे, लोगिंग होगा नहीं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : विशेषज्ञों की रिपोर्ट के बाद जो उपयुक्त समझा जाएगा कि किस जमीन को कितना पानी दिया जाय उसके अनुसार ही पानी दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

चौहटन में सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा

6. श्री अब्दुल हादी (चौहटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री अब्दुल हादी)

(1) बाड़मेर जिले की चौहटन तहसील में किन-किन लोगों का सरकारी भूमि पर कब्जा है और कितने लोगों के विरुद्ध राजस्व भूमि अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जा रही है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इनमें से काफी लोग भूमिहीन हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार भूमिहीनों की कब्जा शुदा जमीन को नियमित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) तहसील चौहटन में सरकारी भूमि पर 3,361 व्यक्तियों ने वर्ष 1991–92 में अतिक्रमण कर कब्जा किया है। इनके विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नियमानुसार मुकदमें दर्ज कर कार्यवाही की गयी है ? सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) इसमें से 130 प्रकरणों के व्यक्ति भूमिहीन की श्रेणी में आते हैं, जिनके प्रकरण नियमन हेतु सक्षम अधिकारी के पास भिजवाने की कार्यवाही जारी है। उक्त प्रकरण आवंटन समिति के सक्षम प्रस्तुत कर शीघ्र निस्तारण किया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामसिंह विश्नोई : उनको कब तक बेदखल कर दिया जायेगा ?

श्री अब्दुल हादी : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले में अलाटमेण्ट बंद है। काफी लोगों के नाजायज कब्जे हैं उनका कुछ कानूनी उलझनों के कारण रेगुलराजेशन नहीं हो रहा है। मिसाल के तौर पर जैसा सीलिंग कानून में लड़के की उम्र 8 साल होने से अलग परिवार मान लिया जाता है वैसे ही जिन लोगों के नाजायज कब्जे हैं उनमें 70 साल के लोग भी हैं। उसके पांच बच्चे जवान हैं, उनके बाल बच्चे हैं, उनको नहीं किया जाता है इस कारण से वह जमीन रेगुलराइज नहीं हो सकती है।

अलाटमेण्ट की छूट दे दें तो यह समस्या ठीक हो जायेगी। काफी एस. सी., एस. टी. के लोग परेशान और तबाह हैं। पटवारी और तहसीलदार उनको लूटते रहते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह चौहटन की समस्या है इसका कोई हल निकालें। कानून मंत्री इस पर रोशनी डालें कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है ?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले में साधारण आवंटन बंद है लेकिन जो रेगुलराइजेशन के सम्बन्ध में सर्कुलर जारी किया है—15.7.84 से पहले के नाजायज कब्जे हैं उनका नियमन कर दिया जाय, वह बाड़मेर पर भी लागू है और सूखा सम्भाव्य क्षेत्र पर भी लागू है। बाड़मेर जिले में अलाटमेण्ट की सीमा 75 बीघा है, उस हद तक जो योग्य होंगे उनका नियमन कर दिया जायेगा।

(श्री गंगाराम चौधरी)

माननीय सदस्य ने एक समस्या जरूर कही सीलिंग एक्ट के तहत जब बालिग लड़के को अलग परिवार मानते हैं। इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि हमारे अलाटमेण्ट के नियम हैं। 12 में पहले से ही यह प्रावधान है कि ऐसे व्यक्ति को नोशनल शेयर मानते हैं। जोइण्ट फैमली में उनको नोशनल शेयर काउंट करने के बाद जो भूमि 75 बीघा से कम है या रह गयी है उस भूमि का और नियमन कर दिया जाय। नोशनल शेयर हम काउंट करते हैं। इसके हिसाब से संख्या दी है हालांकि 3 हजार अतिक्रमी हैं लेकिन अब तक 130 व्यक्ति ही योग्य पाये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला पाली में संचालित निजी बसें

1. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिले में किन-किन मार्गों पर कितनी-कितनी निजी बसें कहां से कहां तक किन-किन गांवों से होकर संचालित होती हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त मांगों हेतु किस-किस गांव की क्या-क्या किराया दरें निर्धारित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 9.1.91 द्वारा 00.16 पैसे नग प्रति किलोमीटर किराए की दरें निर्धारित हैं। वयस्क यात्री के लिए 1.00 रु. व बालक यात्री के लिये न्यूनतम किराया 50 पैसे है। मार्ग के प्रत्येक गन्तव्य के लिये इन्हीं दरों के अनुसार किराए का निर्धारण किया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

बारां-खानपुर के विभिन्न मार्गों पर संचालित अवैध बसें

2. **श्री मदन दिलावर (अटरू)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि पिछले दो वर्षों से बारां से अटरू, छबड़ा, छीपा बड़ौद एवं खानपुर रोड पर अवैध बसें संचालित हैं ? यदि हां, तो गाड़ी नम्बर व मालिक के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन बसों को जिला परिवहन अधिकारी या क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा दो तीन दिन या कुछ समय का अनुज्ञा-पत्र जारी किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह बसें जितने दिन का अनुज्ञा-पत्र जारी करते हैं उतने ही दिन चलती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री मदन दिलावर)

(4) क्या सरकार इन अवैध बसों को बन्द करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इन मार्गों पर अवैध बसों का कोई नियमित संचालन नहीं है।

(2) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी व जिला परिवहन अधिकारी द्वारा विशेष अवसर शादी विवाह पिकनिक पार्टी के लिये संविदा वाहन अस्थाई अनुज्ञा-पत्र दो या तीन दिन के लिए यात्रा की वापसी सेवा हेतु राष्ट्रीय मार्ग पर सवारी नहीं उतारने व बिठाने की शर्त पर पैकेज यात्रा हेतु जारी किये जाते हैं। दो या तीन दिन तक की अवधि हेतु उक्त मार्गों पर दैनिक वाहन संचालित करने हेतु क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कोटा अथवा जिला परिवहन अधिकारी, बारां द्वारा अस्थाई अनुज्ञा-पत्र जारी नहीं किए गए हैं।

(3) जी हां। दो या तीन दिन की अवधि के अनुज्ञा-पत्र कुल यात्रा अवधि के एक वापसी फेरे हेतु जारी किये जाते हैं। अस्थायी अनुज्ञा-पत्र शादी विवाह, पिकनिक पार्टी हेतु जारी किये जाते हैं। अस्थायी अनुज्ञा-पत्र के वाहन, अनुज्ञा-पत्र में दी गई अवधि तक ही संचालित होते हैं।

(4) जी हां। अवैध संचालन रोकने हेतु यथेष्ट प्रयास किये जा रहे हैं। इस हेतु नियमानुसार चालान बनाने, वाहनसीज करने व जुर्माना वसूल करने की कार्यवाही की जाती है।

जिला बांसवाड़ा में डी. पी. ए पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

3. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में डी. पी. ए पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत भू-संरक्षण विभाग द्वारा कितने कार्य कहां-कहां चलाये जा रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र के कितने गांवों के कितने कार्यों के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजे हैं ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार प्रस्तावित योजनाओं को स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में भू-संरक्षण विभागद्वारा निम्न जलग्रहण विकास के कार्य डी पी. ए पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत चलायेजा रहे हैं :—

(1) करली 5–बी
(2) कानडा–5 बी
(3) सोडलपुर–3 ए
(4) सोडलपुर 2–बी
(5) कुन्डला खुर्द–5 बी
(6) वरेठ–सी
(7) खालपुर–3 सी
(8) खालपुर–4 ए
(9) अमरपुरा–ई
(10) जीकली–बी
(11) ताम्बेसरा–4 ए

(श्री कृषि मंत्री)

(12) जीकली 4-ए
(13) ताम्बेसरा 4-बी
(14) ताम्बेसरा 5-ए
(15) कालाखूटा 2-बी
(16) जीकली 4-बी
(17) कालाखूटा 2-ए

(2) कुशलगढ़ क्षेत्र के निम्न गांवों के निम्नांकित कार्यों के प्रस्ताव विभाग द्वारा डी. आर. डी. ए. को भेजे हुये हैं ;—

योजना	गांव का नाम	कार्य का प्रकार	कार्यों की संख्या
(1) डी.पी. ए.पी. योजना	जीकली	जल-ग्रहण विकास	1
	बीजलपुर	,,	3
	ताम्बेसरा	,,	1
(2) जनजाति योजना	पीपलीवाड़ा	,,	1
	दस्सी	,,	1
	केवड़ीया	,,	1
	उदयगढ़ बसुनी	,,	1
	काकरबांड़ी	,,	1
	मुनियां खुंटा	,,	1
	सातसेरा बड़ी	,,	1
(3) मैसिव योजना	बस्सी	,,	1
	गलधर-2	,,	1
	गुन्दड़ी बड़ी	,,	1

( ) विभिन्न योजनाओं में प्रस्तावित कार्यों में से निम्न कार्य स्वीकृत हो चुके हैं और शीघ्र ही कार्य आरम्भ कराया जा रहा है :—

(1) मैसिव योजना के कार्य (1) गलधर-2 (2) जनजाति योजना के कार्य (1) केवड़िया (2) उदयपुर वसूली

निम्न 8 अपूर्ण राहत कार्य भी दिनांक 20-2-92 को अकाल राहत सलाहकार समिति की बैठक में स्वीकृति हेतु विचाराधीन लिये गये थे जो कि शीघ्र ही स्वीकृत होकर कार्य आरम्भ किये जाने की सम्भावना है।

(1) शोयावटी (2) वरसाला
(3) बम्बापाह (4) बड़ला की रेल
(5) मांचा (6) सरसीया पाड़ा
(7) मछारा सात (8) कालिया

जिला जालौर की रबी फसल की क्षतिपूर्ति

4 **श्री प्रेमसिंह दहिया** (भीनमाल) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जनवरी-फरवरी, 1992 में हुई वर्षा एवं पाला पड़ने से जालौर जिले की रबी की फसल में जीरा एवं घोड़ाजीरा की फसल को नुकसान हुआ है ?

(2) क्या सरकार ने जालौर जिले में रबी की खड़ी फसल में हुए नुकसान का सर्वे करवाया है ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि सर्वे नहीं करवाया गया है तो क्या सरकार अब सर्वे कराने का विचार रखती है ?

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार जीरे व घोड़ा जीरे की फसल में हुए किसानों को नुकसान का मुआवजा या आर्थिक सहायता देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कितना एवं किस प्रकार ?

उत्तर

(1) जी हां। केवल जीरा की फसल में नुकसान होने का अनुमान है।

(2) रबी गिरदावरी 16 फरवरी, 1992 से प्रारम्भ करदी गई है। रिपोर्ट आने पर फसल खराबे की जानकारी हो सकेगी।

(3) गिरदावरी रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

अतारांकित प्रश्न संख्या 5

(स्थगित)

जिला सवाईमाधोपुर में वैद्यों के स्थानान्तरण

6. **श्री गोविन्द सहाय** (गंगापुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

इस वर्ष सवाईमाधोपुर जिले में वैद्यों के कितने स्थानान्तरण दो वर्ष का कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही बिना शिकायत व अनुशंसा (डिजायर) के किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

ऐसा कोई स्थानान्तरण नहीं किया गया।

आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा, 1990 के सफल अभ्यर्थी

7. **श्री रिछपाल सिंह** (डेगाना) : क्या मुख्य कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा अधीनस्थ कार्यालय आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा, 1990 में सफल 578 अभ्यर्थियों की सूची राज्य सरकार को उपलब्ध करा दी गई थी ? यदि हां, तो उनमें से कितने अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी किये गये ?

(2) क्या यह भी सही है कि इनमें से अधिकांश अभ्यर्थियों ने आज तक कार्यभार नहीं संभाला है ? यदि हां, तो उनकी कितनी संख्या है ?

(3) क्या यह सही है कि जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक कार्यभार नहीं संभाला है, उनके विरुद्ध अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने हेतु आवंटन पत्र जारी करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा सफल अभ्यर्थियों की "योग्यता सूची" राजस्थान शासन सचिवालय के लिए 3 वर्ष व अधीनस्थ कार्यालयों के लिए 5 वर्ष तक के लिए नियुक्ति हेतु सुरक्षित रखी जाती है ?

उत्तर

(1) 165 रिक्त पदों को भरने के लिये राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा ली गई थी और 165 रिक्त पदों के विरुद्ध 578 अभ्यर्थियों को योग्य घोषित किया गया तथा सूची 2-8- 991 को विभाग को उपलब्ध कराई गई। 165 रिक्त पदों के लिये 165 अभ्यर्थियों को दिनांक 23-9-1991 को आवंटित कर दिया गया था। आवंटित अभ्यर्थियों में से उपलब्ध सूचना के अनुसार 147 के नियुक्ति पत्र संबंधित विभागों द्वारा जारी किये जा चुके हैं।

(2) विभाग में प्राप्त सूचना के अनुसार 56 ने ही कार्यभार संभाला है।

(3) नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(4) जी नहीं। यह योग्यता सूची 2 वर्ष तक नियमानुसार मान्य रहती है।

बाल मंदिर कालेज, जयपुर के बी. एड. प्रशिक्षणार्थी

8. रामकिशोर सैनी (बांदीकुई) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में प्री. बी. एड. परीक्षा का प्रारम्भ किस वर्ष से प्रारम्भ हुआ एवं कौनसा विश्वविद्यालय इसका आयोजन करता है ?

(2) क्या विभिन्न कालेजों को उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित की जाकर उसी के द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाता है ? यदि हां, तो वर्ष 1987 तथा 1988 में बाल मंदिर कालेज, जयपुर में विश्वविद्यालय द्वारा किन-किन उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उक्त कालेज में बी. एड. प्रशिक्षण हेतु सूची प्रेषित की तथा किन-किन प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा ली गई ?

उत्तर

(1) राजस्थान में प्री. बी. एड. परीक्षा का आयोजन सत्र 1987–88 से प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में प्री. बी. एड. परीक्षा का आयोजन मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा आयोजन हो रहा है।

(2) जी नहीं। राजस्थान में प्री. बी. एड. परीक्षा का आयोजन किसी एक विश्वविद्यालय से सम्पन्न कराई जाती है इस विश्वविद्यालय द्वारा प्री. बी. एड. उत्तीर्ण आशार्थियों को सम्बन्धित बी. एड. महाविद्यालयों को प्रवेश हेतु सूची प्रेषित करता है, तथा ये बी. एड. महाविद्यालय जिस विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होते हैं वही विश्वविद्यालय उन कालेजों में प्रवेशित बी. एड. प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा का आयोजन करता है।

सत्र 87–88 में बाल मंदिर महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, मोती डूंगरी जयपुर में प्री. बी. एड. उत्तीर्ण आशार्थियों के बी. एड. में प्रवेश लेने तथा

(शिक्षा मंत्री)

उनके द्वारा दी गई परीक्षा सूची संलग्न है। वर्ष 87–88, 88–89 में प्री. बी. एड. परीक्षा का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा किया गया था तथा संलग्न सूची के प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा बाल मंदिर कालेज, जयपुर में प्रवेश लिया तथा इनकी परीक्षा अजमेर विश्वविद्यालय, अजमेर द्वारा ली गई।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

प्रो. एस. एन. सिन्हा के विरुद्ध की गई जांच

9. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विधान सभा के लगभग 35 सदस्यों ने राजस्थान विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति प्रो. एस. एन. सिन्हा पर गम्भीर आरोप लगाते हुये मुख्य मंत्री से जांच की मांग की थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रो. सिंहा के खिलाफ श्री वी. आई. राजगोपालन कमीशन नियुक्त किया गया था ?

(3) क्या इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत कर दी है ? यदि हां, तो क्या यह रिपोर्ट कार्यवाही के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय को भेज दी गई है ?

(4) क्या इस रिपोर्ट पर कार्यवाही करने के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय सिण्डीकेट के सदस्य डा. अनिल माथुर ने कुलपति को कोई ज्ञापन दिया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(5) क्या इस आयोग ने राजस्थान विश्वविद्यालय एम. ए. भूगोल परीक्षाएं, 1989 व परीक्षक नियुक्ति, 1990 के बारे में की गई धांधलियों पर भी जांच की है ? यदि हां, तो कौन-कौन से मुद्दों पर जांच की गई है ? मुद्दों का पूर्ण विवरण व आयोग के निष्कर्ष की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(6) इस प्रतिवेदन पर कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, यह सही है कि कुलाधिपति एवं महामहिम राज्यपाल ने प्रो. एस. एन. सिन्हा के विरुद्ध आरोपों की जांच करने हेतु श्री वी. आई. राजगोपालन कमीशन नियुक्त किया था।

(3) जी हां, कमीशन ने अपनी रिपोर्ट महामहिम राज्यपाल को प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट की प्रति विश्वविद्यालय को टिप्पणी प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय को भेजी गई।

(4) जी हां, सही है ज्ञापन पर राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित है।

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

(5) जी हां, इन तथाकथित अनियमितताओं के अतिरिक्त अनेक मुद्दों पर जाच की गयी है। जांच रिपोर्ट महामहिम राज्यपाल के विचाराधीन है। अतः उनके निर्णयानुसार आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।

(6) कुलाधिपति एवं महामहिम राज्यपाल ही जांच प्रतिवेदन पर विचार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु आवश्यक निर्णय लेंगे।

जोधपुर विश्वविद्यालय द्वारा 1990–91 में एम. बी. ए. प्रवेश के लिए ली गई परीक्षा

10. **श्री रामकरण सिंह** (कोटपूतली): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर विश्व विद्यालय ने एम बी.ए. में प्रवेश के लिए वर्ष 1990–91 में दुबारा परीक्षा आयोजित की थी?

(2) क्या इस परीक्षा के आयोजक के भतीजे ने भी यह परीक्षा दी थी और वह चयनित भी हुआ?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री डी. एस. भण्डारी पी.ई.टी. की परीक्षा वर्ष 1991–92 के मुख्य आयोजक नियुक्त किये गये थे?

(4) क्या वर्ष 1991-92 की पी.ई टी. परीक्षा में श्री भण्डारी के मौसेरे भाई का लड़का भी परीक्षा दे रहा था?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। इस परीक्षा के आयोजक तत्कालीन रजिस्ट्रार श्री एल एन.यादव आई.ए.एस. थे और न ही उनके कोई भतीजे ने परीक्षा दी अतः चयनित होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं। वह केवल समन्वयक थे।

(4) जी हां। परन्तु नियमानुसार इस सम्बन्ध के कारण समन्वयक के रूप में कार्य करना वर्जित नहीं है।

राजस्थान अन्वेषण ब्यूरो में चल रहे प्रकरण

11 **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा):

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू): क्या भ्रष्टाचार निरोधक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान अन्वेषण ब्यूरो विभाग में वर्ष 1985 से किन-किन अधिकारियों व जन प्रतिनिधियों के विरुद्ध कब-कब से किस-किस प्रकरण में जांच लम्बित है तथा किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध किस-किस अदालत में किन-किन अपराधों में चालान पेश किये गये? किन-किन मुकदमों में एफ.आर. दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरणों की अधिक समय तक जांच लम्बित रहने के क्या कारण

(श्री मोहम्म माहिर आजाद)

रहे ? उक्त प्रकरणों की जांच कब तक पूरी कर दी जावेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लम्बित मुकदमों की सूची परिशिष्ट "अ" में दी गई है जो संलग्न है। अधिकारियों/ जनप्रतिनिधियों के खिलाफ चालान पेश किये गये हैं उनकी सूची परिशिष्ट 'ब" में संलग्न है। अधिकारियों/ जनप्रतिनिधियों के खिलाफ प्रकरणों में एफ.आर. दी गई है उसकी सूची परिशिष्ट "स" में संलग्न है।

(2) मुकदमों के लम्बित रहने के कारण व जांच पूर्ण होने की अवधि बाबत जवाब संलग्न सूची परिशिष्ट "अ" के कालम 4 व 5 में अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

शिक्षा विभाग में रिक्त कनिष्ठ लिपिकों के पद

12 श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर): क्या मुख्य (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) शिक्षा विभाग में कनिष्ठ लिपिकों के कितने पद अप्रेल 1991 से जनवरी, 1992 तक रिक्त थे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन रिक्त पदों पर लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थियों की कनिष्ट लिपिक के पद पर शिक्षा विभाग में नियुक्ति क्यों नहीं की गयी ? इसके लिए कौन दोषी है ?

(3) क्या राज्य सरकार शिक्षा विभाग के कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों पर लोक सेवा आयोग से चयनित लिपिकों की नियुक्ति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) शिक्षा विभाग ने एक पत्र दिनांक 21-10-1991 को लिखा जो कि 24-10-1991 को प्राप्त हुआ जिसमें विभाग में कुल 1243 पद रिक्त बताये गये थे।

(2) कनिष्ट लिपिकों के चयन के सम्बन्ध में दायर विशेष अपील संख्या 107/91 की सुनवाई के दौरान दिनांक 10–4–1991 को उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने दिनांक 10–4–1991 तक कनिष्ट लिपिकों के रिक्त स्थानों की सूचना चाही थी। चूंकि शिक्षा विभाग से दिनांक 10–4–1991 तक रिक्त पदों की सूचना प्राप्त नहीं हुई थी, अतः जो 906 रिक्त पदों की सूचना न्यायालय को दी गई उसमें शिक्षा विभाग के रिक्त पद सम्मिलित न होने के कारण आवंटन किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता था।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

सर्किट हाऊस, बाड़मेर का भवन

13. श्री अमीन खां (शिव) : क्या (मुख्य सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(श्री अमीन खां)

(1) क्या यह सही है कि जिला मुख्यालय बाड़मेर में एक सर्किट हाऊस है जो पुराने डाक बंगले में ही चल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार सीमावर्ती जिले को महत्व को देखते हुये भवन की कमी महसूस करती है ?

(2) क्या सरकार सर्किट हाऊस, बाड़मेर को पूर्ण रूप से चलाने के लिये निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं; तो क्यों ?

(3) जोधपुर–जैसलमेर–बाड़मेर सर्किट हाऊस में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या उसके समकक्ष कितने-कितने पद स्वीकृत हैं ? उनमें से कितने पद रिक्त है ? अब कब तक रिक्त पदों पर नियुक्ति कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) नवीन भवन हेतु रु. 29 लाख 93 हजार की स्वीकृति दिनांक 30–9–91 को जारी जा चुकी है, जिससे निर्माण कार्य प्रारम्भ होकर दो वर्ष में पूर्ण होने की संभावना है।

विश्राम भवन जैसलमेर–जोधपुर एवं बाड़मेर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के निम्नानुसार पद स्वीकृत हैं एवं रिक्त पदों का विवरण उनके सामने अंकित है—

क्र. सं.	विश्राम भवन का नाम	स्वीकृत पद सं.	रिक्त पदों की संख्या
1	जोधपुर	23	मशालची-1 वेटर-2
2.	जैसलमेर	5	मशालची-1 वेटर-1
3.	बाड़मेर		कोई पद रिक्त नहीं है।

(3) रिक्त पदों को शीघ्र भरने का मामला विचाराधीन है।

रायसिहनगर, उपखण्ड अधिकारी के पद पर रहे अधिकारी

14. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : क्या मुख्य (प्रशासनिक सुधार) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) मई, 1990 से अब तक रायसिह नगर, जिला गंगानगर में उपखण्ड अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे अधिकारियों की प्रथम उपस्थिति एवं कार्यमुक्त होने की तारीखों सहित नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्राप्त शिकायतों की जांच की जा रही है ? यदि हां, तो जांच कब तक पूर्ण कर ली जावेगी ?

उत्तर

(1) मई, 1990 से अब तक रायसिंह नगर में उपखण्ड अधिकारी के पद पर निम्न लिखित अधिकारी कार्यरत रहे। रिक्त पद पर ज्वाईन करने एवं रिलीव होने की तिथि नीचे उनके नामों के सामने अंकित है—

क्र सं.	नाम	कार्यग्रहण की तिथि	कार्यमुक्ति की तिथि
1.	श्री सुखवीर सिंह	26 8.89	14.6 90
2.	श्री जगमाल सिंह	14.6.90	9.9.91

(2) उक्त अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की प्रतियां संलग्न हैं।

(3) जी हां। शिकायतों पर जिला कलेक्टर, गंगानगर से जांच करवाई जा रही है। जांच शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील शिव की भूमि पर अतिक्रमण

15 **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) पिछले 4 सालों में जिला बाड़मेर की तहसील शिव के पटवार मण्डल-रोईडी द्रामा, सुन्द्रा व डाबड में शिवायचक सरकारी जमीन बिना कब्जा गैर मुमकिन पर कितने व्यक्तियों ने अतिक्रमण किये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि रोईडी, सुन्द्रा–द्रामा व डाबड़ क्षेत्रों में अनेक लोगों ने गलत कब्जे कर रखें हैं ? यदि हां, तो उनके खिला क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) पिछले 4 वर्षों में जिला बाड़मेर के तहसील शिव, के पटवार मण्डल रोईड़ी, द्रामा, सुन्दरा व डाबड़ में शिवायचक सरकारी जमीन बिना कब्जा गैर मुमकिन पर वर्षवार अतिक्रमण निम्न प्रकार हुए—

नाम ग्राम	1988	1989	1990	1991
1 रोहिड़ी	291	372	445	—
2 द्रामा	58	95	132	—
3 डावड	164	187	180	—
4 सुन्द्रा	95	185	205	—
योग	608	839	962	—

(2) जी हां,

गलत कब्जे किये जाने पर उनके विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1955 की धारा 91 तहत कार्यवाही कर बेदखली की गई हैं।

(33)

डी. एस. मार्बल उद्योग प्रा. लि. फतेहपुर (उदयपुर) का प्रकरण

16. **श्री खंगार सिंह चौधरी** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा डी. एस मार्बल उद्योग प्रा. लि. फतेहपुर, उदयपुर को मार्बल उद्योग हेतु पत्रावली प. 1(14) राज/ग्रुप-3/91 पर भूमि रूपान्तरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई है ? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पत्रावली पर उप शासन सचिव की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित टंकित टिप्पणी पर हस्तलेखन से टिप्पणी बढ़ाई गई है ?

(3) क्या उक्त हस्तलेखन में बढ़ाई गई टिप्पणी तत्कालीन कार्यालय सहायक, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग की लेखनी की है ?

(4) क्या उप शासन सचिव की टंकित टिप्पणी पर कोई लिपिक अपने हस्तलेखन से टिप्पणी जोड़ सकता है ? यदि नहीं, तो उक्त लिपिक के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(5) क्या राज्य सरकार उप शासन सचिव की टिप्पणी पर अपने हस्तलेखन से टिप्पणी जोड़ने वाले कर्मचारी को निलम्बित कर उन्हें दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां, स्वीकृति हेतु प्रस्तावित टिप्पणी के अन्तिम पैरा के मध्य में 2 खसरा नम्बर मय रकबा जोड़े गये हैं।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। पत्रावली के अनुसार उक्त लिपिक ने उप सचिव व अनुभाग अधिकारी द्वारा वार्ता में दिये गये मौखिक निर्देशानुसार छुट गये खसरा नम्बर व रकबा का इन्द्राज किया है।

(5) कर्मचारी ने अधिकारियों के निर्देशानुसार टंकण में छूट गये खसरा नम्बर व रकबा का इन्द्राज किया है, अतः निलम्बित कर दण्डित करने का प्रश्न नहीं है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

जिला चित्तौड़गढ़ में भूमि अतिक्रमण के मामले

17. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले में आवासीय बिलानाम, चरनोट, सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जे की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) जिला चित्तौड़गढ़ में तहसील के अनुसार आवासीय बिलानाम, चरनोट, सरकारी भूमि पर कहां-कहां किस-किस के कितने-कितने समय से कब्जे हैं ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सम्वत् 2018 में आवासीय बिलानाम, चरनोट पर एवं अन्य सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के कुल 24,588 मामले दर्ज होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 व राजस्थान उप निवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत कार्यवाही कर 24,095 मामलों में बेदखली की कार्यवाही की गई, 493 मामले विचाराधीन हैं। नगरीय क्षेत्रों में 472 एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 735 अतिक्रमण के मामले आबादी भूमि पर हुए, जिनकी बेदखली के मामले नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत स्तर पर विचाराधीन हैं।

(2) सूची संलग्न है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कपासन एवं हिण्डौली के तालाब

18. श्री मोहनलाल चित्तौड़िया (कपासन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कपासन और हिण्डौली, जिला–चित्तौड़गढ़ के तालाबों में वर्षा का पानी भरने के लिये सरकार की क्या योजना है?

(2) क्या कपासन तालाब को भरने हेतु मातृकुण्डिया से कपासन फीडर निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो इसे कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

(3) कपासन विधान सभा क्षेत्र में तालाबों की नहरें कब तक पाक्की बना दी जायेंगी?

उत्तर

(1) वर्तमान में कपासन तालाब को एवं हिण्डौली तालाब को भरने हेतु धमाना कपासन फिडर एवं हिण्डोली फिडर बनी हुई है और इनके द्वारा ही पानी इन तालाबों में आता है।

(2) जी नहीं।

(3) आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण अभी प्रस्तावित नहीं है।

गम्भीरी नदी पर एनीकट्स का निर्माण

19. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडा-भीम) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार सवाई माधोपुर जिले में स्थित गम्भीरी नदी पर एनीकट्स बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और कहां-कहां?

उत्तर

जी नहीं।

नैनवा स्थित श्री सत्यनारायण जी महाराज का मन्दिर

20. श्री ईश्वर लाल सैनी (लक्ष्मण-गढ़) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या खानपोल दरवाजा नैनवा में श्री सत्यनारायण जी महाराज का मन्दिर स्थित है? यदि हां, तो उक्त मन्दिर के नाम पर कितनी चल-अचल सम्पत्ति है?

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

(2) क्या उक्त मन्दिर के लिए ट्रस्ट का पंजीयन किया जाना कानून सम्मत है ? यदि हां, तो ट्रस्ट का पंजीयन कब तक कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। मन्दिर की चल-अचल सम्पत्ति अनुमानित एक लाख पचास हजार रुपया होगी।

(2) राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 व 18 के अन्तर्गत ट्रस्ट पंजीकृत करने की एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है।

देवस्थान विभाग के मन्दिरों की सम्पत्ति

21. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) एवं

श्री बालचन्द आर्य वीर (डग) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग के अधीन के मन्दिरों की सम्पत्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो मन्दिरों की सम्पत्ति को दुरुपयोग से बचाने हेतु राज्य सरकार क्या विशेष प्रयास कर रही है ?

उत्तर

जी नहीं। देवस्थान विभाग के अधीन राजकीय मन्दिरों व उनकी सम्पत्ति का समुचित प्रबंध किया जा रहा है। मन्दिरों की सम्पत्ति के दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त होने पर विभाग द्वारा नियमानुसार तुरन्त कार्यवाही की जाती है।

फतेह मेमोरियल सराय, उदयपुर

22. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) फतेह मेमोरियल सराय, उदयपुर में कुल कितने कमरे हैं ? उनमें से कितने कमरे यात्रियों को देने एवं आफिस, स्टोर के लिए काम में लिए जा रहे हैं ? कमरा नम्बर सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सराय की स्थाई स्टॉफ पंजिका में वर्तमान में क्या-क्या सामान कितना-कितना बेलेन्स में है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सामान कमरों में यात्रियों की सुविधा हेतु क्रय किया गया था ? यदि हां, तो प्रत्येक कमरे में क्या-क्या सामान यात्रियों की सुविधा हेतु रखा गया है ? सूची कमरेवार सामान के विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि सराय में बहुत सा सामान अनुपयोगी है ? यदि हां, तो कब से और अब तक इनका निस्तारण क्यों नहीं किया गया ? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं एवं सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सराय फतेह मेमोरियल, उदयपुर में 56 कमरे हैं। इन कमरों में से 49 कमरे

(श्री देवस्थान मंत्री)

यात्रियों को देने के लिये दो कमरे बिस्तरों के ठेकेदार को बिस्तर रखने हेतु एवं 5 कमरे आफिस एवं स्टोर हेतु काम में लिये जा रहे हैं । कमरा नम्बर सहित सूची निम्न प्रकार है :—

	श्रेणी	कमरों की कुल सं.	कमरा नम्बर
1.	डीलक्स	1	44
2.	विशिष्ठ	4	1,3,4 व 6
3.	प्रथम	4	7,16,38 व 51
4.	द्वितीय	14	2,5,8,9,10 11,12,13,14 15,57,58,59 व 70
5.	तृतीय	24	18,19,20,21 22,27,28,29 30,31,34,35 36,37 41,42 43,45,48,50 52,53‘54,55 (कमरा नं. 46 व 47 सराय के बिस्तरों वाले ठेके-दार को बिस्तर रखने के लिये दिये गये हैं)
6.	हाल	2	23,26
7.	कार्यालय एवं स्टोर	5	24,25,39,40 49

(2) सराय की स्थाई स्टोर पंजिका में दर्ज सामान व अवशेष सामान की सूची "क" सदन की पटल पर रख दी गई है ।

(3) जी हां, यात्रियों की सुविधा हेतु कमरों में रखे गये सामानों की सूचना कमरेवार सूची "ख" सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(4) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 242 व 276 के अन्तर्गत अनुपयोगी सामान की पहचान एवं निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

कृष्णा गृह निर्माण सहकारी समिति, जयपुर द्वारा आवंटित पट्टे

23.श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कृष्णा गृह निर्माण समिति, जयपुर ने रामनगर सोडाला की गोविन्दपुरी नाम की कालोनी में आवासीय/वाणिज्यिक भू-खण्डों के निर्माण हेतु भूमि के पट्टे आवंटित किये थे ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को ? उक्त कालोनी का मास्टर प्लान, प्लाट संख्या एवं आवंटित व्यक्तियों के नामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि गोविन्द-पुरी ब्लाक "सी" में आवंटित भू-खण्ड उक्त समिति द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों को विक्रय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो प्लाट संख्या "सी"–35 से "सी" 65 तक के पट्टे एवं साइड प्लान की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

(श्री दयाराम परमार)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त समिति ने अपने मास्टर प्लान का उल्लंघन कर गार्डन, ग्राम रास्ता औषधालय एवं स्कूल के लिये ईयर मार्क भूमि को भी आवासीय भू-खण्डों के लिए विक्रय कर दिया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवा कर मास्टर प्लान के विपरीत विक्रय भूमि को निरस्त कर समिति के दोषी पदाधिकारियों को दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार समिति द्वारा एक भू-खण्ड को दो या दो से अधिक व्यक्तियों को विक्रय किए जाने को अवैध मानती है ? यदि हां, तो क्या विभाग इसकी जांच करवा कर इसको निरस्त कर समिनि के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। आवंटित सदस्यों की सूची परिशिष्ट "ए–1" से "ए–4" पर तथा कालोनी की स्कीमों का ले-आउट प्लान परिशिष्ट "ब–1" से "ब–4" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। प्लाट नं 35–सी से 60–सी तक के आवंटन पत्रों की काउन्टर प्रति की फोटो स्टेट प्रतियां परिशिष्ट "सी–1" से "सी–9" पर एवं साइड प्लान की परिशिष्ट "डी–1" से "डी–6" पर संलग्न है। भू-खण्ड संख्या 61–सी से भू-खण्ड संख्या 65–सी नम्बर के भू-खण्ड उक्त स्कीम में नहीं हैं।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार किसी व्यक्ति को दो या उससे अधिक भू-खण्डों का आवंटन नहीं किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

इन्दिरा गांधी मुख्य नहर तथा पानी वितरण की प्रणालियों के हादसों की जांच

24. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवा) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मुख्य नहर तथा पानी वितरण करने वाली प्रणालियों में लाइनिंग खराब होने, टूटने या मिट्टी खिसकने से होने वाले हादसों के बारे में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा समय-समय पर जांच की गई है ? यदि हां, तो कब-कब ? केन्द्रीय जल आयोग के विशेषज्ञों द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा उसका क्या नतीजा रहा ? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो अब तक प्रारम्भ कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) यह सही है कि मुख्य नहर तथा पानी वितरण करने वाली प्रणालियों में

(38)

(इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री)

लाइनिंग खराब होने, टूटने या मिट्टी खिसकने से होने वाले हादसों के बारे में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जांच की गयी व केन्द्रीय जल आयोग के विशेषज्ञों के निरीक्षण/जांच प्रतिवेदन निम्नानुसार है—

1. श्री ए. एन. हरकोती, मैम्बर (डी, एण्ड आर) केन्द्रीय जल आयोग-निरीक्षण दिनांक 15-16 मई, 1979 निरीक्षण प्रतिवेदन क्रमांक: एम.डीआर बीएडसीडी-II/79/830 दिनांक 23/28 मई-1979 परिशिष्ट "ब"

2. श्री पी सैन, डाइरेक्टर (बी.एण्ड सीडी-II (व आई.डी. गर्ग, डिप्टी डाइरेक्टर(बी एण्ड सीडी-II)निरीक्षण दिनांक 16.7.80 से 18.7.80

निरीक्षण प्रतिवेदन एवं पत्र क्रमांक 4/52/80 बी एण्ड सीडी-II/1027 दिनांक 5.8.1980 परिशिष्ट "ब" 5/17/77/बी एण्ड सीडी-II/1116 दिनांक 20.8.80

3. श्री एम. एन. सेठी, मुख्य अभियंता (III) केन्द्रीय जल आयोग।

निरीक्षण प्रतिवेदन क्रमांक: 4/1/II-III/112-114 दिनांक 31.2.82 परिशिष्ट "स"

4. (क) प्रतिवेदन निरीक्षण दिनांक 4.7 84-परिशिष्ट "द"
(ख) टिप्पण-इ गा.न.म मीटिंग नं.112 नं.50-परिशिष्ट-1
(ग) टिप्पण-एस.टी.सी. मीटिंग आठवीं-मद नं.7-परिशिष्ट-2

5. प्रतिवेदन क्रमांक 4/27/843 मो.-III/731 दि. 2.7.85-परिशिष्ट-2

6. श्री ए.बी. जोशी-मुख्य अभिन्यता-II, डिजाइन पत्र क्रमांक 843 दिनांक 25.11.86 परिशिष्ट-4

(2) अतिरिक्त मुख्य अभिन्यता (मुख्यालय) सी.ए डी./इगानप/बीकानेर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 42/स्था-7/1 32 दिनांक 21-2-92 की सूचना अनुसार मुख्य नहर की बुर्जी 346.500 पुल के पास नहर एवं मसीतावाली हैड (आरडी. इगान) के पास की क्षति की मरम्मत का कार्य केन्द्रीय जल आयोग की सिफारिस के अनुसार जनवरी 1984 में करवा दिया गया था।

केन्द्रीय जल आयोग की सिफारिश के अनुसार मुख्य नहर के साथके मुख्यताल आर डी. 772.6 से 779.78 (बांया) और 909 5 से 911.6 (बाया) वर्ष 1983-84 में मिट्टी से भर दिये गये थे। मुख्य नहर के साथ कच्ची वाटर सप्लाई चैनल के बन्द होने के पश्चात् छोटे ताल अपने आप सूख चुके हैं।

केन्द्रीय जल आयोग की रिपोर्टों के आधार पर किनारों के टूटने एवं जल रिसाव की समस्या के विशेष अध्ययन हेतु मैसर्स सैन्योकनसल्टैंट (जापान) व वापक्रोज के साथ दिनांक 6-13-91 को एक अनुबन्ध किया गया है। इसके तहत सितम्बर 92 तक विस्तृत अध्ययन पूर्ण कर (remjdial measure) के प्रस्ताव प्राप्त होंगे। इन

(इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री)

प्रस्तावों पर उचित निर्णय के बाद मरम्मत/सुधार का कार्य सम्भव होगा।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रावल-जावल गांव की ड्रेन पर पुल निर्माण

25. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि मांगरोल सबडिवीजन के अन्तर्गत रावल-जावल गांव में ड्रेन पर पुल बनाने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार जनहित में उक्त पुल बनाने हेतु शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां (बजट प्रावधान की उपलब्धता के अनुसार)

पाली दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ को आवंटित वन विकास की योजनायें

26. श्री अमृतलाल परमार (बाली) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ को वन विकास की कितनी योजनाएं आवंटित की गई हैं ? इनमें बाली विधान सभा क्षेत्र में कितनी योजनायें आवंटित की गई हैं ?

(2) क्या "ग्राम वन" की कोई योजना भी आवंटित की गई है ? यदि हां, तो किस गांव के लिए ?

उत्तर

(1) पाली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ को वन विकास योजना के अन्तर्गत अब तक कुल 33 किसान वन एवं एक ग्राम वन आवंटित किये गये हैं, जिसमें से बाली विधान सभा क्षेत्र के छपी ग्राम में दो किसान वन आवंटित किये गये हैं, जो कि किसानों द्वारा अपने खेतों पर लगा दिये गये हैं।

(2) जी हां, एक ग्राम-वन स्वीकृत किया गया है, जो कि पाली एवं फालना अवशीतन केन्द्रों की खाली जमीन पर लगाया गया है एवं वर्तमान में वहां 5000 पौधे लगे हुए हैं।

निजी कृषि भूमि से घरेलू उपयोग हेतु लकड़ियों की कटाई

27. श्री मोहन लाल चित्तौड़िया (कपासन) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार किसानों को स्वयं की कृषि भूमि में से अपने घरेलू उपयोग हेतु लकड़ी काटने की सुविधा देने का विचार रखती है ?

(श्री मोहन लाल चित्तौड़िया)

(2) क्या यह सही है कि कृषकों को स्वयं की भूमि में से घरेलू उपयोग हेतु पेड़ों की कटाई में प्रशासनिक कठिनाइयां आती हैं ? यदि हां, तो सरकार इस प्रयोजन हेतु कृषकों को कब तक क्या राहत प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 84(2) के परन्तुक में खातेदार आसामी द्वारा अपने खेत पर से सद्भावी घरेलू उपयोग हेतु वृक्ष काटने के प्रावधान पहले से ही हैं।

(2) खातेदार कृषकों को स्वयं की भूमि में से घरेलू उपयोग हेतु वृक्ष काटने के उपरोक्त प्रावधान से कोई प्रशासनिक कठिनाई नहीं है।

वन विभाग के दैनिक मजदूरों का स्थायीकरण

28. **अमीन खां** (शिव) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वन विभाग में कार्यरत अस्थाई कर्मचारियों को जो कई सालों से दैनिक मजदूरी के रूप में कार्य कर रहे हैं, स्थाई किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक स्थाई कर दिये जावेंगे व कब से स्थाई माने जायेंगे ?

(2) जिला बाड़मेर-जैसलमेर में कुल कितने अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई किया जायेगा ? इनमें से अनुसूचित जाति व जनजाति के कितने कर्मचारी हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 29-10-1991 की पालना में 18-1-89 को दो वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण करने वाले दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को अर्द्धस्थाई एवं 10 वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण करने वालों को स्थाई घोषित किया जा रहा है। यह कार्यवाही 30-4-1992 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(2) बाड़मेर. जैसलमेर जिले में स्थाई घोषित किये जा रहे श्रमिकों की संख्या की तहसीलवार सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट 'क' के अनुसार रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

अनपढ़ व विकलांग महिलाओं को आर्थिक सहायता

29. **श्री रतनाराम चौधरी** (रानीवाड़ा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा समाज के वृद्ध विकलांग तथा विधवाओं को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है ? यदि हां, तो आर्थिक सहायता प्रदान करने की क्या नीति है ? प्रत्येक का श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रतनाराम चौधरी)

(2) क्या यह सही है कि अनपढ़, विकलांग महिलाओं को भी सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है ? यदि हां, तो कितनी ?

(3) यह योजना कितने जिलों में संचालित की जा रही है तथा बाकी रहे जिलों में कब तक यह पेंशन योजना लागू कर दी जावेगी तथा अब तक कितने लोगों को लाभान्वित किया गया ?

(4) दौसा जिले में कितने लोगों को लाभान्वित किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां । वृद्ध, विधवा एवं विकलांग व्यक्ति को आर्थिक सहायता के रूप में 100/- प्रतिमाह तथा पति-पत्नी को संयुक्त रूप से 150/- प्रतिमाह पेन्शन दी जाती है। पेन्शन दिए जाने की नीति का श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट 'क' के अनुसार सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। रुपये 100/- प्रतिमाह

(3) यह पेन्शन योजना राज्य के सभी जिलों में संचालित है एवं वर्ष 1990–91 में 1,55,272 लोगों को लाभान्वित किया गया है।

(4) 3,840 व्यक्तियों को वर्ष 1990–91 में लाभान्वित किया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

शिव तहसील में सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जे

30 **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1971 में पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को शिव तहसील में दुबारा भूमि आवंटन हो रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले की तहसील शिव के डाबड सर्किल के पटवारी द्वारा करीब 1300 शरणार्थियों से भूमि आवंटन के फार्म भी भरवाये जा रहे हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि तहसील शिव के ग्राम द्राया-पोचला, रोहीडी सगोरा-लिया विजावा-मोती की बेरी रोहीडाली सिरगूवाला में काफी लोग जो नहरी एरिया में रहते हैं उन्होंने भी सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं ? यदि हां, तो उन्हें हटाने के लिये जिला प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार सहकारी भूमि पर अलग-अलग स्थानों पर गैर कानूनी कब्जा करने वालों से विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उन्हें कब तक हटा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। किन्तु 1971 में आये शरणार्थियों में से कुछ ऐसे परिवार जिन्हें पूर्व में आवंटन किया गया था लेकिन किसी

(राजस्व मन्त्री)

प्रकार के विवाद, न्यायालय में प्रकरण होने से भूमि का कब्जा नहीं दिया गया था, या 1980 के बाद में नागरिकता मिल जाने से भूमि आवंटन से रह गये थे, उन व्यक्तियों की जांच करवाकर भूमि आवंटन का कार्य विचाराधीन है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। उनके विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत बेदखली की कार्यवाही की जाती है। इन गांवों के परिवारों में से 2/3 लोग तो गांवों में निवास करते हैं व 1/3 लोग नहर पर रहते हैं। सरकारी भूमि पर कब्जा तो गांवों के निवासी करते हैं, जिनके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही की जाती है। नहरी एरिया के लोगों द्वारा इन गांवों में अतिक्रमण किया जाना नहीं पाया गया है।

(4) जी हां। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाकर बेदखली की कार्यवाही की जाती है, और बेदखली के फलस्वरूप उनके द्वारा किये गये कब्जों को हटाया जाता है।

पुराने कुओं को खातेदारी में अंकित करना

31. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या कृषकों की भूमि के मध्य या संलग्न भूमि में पुराने खुदे हुए सही हालात के अथवा मरम्मत योग्य कुओं को किसानों की खातेदारी में अंकित करने हेतु नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी परिपत्रों तथा नियमों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उपरोक्त श्रेणी के कुओं के नियमन किये जाने अथवा सम्बन्धित किसानों के नाम पर खातेदारी में अंकित किये जाने से इन कुओं का रख-रखाव ठीक तरह से हो सकेगा तथा सिंचाई सुविधा में भी बढ़ोतरी होगी ?

(3) क्या सरकार का ऐसे मामलों के मौजूदा कानून में सरलीकरण का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। इस हेतु पूर्व में जारी परिपत्र की प्रति संलग्न है।

(2) जी, हां।

(3) जी, नहीं। कानून में उपरोक्तानुसार पहले से व्यवस्था है। इसके अलावा राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के खण्ड (क) के चतुर्थ परंतुक में यह प्रावधान है कि कोई कृषक समीप की भूमि को सिंचित करने के लिए 1/2 बीघा भूमि का हस्तान्तरण कुए के निर्माण के लिए कर सकता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

राजकीय महाविद्यालय, कुशलगढ़ के रिक्त पद

32. **श्री फतेहसिंह** (कुशलगढ़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बांसवाड़ा जिले के राजकीय महाविद्यालय, कुशलगढ़ में मंत्रालयिक कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) सरकार मंत्रालयिक कर्मचारियों के रिक्त पद कब तक भरने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले के राजकीय महाविद्यालय, कुशलगढ़ में मंत्रालयिक कर्मचारियों के निम्न पद रिक्त हैं :–

कनिष्ठ लिपिक– एक पद रिक्त

वरिष्ठ लिपिक–एक पद रिक्त

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित श्री सुरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी को राज्य सरकार द्वारा आवंटित किये जाने पर आदेश दिनांक 10.9.91 को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया था, किन्तु श्री चतुर्वेदी ने वहां कार्य ग्रहण नहीं किया है। इसकी सूचना कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को दे दी गई है। उनसे कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों को भरने हेतु अन्य अभ्यार्थी उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया हुआ है। प्रशासनिक सुधार विभाग से नाम प्राप्त होते ही नियुक्ति कर दी जायेगी।

(2) वरिष्ठ लिपिक के पद पर भी आदेश दिनांक 20.9.91 से श्री कपूर चन्द माली को पदोन्नत कर पदस्थापित किया गया है, किन्तु श्री माली ने भी अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है।

अतः अन्य व्यक्ति का शीघ्र पदस्थापन करने की प्रक्रिया चल रही है।

जयपुर–कोटा वाया टोंक द्रुतगामी बस सेवा

33. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि जयपुर से कोटा वाया टोंक–उनियारा–इन्द्रगढ़–लाखेरी–कापरेन–केशवरायपाटन मार्ग पर द्रुतगामी बस सेवा प्रारम्भ करने की मांग स्थानीय जनता समय-समय पर करती रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग पर शीघ्र द्रुतगामी बस सेवा शुरू करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां। इस मार्ग का उनियारा से इन्द्रगढ़ तक एवं लाखेरी से केशवरायपाटन-कोटा तक का भाग वर्तमान से राष्ट्रीयकृत नहीं है, इन मार्गों पर वर्तमान में निजी वाहनें संचालित हैं जिनकी प्रतिस्पर्धा में इस मार्ग पर निगम वाहन का संचालन अनार्थिक रहने की आशंका के कारण इस मार्ग पर निगम की द्रुतगामी बस सेवा संचालन करने का कोई विचार नहीं है।

सोजत से पुष्कर निजी बस सेवा के मार्ग

34. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सोजत से पुष्कर वाया खोखरा, चण्डावल, देवली, जैतारण होकर निजी बसें संचालित होती हैं ?

(2) क्या उक्त मार्ग पर चलने वाली बसें 20 कि. मी. राष्ट्रीय राजमार्गों से होकर चलती हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्हें रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त मार्ग में परिवर्तन कर वाया खोखरा, बोयल, छितरिया, देवली होकर निजी बसें संचालित करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी नहीं। जब कभी यह बसें राष्ट्रीयकृत मार्ग पर चलती पायी जाती हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(3) वर्तमान में इस मार्ग की बसें ग्राम खोखरा, बोयल, देवली होकर संचालित हैं। ग्राम छीतरियां को प्राधिकार के प्रस्ताव दिनांक 19·7 91 द्वारा मार्ग में शामिल कर दिया गया था किन्तु इस प्रस्ताव के विरुद्ध माननीय सदस्य, राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण के स्थगन आदेश के कारण बसें छीतरियां होकर नहीं जा रही हैं।

अतारांकित प्रश्न संख्या 35

(स्थगित)

कृषि उपज मंडी, अटरू द्वारा स्वीकृत सड़कें

36. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अटरू विधान सभा क्षेत्र में कृषि उपज मंडी द्वारा पिछले तीन वर्षों में कब-कब कितनी सड़कें स्वीकृत की गई ? नाम व माप सहित सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या इन सभी सड़कों का कार्य पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इनको पूरा कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अटरू विधान सभा क्षेत्र की कृषि उपज मण्डी समिति में 6 सड़कें स्वीकृत की गई हैं जिनकी स्वीकृत तिथि नाम एवं माप सम्बन्धी सूची परिशिष्ट 'अ' पर अंकित है।

(2) कार्य पूरा न होने के कारण परिशिष्ट 'अ' पर अंकित है।

(3) सम्पर्क सड़क कोटड़ी से तुलसा, झालावाड़ रोड़ से दिलोदा, मडोता से

(कृषि मंत्री)

पाठेड़ा एवं शिवपुरी रोड से बावड़ी खेड़ा का कार्य वर्ष 1992-93 में पूर्ण होने की संभावना है। सम्पर्क सड़क इकलेरा का कार्य जवाहर रोजगार योजना से राशि उपलब्ध होने पर ही एवं सम्पर्क सड़क झालावाड़ रोड से खोराली पंचायत के अलाईनमेंट के अन्तिम निर्णय के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

अटरू तहसील में किये गये भू-संरक्षण कार्य

37. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) अटरू तहसील में भू-संरक्षण विभाग द्वारा किये गये कार्यों एवं प्रस्तावित कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या भू-संरक्षण विभाग इस क्षेत्र में एनीकट बनाने का भी विचार रखती है ? यदि हां, तो गांव व स्थान के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें। यदि हां तो, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अटरू विधान सभा क्षेत्र में गत दो वर्षों से निम्नांकित कार्य किये गये :—

(अ) 1.	ब्यावर एनीकट	पं० समिति—	सांगोद	लागत	4.14 लाख रु०
2.	मोईकला वाटरसेड	,,	,,	लागत	4.80 ,,
3.	झारखण्ड एनीकट	,,	अटरू	लागत	2.36 ,,
4.	ब्यावर वाटरसेड	,,	सांगोद	लागत	3.00 ,,
5.	बटावदा एन. डब्लू.एस (कन्टूर बण्डींग व नाला बण्डींग)	,,	बारां	लागत	1.00 ,,
6	हरीपुरा एन.डब्लू.एस.	,,	बारां	लागत	1.00 ,,

(ब) अटरू विधान सभा क्षेत्र में निम्न कार्य चालू हैं—

1. गजनपुरा राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र, पंचायत समिति, बारां में लागत लगभग 25.00 लाख रुपये के कार्य सम्पादित कराये जा रहे हैं।

उपरोक्त के अलावा इस वित्तीय वर्ष में कोई भी कार्य प्रस्तावित नहीं है।

(2) विभागीय बजट में एनीकट हेतु प्रावधान नहीं होने के कारण एनीकट का निर्माण करना सम्भव नहीं है।

(46)

जनजाति के युवकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण

38. श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) : क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य में जनजाति के युवकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु मिनी आई. टी. आई. कहां-कहां चल रहे हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि मिनी आई. टी. आई. प्रशिक्षणार्थी युवक संबंधित केन्द्रों पर ही निवास करते हैं ? प्रशिक्षणार्थियों की संख्या व उन्हें देय सुविधाओं का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

जिला नागौर में भू-संरक्षण कार्य

39. श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) नागौर जिले में भू-संरक्षण कार्यक्रम के तहत गत वर्ष मार्च, 1991 से अब तक कुल कितने कार्य कहां-कहां स्वीकृत किये गये ?

(2) उक्त कार्यों में से पंचायत समिति मकराना व कुचामन सिटी में कितने कार्य कितनी-कितनी राशि के कहां-कहां स्वीकृत किये गये एवं कहां-कहां किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) परबतसर तहसील में भू-संरक्षण कार्यक्रम के तहत कहां-कहां सर्वे किया गया एवं कितनी राशि स्वीकृत की गई व कितनी राशि खर्च हुई ?

उत्तर

(1) नागौर जिले में भू-संरक्षण कार्यक्रम के तहत वर्ष 91 से अब तक 50 कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

(2) पंचायत समिति, मकराना व कुचामन सिटी में 6 कार्य एवं 5 कार्य राशि 76.117 लाख रुपये एवं 80.124 लाख रु० के क्रमशः स्वीकृत किये गये, जिसमें 8 51 लाख रुपये एवं 14.45 लाख रुपये क्रमशः खर्च किये गये। कार्यवाइज सूची निम्न प्रकार से है—

(कृषि मंत्री)

पंचायत समिति मकराना

कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	कुल खर्च राशि
1. जसरी एनीकट	2.82	2.61
2. पिरासियां की ढाणी एनीकट	1.97	2.18
3. बरवाल जलग्रहण क्षेत्र	2.50	0.18
4. बरवाली ,,	2.50	0.10
5. गुजरों की ढाणी ,,	2.50	0.11
6. मोर जलग्रहण क्षेत्र	53.827	3.38
योग :–	76.911	8.56

पंचायत समिति कुचामन सिटी

1. सवाईपुरा एनीकट	2.74	2.78
2. जोजाट ,,	2.77	2.72
3. सलेमपुरा ,,	2.79	2.60
4. हरिया जून ,,	2.78	2.97
5. वनवाली जलग्रहण क्षेत्र	69.04	16.12
योग:–	31.38	14.531

(3) परबतसर में 9 कार्य की सर्वे की गई व 75.56 लाख रुपये स्वीकृत किये गये। 13.86 लाख रुपये खर्च किये गये।

तहसील परबतसर

कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	राशि जो खर्च की गई
1. ढाढोता एनीकट	2.82	2.91
2. चिवली ,,	3.13	3.15
3. पीट ,,	2.68	2.51

(कृषि मंत्री)

1	2	3
4. गुजर कुराडा एनीकट	2.56	2 60
5 धोकलिया ,,	3 53	—
6. मवासिया ,,	33.45	—
7. ललाणा ,,	3.00	—
8. मन्डावरी खाडीन	1.85	0 09
9 खाडियाद खानुर जलग्रहण क्षेत्र	53.54	2.62
योग :–	76.56	13 88

कृषि विभाग की फल विकास योजना

40. श्री नवनीतलाल नीनामा (घाटोल) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि कृषि विभाग द्वारा फल विकास योजना चलाई जा रही है ? यदि हां, तो राज्य में कहां-कहां पर फल विकास योजना चल रही है ? पंचायत समिति व जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बांसवाड़ा व डूंगरपुर में फल विकास में कौन-कौन से पौधे कहां-कहां पर लगाये गये हैं ? उनकी प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। फल विकास योजना की क्रियान्विति राज्य में सभी जगहों पर की जा रही है।

(2) फल विकास का कार्य कई वर्षों से चल रहा है, अतः किन-किन गांवों में किन-किन किसानों के यहां कौन-कौन से पौधे लगाये गये, यह सूचना एकत्रित करना सम्भव नहीं है।

जोधपुर कृषि उपज मंडी समिति

41. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जोधपुर कृषि उपज मण्डी समिति क्षेत्र में कौन-कौनसी पंचायत समितियां एवं नगरपालिकायें आती हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जोधपुर कृषि उपज मण्डी समिति हेतु सलाहकार मण्डल बनाये गये हैं ? यदि हां, तो इसमें विभिन्न वर्गों के कितने-कितने प्रतिनिधि लेने थे एवं इनका आधार क्या है ?

(3) जोधपुर कृषि उपज मण्डी समिति "विशिष्ठ" श्रेणी में मरम्मत कार्यों पर गत वर्ष कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों पर व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

(4) दुकानों/गोदामों के आवंटन के क्या नियम हैं ? क्या वर्तमान नियमों के अन्तर्गत नये व्यवसायी को व्यापार कार्य शुरू करते ही इनका आवंटन हो सकता है ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जोधपुर के मण्डी क्षेत्र में निम्नांकित पंचायत समितियां एव नगरपालिकायें आती हैं–

पंचायत समिति मण्डौर, बालेसर, शेरगढ़, लूनी, फलौदी, बाप, ओसियां, एवं नगरपालिका जोधपुर व फलौदी ।

कृषि उपज मण्डी समिति (फल सब्जी) जोधपुर के मण्डी क्षेत्र में निम्नलिखित पंचायत एवं नगरपालिकायें आती हैं––

पंचायत समिति मण्डौर, बालेसर, शेरगढ़, लूनी, फलौदी, बाप, ओसियां एवं नगरपालिका क्षेत्र जोधपुर व फलौदी ।

(2) जी हां । कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज़) जोधपुर के लिए सलाहकार मण्डल का गठन किया गया है । जिसमें विभिन्न वर्गों के 15 प्रतिनिधि निम्नानुसार मनोनीत किये जाने थे ।

क्र.सं.	सदस्य	संख्या
1.	कृषि वर्ग	7
2.	व्यापारी वर्ग	4
3.	कृषि विपणन सहकारी समिति का अध्यक्ष/प्रशासक	1
4.	अध्यक्ष/प्रशासक नगरपालिका/नगर परिषद्/प्रधान, पंचायत समिति (जहां नगरपालिका न हो)	1
5.	स्थानीय व्यापार संघ के अध्यक्ष	1
6.	स्थानीय व्यापार संघ के मंत्री	1
	योग :–	15

(3) मरम्मत कार्यों पर वर्ष 1990–91 में किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है ।

(4) दुकान/गोदाम के आवंटन हेतु दिशा निर्देश प्रसारित किये गये हैं । इन दिशा निर्देशों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के मण्डी शुल्क व टर्न ओवर के आंकड़ों के साथ आवंटन हेतु विज्ञप्ति प्रसारित किये जाने के पूर्व माह तक प्राप्त मण्डी शुल्क व टर्न ओवर एवं अनुज्ञापत्र अवधि के आधार पर अंक दिये जाकर दुकान/गोदाम आवंटन हेतु वरीयता निर्धारित की जाती है । वरीयता क्रम के अनुसार दुकान/गोदाम उपलब्ध होने की स्थिति में नये व्यवसायी को भी दुकान/गोदाम का आवंटन सम्भव है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

श्री ओमप्रकाश, आयुर्वेदिक कम्पाउण्डर का प्रकरण

42. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे––

(1) क्या यह सही है कि श्री ओमप्रकाश शर्मा, आयुर्वेद कम्पाउण्डर, दवाखाना

(50)

(श्री रामकरणसिंह)

काली मण्डी, दौसा को माह सितम्बर, 1988 और मार्च, 1989 का वेतन नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री शर्मा को ब्लाक 1988-90 और 1990-92 का समर्पित उपार्जित अवकाश का भुगतान भी नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अब इसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या श्री शर्मा का वेतन स्थिरीकरण का मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका कब तक निस्तारण कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, अब जिला आयुर्वेद अधिकारी जयपुर 'ब' द्वारा इस अवधि के वेतन बिल बनाकर दिनांक 23-2-92 को ट्रेजरी को पास करने हेतु भेजे जा चुके हैं।

(2) जी हां। ब्लाक अवधि 1988-90 का समर्पित अवकाश, कर्मचारी के अवकाश आवेदन-पत्र के अभाव में स्वीकृत नहीं किया गया है। नियमानुसार ब्लाक अवधि के समाप्त होने के बाद अब अवकाश स्वीकृत करना सम्भव नहीं है।

ब्लाक अवधि 1990-92 का समर्पित अवकाश स्वीकृत कर, बिल ट्रेजरी को भेजा जा चुका है।

(3) श्री शर्मा का 1986 का वेतन स्थिरीकरण दिनांक 25-1-88 को किया जा चुका है। वर्ष 1988 का वेतन स्थिरीकरण दिनांक 23-2-92 को स्वीकृत किया जा चुका है।

राज्य में राशन की दुकान आवंटन के मानदंड

43. श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : क्या खाद्य एवं रसद आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे––

(1) राज्य में राशन की कितनी दुकानें कार्यरत हैं ?

(2) क्या राज्य में राशन की दुकानों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त हैं ?

(3) गत दो वर्षों में दुकान आवंटन के लिए कितनी बार आवेदन मांगे गये ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) इनके आवंटन के लिए क्या मापदण्ड है ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में 15377 राशन की दुकानें कार्यरत है।

(2) जी, हां।

(3) राज्य में गत दो वर्षों में राशन की दुकान आवंटन के लिए जितनी बार आवेदन मांगे गये, उनकी जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) केन्द्र सरकार द्वारा 2,000 जनसंख्या पर एक राशन की दुकान का मापदण्ड निर्धारित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

जिला उदयपुर में प्राकृतिक प्रकोप से नष्ट फसल की क्षतिपूर्ति

44. श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला उदयपुर में वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 में ओलावृष्टि एवं पाला गिरने से फसलों को भारी क्षति हुई है ? यदि हां, तो किस-किस तहसील में ?

(2) क्या उक्त क्षति का सरकार द्वारा सर्वे कराया गया ? यदि हां, तो कब-कब ? सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त क्षति की क्षतिपूर्ति हेतु कृषक/संघ ने सरकार को आवेदन-पत्र दिये ? यदि हां, तो कब-कब ?

( ) क्या कृषकों की क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या उक्त क्षति के सम्बन्ध में स्थानीय विधायकों के पत्र सरकार को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो कब-कब एवं उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(6) क्या सरकार कृषकों को क्षतिपूर्ति राशि देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और कितनी-कितनी ?

उत्तर

(1) वर्ष 1990-91 में मावली, गोगुन्दा एवं बल्लभनगर तहसील के कुछ गांवों में ओलावृष्टि से फसल को नुकसान हुआ था। वर्ष 1991-92 में ओलावृष्टि एवं पाले से फसल को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है।

(2) जी हां, इस क्षति का सर्वेक्षण तहसीलदार द्वारा करवाया गया था। विवरण सदन की मेज पर संलग्न परिशिष्ट में रख दिया गया है।

(3) जी नहीं।

(4) सहायता राशि नियमानुसार दे दी गई है।

(5) इस आशय के कोई पत्र सहायता विभाग में प्राप्त नहीं हुए।

(6) ओलावृष्टि में सरकार द्वारा 300 रुपये प्रति हैक्टेयर तक की सहायता दी जाती है। यह राशि किसानों को दे दी गई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

खातोली में उप तहसील खोलना

45. हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार पीपल्दा तहसील में दूरी भौगोलिक परिस्थिति, आवागमन के साधनों के अभाव तथा अनुसूचित जाति एवं जन जाति बाहुल्य क्षेत्र होने के कारणों से जनहित में खातोली में उप तहसील खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ?

खण्डार में किये गये बीहड़ सुधार कार्यक्रम

46. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री चुन्नीलाल)

(1) बीहड़ सुधार कार्यक्रम के तहत तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर के क्षेत्र में वर्ष 1989–90 से वर्ष 1991–92 तक किन-किन योजनाओं में किस-किस कार्य को कराया गया एवं प्रत्येक कार्य पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बीहड़ सुधार कार्यक्रम के लिए वर्ष 1989–90 से 1991–92 में कितने बैग सीमेंट किस फर्म से क्रय किये गये एवं ट्रांसपोर्टेशन का ठेका किस फर्म को किस दर पर दिया गया ?

(3) क्या वर्ष 1990–91 में बीहड़ सुधार कार्यक्रम के तहत तहसील खण्डार के ग्राम बड़ी का छाहरा, खेड़ावद, सेवती धर्मपुरी, कचरौली, लहसोडा आदि में ऐनीकटों का निर्माण कार्य करवाया गया है ? यदि हां, तो उक्त कार्य का ठेका किस-किस ठेकेदार को किस-किस शर्त पर दिया गया ?

(4) क्या उक्त कार्यों की विभागीय स्तर पर उच्च अधिकारियों द्वारा कोई जांच की गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट के क्या परिणाम रहे ? जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उत्तर परिशिष्ट–1 में संलग्न है।

(2)

वर्ष	मात्रा	ठेकेदार का नाम	परिवहन दर
89–90	4645 बैग	यह बैग डी.आर.डी.ए. सवाई माधोपुर द्वारा उपलब्ध करवाया गया तथा परिवहन भी उन्हीं के द्वारा करवाया गया।	320/प्रति मै. टन
90–91	850 बैग	यह बैग मंगलम सीमेन्ट वर्क्स मोडक से रेट कान्ट्रेक्ट पर मंगवाया गया। परिवहन मै. हनुमान ट्रेडिंग कम्पनी, सवाई माधोपुर।	7.90/–प्रति बैग
91–92	3990 बैग	दी सीमेन्ट ट्रासपोर्ट ऐसो. सवाई माधोपुर (मोड़क से खण्डार)।	320/–प्रति मै. टन
91–92	120 बैग	यह बैग मंगलम सीमेन्ट वर्क्स मोडक से रेट कान्ट्रेक्ट पर मंगवाया गया। परिवहन मै. राजेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी सवाई माधोपुर।	9.5/–प्रति बैग

53

(कृषि मंत्री)

(3) वर्ष 1990–91 में इस कार्यालय द्वारा प्रश्न में उल्लेखित स्थानों पर किसी भी ऐनीकट का निर्माण नहीं कराया गया।

(4) जब कोई ऐनीकट बनवाया ही नहीं गया तो जांच का कोई औचित्य ही नहीं बनता।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

जोधपुर में कृषि भूमि रूपान्तरण से प्राप्त आय

47. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) जोधपुर कृषि भूमि से आबादी में रूपान्तरण होने पर कितनी राशि राजस्व आय के रूप में प्राप्त हुई ? विचाराधीन प्रकरणों के निपटारे पर कितनी राशि राजस्व आय के रूप में प्राप्त हो सकती है ?

(2) राजस्व विभाग ने कृषि भूमि को आबादी में रूपान्तरण करने के लिए तीव्र गति से मामलों के निस्तारण हेतु क्या कोई कदम उठाये तथा भविष्य में इन मामलों को शीघ्र निपटाने की क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(3) राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि कृषि भूमि पर अनाधिकृत निर्माण को गिराया नहीं जायेगा ? यदि हां, तो जोधपुर शहर की बी जे एस. कालोनी को कब तक नियमित कर देने का विचार है ?

उत्तर

(1) जोधपुर में कृषि भूमि के आबादी में परिवर्तन होने से आज तक रूपांतरण शुल्क शास्ति एवं भूमि की कीमत आदि से कुल राजस्व आय रुपये 8.94 करोड़ प्राप्त हुये हैं। विचाराधीन प्रकरणों के निस्तारण से होने वाली आय निश्चित रूप से नहीं आंकी जा सकती।

(2) शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि के रूपांतरण में आ रही वैधानिक कठिनाइयों को दूर करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) राज्य सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई थी।

कोक्स कुटीर (जोधपुर) के समीप की भूमि का प्रकरण

48. श्री लक्ष्मी चन्द मेहता (सांचोर) एवं

श्री मदन लाल सैनी (गुढ़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 25–6–1984 को राजस्व सचिव की अध्यक्षता में जोधपुर ग्राम में कोक्स कुटीर के समीप स्थित खसरा संख्या 513/1 513/3 एवं 513/10 की विवादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी ? यदि हां, तो उक्त बैठक की कार्यवाही के मिनिट्स की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(54)

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

(2) क्या यह भी सही है कि दिनांक 21-8-1984 को उपरोक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में दूसरी बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई ? यदि हां, तो उपरोक्त दिनांक 21-8-1984 की बैठक के मिनिट्स की प्रतिलिपि सदन की मेज रखें।

(3) क्या उक्त दोनों बैठकों में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति सरकार द्वारा कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त बैठक की कार्यवाही के विवरण की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण जारी होना पाया जाता है।

(3) जी हां।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के तहत गंगापुर सिटी में कराये गये कार्य

49. श्री चुन्नी लाल (खण्डार) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के तहत रेंज गंगापुरसिटी में वर्ष 1985 से अब तक क्या-क्या विकास कार्य कराये गये ? सूची सदन की मेज रखें।

(2) क्या श्री रामप्रसाद, डिप्टी रेंजर कार्यालय सामाजिक वानिकी कार्यक्रम गंगापुर द्वारा कराये गये वन विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन पिछले पांच वर्षों में या चालू वर्ष जनवरी, 1992 तक कराया गया है ? यदि हां तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त रेंजर द्वारा गंगापुर रेंज में कराये गये कार्यों में कोई अनियमितता पायी गयी ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त रेजर के विरुद्ध अब कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) सामाजिक वानिकी के तहत रेंज गंगापुर सिटी में वर्ष 1985 से अब तक कराये गये वन विकास कार्यों का विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" के अनुसार रख दिया गया है।

(2) जी हां। श्री रामप्रसाद, क्षत्रीय-II द्वारा वर्ष 1992 92 में बुचोलाई में कराये गये वृक्षारोपण की भौतिक सत्यापन करवाया गया है। विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट "ख" के अनुसार रख दिया गया है।

(3) जी हां, जांच कार्यवाही जारी है।

(4) जांच में दोषी पाये जाने पर कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ। मुझे माननीय सदस्यों को....

श्री ईश्वरलाल सैनी : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : आप बोल चुके न ? मैंने उस वक्त आपको कहा था।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मुझे बोलने का कहां अवसर दिया ?

अध्यक्ष महोदय, जनवरी के प्रथम सप्ताह में मालवीय नगर की आड़ में मेरे क्षेत्र में करीब एक डेढ़ करोड़ रुपये की तोड़ फोड़ हुई है। अध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा, सितम्बर माह में जब सैशन हुआ था उस सैशन में एक बिल पास हुआ था, कि जो सरकारी लैंड पर अतिक्रमण किया गया है केवल उसी की तोड़ फोड़ की जाये अन्यथा जो पूर्व में नियम बने हुए हैं उनके अनुसार कार्यवाही होगी। जो गलत निर्माण हो गये हैं उनको रैगुलराईज करेंगे। रास्ते वगैरा, नाली वगैरा बनाकर उन को ठीक कर देंगे। इसी तरह से यहां तोड़-फोड़ शुरू हुई। माननीय मंत्री महोदय ने आदेश दिये कि तोड़-फोड़ बन्द की जाय, इनका हम नियमन करेंगे या रैगुलराईज करेंगे। आज यहां तोड़-फोड़ नहीं हो रही है लेकिन अलवर में भारी मात्रा में तोड़-फोड़ हुई है। एक मालवीय नगर स्कीम है उसमें तोड़-फोड़ के लिये यू. आई. टी. के कर्मचारी पहुंचे तो वहां पर उस वक्त लेडीज थी, उन्होंने उसका विरोध किया आपस में कुछ झगड़ा हुआ, कहा सुनी हुई। उसके बाद दूसरे दिन यू. आई. टी. पुलिस और मजिस्ट्रेट के दल बल सहित वहां पहुंची। मैं आपसे निवेदन कर दूं कि जो मकान वहां पर बने हुए हैं वह 10 साल से 22 साल पहले तक के बने हुए मकान हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब यह मकान बन रहे थे, दो-दो मन्जिले, क्या उस वक्त यू.आई टी. नहीं थी ? जब मकान बन रहे थे क्या उस वक्त उनको बन्द नहीं कर सकते थे ? इस संदर्भ में, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर से उनको पता था लेकिन उनकी मिली भगत से, भ्रष्टाचार से वह निर्माण कार्य हुए लेकिन वह निर्माण कार्य फिर भी इस लिये गलत नहीं हुए कि जो निर्माण कार्य हुए हैं वह मेरी पंचायत समिति, मुंगोर में हुए हैं। पंचायत समिति ने उनको नियमों के अन्तर्गत मंजूरी दी है। उस क्षेत्र में जो मकान बने हुए हैं 90 प्रतिशत मीणा लोगों के हैं जिनके या तो खुद के मकान हैं या उनके भाई बन्धुओं ने प्लाट बनाये हैं लेकिन अकस्मात जो तोड़-फोड़ की कार्यवाही हुई है आप जानकारी कर लीजिये, एक डेढ़ करोड़ रुपये से कम नहीं है। यह इनका ही नुकसान नहीं है, इस प्रदेश और राष्ट्र का भी नुकसान है। मैं इस संदर्भ में यह कहना चाहता हूं कि उस वक्त मैं वहां नहीं था लेकिन जब मैं वहां गया तो लोग मेरे पास आये, मैं मौके पर गया। फिर मैंने दूसरे दिन प्रेस कान्फ्रेन्स बुलाकर प्रेस के सब बन्धुओं को मौके पर ले गया। सारे गांव वाले परेशान थे। सब पत्रकार मान गये कि दरअसल में यू.आई.टी. की तरफ से ज्यादती हुई है। जब वह स्कीम में नहीं है, यू आई टी. ने बगैर नोटिस दिये हुए यह तोड़-फोड़ की कार्यवाही है जो गलत

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

है । इस के लिये सरकार की ओर से इन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिये। यह सारे पेपर्स में आया है....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मेरी बात सुनिये । मेरी बात समाप्त नहीं हुई है ।

श्री अध्यक्ष : You cannot go on speaking unlimitedly. आपको मौका दिया इसका मतलब यह तो नहीं कि आप बोलते ही जायेंगे। आप कृपया समाप्त कीजिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं गवर्नर महोदय से भी मिला हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैंने आपसे मिलकर बहुत पूर्व में नोटिस दिया है और आपने मुझे आश्वस्त किया था कि मैं सरकार से जवाब मंगवाऊंगा। जो जवाब आया है वह आप सुनेंगे तो श्रीमान् आप हसेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : उसके बाद मैं मंत्रीजी से मिला, कन्सर्न्ड मंत्रीजी से मिला इसके बावजूद यह हुआ कि जो इन्होंने धमकी दी थी कि हम दुबारा तोड़-फोड़ करेंगे वह तो बन्द करा दी लेकिन ईश्वरलाल सैनी को हम परेशान करेंगे। मैं जिलाधीश से मिला। जिलाधीश से सारा गांव मिलने गया है और यू आई.टी. से मिलकर आश्वस्त किया है कि हम तोड़-फोड़ को बन्द कर रहे हैं। आपके एम. एल ए. साहब मुख्य मंत्रीजी से मिल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि तोड़-फोड़ उस वक्त बन्द हो गई लेकिन 21 तारीख को एक दूसरा कारण लिया। उस संदर्भ में मैं आपसे मिला था। मैंने निवेदन किया था कि 1987-88 में राजस्व मंत्री श्रीमती कमला जी थीं उन्होंने घोषणा की थी कि म्यूनिसीपैलिटी या यू.आई.टी. के अन्तर्गत जो रेलिंग लैण्ड्स है, अपने रख-रखाव से ट्री गार्ड लगाकर कोई पेड़ लगाना चाहता है तो लगा सकता है। इसी तरह से मैं कहता हूं कि सारे राजस्थान में सब जगह हजारों पेड़ लगे हैं। जयपुर में बता दूं, मुख्य मंत्रीजी के घर के सामने बता दूं। आपके बी. जे. पी. का जो दफ्तर है उसके सामने 100-100 फीट जमीन रोककर पेड़ लगाये हैं, उनका रख-रखाव वह स्वयं कर रहे हैं....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : यहां कोई क्या व्यवस्था की जा सकती है ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : आप ज्यादा व्यवधान मत कीजिये। आप बैठ जाइये। आपका काम नहीं है....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक मिनट नहीं बोल सकते आप ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : क्यों नहीं बोल सकता ? आप कौन हैं मुझे रोकने वाले ? आप बैठ जायं।

एक माननीय सदस्य : इनको बैठाओ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह इनका काम है, कौन होते हैं आप मुझे रोकने वाले। मेरे का काम नहीं बैठाने का। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप बोलो, कैसे बोलते हो ?

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करेंगे या नहीं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तानाशाही है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप दस मिनट बोल चुके। आप बैठें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, पाइट आफ आर्डर।

डा. चन्द्रभान : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन को आप चला रहे हैं या ये चला रहे हैं ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : इनको पता नहीं है पाइन्ट आफ आर्डर कब उठाया जाता है ? अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था के बाद पाइन्ट आफ आर्डर आयेगा क्या ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है। यह बोल रहे हैं उस पर मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।.... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आपके सामने एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उनको यह बोलने नहीं दे रहे हैं। इस सदन में यह तानाशाही हम नहीं चलने देंगे इस सदन में....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनको समाप्त करने दीजिये। आप बैठिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह + + + सुनने के लिये हम नहीं बैठे हैं....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिये।....(व्यवधान)...अब आप क्यों खड़े हो गये ? यह बैठे तो आप खड़े हो गये ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : आपने अधिकार दे रखा है।

श्री अध्यक्ष : मैंने किसी को अधिकार नहीं दिया है। बोलने में संयम रखिये। आपको भी नहीं दिया है। आप बोल रहे हैं, बोलिये। आपको पांच मिनट के लिये बोलने का समय दिया, आप दस मिनट बोल चुके हैं। अब आप बोलिये, अधिकार ले रहे हैं जबरदस्ती।

श्री ईश्वरलाल सैनी : 21 तारीख को जब मैंने वहां पर प्रेस कान्फ्रेन्स की तो इस मसले में....

श्री अध्यक्ष : अब आप रिपीट क्यों कर रहे हैं ?

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री ईश्वरलाल सैनी : 21 तारीख को यू. आई. टी. ने, रेलिंग लैण्ड में ट्री गार्डस लगा कर जो पेड़ हैं, कहीं नहीं किया सिर्फ मेरे एक परिवार के, मेरी भाभीजी....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : यूं व्यक्तिगत सवाल सदन में उठायेंगे क्या ?

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैंने आपको व्यक्तिगत सवाल के लिये ही नोटिस दिया है।

श्री अध्यक्ष : This House is not meant for personal matters.

माननीय सदस्य मैं मानता हूं कि यह सदन व्यक्तिगत बातों के उठाने के लिये नहीं है। सार्वजनिक बातों के लिये है। अब आप व्यक्तिगत बात अलग से कर सकते हैं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : ट्री गार्ड्स लगाकर जो पेड़ लगाये जा रहे हैं। सारे राजस्थान में, मैं यह नहीं चाहता लेकिन अगर अलवर में तोड़े जाते हैं तो और जगह भी तोड़े जायं....

श्री अध्यक्ष : अब आप की बात हो गई। अब आप बैठिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मुझको सरकार से जवाब दिलाया जाये।

श्री अध्यक्ष : जवाब के लिये मैं सरकार को बाध्य नहीं कर सकता।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अलवर में जो तोड़ा-फोड़ी हुई है उस के लिए मैं क्या कहूंगा ? सरकार क्या कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : अब आप दो मिनट बैठेंगे ? आपने मुझे लिखकर दिया, मेरे पास कलक्टर का जवाब आया है। वह जवाब आपके पास भेज दिया गया है। उसमें जो कार्यवाही की है....

श्री ईश्वरलाल सैनी : जो जबाव है वह बिलकुल मिथ्या +++ गलत और मनगढ़न्त दिया है।

श्री अध्यक्ष : वह मिथ्या है, +++ है इससे कोई मतलब नहीं है, जवाब आपके पास आ गया है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : मैं इस जवाब को सुनाऊंगा पढ़कर तो आप हंसेंगे। मंत्री महोदय पढ़ लें, जो जवाब दिया है वह बिलकुल तथ्यों से परे है, बेबुनियाद जवाब है।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजिये, यह कोई डिबेट नहीं हो रही है। आपको जवाब मिल गया।

श्री ईश्वरलाल सैनी : जवाब मिथ्या मिला है, इसलिए मैं कहता हूं, मुझे मंत्रीजी से आप आश्वस्त कराइये। जो तोड़फोड़ गलत हुई है उसमें ये क्यों डर रहे हैं ?

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सैनी जी, अब आप मेरे पेशेंस को ज्यादा राइज मत करिये । Please sit down now. I am on leags. मैं अपनी लैग्स पर खड़ा हूं, आप बैठ जाइये । आप विराज जाइये ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान की विभिन्न जेलों में टाडा एक्ट में बन्द लोगों की मृत्यु व उनकी गम्भीर हालत होने के सम्बन्ध में,

(2) श्री जुबेर खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा कथित बी. ई. (कृषि) हेतु पी. ई. टी. परीक्षा समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(3) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज में अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज में कथित डोनेशन दे कर प्रवेश प्राप्त कर स्थानान्तरण करवाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(4) श्री बिरधाराम चौधरी, श्री प्रेमसिंह दहिया, श्री रामकरण, श्री रिछपाल सिंह, श्री हबीबुर्र रहमान और श्री मोहन लाल (परबतसर), सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील परबतसर में नील गायों के द्वारा काश्तकारों की फसल को नष्ट करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(5) श्री ईश्वरलाल सैनी, श्री घासीराम यादव, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर में गैस बुकिंग हेतु प्रत्येक आवेदनकर्ता से अल्प बचत के नाम पर राशि एकत्रित करने से जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में ।

(6) श्री परसादीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले के थाना कुम्हेर के गांव धनपाड़ा के खेचेरी पुत्र जयराम की हत्या की दर्ज रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में ।

(7) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति नहीं करने से बेरोजगार नवयुवकों में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त स्थगन–प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा ।

(8) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर-जैसलमेर जिले की अकाल की भयंकर स्थिति तथा राहत कार्य नहीं खोले जाने के सम्बन्ध में ।

(9) श्री पूनमचन्द विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर जिले की

(श्री अध्यक्ष)

पंचायत समिति फलौदी एवं बाप में भयंकर अकाल की स्थिति तथा अकाल राहत कार्य नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) डा. चन्द्रभान, श्रीमती सुमित्रा सिंह, श्रीमती सुचित्रा आर्य, श्री यदुनाथ सिंह, श्री मोहम्मद माहिर आजाद, श्री निर्भयलाल, श्री दिलसुखराय और श्री नत्थीसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाकों में अकाल की भयंकर समस्या के सम्बन्ध में।

आज दिनांक 25 फरवरी, 1992 को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के समय उपरोक्त माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति होगी। मैं इन प्रस्तावों को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री रामनारायण वर्मा, विधान सभा की ओर से ग्राम छावनी, तहसील एवं जिला बूंदी की कृषि भूमि एवं गांव की सुरक्षा हेतु बॉक्स इनलैट बनाये जाने हेतु,

(2) श्री अमीन खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाड़मेर की तहसील शिव में पंचायतों के पुनर्गठन के प्रस्ताव जिला कलक्टर द्वारा नहीं भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(3) श्री मनीराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के उप निवेशन तहसील छतरगढ़ तथा पूंगल के भूमिहीन निवासियों को भूमि आवंटित करने में आने वाली बाधाओं के सम्बन्ध में।

(4) श्री लक्ष्मीनारायण दवे, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाली जिले की तहसील सोजत में पोटलिया सिंचाई परियोजना के स्वीकृति के सम्बन्ध में।

(5) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश की अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की समस्याओं एवं हाल ही में सर्वोच्च न्याय लय द्वारा दिये गये निर्णय की अनुपालना नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(6) श्री रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा सभा की ओर से राजस्थान पत्रिका के कर्मचारियों की हड़ताल को कुचलने में राज्य सरकार का कथित हाथ होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

(7) श्री मदनलाल सैनी, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुंझुनूं जिले के सहायक अभियन्ता कार्यालय को हटाये जाने से किसानों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री रामनारायण वर्मा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

नव नियुक्त मंत्रियों का परिचय

श्री हरिदेव जोशी (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, आप रैगुलर बिजनस शुरू करें उससे पहले मैं आपकी मार्फत मुख्य मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहता था। उन्होंने कुछ नये मत्री बनाये हैं और अब बनाने वाले हैं। किसको बनाया है, उनका थोड़ा चेहरा दिखा दें।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : श्री कैलाश मेघवाल।

श्री हेतराम बेनीवाल : जबाव पहले दिला दिया, परिचय अब करा रहे हो।

श्री भैरोंसिह शेखावत : बाकी किनको बनाने वाला हूं, ढूंढो आप।

श्री हरिदेव जोशी : कइयों के सूट्स तैयार पड़े हैं उनको आप वो कर दीजिएगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप नाम बता दीजिए किस किसने सूट सिलवाये हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मुझ से सलाह लेकर करेंगे तो मैं ठीक ही बताऊंगा। और, अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों के इस्तीफे लिये गये हैं। वे लोग कौन हैं और क्या कारण है, यह भी अगर इस सदन को जानकारी मिल जाय तो ठीक रहेगा। आपने इस्तीफे मांगे या इस्तीफे दिये गये हैं ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह कोई बताने की आवश्यकता नही, पार्टी के इण्टरनल मैटर्स हैं। जिन माननीय सदस्यों ने त्याग पत्र दिये हैं वे बोलना चाहें तो उनको छूट है, वे बोल सकते हैं बाकी उनको फोर्स नहीं किया जा सकता।

श्री हरिदेव जोशी : मैं फोर्स करने की की बात नहीं कहता, मैं तो यह कह रहा हूं कि वे कौन-कौन से सदस्य हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया और किस से इस्तीफा मांगा गया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मुझे खेद है, जोशी जी, आपको यह मालूम नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे क्या मालूम ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : अगर आपको यह मालूम नहीं है तो मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : नहीं, एक तो इस्तीफा देने की बात है और एक इस्तीफा मांगने की बात है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : पार्टी के मैटर्स हैं। आज भी अब तक क्या मालूम कितनों को देते रहे हैं, लेते रहे हैं, लेकिन हाउस में इस प्रकार की चर्चा कभी नहीं हुई।

श्री हरिदेव जोशी : हाउस को जानने का अधिकार है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : खुद आपने भी दो बार रैजिग्नेशन दिया, हमने तो कभी नहीं पूछा आप से कि क्यों दिया।

श्री हरिदेव जोशी : मैं यहां होता तो देता जवाब।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : मुख्य मंत्रीजी, पूर्व में भी जब कभी किन्हीं मन्त्रियों ने त्याग पत्र दिया है तो हमेशा उन्होंने सदन में अपना वक्तव्य भी दिया है। ऐसी परम्पराएं इस हाउस की रही हैं।

श्री अध्यक्ष : यह उनकी मर्जी पर है। स्पष्टीकरण देने का उनका अधिकार है, वे चाहें तो दे सकते हैं। वे नहीं चाहें तो सदन बाध्य नहीं कर सकता, न मैं बाध्य कर सकता हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से इस्तीफों का प्रकरण चला है उससे एक स्थिति तो निश्चित ही पैदा होती है कि हाउस में जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी क्या स्थिति है। उसके 84 सदस्य हैं। इसके सिवाय जिन्होंने सपोर्ट किया है उनमें से दो लोगों ने इस्तीफा दिया है और उन्होंने तरह-तरह के बयान दिये हैं, अखबारों में वे बयान छपे हैं। उससे सारे राजस्थान में इस तरह का वातावरण बना है कि वास्तव में जो दोनों पार्टी मिलकर सरकार चला रही हैं ये राजस्थान में कोई स्थायी सरकार दे सकेंगी या क्या सरकार कायम रहेगी। जो बजट ये पेश करने जा रहे हैं या जो कुछ करने जा रहे हैं उसमें कितना स्थायित्व रहेगा। यह हाउस को जानने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये अब आप। आपकी बात सुन ली। यह रेलेवेण्ट नहीं है। न रेलेवेण्ट है और न हाउस के डिस्कशन का मामला है। आप चूंकि बोलना चाहते थे इसलिए बोलने की इजाजत मैंने दे दी। यह हाउस का सब्जेक्ट नहीं है। इतना ही है कि जिन मंत्रियों ने इस्तीफे दिये हैं वे चाहें तो अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं, यह अधिकार उनको है। वे जब तक नहीं चाहेंगे तब तक आप उनको बाध्य नहीं कर सकते न मैं बाध्य कर सकता हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : अखबारों में स्टेटमैण्ट दिया है उन्होंने।

श्री अध्यक्ष : जो भी स्टेटमैण्ट दिये होंगे, यह तो वे अपनी मर्जी से दे सकते हैं मैं उनको डाइरेक्ट नहीं कर सकता।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि मुख्य मंत्रीजी इसका भी जवाब दे दें कि तीन-चार बार श्री भाटी जी का इस्तीफा आया है वह इस्तीफा कहां गायब हो गया। आप पिन-प्रिकिंग करते हैं या वे आपको पिन प्रिक करते हैं ? क्या है ? कारण क्या है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जोशी जी, आपकी जानकारी के लिए कह देऊं कि श्री भाटी जी ने एक बार भी मुझे त्याग पत्र नहीं दिया।

श्री हरिदेव जोशी : वह तो अखबारों में बराबर ही आता रहा है, तो किसके पास आया है वह ?

श्री अध्यक्ष : कल अखबार में कोई ऐसी बात आ जाय जो हुई नहीं हो तो फिर उसका क्या किया जाय ?

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री हेतराम जी ने जो बात कही

(श्री दिग्विजय सिंह)

और आपने फर्माया, वह तो जो मंत्री त्याग पत्र देता है उसका अधिकार है, वह चाहे तो दे। उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। पर आपने कहा कि राजस्थान के अन्दर ऐसा वातावरण बन गया कि सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी। मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि सरकार निश्चित रूप से चलेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस सदन के अन्दर दो माननीय सदस्य सर्वश्री नत्थी सिंह जी और डा. चन्द्रभान जो जनता दल के सदस्य के रूप में यहां बैठते हैं, उनके दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको निष्कासित कर दिया और निष्कासन की सूचना आपके पास भी पहुंच गयी। जिस दल के वे सदस्य ही नहीं हैं उस दल के विधायक दल के नेता के रूप में उनका बैठना मेरी राय में शायद उचित नहीं है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपके पास भी पहुंची क्या ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसलिए पार्लियामेण्ट में जो प्रैक्टिस हुई, उनको कृपया अनअटैच्ड घोषित करके इनकी सीटों का बदलाव निर्दलीयों के साथ किया जाय ताकि श्री रामकरण सिंह जी की पार्टी में थोड़ा बढ़ावा हो।

श्री नत्थी सिंह : बड़ी खुशी है कि आपको हमारी चिन्ता है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

(12.20 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आसन से एक व्यवस्था चाही है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में राजस्थान मन्त्रि-मण्डल में कुछ परिवर्तन हुए हैं। एक नये मंत्री बने हैं और कुछ के विभाग बदले गये हैं। सदन की यह परम्परा रही है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : हो गयी बात।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामनारायण जी वर्मा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, मैं चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि आप उस पर अपनी व्यवस्था दें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : परिचय नहीं कराया, परिचय करवा दें।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख
बून्दी में कृषि भूमि का कटाव

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत मैं विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्राम छावनी, जिला बून्दी में भूमि

(श्री रामनारायण वर्मा)

कटाव होने से गांव की आबादी व कृषि भूमि के बहुत ज्यादा नुकसान होता जा रहा है। गांव की पूर्वी तरफ की आबादी में महावीर के स्थान के पास भूमि कटाव के कारण बड़ा खाल आबादी सीमा में प्रवेश कर गया है जिससे गांव के आगे जाने वाली कृषि भूमि को नुकसान पहुंच रहा है। यदि इस खाल को आगे बढ़ने से नहीं रोका गया तो वहां पर स्थिति अन्य गांवों ख्यावदा, ध्वदघ, छेड़दा, भाटों का खेड़ा, बीचड़ी, हनुत्वा, गोगलपुरा में जाने वाला रास्ता अवरुद्ध हो जायेगा। ऐसे हालात पैदा हो जाने के कारण ही सहायक अभियन्ता बीहड़ सुधार केशवराय पाटन द्वारा पत्र क्रमांक 10-12 दिनांक 6-1-92 को परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बून्दी को मौके की स्थिति से अवगत कराते हुए वहां पर बाक्स इनलैट निर्माण हेतु राशि आबंटन की जाने हेतु आग्रह भी किया है ताकि विभाग द्वारा उक्त गांव में इस समय करवाये जा रहे कार्य के साथ ही इस कार्य को भी सम्पादित किया जा सके। इस कार्य के करवाने पर बीहड़ सुधार कार्यों को बल मिलेगा तथा ग्राम वासियों को भी बहुत अधिक लाभ होगा।

अतः अनुरोध है कि जनभावनाओं को मद्दे नजर रखते हुए जनहित में ग्राम छावनी में गांव की सीमा में आगे बढ़ते हुए खाल से हो रहे भूमि कटाव को रोकने तथा गांव की आबादी, कृषि भूमि के बचाव हेतु वहां पर अविलम्ब ही बाक्स इनलैट निर्माण की स्वीकृति को जारी करने का आदेश दिया जाये ताकि गांव वालों को सहूलियत मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीन खां।

पंचायतों का पुनर्गठन

श्री अमीन खां (शिव) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य सचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख में निवेदन है कि राज्य सरकार ने माह अप्रैल, 1991 से माह अगस्त 1991 तक पंचायतों के पुनर्गठन बाबत जिला कलक्टरों को निर्देश (गाइड लाइन्स) दिये, उसके अनुसार बाड़मेर की तहसील शिव व बाड़मेर में पंचायतों के पुनर्गठन के प्रस्ताव जिला कलक्टर ने नहीं भेजे हैं।

तहसील शिव व बाड़मेर पंचायत समिति में 1075 तक नई पंचायतों के गठन के प्रस्ताव भेजे हैं बशर्ते कि ऐसी पंचायत भूतपूर्व जागीरदारों की मेजोरिटी की हो। और गैर पूर्व जागीरदारों के 924 की जनसंख्या वाले गांव में पंचायत मुख्यावास नहीं रखा गया व 547 की आबादी के गांव में पंचायत मुख्यावास रखा गया है। ऐसे भी प्रस्ताव भेजे हैं क्योंकि 924 की जनसंख्या वाला गांव मुसलमानों का है और 547 की जनसंख्या वाला गांव पूर्व जागीरदारों का गांव है। इसी प्रकार 675 की आबादी का गांव भीलों का है। उसमें भी पंचायत मुख्यावास नहीं रखा गया है जबकि 320 की आबादी वाले राजपूतों के गांव में पंचायत मुख्यावास रखने का प्रस्ताव है।

मुसलमान, मेघवाल, भील जाति के गांव 23, 18, 15, 11 किलोमीटर तक

(श्री अमीन खां)

की दूरी पर पंचायत मुख्यावासों में रखे गये हैं जबकि पूर्व जागीरदारों के गांव एक पंचायत से दूसरी पंचायत 3-4-6 किलो मीटर की दूरी पर स्थित हैं। चाहे उनकी जनसंख्या 2000 से कितनी भी कम क्यों न हो। इसके कुछ उदाहरण मैं पेश करना चाहूंगा।

चेत्रोडी एक पूर्व जागीरदारों का नया राजस्व ग्राम है, उसमें पंचायत प्रस्तावित की गई है। जो मौजूदा गिराव गांव से उसकी आबादी आधा किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक की दूरी में बसी हुई है उसकी जनसंख्या केवल 324 है जबकि उसमें शामिल ग्राम बहाला भी एक गांव है उसकी जनसंख्या 676 है जो गिराव से 15 किलोमीटर दूर है परन्तु वहां पंचायत मुख्यावास नहीं रखा क्योंकि वह भीलों का ग्राम है।

डाबड एक पुराना राजस्व ग्राम है व उसमें पटवारी मुख्यावास भी है जो 1981 की जनगणना के अनुसार 1201 की जनसंख्या वाला गांव है वह बंधड़ा पंचायत में है। वह पंचायत मुख्यावास से 23 किलोमीटर दूर है क्योंकि यह ग्राम मेघवाल व मुस्लिम आबादी का है और जीपेका पार राजस्व ग्राम भी पंचायत मुख्यावास से 23 किलोमीटर दूर रखा है।

अनरोड़ एक पुराना राजस्व ग्राम है जो झणकली पंचायत में रखा गया है जो झणकली से 15 किलोमीटर दूर है जबकि पड़ोस में एक राजपूतों का नया राजस्व ग्राम आसांडी है वह सेन्टर में नहीं है फिर भी उसमें पंचायत मुख्यावास का प्रस्ताव भेजा है जिसमें 2 ग्राम रखे गये हैं उनकी जनसंख्या 1400 की है जबकि अनरोड़ गांव की जनसंख्या 600 है इसे मिलाने से उस पंचायत में 2000 की आबादी बन जाती है और अनरोड़ 6 किलोमीटर की दूरी पर आ जाता है। परन्तु सिर्फ इसलिये नहीं किया है कि यह ग्राम मुस्लिम व मेघवाल आबादी का है।

हाथीसिंह की ढाणी नया राजस्व ग्राम है वह राजपूत आबादी की ढाणी है उसमें पंचायत प्रस्तावित की गई है जो अपने कोटेड गांव से 6 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है और उसमें अन्य गांव शामिल किये जाने वाले गांव अपने-अपने पंचायतों शिव व गूंगा तथा कोटडा में ही रहना चाहते हैं परन्तु सिर्फ एक राजपूत की ढाणी को पंचायत बनाने की नियत से ऐसा प्रस्ताव भेजा गया है।

जूनेजो की बस्ती एक ग्राम है जिसमें पटवारी हैड क्वार्टर करीब 10 सालों है व 20 सालों से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है, तथा वहां पर डाकखाना भी है। उसको पचायत बनाने के/लिये ग्राम पंचायत कोटड़ा, पंचायत समिति शिव व तहसीलदार शिव तथा जिला कलक्टर बाड़मेर ने 1987 में प्रस्ताव भेजा था। वह गजट नोटिस में भी एतराज वास्ते छपा था उस समय किसी ने भी कोई एतराज नहीं किया। ऐसी शासन में भी इससे पूर्व दो बार प्रस्ताव चस्पा किये गये थे उनमें भी जूनेजो की बस्ती पंचायत के प्रस्ताव थे, आखिर में इस तहसील में एक ट्रेजरी अफसर है उसके दखल से जूनेजो की बस्ती पंचायत न बनकर उसमें शामिल 4 गांव

(श्री अमीन खां)

एक मतूजा को हाथीसिंह की ढाणी में मिलाया, दूसरे को कोटड़ा में मिलाया व बाकी दो गांवों जूनेजो की बस्ती व धोलकिया को उनसे छोटे एवं पूर्व जागीरदारों के गांव झणकली में मिलाया गया।

झापली कलां एक पंचायत प्रस्ताव की है उसमें जनसंख्या 547 है जबकि उसमें शामिल किये गये गांव मेगरडा की जनसंख्या 924 है, नेगरड़ा गांव में 25 सालों में पटवारी मुख्यावास है बस रूट भी है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है जबकि झापली कला में यह सुविधायें नहीं हैं सिर्फ झापली कला गांव पूर्व जागीरदारों का है।

फोगेरा एक नई पंचायत प्रस्तावित की गई है जो बालेबा पंचायत मुख्यालय से 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है। आबादी भी कोई ज्यादा नहीं है, परन्तु सिर्फ पूर्व जागीरदारों का गांव है इसलिए पंचायत बनाने का प्रस्ताव भेज दिया गया है। इसमें जनसंख्या पूरी करने के लिए बालेबा पंचायत का गांव देदड़ीयार मिलाया है जो बालेबा पंचायत से 500 कदम दूर है कदम दूर है और उस गांव ने आपत्ति भी की है।

मगरा एक पूर्व जागीरदारों का नया राजस्व ग्राम है जो हरसानी पंचायत में है व हरसानी से 5 कि. मी दूर है उस गांव को खारची पंचायत बनाने के लिए उसमें मिलाया गया है जो मगरा से 9 किलोमीटर दूर है। मगरा की जनता को खारची जाने के लिए हरसानी होकर जाना पड़ता है फिर भी यह सिर्फ इसलिए किया गया है कि इस गांव के पूर्व जागीरदार है तथा इस गांव के प्रधान कांग्रेस के हैं।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार पंचायतों का गठन नहीं करके एक जाति विशेष को जान-बूझकर गलत ढंग से पंचायतों के गठन के प्रस्ताव भेजे हैं जो एक अन्याय व ज़बर्दस्त ज्यादती है।

जिला कलक्टर ने 5-1-1991 के दिन एतराजों पर सुनवाई के वक्त उपरोक्त आपत्तियों को जिला भा. ज. पा. पदाधिकारियों ने भी स्वीकार किया था। किया था। क्योंकि इनमें 100 प्रतिशत सच्चाई थी, परन्तु जिला कलक्टर ने एक आपत्ति पर विचार नहीं किया। यह कार्यवाही गरीब जाति के लोगों के साथ अन्याय है तथा वार्ड बनाने में उनके साथ ज्यादती करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। इसका एक उदाहरण पेश है—जैसिन्धर स्टेशन एक ग्राम है जिसमे जनसंख्या 925 है उसमें दो वार्ड है इस पंचायत में अकली गांव है जिसमें जनसंख्या 450 है उसमें दो वार्ड हैं क्योंकि जैसिन्धर स्टेशन गांव मेघवालों का है तथा अकली गांव पूर्व जागीरदारों का है।

तहसील शिव में 19 नई पंचायतें बनाने के प्रस्ताव किये गये हैं जिला कलक्टर ने उनमें से 18 पंचायत मुख्यावास पूर्व जागीरदारों के गांव में किये जिसमें निम्न पंचायतों के प्रस्ताव तो पूर्व जागीरदारों के गांव वाले सरकार की गाइड लाइन के अनुसार सही नहीं है–(1) रोहीड़ी (2) तानूमानसिंह (3) रेडाना (4) बालासर (5) नागड़दा, (6) बिसूकला (7) धारवीकला (8) राजेबरा और निम्न पंचायतें

(श्री अमीन खां)

राज्य सरकार की गाइड लाइन के अनुसार अन्य कमजोर वर्ग की बन सकती है, परन्तु जिला कलक्टर ने जान-बूझकर उनके प्रस्ताव नहीं भेजे। यह इस प्रकार है — (1) डाबड़ (2) आगासड़ी (3) बान्डासर (4) जूनेजो की बस्ती (5) नेगरड़ा (6) पोसाल है।

इसी प्रकार तहसील बाड़मेर में ग्राम तामलीयार जिसमें 1981 की जनगणना के अनुसार 1500 की जनसंख्या है उसको पंचायत न बनाकर सेतराउ पूर्व जागीरदारों के गांव में मिला दिया गया है और खारची एक बड़ा ग्राम है। इसको भी एक छोटे ग्राम बबूगुलेरिया में मिलाया है।

1981 की जनगणना में जो गांव नहीं हैं उनको 1981 की जनगणना के आधार पर पुनर्गठित किया जा रहा है। तो यह जनसंख्या कहां से आई ? यानी जो नये राजस्व ग्राम 1981 के बाद बने से उनको इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं, परन्तु गलत व मनमाने तरीके पर ऐसा किया जा रहा हैं जो एक वर्ग विशेष के हित व एक राजनीतिक पार्टी के हित में किया जा रहा है।

अतः सरकार से उस क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक व अन्य तमाम गरीब जाति के लोगों की तरफ से इस सदन की मार्फत सरकार से निवेदन करता हूं कि आपके जो निर्देश हैं उनके अनुसार पंचायतों का पुनर्गठन किया जाय। जिसमें 2000 की जनसंख्या से कम कोई पंचायत नहीं चाहिये, कोई गांव 23–18–15–11 किलोमीटर किसी पंचायत मुख्यावास से दूर नहीं होना चाहिए। जिन पंचायतों के लोग उस पंचायत से अलग नहीं होना चाहते हैं तो उस पंचायत को नहीं तोड़ा जाय और 1981 की जनगणना में जो गांव है ही नहीं उनको इसमें शामिल नहीं किया जाय। गलत प्रस्तावित पंचायत बिजावा, खबडाला, फोगेरा, खारची, हाथीसिंह की ढाणी, झापली कला व चैचेड़ी रद्द की जाय तथा आसाड़ी के स्थान पर आगासड़ी पंचायत मुख्यावास किया जाय। तथा उनरोड़ गांव को झनकली पंचायत से निकालकर आगासणी पंचायत में मिलाया जाये और राज्य सरकार की गाइड लाइन के अनुसार डबड़, पोसाल, जूनेजो की बस्ती, बान्डासर, पंचायतों को बनाने के लिये प्रस्ताव पेश किये जायें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मनीरामजी।

श्री दिग्विजयसिंह (संसदीय कार्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आसन से एक निवेदन करना चाहूंगा कि अभी आपने फरमाया कि पढ़ा हुआ मान लिया जाय। वैसे आपने नियमों में यह डाइरेक्शन दे रखी है कि कोई 295 का प्रस्ताव 500 शब्दों से अधिक का नहीं होगा। यह तो आपके देखने की बात है कि आप ऐसे प्रस्ताव को अलाऊ ही नहीं करें।

श्रीमती सुमित्रासिंह (पिलानी) : शब्द तो 500 ही थे, पर बड़े-बड़े शब्द थे।

श्री उपाध्यक्ष : भविष्य में ध्यान रखा जायेगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) :

(68)

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने 700 शब्दों से अधिक का विशेष चर्चा का विषय यहां पेर पढ़ा था। हां, ऐसा थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, पब्लिक प्राब्लम्स हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जो नियमों में तय कर रखा है उससे भी ज्यादा नहीं होना चाहिये। माननीय सदस्य श्री मनीरामजी।

श्री हरलालसिंह खर्रा (पंचायत राज राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायतों के पुनर्गठन से बारे में जो डाइरेक्शन सरकार और डिपार्टमेंट ने दी थीं उनके मुताबिक कलक्टर्स ने अपने प्रपोजल्स भेजे हैं और वह प्रपोजल्स....

श्री अमीन खां : नहीं भेजे हैं। शर्त रख लें और किसी से भी जांच करा लें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य सुनिये तो सही, वह जवाब दे रहे हैं।

श्री हरलाल सिंह खर्रा : उन प्रपोजल्स को एतराज के लिए चस्पा किया जा रहा है। एक महीने के अन्दर किसी को कोई एतराज हो तो डी. सी. के यहां कलक्टर की मार्फत एतराज पेश कर सकेंगे। यह कार्यवाही शामिल है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। माननीय श्री मनीरामजी।

पुगल के भूमिहीनों को भूमि-आवंटन करने में आने वाली बाधायें

श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र की उपनिवेशन तहसील छतरगढ़ नम्बर 1 व 2 तथा पुगल के भूमिहीन निवासियों को भूमि आवंटन करने में आने वाली बाधाओं के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर जिला बीकानेर का ही क्या पूरे राजस्थान में भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से राज्य का दूसरे स्थान का सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में पाक विस्थापित पोंग डेम विस्थापित तथा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापित भी सरकार ने कृषि भूमि एवं रिहायशी भूमि देकर बसाये हैं। परन्तु जितने भी प्रकार के विस्थापित हैं वह सब उपनिवेशन एक्ट के तहत कृषि भूमि बालिग पुत्रों के नाम भूमिहीन की श्रेणी के आधार पर कृषि भूमि प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

महाजन फील्ड फायरिंग रेंज विस्थापितों को जहां उक्त तीनों तहसीलों में बसाये गये हैं उनको पिछले वर्ष वर्तमान गांव एवं चक्कों के ही पुराने गांव की वोटरलिस्ट के आधार पर मूल निवासी होने की मान्यता राज्य सरकार ने प्रदान कर दी थी, परन्तु अभी तक सम्बन्धित जिले का प्रशासन उनकी मिसलें वास्ते आवंटन भूमि भूमिहीनों को आवंटन करने में पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं जिसका पूरा-पूरा नुकसान गरीब भूमिहीन किसानों को हो रहा है। अब जब भी भू-आवंटन की तिथि निश्चित की जाय उससे पूर्व एम. एफ. आर के समस्त प्राथियों की मिसलें पहिले से ही पूर्ण कर ली जायं।

(श्री मनीराम सियाग)

यहां यह भी सरकार के ध्यान में पुरजोर शब्दों में मांग करके दिलाना चाहता हूं कि लूणकरणसर क्षेत्र के पुगल व छत्तरगढ़ उपनिवेशन तहसीलों में काफी पाक विस्थापित विधिवत बसाये गये थे। उनको उस वक्त एक-एक मुरब्बा भूमि आवंटन की गई थी, परन्तु 1978 से आज तक ज्यों-ज्यों उनके परिवारों की वृद्धि हुई है उस वक्त के नाबालिग आज बालिग हैं तथा वही परिवार आज एक मुरब्बा भूमि से अपने बालिग पुत्रों की मदद करने में असमर्थ हैं। चूंकि इन परिवारों का पीछे कुछ नहीं रह गया है अब यह लोग पुगल, गंगाजली, आडूरी, आनन्दगढ़, मोहनगढ़, बलर, दन्तौर, भुरडकिया, आदि क्षेत्रों में वन मानुषों की तरह अपना जीवन-बसर लकड़ियां बीन-बीनकर कर रहे हैं तथा बन्धुआ मजदूरों का सा जीवन जी रहे हैं।

अतः मानवता के नाते मेरा सरकार से आग्रह है कि इनको मनुष्य की जिन्दगी जीने का अधिकार, रोजगार का साधन मुहैया करवाकर बहाल किया जाय तथा इनको भी हमारी राष्ट्रीय मुख्य धारा में जोड़कर नैतिक पीड़ा से छुटकारा दिलाने में मदद की जाय।

आशा है कि सरकार महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के लोगों को आगामी भू-आवंटन कार्यक्रम में सिर्फ मतदाता सूची की अनुपलब्धता के आधार पर आवंटन से वंचित नहीं रहने दिया जायेगा तथा 1978 से विधिवत नागरिकता प्राप्त पाक विस्थापितों के भूमिहीन काश्तकारी पेशे के बालिग पुत्रों को भी भू-आवंटन कार्यक्रम में वहां के मूल निवासी के आधार पर प्राथमिकता देकर मानव सेवा में सरकार मददगार होगी। इसी आशा के साथ। धन्यवाद !

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री लक्ष्मीनारायणजी दवे।

पोटलिया सिंचाई परियोजना (तहसील सोजत) की स्वीकृति

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के तहत पोटलिया सिंचाई परियोजना तहसील सोजत जिला पाली की स्वीकृति के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, पोटलिया सिंचाई परियोजना ग्राम पोटलिया तहसील सोजत जिला पाली के पास स्थित है। यह परियोजना हरियाड़ा ग्राम के पास स्थित पहाड़ों से निकलने वाले नाले (जो कि रेड़िया नदी में मिलता है) पर स्थित है।

पोटलिया बांध एक पुराना बांध है तथा वर्ष 1979 की बाढ में क्षतिग्रस्त हो गया था जिसके पुनः निर्माण हेतु वर्ष 1990–91 के मरु विकास कार्यक्रम की अतिरिक्त वार्षिक योजना में स्वीकृति की गई थी। वर्ष 1990–91 के लिए स्वीकृति मूल वार्षिक योजना में स्वीकृत कार्यों पर लक्ष्यों के अनुरूप बजट का उपयोग नहीं हो रहा था, इस हेतु अतिरिक्त वार्षिक योजना स्वीकृत की थी जिससे कि मूल योजना हेतु आबंटित बजट का मूल योजना एवं अतिरिक्त योजना के कार्यों के लिए व्यय कर बजट का पूर्ण उपयोग हो सके।

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

यह परियोजना मूलत: पेटा काश्त हेतु बनाई गई थी, परन्तु अब इसके प्रशासनिक तखमीने में इसके पानी का सरदार समंद बांध में अप्रवर्तन प्रस्तावित किया गया है जिससे सरदार समंद बांध में अतिरिक्त पानी की उपलब्धता होगी। इस बांध की क्षमता 65.94 मिलियन फीट है तथा इस पानी को सरदार समन्द बांध में दिये जाने पर 185.40 हैक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई हो सकेगी जो इस बांध में 155 हैक्टेयर भूमि में पेटा काश्त के अतिरिक्त होगी। इस परियोजना की कुल लागत 38.38 लाख रुपये है तथा इसका प्रशासनिक तखमीना राज्य सरकार के पास प्रशासनिक स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

यह परियोजना सोजत तहसील के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है जो कि पाली जिले की रोहट तहसील से जुड़ा हुआ है तथा यह सम्पूर्ण क्षेत्र अभावग्रस्त एवं मरुस्थलीय है। पोटलिया गांव तथा उसके पास स्थित ग्राम चोपड़ा, नापावास, अबकाई की ढाणी इत्यादि सोजत तहसील के सबसे पिछड़े एवं अभावग्रस्त ग्राम हैं। यहां पानी खारा तथा गहरा है तथा यहां अतिरिक्त सिंचाई सुविधा भी नहीं है। इस परियोजना के पूर्ण हो जाने से 185.40 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा तथा 155 हैक्टेयर भूमि पेटा काश्त हो सकेगी तथा पानी का जल स्तर भी आस-पास के कुओं में बढ़ेगा। जिससे यहां के निवासियों की प्रभुत्ता एवं सम्पन्नता बढ़ेगी।

यह एक अत्यन्त उपयोगी परियोजना है तथा इसका लाभ लागत अनुपात 1.24 : 1 है तथा इसे मरु विकास कार्यक्रम में प्रस्तावित किया गया हैं।

अत: यह इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजना है इसे अविलम्ब स्वीकृत किया जाना नितान्त आवश्यक है। मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी से आग्रह करना चाहूंगा कि सोजत विधान सभा क्षेत्र का यह पश्चिमी इलाका हमेशा अकाल से प्रभावित क्षेत्र रहा है। यहां पानी भी खारा है, 4 पर्सेन्ट से ऊपर फ्लोराइड का पानी उन लोगों को पीने के लिए नसीब हो रहा है। यह परियोजना इस क्षेत्र के लिए सबसे प्रमुख परियोजना है। माननीय मंत्री महोदय इसके बारे में स्पष्टीकरण दें और आश्वासन दें कि यह परियोजना इस अकाल की विभीषिका के अन्दर इस कार्य को सम्पन्न कराने के लिए स्वीकृति प्रदान कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री बुलाकीदासजी कल्ला।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय विराजमान हैं। यह पश्चिमी क्षेत्र हमेशा अकाल से प्रभावित रहा है। पिछले दस वर्षों से लगातार अकाल पड़ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य; व्यवस्था यह है कि स्टेटमेंट देना चाहें तो दें बाध्य नहीं किया जा सकता।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय मंत्री महोदय इसके बारे में स्पष्टीकरण दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बातें सारी सुन ली हैं उनका उत्तर भी दे दिया जाएगा। श्री बुलाकीदास कल्ला।

अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की समस्याओं व हाल ही में सर्वोच्च न्यायलय द्वारा दिए गये निर्णय कीअनुपालना करने व क्रियान्विति के सम्बन्ध में

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश की अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की स्थिति बहुत दयनीय और चिन्ताजनक है। सरकारी अनुदान दिए जाने के बावजूद प्रबन्धकों पर कोई नियन्त्रण नहीं है। न्यायालय में कोई सुनवाई कानून के अभाव में नहीं होती लेकिन प्रबन्धकों को कानूनी अधिकार है कि वे सरकारी आदेशों को चुनौती दें। अनुदानित निजी शिक्षण संस्थाओं में भी "अण्डर पेमेण्ट" की प्रवृत्ति है ऐसी संस्थाओं को दण्डस्वरूप अनुदान बन्द किया जावे तो कर्मचारियों का ही नुकसान है, प्रबन्धकों को कोई दण्ड नहीं। सरकार अनुदान नियम "4-बी" के रहते हुए भी केवल मूल वेतन और महंगाई भत्ते पर ही अनुदान देती है। मकान किराया, चिकित्सा, नगरीय आवास, पेन्शन, ग्रेच्युटी आदि पर अनुदान दिया ही नहीं जाता। जनहित याचिका के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय एवं अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्रकाश चतुर्वेदी बनाम राज्य सरकार के मामले में केस नम्बर 443 तथा 2027 एवं 5735 में कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय हो चुके हैं। 6 मई को राज्य सरकार की सुप्रीम कोर्ट में हार हुई। 9 सितम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। भला यह कैसी सरकार है जो राम, रोटी और समानता का चुनावी नारा लगाती है किन्तु कर्मचारियों के समानता के अधिकार छीन कर रोटी से मोहताज कर रही है ?

वैधानिक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे शिक्षाकर्मियों पर शिक्षा दिवस पर इस सरकार ने लाठियां बरसाई। अश्रु गैस के गोले बरसाए गए। उस दिन तो यदि इनके सुरक्षाकर्मियों के पास स्टेनगन होती, तो न जाने कितने शिक्षकों को भून दिया जाता। राम मन्दिर (व्यवधान)....

श्री मदन दिलावर : श्री राम मन्दिर बोलें, राम मन्दिर नहीं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : राम मन्दिर निर्माण के लिए बलिदान की कसमें खाने वाले रामविहीन हो चुके हैं। शिक्षक दिवस पर जिस बर्बरता का नंगा नाच शासन सचिवालय के सामने हुआ, उसने तो अंग्रेजों के दमनात्मक कारनामों को भी लांघ दिया। इस शर्मनाक घटना पर न तो अभी तक माननीय मुख्य मंत्री, न ही गृह मंत्री और न ही शिक्षा मंत्री ने माफी मांगी और न ही खेद प्रकट किया।

श्री हरिकुमार औदिच्य : इसमें लिखा हुआ पढ़ रहे हैं क्या ? इसमें शिक्षा मंत्री का नाम तो कहीं नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : शिक्षा मंत्री का नाम एक्सपंज कर दीजिए।

9 सितम्बर को अनुदानित निजी शिक्षण कर्मियों को संघर्ष समिति से मांगों के बारे में जो वायदे किए उसका कोई लिखित प्रभाव नहीं। मुख्य मंत्री जी सदन को बतावें कि शिक्षकों के साथ 9 सितम्बर

(२)

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

को हुई वार्ता के निर्णय क्या हैं ? कब तक उन निर्णयों को लागू करने का विचार रखते हैं, वरना उनका 9 सितम्बर का सारा घटनाक्रम क्या नाटक था ?

यहां यह भी उल्लेखित कर रहा हूं कि विपक्ष के नेता के रूप में मुख्य मंत्रीजी ने बहुत से वायदे किए थे, वह कहते थे कि हम होते तो कभी इनकी मांगें मान लेते। राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में मंहगा वकील करके केस लड़ा और हारे। फिर राज्य सरकार ने कर्मचारियों के विरुद्ध एक और अपील की। कांग्रेस ने शिक्षा विधेयक पारित कराया जिसमें शिक्षकों के शोषण को रोकने, सेवा सुरक्षा प्रदान करने, उन्हें पूरा वेतन देने आदि के प्रावधान किए गए। ये उसे अटकाये हुए हैं क्योंकि इनको डर है कि इनकी समर्थक भारतीय शिक्षा समिति द्वारा संचालित सैकड़ों स्कूल कर्मचारी प्रबन्धकों के कब्जे से निकल जायेंगे इसलिए ये उनको सुरक्षा नहीं देना चाहते। जन-कल्याण गाय की खाल ओढ़ लेने से नहीं होता उसके राम को अपने अन्दर जागृत करना पड़ता है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि दिनांक 18 फरवरी, 1992 को सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिए हैं कि अनुदानित निजी शिक्षण संस्थाओं में सरकारी संस्थाओं के समान वेतन भत्ते लागू करें और न्यायालय ने साथ ही यह भी आदेश दिए हैं कि इन निर्देशों का पालन चार सप्ताह के अन्दर हो जाना चाहिए।

उक्त सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से ग्यारह सौ विद्यालयों के करीब एक लाख शिक्षक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त 52 अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षक व कर्मचारी भी इससे लाभान्वित होंगे।

उक्त निर्णय की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से उपस्थित अटार्नी जनरल ने न्यायालय को अवगत कराया कि न्यायालय के समक्ष पूर्व में उनके द्वारा कही गई बात गलत थी, नियमों को संशोधित किए जाने का उल्लेख उन्होंने गलत किया था। इस पर न्यायालय ने अपने पूर्व के आदेश में "संशोधित नियमों" के उल्लेख को हटाते हुए निर्देश दिए कि अटार्नी जनरल चार सप्ताह के अन्दर शपथ-पत्र प्रस्तुत करें कि भत्तों से सम्बन्धित आदेश का पालन किया जा चुका है या नहीं ?

आशा है राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसार निजी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान भत्ते देने का आदेश प्रसारित करेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी मौजूद हैं। सर्वोच्च न्यायालय के चार सप्ताह का निर्देश देने के बाद इनका क्या मानस बना है यदि यह स्पष्ट करें तो इससे शिक्षकों का लाभ होगा और कम से कम सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिया है उसके बारे में सरकार क्या करने जा रही है ?

श्री हरिकुमार औदिच्य (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह अनुदानित

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

संस्थाओं का जहाँ तक मामला है मेरे ख्याल से कल्ला साहब को पूरी जानकारी है, 40 वर्षों तक उन्होंने इस मामले को उलझाए रखा। जो अनुदानित संस्थाओं में इस हाउस रेंट, ग्रेच्युटी, पेन्शन के बारे में नियम "4–बी" के अन्तर्गत अनुदानित संस्थाओं के नियम बने हुए हैं उसको बदलना पड़ेगा। 3 साल तक आपने इसके ऊपर विचार किया नहीं अब दो साल में हमने इसके ऊपर विचार किया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : कोई विचार नहीं किया है, उपाध्यक्ष महोदय, फालतू की बात कर रहे हैं। हमने तो शिक्षा विधेयक इसी सदन में पारित करवाना है और यह राष्ट्रपति के दस्तखत नहीं करवा सके।

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप उनको स्टेटमेंट देने दीजिए।

श्री हरिकुमार औदिच्य : आपका भी हाथ था, हमारा भी हाथ था, मेरा भी हाथ था केवल यह उस बात का श्रेय नहीं ले सकते। वह सदन का एकमत फैसला था विधेयक पास कराने का यह बात कल्ला साहब को याद होगी। जहां तक इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कही है 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है मैंने तीन दिन पहले उसकी कापी मंगा ली है उसके ऊपर जांच कर रहे हैं और शीघ्र ही उस फैसले के अनुसार कार्य करने का हम प्रयास करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरण सिंह जी।

राजस्थान पत्रिका के कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय लोकतंत्र के चौथे प्रहरी के एक अंग राजस्थान पत्रिका के समर्थक एवं राज्य की भा. ज. पा. सरकार के मुख्य पत्र राजस्थान पत्रिका में पिछले डेढ़ माह से वहां कार्यरत कर्मचारी अपनी जायज मांगों के लिए जयपुर-कोटा-बीकानेर शाखाओं के 200 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उनकी जायज मांगों के लिए जारी संघर्ष को कुचलने के लिए जिस तरह सरकार अखबार मालिकों का साथ दे रही है, यह अत्यन्त शर्म की बात है। यह इस बात का प्रमाण है कि वर्तमान सरकार किस तरह किसी को एक पक्ष से मदद करती है।

राजस्थान पत्रिका के कर्मचारियों ने इसके 36 साल के इतिहास में पहली बार 27 नवम्बर, 1991 को एकजुट होकर यूनियन का गठन किया लेकिन जिस संस्थान में प्रबन्धकों ने निरंकुश होकर कर्मचारियों का बेतहाशा शोषण किया हो, उन्हें कर्मचारियों का एकजुट होना व यूनियन बनाना बहुत बुरा लगा, उसको खतम करने की कोशिश की और यूनियन के सदस्यों पर तेजी से दमन चक्र चलाया गया। 29 नवम्बर, 1991 से सप्ताह भर में कर्मचारियों के अध्यक्ष रामपाल शर्मा व महासचिव हरि नारायण शर्मा सहित कार्यकारिणी के छः सदस्यों का विभिन्न शाखाओं में स्थानान्तरण कर दिया गया ताकि यूनियन टूट जाये। यह प्रक्रिया शुरू कर दी गयी और कर्मचारियों को अनेक प्रकार से डराया धमकाया और यूनियन

(74)

(श्री रामकरण सिंह)

को तोड़ने की धमकी दी गयी। हर प्रकार से सरकार की सहायता लेकर कर्मचारियों को तंग किया गया। कर्मचारियों को आतंकित करने के उद्देश्य से संगठन मंत्री श्री नाथूलाल शर्मा सहित तीन सक्रिय सदस्यों को निलम्बित कर दिया गया और रात्रि को जब वह शान्ति से अपना अनशन कर रहे थे तो गोपीनाथ शर्मा को कर्मचारियों के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखवाने एवं अन्य कारण बता कर उनको तंग किया गया और कानूनी कार्यवाही के बाद उन्हें पुन: वहां से हटा दिया गया। उन पर इसी तरह से अन्य प्रकार से दबाव देकर कि आप इस तरह से जो हड़ताल कर रहे हैं वह उचित नहीं है। हम आपको हर तरह से तंग करके और डरा धमका कर आपको अपने अण्डर में लेंगे और इस यूनियन को तोड़ेंगे।

संघ के रजिस्ट्रेशन में बाधाएं उत्पन्न की गयी। कोटा के संगठन रजिस्ट्रेशन की फाइलें श्रम आयुक्त ने जयपुर मंगवा ली, जबकि उन्हें इसका कोई अधिकार नहीं था। बाद में श्रम आयुक्त के कार्यालय पर धरना देने पर यूनियन का रजिस्ट्रेशन किया गया। श्रम आयुक्त ने यह कार्यवाही मुख्य मंत्री के निर्देशानुसार की है, ऐसी जानकारी हुई है।

इस प्रकार की दमनात्मक कार्यवाहियों में सक्रिय सदस्यों का स्थानान्तरण कर दिया गया और झूठे मामलों में फसाने की कार्यवाही की गयी। अन्तत: यूनियन को अपने सदस्यों को इस दमन चक्र से सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ पाकर हड़ताल जैसा कठोर कदम उठाने को बाध्य होना पड़ा और 17 जनवरी, 1992 से कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन तथा दमनात्मक कार्यवाहियों को बन्द करने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। प्रबन्धक यूनियन से वार्ता कर समस्या का समाधान करने के बजाय प्रशासन एवं पुलिस से मिली-भगत कर आन्दोलनरत कर्मचारियों को हर तरह से परेशान किया जा रहा है। और आन्दोलन को कुचल रहे हैं। यूनियन में शामिल सभी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की योजना बना ली गई है तथा नई भर्ती की जा रही है।

13 दिसम्बर, 1991 को कर्मचारी संघ ने प्रबन्धकों के समक्ष एक मांग पत्र रखा, जो कानूनी सही था एवं जिसमें श्रम कानूनों के तहत विभिन्न सुविधाओं की मांग की गयी थी। जिनमें प्रमुख थी—(1) 240 कार्य दिवस पूर्ण होने पर कर्मचारियों को स्थायी करना (2) अतिरिक्त कार्य का भुगतान करना (3) साप्ताहिक अवकाश को कार्य पर बुलाने पर पाबन्दी होनी चाहिए। (5) नियुक्ति–पत्र की मांग थी। (5) कर्मचारियों से घरेलू कार्य लेने पर पाबन्दी लगायी जाये (6) आधुनिक छपाई तकनीक में प्रयुक्त जहरीले रसायनों से कर्मचारियों की मौत हो सकती है, उसकी सुरक्षा की जाये (7) मध्यान्तर की मांग भी थी इसमें। इन मांगों पर विचार करना तो दूर रहा प्रबन्धक समझौता अधिकारी के समक्ष वार्ता के लिए भी नहीं आये और उपस्थित नहीं हुये। अन्तत: समझौता अधिकारी ने असफल वार्ता प्रतिवेदन राज्य सरकार को

(श्री रामकरण सिंह)

प्रेषित कर दिया जबकि यह कानूनी स्वतः ही गलत रहता है। विशिष्ट शासन सचिव एवं श्रम आयुक्त श्री राजेश्वर प्रसाद तिवाड़ी ने प्रबन्धकों की हठधर्मिता का पक्ष लेते हुये एक तरफा निर्णय देते हुए मांग-पत्र की छः मांगों को गैर कानूनी घोषित करके और इस हड़ताल को गैर कानूनी घोषित करने के आदेश दिये। जबकि न्यायालय में प्रेषित होने वाले मामले वर्षों से लम्बित रहते हैं। लेकिन श्रम आयुक्त महोदय, दूसरे अधिकारी इसमें तत्काल पक्ष लेकर और पत्रिका के प्रबन्धकों का सहयोग करने की नियत से जल्दी से इस निर्णय पर पहुंचे। प्रबन्धकों को दमनात्मक कार्यवाही वापस लेने के लिए पाबन्द करने की मांग जो बहुत ही वाजिब थी, श्रम आयुक्त ने स्पष्ट शब्दों में मुख्य मंत्री के आदेशों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुये अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य थोड़ा संक्षिप्त कीजिए। आपने दो हजार शब्दों का दे दिया, पांच सौ शब्द होते चाहिए।

श्री रामकरण सिंह : बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं साहब। यूनियन पदाधिकारी तथा विभिन्न श्रमिक संघ मंत्री के प्रतिनिधि, श्रम मंत्री से मिले और कर्मचारियों को न्याय दिलाने की मांग की। लेकिन श्रम मंत्री ने भी श्री शेखावत और श्री कुलिश के रिश्तों के कारण अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी और जब जन सम्पर्क मंत्री श्रीमती विद्या पाठक से मिले, माननीय नेताओं से मिले लेकिन नेताओं ने भी श्री कुलिश और मुख्य मंत्री के आपस के गठजोड़ की वजह से हिम्मत नहीं की और उन्हें साफ कह दिया कि इसके बीच में हम नहीं पड़ेंगे।

पुलिस प्रशासन तो इस तरह से व्यवहार कर रहा है जैसे राजस्थान पत्रिका के सुरक्षा गार्ड हों। पत्रिका प्रबन्धक जिस तरह पुलिस का उपयोग कर रहे हैं। वैसे तो राजस्थान सरकार स्वयं के हित में भी नहीं करती जितना काम पुलिस, राजस्थान पत्रिका के पक्ष में करके इस यूनियन के संघर्ष को तोड़ना चाहती है। किसी सरकारी मामले में भी इतनी ज्यादा तत्परता नहीं दिखती। गुप्तचर पुलिस भी अपना काम कर रही है। यहां के एस.पी. ने भी और डी.एस.पी. श्री शर्मा ने भी पूरी तरह उनको कुचलने का बीड़ा उठा रखा है। 19 जनवरी, को धरने पर सोये हुये 14 धरनार्थियों को रात्रि के एक बजे उठाकर थाने ले गई उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। यह शर्म की बात है। झूठे मुकदमें बना दिये गये, टेण्ट व सामान उठा कर ले गये, तथा बेनर झण्डे फाड़ दिये गये और चाहे जैसे अनरगल गालियां दी गयी। धरने पर लोगों को बराबर धमकियां देते रहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऐसे आदमी के खिलाफ जो पत्रिका का मालिक है और एक बहुत बड़ा पत्र है, उसके खिलाफ यदि तुम लोगों ने ऐसा किया तो तुम लोगों को शायद हो सकता है जान से हाथ धोना पड़े। इस तरह की पाबन्दी और धमकी देना यह इस युग में वाजिब नहीं है। यह श्रम विरोधी नीति है जिसके लिए मैं

(श्री रामकरण सिंह)

कहना चाहूंगा कि मोजूदा वर्तमान सरकार अगर इनकी मदद नहीं करती है तो हम यह कहेंगे कि यह बिल्कुल पूंजीपतियों और उद्योगपतियों और दूसरे लोगों का पक्ष लेती है और गरीबों के खिलाफ है और गरीबों को तंग करती है।

लेकिन पुलिस प्रशासन ने हड़ताली कर्मचारियों पर ही मुकदमें दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जबकि राजस्थान पत्रिका के प्रबन्धकों एवं असामाजिक तत्वों, जिन्होंने कर्मचारियों को बुरी तरह तंग किया, खदेड़ा और उनको बेइज्जत किया उनको कुछ भी नहीं कह रही है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों को डराने धमकाने तथा रात्रि में प्रबन्धकों के साथ राजस्थान पत्रिका कार्यालय में ले जाकर उनको चाहे जैसा ताड़ना देना यह आज के इस युग में पुलिस और प्रशासन को शोभा नहीं देता। इसका प्रमाण है कि 20, फरवरी को पुलिस उप निरीक्षक, श्री नन्नेसिंह ने अपने थाने के इन्चार्ज व अन्य लोगों के साथ प्रात: 5 बजे कर्मचारी संघ के बेनर-झण्डे फाड़ दिये, कर्मचारियों का सामान ले गये और गिरफ्तार कर लिया और उन्हें भूखा प्यासा रखा गया। पुलिस की इस कार्यवाहियों के खिलाफ तथा कर्मचारियों को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए कर्मचारी जिला पुलिस अधीक्षक, उप महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक सबके यहां गुहार की लेकिन किसी भी अधिकारी ने एक ऐसे समाचार पत्र के खिलाफ कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं दिखाई। वर्तमान सरकार का डर दिखाकर पुलिस अधीक्षक श्री जैन ने यहां तक कहा कि हमने विशेष आदेश से राजस्थान पत्रिका के आसपास धारा 144 लगा रखी है। अत: वहां धरना–प्रदर्शन करना गैर कानूनी है।

(1.00 म.प.)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। माननीय रामकरण सिंह जी, बिराजिये। सारा आ चुका है इसमें। You have complited all the versons.

श्री रामकरण सिंह : थोड़ा सा है।

श्री उपाध्यक्ष : अन्तिम बोल दीजिये आप।

श्री रामकरण सिंह : नहीं, यह तो अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : 295 लिमिटेड है।

श्री रामकरण सिंह : बहुत सम्मानपूर्वक कहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने सारे तथ्य कह चुके हैं। बिराजिये। इसको कन्क्लूट कर दीजिये।

श्री रामकरण सिंह : थोड़ा और पढ़ने देते।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, इसको कन्क्लूड रक दीजिये आप।

श्री रामकरण सिह : हां, बहुत जल्दी कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां जल्दी कीजिये।

श्री रामकरण सिह : दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हम आपको एक मिनट देंगे।

श्री रामकरण सिह : इस तरह की कार्यवाहियां स्पष्ट करती हैं कि एक समाचार पत्र की श्रमिक विरोधी गतिविधियों को वर्तमान सरकार किस तरह आश्रय दे रही है। एक ऐसे संस्थान के कर्मचारी जो हमारी बातों को जनता के सामने, जनता की समस्याओं को हमारे सामने रखने का कार्य करते हैं, स्वयं अखबार मालिकों के शोषण का शिकार हो रहे हैं और मुख्य मंत्री इस काम में अखबार मालिकों का साथ दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में वे कर्मचारी न्याय पाने के लिए कहां जावे।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप। माननीय श्री मदनलाल सैनी।

(समय–समाप्ति–सूचक–घंटी)

श्री रामकरण सिह : ऐसा नहीं है। मुख्य मंत्री महोदय को इन सबसे सहानुभूति रखनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। माननीय मदनलाल सैनी। माननीय रामकरण सिह जी, विराजिये। आपकी सारी चीजें आ गई हैं। आप विराजिये। आपने कम से कम 2000 शब्द पढ़ लिये। विराज जांइये। (व्यवधान) रिपीटेशन हो रहा है। आपने सारी बातें कह दी हैं। विराज जांइये आप।

सहायक अभियन्ता कार्यालय को समाप्त किये जाने के सन्दर्भ में

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा संचालन के प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत श्रीमान् सिचाई मंत्री का ध्यान झुंझुनू जिला सहायक अभियन्ता कार्यालय को समाप्त किये जाने के सन्दर्भ में आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, झुंझुनू जिला जहां मरुस्थली क्षेत्र है और लोगों की कल्पना है कि झुंझुनू जिले में केवल बालू रेत के टीले ही टीले है लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। झुंझुनू जिला जहां रेतीला क्षेत्र है वहां दूसरी ओर कल-कल निनाद करने वाले उदयपुरवाटी, खेतड़ी, नवलगढ़ तहसील के झरनों का क्षेत्र भी है। भूमिगत जल का स्तर धीरे-धीरे नीचे चले जाने के कारण इस जिले की तीनों तहसीलों में भी पानी का स्तर नीचे चला गया है। नदी-नालों व कुओं से होने वाली सिचाई पर इसका विपरीत असर हुआ और सिचाई की अव्यवस्था होने लगी। धन धान्य से परिपूर्ण यह क्षेत्र अकाल की चपेट में आने लगा। सिचाई के साथ-साथ यह पशुधन प्रधान क्षेत्र मवेशी के लिए पीने के पानी के लिए भी तरसने लगा है। आखिर राज्य सरकार को किसानों के लिए सिचाई के साधन उपलब्ध कराने व पशुओं को पीने

(श्री मदनलाल सैनी)

के पानी की व्यवस्था के लिए ध्यान देना पड़ा। इस जिले में बांध, एनीकट आदि का निर्माण कराने का कार्य प्रारम्भ किया जाए, इसके लिए सिंचाई विभाग का सहायक अभियन्ता कार्यालय जिले में सिंचाई योजनाओं के लिए स्थापित किया गया और निरन्तर इस क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा योजना बनाई गई जिससे जनता को लाभ हुआ।

मान्यवर, उदयपुरवाटी और खेतड़ी दोनों तहसील डार्क जोन क्षेत्र घोषित हैं क्योंकि भूमि का जल कम है। अब सिंचाई वर्षा व सिंचाई के बांध व तालाबों पर निर्भर करती है। उदयपुरवाटी तहसील में कुएं सूख गए हैं। पशुधन के पीने के पानी के लिए अब पोखर व तालाब शेष बचे हैं। गर्मियों में 5 7 किलोमीटर दूर तक पानी के लिए जानवरों को ले जाया जाता है।

हाल ही राज्य सरकार ने निर्णय लेकर झुंझुनू जिला सिंचाई उपखण्ड कार्यालय को बारां स्थानान्तरित कर दिया गया और उक्त कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर बारां भेज दिया गया है। यह निर्णय झुंझुनू जिले के साथ उपरोक्त परिस्थितियों में न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता।

पास ही में सीकर जिले में अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय के साथ-साथ दो सहायक अभियन्ता कार्यालय हैं जबकि सिंचाई की आवश्यकता, जल की उपलब्धता भूमि की उर्वरकता की दृष्टि से झुंझुनू जिले में सिंचाई का सहायक अभियन्ता कार्यालय होना अति आवश्यक है। यह कोई न्याय नहीं कहा जा सकता कि समान परिस्थिति वाले एक क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो और दूसरे क्षेत्र में व्यवस्था के नाम पर बड़ा शून्य हो।

सहायक अभियन्ता कार्यालय झुंझुनू से हटाये जाने पर किसानों में भंयकर विरोध है और न केवल सरकारी नीति के प्रति उनके मन में अविश्वास खड़ा हुआ है अपितु अपने भावी जीवन के आर्थिक पक्ष के सुचारू रूप से चलने पर सन्देह उत्पन्न होने लगा है।

मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर मांग करना चाहूंगा कि झुंझुनू जिले के सहायक अभियन्ता कार्यालय को बारां जिले में स्थानान्तरित किया गया है, उसको यथावत रखा जाय। यह झुंझुनू जिले का जो सहायक अभियन्ता कार्यालय है, यह न केवल झुंझुनू जिले का काम देखता है अपितु चूरू और झुंझुनू दोनों जिलों को मिलाकर एक सहायक अभियन्ता कार्यालय था। यह न होने से कठिनाई बढ़ेगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस कार्यालय को यथावत रखे जाने का आश्वासन दें।

श्री कैलाश मेघवाल (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने जो तथ्य सामने रखे हैं, मुझे लगता है कि यह जो निर्णय हुआ है, इस पर पुनर्विचार किया जावे और पुनर्विचार

(श्री कैलाश मेघवाल)

करने के बाद इन तथ्यों का सारा परीक्षण करने के बाद यदि पर्याप्त आधार होंगे तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि इस निर्णय को बदला जायेगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राशन के गेहूं व चीनी का पर्याप्त कोटा न मिलने सम्बन्धी

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री लक्ष्मी नारायण दवे, श्री फूलचन्द, प्रो. सांवरलाल, श्री शम्भू दयाल बड़गूजर, श्री चुन्नीलाल गरासिया, श्री मदन दिलावर, श्री रतनाराम चौधरी, श्रीमती तारा भण्डारी, श्री राजपाल सिंह शेखावत, सदस्य, विधान सभा प्रदेश को राशन के गेहूं व चीनी का पर्याप्त कोटा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर खाद्य एवं नागरिक रसद मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। माननीय श्री लक्ष्मी नारायण दवे।

श्री लक्ष्मी नारायण दवे (सोजत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राशन के गेहूं और चीनी का पर्याप्त कोटा नहीं मिलने के कारण माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। क्या माननीय मंत्रीजी कोटे की पूर्ति के साथ-साथ हर दुकान में भ्रष्टाचार हो रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह वक्तव्य होने के बाद पढ़ा जाता है। हां, आपका राइट रिजर्व रखते हैं।

श्री रामनारायण वर्मा : थैंक्यू सर।

श्री रामकिशोर मीणा (खाद्य एवम् रसद राज्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य सचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री लक्ष्मीनारायण दवे एवं अन्य 6 माननीय सदस्य राजस्थान विधान सभा द्वारा जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में सूचना निम्नानुसार है :

गेहूं : राज्य को भारत सरकार द्वारा पूर्व में प्रतिमाह लगभग 70,000 मैट्रिक टन गेहूं का आवंटन किया जा रहा था। गत सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, 91 में 75,000 मैट्रिक टन गेहूं का आवंटन किया गया लेकिन दिसम्बर, 1991 में इसे घटाकर 67,500 मैट्रिक टन कर दिया गया। जनवरी, 1992 में 72,500 मैट्रिक टन का आवंटन किया गया है और फरवरी, 1992 के लिए 75,000 मैट्रिक टन का आवंटन किया गया है। भारत सरकार को राज्य सरकार द्वारा दो लाख मैट्रिक टन गेहूं आवंटन करने की मांग की गई है और मासिक कोटे में वृद्धि करने हेतु खाद्य सचिव, स्वयं मेरे द्वारा और माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा भी पत्र भेजे गये

(श्री रामकिशोर मीणा)

हैं। लेकिन भारत सरकार द्वारा आवंटन में अपेक्षित वृद्धि नहीं की गई और मात्र 75 हजार मैट्रिक टन गेहूं का आवंटन किया जा रहा है जो प्रति यूनिट 1.700 किलोग्राम की दर से ही राज्य में वितरित किया जा सकता है। वर्तमान मे गेहूं के बाजार भाव ऊंचे चल रहे हैं और इस वर्ष असामयिक व अपर्याप्त वर्षा के कारण खरीफ की फसल अपेक्षाकृत कम हुई है जिसके फलस्वरूप गेहूं की मांग अधिक है।

माननीय उपाध्य महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने की दृष्टि से राज्य को डी.डी.पी., डी.पी.ए.पी. तथा आई.टी.डी.पी. ब्लाक का चयन करने का निर्देश दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा 122 ब्लाक का चयन किया जा चुका है और इन चयनित क्षेत्रों में अतिरिक्त दुकानें खोलने, अतिरिक्त राशनकार्ड जारी करने, अतिरिक्त वस्तुएं वितरित करने आदि के बारे में विस्तृत सूचना भारत सरकार को प्रेषित कर दी गई है। इन चयनित क्षेत्रों में भी अभी तक बढ़ी हुई गेहूं की मात्रा भारत सरकार द्वारा आवंटित नहीं की गई है। उक्त छः माहों में गेहूं की मांग की गई, केन्द्र सरकार द्वारा किया गया आवंटन तथा उठाये गये गेहूं का विवरण संलग्न सूची में अंकित किया गया है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की ओर से भेजे गए पत्र तथा स्वयं मेरी ओर से केन्द्रीय खाद्य मंत्रीजी तथा राज्य के सांसदों को भेजे गए पत्रों की प्रतिलिपियां संलग्न है।

चीनी : राज्य को भारत सरकार द्वारा औसतन 17 हजार मैट्रिक टन चीनी का आवंटन प्रतिमाह किया जा रहा है। यह आवंटन अक्टूबर, 1986 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर है। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को कई बार अनुरोध किया गया कि लेवी चीनी का आवंटन नवीनतम जनसंख्या 1991 के आधार पर किया जावे। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को यह अनुरोध किया गया है कि लेवी चीनी का आवंटन 500 ग्राम प्रति यूनिट की दर से किया जावे और वर्तमान आवंटन को बढ़ाकर 22 हजार मैट्रिक टन किया जावे। लेकिन भारत सरकार द्वारा मात्र 5 प्रतिशत की तदर्थ वृद्धि अगस्त, 1991 से मार्च, 1992 तक की अवधि में की गई है और अप्रेल, 1992 के कोटे में यह 5 प्रतिशत की वृद्धि अभी तक नहीं की गई है। चीनी का वितरण 425 ग्राम प्रति यूनिट की दर से किया जा रहा है क्योंकि आवंटित चीनी की मात्रा कम है, अतः जिला कलक्टरों को यह निर्देश दिये गये हैं कि वे चीनी की आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए इस मात्रा में आवश्यक कमी कर सकते हैं ताकि सभी उपभोक्ताओं को लेवी चीनी उपलब्ध हो सके। उक्त 12 माह में चीनी के आवंटन की सूचना संलग्न है।

भावों में वृद्धि : भारत सरकार द्वारा गेहूं, चावल तथा लेवी चीनी के मूल्यों में जो वृद्धि की गई है उसका विवरण संलग्न है। भावों में राज्य सरकार द्वारा कोई कमी किया जाना संभव नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय लक्ष्मीनारायण जी।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठन करने की जो व्यवस्था इन्होंने कायम की कि गेहूं और चावल व शक्कर ऐसे क्षेत्रों को चयनित करने के लिए राज्य सरकार को भी निर्देश दिए कि जो रेगिस्तानी इलाके हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों के लिए 122 ब्लॉक का राजस्थान में चयन किया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रमुख लक्ष्य सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने वाला होना चाहिए । दूसरा मूल्यों को स्थिर रखने वाला हो, फिक्स प्राइस होनी चाहिए और तीसरा विकासोन्मुख होना चाहिए।

भारतवर्ष की जनसंख्या 85 करोड़ के करीब है। जिसमें से 23 करोड़ की जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने एक तरफ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आवंटन की बात की तो दूसरी तरफ उन्होंने गेहूं, चावल और शक्कर में इसी प्रकार की बढ़ोतरी की। गेहूं में उन्होंने 46 रुपये प्रति क्विंटल और चावल के अन्दर उन्होंने 88 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की। इस प्रकार उन्होंने यह अहसास करवा दिया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो गरीब, अनुसूचित जाति और पिछड़े लोगों को जो सुविधा मुहैया करानी चाहिए वह आने वाले समय में केन्द्र सरकार उनको मुहैया नहीं करायेगी, यह इस बात को इंगित कर रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कई ऐसे क्षेत्र हैं जो अकाल से प्रभावित हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं । ऐसी विषम परिस्थितियों में जबकि अन्य वस्तुओं के भाव आसमान पर चढ़ रहे हैं केन्द्रीय सरकार ने घोषणा की कि हम 100 दिनों में मंहगाई कम कर देंगे। आज जुलाई से लेकर अब तक मंहगाई आसमान छूने लग गई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य बासमती चावल 1200-1900 से 1800-34 0 हो गया है। गेहूं बड़ा 275 से 400 प्रति क्विंटल प्रति क्विंटल हो गया है। बाजरा जो मोटा अनाज है 275–325 से 340–370 हो गया है। मक्का 325-370 से 385–470 हो गई है। वनस्पति पनघट 618 रु पर 67 रु. प्रति टिन की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह से तेल सरसों 500–560 रु. पर 85–95 रु प्रति टीन की बढ़ोतरी हुई है। गोले के तेल में 920 रु. पर 220 रु. प्रति टीन की बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार जुलाई से लेकर अभी तक जिस प्रकार राज्य सरकार ने 100 दिन में मंहगाई कम करने का वायदा किया था और अभी हमारे केन्द्र के वित्त मंत्री ने अभी 6 माह का समय और मांगा है कि 6 माह में महंगाई को कम कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : राज्य सरकार नहीं, केन्द्र सरकार ने।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवा) : यहां कोई सरकार है क्या ? क्या राजस्थान में कोई सरकार है ?

श्री भंवरलाल शर्मा (इंदिरा गांधी नहर मंत्री) : इन्तजार कीजिए, आपको दिखेगी। .

श्री रामनारायण वर्मा : जब इंदिरा गांधी नहर पर बात आये तब बोलना आप।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान को अगस्त माह तक 70 हजार मैट्रिक टन का जो आवंटन किया जाता था, सितम्बर, अक्टूबर व नवम्बर के अन्दर उसकी बढ़ोतरी कर 72 हजार टन किया गया। माननीय मुख्य मंत्री जी और खाद्य मंत्री जी ने जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की परामर्शदात्री की कमेटी हुई उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी राज्य सरकार की इस विषम परिस्थिति और अकाल प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.25 लाख मैट्रिक टन के लिए केन्द्रीय सरकार से मांग की थी, परन्तु उसकी पूर्ति नहीं करने के पश्चात् दिसम्बर माह के अंदर यह 70 हजार मैट्रिक टन से घटकर 67270 मैट्रिक टन अनाज दिया गया जिसके कारण आज राजस्थान के अन्दर इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 170 ग्राम अनाज है जो इस पिछड़े क्षेत्र में, अकाल से प्रभावित क्षेत्र में और आम उपभोक्ता और गरीब लोगों को सुलभ हो रहा है।

इसी प्रकार से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो चीनी का आवंटन 17 हजार मैट्रिक टन था उसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा 2 लाख टन की मांग की गई पर उसकी भी पूर्ति नहीं की गई जिसका परिणाम यह है कि मात्र 425 ग्राम चीनी मुहैया कराई जा रही है। इन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्यों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के तमाम माननीय सदस्य जो यहां उपस्थित हैं केन्द्रीय सरकार के ऊपर इस प्रकार का दबाव डालें और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया और मांग की कि राजस्थान को कम से कम 2 लाख टन गेहूं का आवंटन किया जाय और ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं तो 4 39 लाख टन का आवंटन किया जाय। मैं तमाम विपक्ष के माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि यहां विषम परिस्थिति है राजस्थान एक पिछड़ा इलाका है और हिन्दुस्तान के अन्दर हिन्दुस्तान में चाहे सड़क हो, बिजली हो, चाहे सिंचाई का मामला हो, सभी राज्यों में 4–5 राज्यों में राजस्थान है और राजस्थान के अन्दर अकाल की स्थिति है। यहां के लोग आदिवासी क्षेत्र से हैं, गरीब लोग हैं, पिछड़े हैं इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि यहां से एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को प्रेषित किया जाय और केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाला जाय कि राजस्थान के अन्दर 4.39 लाख टन गेहूं का आवंटन किया जाय और चीनी का भी आवंटन कम से कम 2 हजार मैट्रिक टन का किया जाय जिससे कि आम उपभोक्ताओं की जो आवश्यकतायें हैं वह पूर्ति हो सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो चीनी का आवंटन किया जा रहा है वह अक्टूबर, 1986 की जनसंख्या के आधार पर किया जा रहा है इसलिए मैं पुनः

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

निवेदन करना चाहूंगा कि चीनी के अन्दर भी बढ़ोतरी की जाय। अकाल की स्थिति है, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र और मेरा सोजत विधान सभा क्षेत्र एवं पाली जिले का रोहिट क्षेत्र अकाल से प्रभावित क्षेत्र हैं इसलिए ग्राम उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप और यहां की मांग के आधार पर और अकाल से प्रभावित क्षेत्र के आधार पर केन्द्रीय सरकार राजस्थान को और अधिक गेहूं का आवंटन करे और मैं राजस्थान सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो केन्द्र सरकार ने डी. डी. पी. की या डी. पी. ए. पी. की जो जानकारी चाही है और जो आपने यहां से भेजी हैं उसमें पाली की रोहिट पंचायत समिति और मेरे सोजत विधान सभा क्षेत्र का पश्चिमी इलाका और क्षारीय जमीन है और लगातार 5 वर्षों से अकाल से प्रभावित क्षेत्र रहा है इसलिए इस क्षेत्र को भी उस ब्लॉक के अन्दर सम्मिलित किया जाय, यह मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। श्री सांवर लाल जी (अनुपस्थित)

श्री फूलचन्द गुर्जर : साहब, मेरा नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, पहले माननीय श्री शम्भूदयाल जी बड़गूजर (अनुपस्थित) माननीय श्री चुन्नीलाल जी गरासिया (अनुपस्थित)

श्री फूलचन्द गुर्जर : साहब, मेरा नाम था पहले।

श्री उपाध्यक्ष : हां, हां। देखिये, पहले माननीय श्री मदन दिलावर (अनुपस्थित) श्री रतनाराम चौधरी (अनुपस्थित)

माननीय श्रीमती भारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान ने पिछले पांच-छः वर्ष के लगातार और शताब्दी के भीषणतम अकाल को भोगने के बाद 1990 में अच्छी बरसात देखी थी और वह अच्छी बरसात हमारे जोधपुर सम्भाग में अतिवृष्टि के रूप में आई थी। ऐसी भयानक बरसात हुई कि हजारों लोगों के मकान टूट गये, एनीकट एवं बांध टूट गये और जो पानी था वह सारा बह कर चला गया। विशेष तौर से सिरोही जिला, जो पहाड़ी ढलान वाला एरिया है वहां पर पानी टिकता नहीं और आज पुनः राजस्थान में अकाल की छाया में यह जिला आया हुआ है। हमारे जिले के कुओं की यह हालत हो गई है कि उन कुओं को अब जब बहुत गहराई तक खोदने लग गये हैं तो ढह जाते हैं और उन कुओं में सैकड़ों श्रमिकों की मृत्यु हो चुकी है। केवल इस डेढ़ साल में ही मेरे इलाके के शिवगंढ़ क्षेत्र में 4 कुए ढह गये और उनमें कितने ही श्रमिक अपनी जान को गंवा बैठे। इस प्रकार हमारा जो जल स्तर है उससे हमारे यहां सिंचाई के साधनों की बहुत कम उपलब्धता रह गई है। न ही कोई नहरी क्षेत्र है, न बांध है, न खेती का कोई उचित माध्यम है। इस कारण से हमारे जिले में हमेशा ही जब-जब अनाज की आवश्यकता हुई है, दूसरे जिलों से अनाज मंगाया जाता है। सिरोही जिले में उगे हुए अनाज से कभी भी सिरोही जिले की पूर्ति

(श्रीमती तारा भण्डारी)

नहीं हुई। वहां पर हमेशा ही टौंक, गंगानगर जिला, जयपुर इत्यादि से गेहूं, चावल मंगाया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के भीषण अकाल में जिस स्थिति में वहां का गरीब, वहां का काश्तकार रह रहा है, उनके घरों में जो अनाज था वह भी बिजाई में चला गया है। गेहूं की फसल अभी तैयार हो रही है। ऐसे समय में जब फसल तैयार हो रही है, बाजार दर में बहुत भारी वृद्धि हो गई है। बाजार में जो सामान मिलता है उसमें गेहूं व खाद्य सामग्री में प्रयुक्त होने वाला सामान तेल, घी इत्यादि है इन सब के भाव बहुत ही ज्यादा बढ़ गये हैं। यहां तक कि मोटा अनाज भी तीन रुपये से कम नहीं मिला। ऐसी परिस्थितियों में एक तो उचित मूल्य की दुकानों में जो सामान मिल रहा था गेहूं, चावल इत्यादि, उसका कोटा कम कर दिया गया, शक्कर का कोटा कम कर दिया गया। दूसरी ओर बाजार दर में इतनी भयंकर वृद्धि हो रही है कि अकाल की इस भीषणतम स्थिति में आदमी की क्रयशक्ति नहीं रह गई है और उन्हें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, विशेष तौर से आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी क्योंकि मैं एक महिला हूं, हमें ही रसोई का सामान लाना पड़ता है। किसी भी रूप में परिवार के सभी सदस्यों का पेट हमें भरना पड़ता है और उस परिस्थिति में हमारी हालत तब बिगड़ जाती है जब महीने के पन्द्रह दिन में ही हमारा बजट समाप्त हो जाता है, डिब्बे खाली हो जाते हैं और जब राशन की दुकानों पर पहुंचते हैं तो वहां भी पर्याप्त मात्रा में सामग्री नहीं मिलती। और तो और, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो महिलाओं का गुस्सा भी बहुत ज्यादा सहन करना पड़ता है। मैं आपको बिल्कुल हकीकत कहती हूं। जिस गांव में भी जाती हूं, महिलाएं दो बातें लाती हैं कि बहिनजी, आपने राशन की दुकानों का सामान भी बंद कर दिया। दस किलो गेहूं मिलता था उसकी जगह आज दो–तीन किलो गेहूं भी नहीं मिलता। मैं आपके और सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से भी यह अनुरोध करना चाहती हूं, महिलाओं की तरफ से विनती करना चाहती हूं कि राजस्थान के इस भीषणतम अकाल के समय में, राजस्थान की कठिन परिस्थितियों के समय में हमारा जो गेहूं का कोटा काट दिया है, हमारा जो कोटा चावल और चीनी का कम कर दिया है, इस कोटे में पहले से अधिक वृद्धि की जाय और वृद्धि करने की शक्ति केन्द्र सरकार की नहीं है तो कम से कम जितना पर्याप्त कोटा, हमारी मांग थी, हमें मिलता था, वह हमें दिलाया जाय और जो भी आज राशन की दुकानें हैं, नाम-मात्र की दुकानें हैं उन पर इन सामग्रियों की, गेहूं चावल, कपड़ा तेल इत्यादि जो भी रोज, प्रतिदिन, दैनिक उपयोग की हमारी चीजें हैं उनकी उपलब्धता कराई जाय। हम तो आपके माध्यम से यह अनुरोध ही कर सकते हैं कि हमारी कठिनाई है। परिवार के सदस्यों का पेट भरना हमारा कर्तव्य है और हमारे कर्तव्य पालन में बाधा न आये,

(श्रीमती तारा भण्डारी)

परिवारों में तनाव उत्पन्न न हो, इसके लिए उपयुक्त और उचित मूल्य की पर्याप्त सामग्री हमें दिलाई जाय। धन्यवाद

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए। माननीय श्री राजपालसिंह जी (अनुपस्थित)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, जो चीजें आज तक उपलब्ध नहीं हो रही थी वह सारी उपलब्ध करवाई जा रही हैं और कोटा पहले कितना था और अब कितना कम हुआ है यह बतायें तो सही। इनको कुछ पता तो है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए। मंत्री महोदय बतायेंगे। विराजिए आप।

श्रीमती तारा भण्डारी : सारा बताया है, आप सुनते तो हैं नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपको पता ही नहीं है।

श्रीमती तारा भण्डारी : हम को सब पता है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, आप बोलिये। आप सवाल पूछ लीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या बात करते हैं, माननीय सदस्यों को जानकारी नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : जैसा भर देते हैं वैसा आगे बोल देते हैं, ऐसे काम नहीं चलता। इनके मुख्य मंत्री जी बाड़मेर में प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते हैं और यहां अपने सदस्यों से बुराई करवाते हैं। यह चलेगा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए आप।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह तो आप मानते हैं कि इतना भ्रष्टाचार वितरण व्यवस्था में फैल रहा है कि गेहूं तो वहां शहर में ही बिक जाता है, गांवों में रिकार्ड तैयार किया जाता है। यह तो सही है ना ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिए।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यह ज्ञान नहीं, इन्होंने लोक सभा के चुनाव लड़े तब सौ दिन में महंगाई कम करने का कहा था। उस महंगाई को कम नहीं कर सके, उस पर रोक नहीं लगा सके बल्कि इन्होंने राशन की चीजों पर भी वृद्धि कर दी....
(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए।

श्री रामनारायण वर्मा : वह दो-दो बोल रहे थे इसलिए मैं बोल रहा था।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, जितना कोटा दिल्ली से राजस्थान को मिलता है उसका भी हिसाब दें मंत्री महोदय। जिलों में कितना जाता है, गांवों में कितना पहुंचता है और ब्लैक मार्केटिंग उसकी कितनी होती है। उसका भी जवाब आना चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह तो दुकानदारों की सरकार है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय श्री फूलचन्दजी गुर्जर।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चीनी और गेहूं के बारे में भारत सरकार ने जो हमारे साथ अन्याय किया है वह तो माननीय सदस्य ने बता दिया है कि राजस्थान का गेहूं का कोटा कम करके यहां की जनता के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है और इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कितनी बड़ी परेशानी पैदा हो गई है। लेकिन मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि एक तरफ तो गेहूं का हमारा कोटा कम हो गया है और दूसरी तरफ उसमें भयंकर अनियमितताएं भी हैं जिससे गांव वालों की बड़ी लूट हो रही है और इससे राशन की सामग्री मिलने की बजाय उनकी परेशानी बढ़ गई है। आज एक पंचायत में अगर पांच-छः हजार की जनसंख्या है उसको सौ बोरी दी जाती है, डेढ़ किलो एक व्यक्ति के नाम से गेहूं मिलता है और अगर एक परिवार में तीन सदस्य हैं तो एक आदमी को पूरे दिन भर लाइन में बैठने पर शाम को साढ़े चार किलो गेहूं मिलता है जबकि उसको मजदूरी बाइस रुपये है। इतना बड़ा उसके साथ अन्याय होता है कि आज वह आदमी डेढ़ किलो गेहूं से एक महीने खाना तो दूर रहा, केवल गेहूं को सूंघकर ही काम चला सकता है। इसके साथ-साथ और भी बहुत अनियमितताएं हो रही हैं। आज भी दूर-दराज के काफी गांवों की राशन की दुकानें बन्द पड़ी हुई हैं। पांच-छः महीने से ना वहां कोई सोसाइटी उनको चलाती है और ना प्राइवेट डीलर। इसलिये उन गांवों को तो राशन की व्यवस्था से बिल्कुल ही दूर कर दिया गया है। इससे भी बड़ी परेशानी हो रही है। इसके साथ एक भयंकर लूट हो रही है प्राइवेट डीलर्स और इनके साथ में, कि आज जो गेहूं लिया जाता है गोदाम से और राशन की उस दुकान तक, उसके किराये में इतनी अनियमितताएं हैं कि उसका किराया बढ़ाकर लिया जाता है। यानि पुराना किराया पांच-छः रुपये क्विन्टल के हिसाब से तय कर रखा है जबकि आज का किराया बारह तेरह रुपये क्विन्टल है। इसलिये उस किराये की अतियमितता के कारण से भी बड़ी लूट होती है। डीलर गेहूं कहीं से देते है। जैसे मैं अपने क्षेत्र की बात बता सकता हूं कि नीमकाथाना में गोदाम से राशन की दुकान तक गेहूं देने का प्रावधान है लेकिन जो डीलर है वह उनसे सीकर से किराया वसूल करता है और सीकर के गोदाम से उनको ले जाकर देता है। इसके साथ एक बहुत बडी अनियमितता और होती है कि वह किसी डीलर को, जो उनके प्रभाव में रहता है उसको दस-बीस दिन बुला कर गेहूं सीकर से ले जाकर उस स्थान तक पहुंचाते हैं। ना उसका कोई तोल है, ना उसका हिसाब है और दो-चार क्विन्टल तो तोल में ही घट जाता है। इससे भी बड़ी लूट हो रही है।

मैं इन सारी अनियमितताओं के साथ-साथ मंत्री महोदय से चार-पांच क्वेश्चन पूछूंगा और उनका मंत्री महोदय जवाब दें।

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

जैसे एक क्वेश्चन तो अभी पूछा था कि भारत सरकार को गेहूं का कोटा बढ़ाने का जो प्रस्ताव आपने भेजा था उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई और कार्यवाही नहीं हुई तो क्या इस सदन में सभी माननीय सदस्यों के द्वारा एक प्रस्ताव पास कर भारत सरकार को भेजा जा रहा है ? दूसरा मेरा प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दो हजार के मापदण्ड के अनुसार अतिरिक्त राशन की दुकान खोलने की क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्योंकि आज भी बहुत बड़े-बड़े गांव हैं जहां दस-दस, छः-छः, सात-सात किलोमीटर तक से दुकान तक पहुंचना पड़ता है। आपने यह आश्वासन दिया था कि 2000 पर खोलेंगे तो वह राशन की दुकानें कब खोलने जा रहे हैं और राशन के गेहूं के वितरण करने का क्या मापदण्ड तय किया है तथा गोदाम से दुकान तक पहुंचाने का क्या किराया भाड़ा तय किया हुआ है ? उक्त किराया भाड़ा आज के किराये दर से क्या सही है और यदि नहीं है तो इसको कब तक बढ़ाने जा रहे हैं ? जिन ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियां व प्राइवेट डीलरों द्वारा राशन वितरण की व्यवस्था नहीं है वहां क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ? जैसा कि माननीय तारा बहिनजी ने भी प्रश्न उठाया था कि पहले एक ऐसा प्रावधान था कि जो भी गरीब महिलायें ग्रामीण क्षेत्रों की होती हैं उनको प्रसूतिकाल में अतिरिक्त राशन की चीनी देने का प्रावधान था और शादी-विवाह में भी गरीब आदमियों को अतिरिक्त चीनी देने का प्रावधान था क्या मंत्री महोदय उस प्रावधान को दुबारा लागू करने जा रहे हैं ? पांचवां प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों में राशन वितरण का निश्चित समय नहीं होने तथा मूल्य सूची दुकानों पर नहीं लगाने तथा राशन कार्ड में मूल्य अंकित नहीं करने आदि की अनियमितताओं को दूर करने की क्या व्यवस्था की जा रही है ? आज भी राशन कार्ड में जो गेहूं दिखाया जाता हैं उसमें मूल्य नहीं दिखाया जाता है और उपाध्यक्ष महोदय सबसे बड़ी अनियमितता है वह यह है कि गांवों में राशन वितरण का समय तय नहीं है और डीलर्स महीने में कोई भी एक दिन घोषणा करके दुकानें बन्द कर देते हैं इससे सबको मालुम नहीं पड़ता....

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल चुके हैं।

श्री फूलचन्द गुर्जर :....तो क्या उनका कोई समय तय कर रहे हैं ?

इसके अलावा मेरा प्रश्न यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में राशन प्रणाली के तहत कौन-कौनसी सामग्री देने का प्रावधान है, ब्योरेवार बतायें। केवल आज तक गांवों में गेहूं और चीनी ही मिलती है। न उनको तेल मिलता है, न चावल मिलता है। तो आपने क्या मापदण्ड तय कर रखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यह चीजें देने का प्रावधान है और यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल मात्र चीनी और गेहूं का ही वितरण किया जाता है। तेल, चावल आदि का वितरण नहीं होता है तो इसमें क्या सुधार करने जा रहे हैं? यह कुछ प्रश्न हैं और इनका जवाब माननीय मंत्री महोदय दें और अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि एक तरफ तो राशन कम और दूसरी

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

तरफ अनियमिततायें हैं इनको दूर करें और किराये भाड़े की दर नहीं बढ़ेगी तो राशन की दुकानों में लूट चलती रहेगी। इसको तुरन्त बढ़ायें। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमृतलाल परमार।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं कुछ बोलना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : इनके बाद आपको बुला देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : धन्यवाद।

श्री अमृतलाल परमार (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी प्रश्न इसी से सम्बन्धित है। हमारे बाली क्षेत्र के अन्दर कुल मिलाकर जो माननीय ताराजी ने प्रश्न खड़ा किया है इसी के निमित्त हम भी आते हैं। हमारी हालत यह है कि घासलेट का कोटा 5 लीटर का है और मिलता है दो-दो लीटर। 10 का है तो 5 और 5 का है तो दो मिलता है हमारे एरिया के अन्दर। इसकी कोई सुविधा नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : आप सवाल पूछ लीजिये।

श्री अमृतलाल परमार : ....और वहां का जो डीलर है वह इतनी बदमाशी करता है कि जहां 6 ट्रक पास होते हैं घासलेट के वहां हमारे यहां सिर्फ 3 आते हैं और इसी प्रकार वहां का जो डीलर है वह अपनी मनमानी करता है और वहां का जो आफिसर है वह भी मनमानी कर रहा है। मैं आपको नाम बताने को तैयार हूं। वह मनमानी इतनी करता है कि जिसको वह चाहे उसी को कोटा मिलता है। उसकी मनमानी पर सारे कार्य होते हैं। इसका इलाज होना चाहिये और इसका अविलम्ब इलाज होना चाहिये। वहां की हालत खराब है। जो मेरा गिरासिया इलाका है पहाड़ी एरिया है वहां तो घासलेट मिलता ही नहीं है। गेहूं मिलता ही नहीं है। वहां लोगों के भूखों मरने की नौबत आ रही है। इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए। हम इसकी आप से मांग कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। श्री प्रद्युम्न-सिंह।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष : यह जनरल नहीं है। बोल चुके हैं। काफी बहस हो चुकी है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं का मामला है इसलिए बोलने दो। महिलाओं को आखिर बोलना पड़ता है बोलने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर—बिराजिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार से राज्य को खाद्यान्न का जो कोटा आवंटन हुआ है उसके सम्बन्ध में यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। दिल्ली के अन्दर बी.जे.पी. के सांसदों ने और विधायकों ने इस बारे में प्रदर्शन और धरना दोनों दिये थे और

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

इस सारे मामले को मेरी समझ में राजनीति से जोड़ने की चेष्टा की जा रही है। मेरा राज्य सरकार के ऊपर आरोप है....

कुछ माननीय सदस्य : यह राजनीति है क्या ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : ....हां, हां जब राजनीति की बात है तो राजनीति से उत्तर देना पड़ेगा और राजनीति से सवाल पूछना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें राज्य सरकार का दोष इसलिए है कि राज्य सरकार को जो गेहूं का आवंटन किया गया था राज्य सरकार इनएफीशियेन्सी के कारण उस गेहूं के कोटे को लिफ्ट करने में असमर्थ रही.... (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : गलत बात है। भारत सरकार की गलती छिपाने के लिए असत्य बोल रहे हैं आप।....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज.... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो माननीय मंत्री महोदय मुझे करेक्ट कर दें और फिगर्स दे दें कि....

श्री उपाध्यक्ष : मिल जायेगा जवाब।

श्री प्रद्युम्नसिंह : बात तो कहने दीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, आप क्यों एजीटेटेड हो रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : फरमाइये, फरमाइये आप।

श्री प्रद्युम्नसिंह : तो आप कृपया सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : हां, मैं सुन रहा हूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : तो आप कृपया सुनिये। आप अगर एजीटेटेड होंगे तो बड़ी मुश्किल हो जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : मैं कभी नहीं होऊंगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : तो फिर आप आराम से बैठिये उपाध्यक्ष महोदय। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अपनी एफीशियेन्सी को आप छिपा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सत्य बड़ा कड़वा होता है इसलिए सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके स्टेट वेयरहाउसिंग के गोडाउन और दूसरे गोडाउन्स जो स्टेट के अन्दर एफ. सी. आई. के बने हुए हैं सब खाली पड़े हुए हैं। आप यह प्ली नहीं ले सकते कि हमारे पास स्टोरेज की केपेसिटी नहीं थी। होता उपाध्यक्ष महोदय यही है कि जब आप कोटा लिफ्ट नहीं कर पाते हैं तो केन्द्र सरकार यह सोचती है कि आपको आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपको आवंटन कम किया जाता है। इसलिए आप केन्द्र सरकार के ऊपर यह दोष लगाना चाहें तो यह उचित नहीं है। इस सारे काण्ड के लिए सारी बातों के लिए राज्य सरकार दोषी है। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप कृपा कर फिगर्स दे दीजिए कि पिछले दो सालों में कितना गेहूं का कोटा आवंटन हुआ है और अन्य चीजों का कितना हुआ और पाम आयल का कितना कोटा आवंटन हुआ है और आपको जो चीजें मिली हैं उसमें से आपने

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

कितनी लिफ्ट की है, यह ब्योरेवार आप बता दें तो आपकी कलई उसके अन्दर ही खुल जायेगी। यही मेरा विवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा। ....(व्यवधान)

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक-दो सवाल पूछूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : हां, हां सवाल पूछ लीजिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, हमको बोलने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं ?

श्री रामनारायण वर्मा : मैं तो बी. जे. पी. की तरह भाषण देना नहीं जानता।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज....सवाल पूछ लीजिये....(व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हमारा है, जवाब हमको मिलना नहीं है। यह व्यवस्था का प्रश्न है....(व्यवधान)

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पहला सवाल है 1990–91 में राशन की दुकानों में कितनी दफा चैंकिग की गई और चैंकिग की गई तो क्या-क्या गड़बड़ियां मिलीं ? दूसरा मेरा सवाल है कि गांवों में कमेटी बनाने की बात तो सरकार करती है लेकिन किसी भी गांव में इफेक्टिव कमेटी है क्या ? तीसरा सवाल मेरा है कि फेमिन इफेक्टेड तहसील जैसे नैनवा है तो नैनवा में जाने वाले गेहूं के कोटा में से 80 प्रतिशत वह दुकानदार जो कि इनकी पार्टी के बिल्ले लगाये फिरते हैं 80 प्रतिशत ब्लैक करते हैं और पैसा कमा रहे हैं और उनको सरकार बचाती है और एफ. आर. लगी है लाखेरी थाने में। इसलिये इस तरह के जो काण्ड हैं वह सारी की सारी बातें रखवा दीजिये, सारी बात खुल जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये–श्री महावीर प्रसादजी जैन....(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद के समय ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की परम्परा न होना

श्री केदारनाथ शर्मा : पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर। मान्यवर, आज तक इस सदन की ऐसी परम्परा रही है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर ही बहस हुआ करती है और एडजर्नमेंट मोशन के बाद होता यह है कि धन्यवाद प्रस्ताव मूल होता है, सेकिण्ड होता है और अपोजीशन लीडर उस पर अपनी डिबेट इनीशियेट करते हैं। इसके बीच में कोई काल अटेन्शन आज तक नहीं आया। क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने एनलिस्ट कर दिया और हम भी इसको विवाद का प्रश्न नहीं बना सकते क्योंकि यह ऐसी डिबेट है अकाल पर और पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम पर सारी डिबेट का जो मेन पोर्शन, जो कौर है यह डिबेट ही समाप्त हो जायेगी फिर राज्यपाल के अभिभाषण के

(श्री केदारनाथ शर्मा)

बाद कोई रिलेवेंस नहीं रह जाता। जो माननीय सदस्य का राइट है मैं उनको करटेल नहीं कर रहा। जो राइट है वह एनलिस्ट हो गया। अध्यक्ष महोदय ने इजाजत दे दी इनिसियेट हो गया। डिबेट शुरू हो गई मैं उसको करटेल नहीं कर रहा। मगर यह बहुत गलत परंपरा है। इसलिये मैं आपके मार्फत अपना प्रोटेस्ट रेजिस्ट कर रहा हूं यह बहुत गलत परम्परा भी आज तक नहीं रही और सारी डिबेट को डाइल्यूट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए यह किया गया। इसलिए मेरी यह आपत्ति है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : माननीय महावीर प्रसाद जैन।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : यह एक अहम सवाल है जिसको राजनैतिक रूप देने का श्री प्रद्युम्नसिंह जी प्रयास कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्न कर लीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह फैक्ट है कि राजस्थान में गेहूं की और चीनी की जो मांग ज्यादा है उसके मुकाबले आवंटन नहीं हो रहा है आज जो केन्द्र सरकार के नार्म पर यह प्रयत्न करें कि वह आवंटन हुआ है और सरकार ने नहीं उठाया है, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह दो-तीन महीने ऐसे हैं जिसमें भयंकर रूप से अभाव की स्थिति रहती है तो क्या राज्य सरकार अपने प्रभाव का उपयोग केन्द्र सरकार पर दबाव डालकर पुख्ता इन्तजाम करेगी कि लोगों को 8–10 किलो गेहूं और चीनी तो कम से कम उपलब्ध हो सके। दूसरा, जो उपलब्ध हो रहा है, क्या मंत्री महोदय के ध्यान में है, कई जिले ऐसे हैं जहां 3-3, 4-4 महीनों में किसी प्रकार का राशन वितरण नहीं हुआ है इसके लिए क्या कोई प्रभावी कदम उठाया है, टोंक जिले में भी और क्या कारण है कि पिछले 4 महीने से किसी प्रकार का वितरण नहीं हुआ है। आगे समय पर वितरण हो, समय पर लोगों को राशन मिले और सब प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध रहें और जो नार्म्स हमने बनाये हैं 2 हजार की पापुलेशन पर एक दुकान हो, इस सब की कब तक व्यवस्था हो जायेगी और यह सारा सिस्टमेटिक ढंग से और इसके लिए कोई उत्तरदायित्व तय नहीं करेंगे तब तक असन्तोष ज्यादा होगा। इसलिए आपके मार्फत यही निवेदन है कि समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर इन दो-तीन महीनों की आवश्यकता जिस समय है उस समय हमको विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसमें मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले जवाब देने दीजिए। जवाब आने के बाद जो आप चाह रहे हैं वही आ रहा है।

(1.42 म. प.)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, बोलिये आप।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इसको दो बजे समाप्त करना चाहता हूं उसके बाद गवर्नर एड्रेस पर बहस शुरू हो जाएगी इसलिए कृपया इसमें ज्यादा समय नहीं लें।

डा. चन्द्रभान : पाइण्ट ऑफ आर्डर। आपने यह व्यवस्था दी थी कि अकाल के विषय में चर्चा का मौका देंगे और आप कह रहे हैं कि इसको दो बजे समाप्त करेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य श्री केदारनाथजी ने जो कहा उससे सहमत हूं। जब गवर्नर एड्रेस पर बहस हो रही है तो उस पर सारे विषय आ सकते हैं इसलिए इन विषयों को आप गवर्नर एड्रेस में ले सकते हैं। मान लीजिए आपका नाम नहीं है तो भी मैं आपको अलाऊ कर दूंगा। एक्स्ट्रा बोलने का मौका दूंगा।

डा. चन्द्रभान : अकाल जैसे विषय पर अलग से चर्चा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अलग से करवा देंगे लेकिन यह गवर्नर एड्रेस में नहीं है। समझिये कि गवर्नर एड्रेस आपका ही है। आप ही बोलने वाले हैं तो आप सभी विषयों पर बोलिये फिर भी आपको अलग लगे तो बाद में अलग से करवा लेंगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर रहा था....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप अपने द्वारा दी गयी व्यवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैं अपनी व्यवस्था बदल सकता हूं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैंने अकाल के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव दिया है उसमें आपने यह व्यवस्था दी कि इसको मैं अस्वीकार करता हूं क्योंकि आज ध्याना-कर्षण प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : आने तो दीजिए आप उसको।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उसको दो बजे तक कहा है....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। मैं आपको बता दूंगा। आप बोलिये मंत्रीजी।

श्री रामकिशोर मीणा (खाद्य एवं रसद मंत्री) : मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि जो गेहूं की कमी की ज्वलन्त समस्या है उसके ऊपर सभी ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं और जहां-जहां जो भी कमी है उसके बारे में भी राज्य सरकार को अवगत कराया है। मैं उन सभी माननीय सांसदों का, विधायकों का और मंत्रिमण्डल के सहयोगियों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने राजस्थान का कोटा कम होने पर प्रभावी ढंग से लोक सभा में राजस्थान की मांग सामयिक तौर पर रखी और हमारे यहां के जो सभी माननीय सांसद, चाहे कांग्रेस के हों या अन्य पार्टी के हों उन्होंने भी पत्रों के मार्फत राजस्थान के हितों को सही परिप्रेक्ष्य में देखते हुए

(श्री रामकिशोर मीणा)

ज्यादा से ज्यादा आवंटित कराने के लिए केन्द्र सरकार पर दबाव डाला है तो उसके फलस्वरूप राजस्थान को पहले जितना कोटा आवंटन होता जा रहा था उसको उसी सीमा तक ला दिया है। कुछ जो महत्वपूर्ण सवाल उठाये गये हैं इस ध्याना-कर्षण प्रस्ताव के मार्फत उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मार्फत कुल उत्पादन का 15-20 प्रतिशत हिस्सा ही हमारे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मार्फत बांटा जाता है, वितरण किया जाता है कुल उत्पादन का और उसके हिसाब से जब इस प्रणाली को प्रारम्भ किया गया था उस समय यह अपेक्षा की गयी कि थी केवल जो गरीब वर्ग का तबका है उनको सहायता उपलब्ध कराने के लिए तथा काश्तकारों को उनकी उपज को और प्रोक्योरमेण्ट के जरिये कि उनको उचित मूल्य मिले तो इसके कारण से भी गेहूं और अन्य सामानों का भंडारण कर के एक समर्थन मूल्य पर खरीदने की प्रक्रिया दोनों के हितों में, काश्तकारों के और उत्पादों के लिए तथा उपभोक्ताओं, दोनों को दृष्टि में रखते हुए इस प्रणाली को प्रारम्भ किया गया था लेकिन धीरे-धीरे इस प्रणाली के मार्फत जो अमीर तबका था, जिसको इसकी आवश्यकता नहीं थी वह तो इनका फायदा उठाता रहा लेकिन जो गरीब तबका है और जिसको राशन कार्ड के मार्फत देने की व्यवस्था है। आज हमारे पास में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो एक करोड़पति व्यक्ति है वह भी राशन के मार्फत, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको ले सकते हैं तथा एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी राशन कार्ड से वितरण प्रणाली के तहत फायदा उठा सकते हैं। उसको सामान लेने की छूट है लेकिन जितना सामान मनुष्य की आवश्यकता के हिसाब से होना चाहिए उतना नहीं दिया जाता है तथा बाजार में मूल्यों को स्थिरता देने के लिए, गरीब उपभोक्ता को राहत देने के लिए यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संधारण किया गया था।

गये साल तीन बार मीटिंग कर के माननीय प्रधान मंत्रीजी ने भी इसमें क्या-क्या कमी हैं उसको देखते हुए इस पर काफी बहस की थी तथा एक जनवरी को बाड़मेर में नई प्रणाली किस रूप में हो, इसका शुभारम्भ भी किया था। मैं इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की कुल जनसंख्या 4 करोड़ 40 लाख के करीब है और इसके हिसाब से यदि 10 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से गेहूं मांगें तो हमारा 4 लाख 40 हजार टन प्रति माह गेहूं का आवंटन होना चाहिए लेकिन पिछले समय से हम को 70 हजार टन गेहूं का आवंटन हो रहा है। जब 1988 में अकाल की विभीषिका रही उस समय हमको ज्यादा आवंटन मिला था लेकिन उसके बाद 70 हजार का नार्म्स फिक्स कर दिया था। गेहूं की मांग किस आधार पर होती है, जब बाजार में तथा राशन की गेहूं की दुकान पर भावों में ज्यादा अन्तर होगा तो उसके हिसाब से गेहूं की मांग ज्यादा होगी। जब पिछले समय में गेहूं का आवंटन 70 हजार टन था और उस समय उसका पूरा उठाव नहीं हुआ इसका एक-मात्र कारण यह था कि बाजार में और राशन की दुकानों में भावों में ज्यादा

(९५)

(श्री रामकिशोर मीणा)

अन्तर नहीं था और अन्तर नहीं होने की वजह से वहां पर मांग नहीं थी और बाजार में जब आसानी से उपलब्ध हो जाता है सामान तो कोई व्यक्ति कतार में लगकर के लेना पसंद नहीं करता है।

उस नाते से माननीय प्रद्युम्न सिंहजी ने तथा अन्य माननीय सदस्यों ने यह कहा कि कितना आवंटन हुआ और उसके अगेंस्ट में राजस्थान सरकार ने उसका कितना उठाव किया ? मैं जनवरी, 1990 से बताना चाहता हूं, 70 हजार टन का जनवरी में आवंटन हुआ था उसके अगेंस्ट में हमने 63 हजार 707 टन का उठाव किया। फरवरी में....

श्री प्रेमसिंह दहिया : यह 7 हजार क्यों नहीं किया आपने ?

श्री रामकिशोर मीणा : इसका भी कारण बताऊंगा। उसके हिसाब से जनवरी, 1991 में भी जब 1987-88 में भयंकर अकाल पड़ा था उस समय कुल जो हम को आवंटन हुआ था उसका केवल 77 प्रतिशत तक ही मेग्जिमम हमने उठाव किया था।

श्री प्रेमसिंह दहिया : उस समय आप और एक्स्ट्रा मांगते।

श्री हेतराम बेनीवाल : उस सरकार से आप तुलना क्यों कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह केन्द्र सरकार को दोष दे रहे हैं। जितना कोटा आवंटित हुआ उतना यह उठा नहीं पाये। अब कह रहे हैं वापस उतना का उतना कोटा हो गया। फिर यह क्यों सदन का समय खराब किया।

श्री दिग्विजय सिंह (संसदीय कार्य मंत्री) : माननीय कल्ला साहब, अगर कोई फेक्चुअल बात बता रहे हैं और आपके पक्ष में है तो उसमें क्या आपत्ति है ?

श्री हेतराम बेनीवाल . नहीं, वह सही है पर वह सरकार इन कारनामों से चली गयी, आप भी यह चाहते हो क्या ?

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये।

श्री रामकिशोर मीणा : केन्द्र सरकार जितना अलाटमेंट करती है उसका कितना उठाव राज्य सरकार द्वारा किया गया है उसका मैं विवरण आप लोगों को बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप फिगर बोलते जाइये।

श्री रामकिशोर मीणा : जनवरी, 19 0 में 70 हजार के अगेंस्ट हमने 63,760 टन उठाया। फरवरी में 62,370 टन उठाया। मार्च में 51 हजार....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगेंस्ट 70 थाउजेण्ड। आप बोलते जाइये। आप सुनिये।

श्री रामकिशोर मीणा : अप्रेल में 50,613 टन उठाया। मई में 34,369 टन उठाया। जून में 31,766, जुलाई में 48,820, अगस्त में 53,454, सितम्बर में 43,834, अक्टूबर में 27,355,....

श्री रामनारायण वर्मा : भट्टा बैठा दिया राजस्थान का ।

श्री रामकिशोर मीणा : नवम्बर में 41,015 और दिसम्बर में 50,054 इस तरह से जनवरी, 1991 में हमको 88,665 टन अलाटमेंट हुआ था उसके अगेंस्ट में हमने 83,692 टन उठाया था। फरवरी में हमको 80,000 टन हुआ था उसके अगेंस्ट हमने 79,265 टन उठाया था और मार्च में एक लाख टन हुआ था उसके अगेंस्ट में 79,000 टन हमने उठाया था। अप्रेल में एक लाख पांच हजार टन हुआ था उसके अगेंस्ट में 72,680 टन उठाया था और मई में एक लाख टन का.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोलते जाइयें। यह 1991 चल रहा है, अभी 1992 आयेगा तब मालूम पड़ेगा।

श्री रामकिशोर मीणा : जून में 77,000 टन हुआ हमको, उसके अगेंस्ट में 55,942, जुलाई में 70,000 के अगेंस्ट में 61,966, अगस्त में 70,000 टन के अगेंस्ट 65,942, सितम्बर में 75,000 टन के अगेंस्ट में 72,279, अक्टूबर में 75,000 टन के अगेंस्ट 73,164, नवम्बर में 75 हजार के अगेंस्ट में 74,539

श्री अध्यक्ष : वह बढ़ गया।

श्री रामकिशोर मीणा : और दिसम्बर में 67500 के अगेंस्ट में हमने 66342, जनवरी, 1992 में 72,500 के अगेंस्ट में 72,316, फरवरी में 75 हजार का आवंटन हुआ है उसका लिफ्टिंग कितना हुआ है अभी आना बाकी है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, मैंने पहले भी निवेदन किया है कि जब बाजार में गेहूं के रेट में तथा राशन के रेट में अन्तर नहीं होगा तो उस समय लिफ्टिंग कम होगा चाहे कोई गवर्नमेंट हो, चाहे किसी प्रकार की बात हो उठाव के लिये हम दबाव देते हैं....

श्री देवेन्द्र सिंह (बनेड़ा) : ऐसा कभी सुना है लिफ्ट के भाव और दोनों एक हो गये, ऐसा कभी समय आया है क्या ?

श्री रामकिशोर मीणा : मैं बता रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न यह है कि क्या बुरे वक्त के लिये, दुष्काल के लिये सरकार मंगा कर अपने वेयर हाउसेज में नहीं रखवा सकती ?

श्री अध्यक्ष : इनका जवाब तो सुन लें। जवाब तो सुन लें।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, 1986 में 2.36 रुपये बाजार का औसतन भाव था तब हमारे राशन का जो गेहूं था उसका भाव था 2.07 रुपये। जब 1987 में 2.44 रुपये एवरेज था उस समय 2.15 रुपये था केवल 29 पैसे का अन्तर था बाजार में और राशन के गेहूं में। 1988 में 51 पैसे का अन्तर था।

श्री देवेन्द्र सिंह : आप 1990 की बात करो। 1988 की बात कर रहे हो, 1990 की बात करो।

श्री रामकिशोर मीणा : सारा आ रहा है उसके हिसाब से

श्री देवेन्द्र सिंह : आप स्टेटमेंट तो दे रहे हैं 1990 का और भाव बता रहे हैं 1988 का।

श्री रामकिशोर मीणा : आप आगे सुन तो लीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप फिगर सुन तो लीजिये पहले।

श्री देवेन्द्र सिंह : साहब, फिगर यह दे रहे हैं 1990 के और भाव बता रहे हैं 1988 के।

श्री अध्यक्ष : अब आगे दे रहे हैं। आप सुनिये। आप बताइये।

श्री रामकिशोर मीणा : 1990 में केवल पचास पैसे का अन्तर था।

श्री अध्यक्ष : 1990 में पचास पैसे का अन्तर।

श्री रामकिशोर मीणा : 1991 में सवा रुपये का अन्तर था और, अध्यक्ष महोदय, अब 1992 में यह डेढ़ रुपये से दो रुपये प्रति किलो के हिसाब से अन्तर है बाजार में और राशन के गेहूं में।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बताइये।

श्री रामकिशोर मीणा : मांग बढ़ने के हिसाब से जो अलाटमेंट राजस्थान को होता है उसमें हमने यह तय किया है कि सूखा सम्भावित क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है तथा आदिवासी क्षेत्र है उनके अन्दर ज्यादा से ज्यादा अलाटमेंट करके जहां पर फसल नहीं हुई है वहां पर उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा राहत प्रदान करने की कोशिश करते हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : उसमें कितना अलाट किया ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने उठाकर स्टाक क्यों नहीं किया उसका ?

श्री रामकिशोर मीणा : किसका ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जो आपको आवंटन हुआ था।

एक माननीय सदस्य : स्टाक नहीं किया और फिर केन्द्र सरकार के माथे मंढ़ते हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जो आपको आवंटन हुआ था, अध्यक्ष महोदय, दुष्काल के लिये, बुरे वक्त के लिये आज एफ.सी.आई. क्या कर रही है कंट्री के अन्दर ? स्टोर कर रही है।....(व्यवधान)....इन्होंने उसको उठाकर स्टाक क्यों नहीं किया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसमें प्रति वर्ष और प्रति माह जो गेहूं आवंटन हुआ उतना इन्होंने लिफ्ट नहीं किया। यह पूरा गेहूं लिफ्ट करते तो दो लाख टन गेहूं इनके पास अतिरिक्त रहता।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार कम्प्लीट करने दीजिये फिर सवाल कर लेना। जल्दी क्यों कर रहे हैं ?

श्री देवेन्द्र सिंह : जवाब ही नहीं दे रहे हैं, सवाल क्या करते हैं ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अभी तो वक्तव्य दे रहे हैं फिर सवाल कर लेना। पहले थोड़े ही होता है।

श्री अध्यक्ष : इनका पूरा वक्तव्य सुन लीजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह तो इनकी सरकार की कलई खुल गयी, जितना अनाज आवंटित हुआ था उतना यह नहीं उठा सके। अब मंत्रीजी ने स्वयं कह दिया कि जितना कोटा मिल रहा था वह मिल रहा है। फिर इसका औचित्य क्या रहा ?

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब भी मंत्रीजी दे देंगे कि स्टाक क्यों नहीं किया। वह बता देंगे।....(व्यवधान) आप पूरा जवाब तो होने दीजिये इनका।

डा. चन्द्रभान : जवाब में यह बात नहीं आ रही है कि इन्होंने जिले को कितना गेहूं भेजा। सिस्टम पर यह चर्चा हुई है, केवल यह चर्चा हो रही है कि कितना लिफ्ट किया।

श्री डूंगरराम पंवार (उप मंत्री) : सुनना नहीं चाहते तो फिर चुप होकर बैठ जाओ। फिर क्या फायदा है।

डा. चन्द्रभान : जितना लिफ्ट किया उसमें से जिलों में कितना भेजा गया, यह भी बताने का कष्ट करें आप....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये, बोलिये। अब आप सुनिये पहले। जवाब सुनिये। पहले जवाब तो सुनें आप।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है उनका उत्तर माननीय मंत्री महोदय दे रहे हैं उसके पश्चात् यह बात कहें।

श्री अध्यक्ष : दे रहे हैं, दे रहे हैं। अब आप विराजिये। अब आप शांति से जवाब सुनें पहले।

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य लक्ष्मीनारायण दवे ने जो पाली जिले की स्थिति बतायी है उसके हिसाब से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पाली में राजस्थान का एवरेज है वह तो एक किलो सात सौ ग्राम का है लेकिन पाली की स्थिति को देखते हुए वहां पर जितना हमने अलाटमेंट किया है....

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप तो यह बता दीजिये लिफ्ट कौन करता है ?

श्री रामकिशोर मीणा : लिफ्टिंग में, अध्यक्ष महोदय, अन्य स्थानों पर तो सिविल सप्लाई कारपोरेशन है, राजस्थान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे उपभोक्ता सहकारी समिति के मार्फत....

श्री अध्यक्ष : सीधे वहीं लिफ्ट करते हैं।

श्री रामकिशोर मीणा : वहीं लिफ्ट करते हैं, हम केवल अलाटमेंट देते हैं।

श्री अध्यक्ष : हां, यह बताइये।

श्री रामकिशोर मीणा : और उनको हम देते हैं वह अलाटमेंट के अगेंस्ट में यदि नहीं उठाते हैं तो 30 तारीख तक जिसका पैसा जमा हो जाता है...

श्री देवेन्द्र सिंह : सेण्ट्रल गवर्नमेंट ने अनाज जितना दिया उतना राज्य सरकार ने नहीं उठाया।

श्री अध्यक्ष : अब आपका परपज सर्व हो गया हो तो ठीक है, चलिये।

श्री रामकिशोर मीणा : जितना अलाटमेंट मिला है उसका 99 प्रतिशत हम उठा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अब उनका पाली का सुन लीजिये ना। हां, बताइये आप। आपका परपज सर्व हो गया हो तो आप शांति से बैठिये।

श्री रामकिशोर मीणा : जितना केन्द्र सरकार अलाटमेंट कर रही है उसका आवश्यकता देखते हुए हम ज्यादा से ज्यादा लिफ्टिंग कर रहे हैं।

माननीय सदस्या ताराजी ने कहा, यह सत्य है कि दो किलो अनाज एक जानवर के लिये, एक पक्षी के लिये पर्याप्त नहीं होता महीने भर के लिये लेकिन जितनी व्यवस्था है उसके हिसाब से जो मरुस्थलरीय तथा रेगिस्तानी इलाके हैं उनमें हम ज्यादा से ज्यादा गेहूं देकर हमने डेजर्ट एरिया जैसलमेर में आठ किलो डेढ़ सौ ग्राम के हिसाब से देने का किया है, अभी भी दे रहे हैं, और बाड़मेर में चार किलो दे रहे हैं, बीकानेर में तीन किलो 640 ग्राम के हिसाब से है, ज्यादा एवरेज है बनिस्पत दूसरे जिलों के।

हमारे यह भी ध्यान में आया है कि जो जिले गेहूं उत्पादन की दृष्टि से माने जाते हैं उन जिलों में कम से कम अलाटमेंट किया जाय, जहां पर अकाल वाली स्थिति है, अभाव वाली स्थिति है तथा फसलें ज्यादा पैदा नहीं होती हैं वहां पर हम ज्यादा से ज्यादा अलाटमेंट करके उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने की कोशिश करते हैं।

एक सवाल माननीय फूलचन्दजी ने उठाया था कि जो किराया है, कुछ कम है।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

श्री रामकिशोर मीणा : किराया इतना कम है गेहूं का कि उसके हिसाब से चोरी होती है। मैं इस बारे में निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, कि हमने सर्वेक्षण कराया था उसके हिसाब से दो हजार की जनसंख्या पर एक राशन की दुकान खोलें तो वह यूनिट वायबल होगी या नहीं होगी। इसमें हमने पाया था कि एक दुकान दो हजार की जनसंख्या पर शुरू कर दें तो 527 रुपये का लॉस होता है एक दुकानदार को। उसके हिसाब से जब तक इनके माजन्स नहीं बढ़ेंगे तब तक वह निश्चित रूप से चोरी करने को प्रोत्साहित होते हैं या माल को अलाटमेंट के अगेंस्ट में उठाव नहीं करते हैं। राजस्थान के स्तर

(श्री रामकिशोर मीणा)

पर जो किराया बढ़ाने या मार्जिन बढ़ाने का था हमने काफी तो बढ़ा दिया है तथा और जो ट्रांसपोर्टेशन का है उसको भी हम बढ़ा रहे हैं, सरकार उस पर गंभीरता से विचार कर रही है, उसको जल्दी से जल्दी बढ़ायेंगे।

श्री फूलचन्द गुर्जर : नहीं, साहब, यह बहुत गलत है। पांच रुपये तय कर रखा है। और किराया 12-13 रुपये है। इसलिये लूट होती है।

श्री अध्यक्ष : अब यह मान रहे हैं ना सारी बात। आप जो कह रहे हैं, मान तो रहे हैं। आप नयी बात क्या कह रहे हैं। वह मान रहे हैं। उसका रास्ता निकाल रहे हैं। आप बता दीजिये कोई रास्ता हो तो।

श्री रामकिशोर मीणा : अब जो रेट्स हैं 1986 में और आज में बहुत अन्तर हो गया है।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये। हो गया। दो बज गये। हो गया। चलिये नैक्स्ट। अब बैठिये। नेक्स्ट श्री कमलेन्द्र सिंह। (अनुपस्थित)

श्री प्रेमसिंह दहिया : आप अभी का ही नहीं उठा पा रहे हो और अभी आप और कह रहे हो कि केन्द्र और दे दे, तब कैसे उठाओगे ?

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक श्री ओमप्रकाश गुप्ता।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह असमानता का व्यवहार आप नहीं रखोगे.... (व्यवधान)

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, कार्य सलाकार समिति के नवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी, 1992 को म.प. 1.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म में हुई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुन लीजिए।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : समिति ने दिनांक 25 फरवरी, 1992 से 4 मार्च, 1992 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य के विषय में विचार विमर्श किया। समिति सिफारिश करती है कि कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाये :—

मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 1992

बुधवार, दिनांक 26 फरवरी, 1992,

गुरुवार दिनांक 27, फरवरी, 1992,

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद। दिनांक 28 फरवरी, 1992....

श्री अध्यक्ष : वह सरक्यूलेट हो गया है, वैसे ही प्रस्तावित कर दीजिए। आप

(श्री अध्यक्ष)

केवल प्रस्तावित कर दीजिए। सरक्यूलेट हो चुका है। प्रस्ताव करिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, यह तो हमारे पास आ चुका है।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के नवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के नवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट की गई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता था कि मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था फलौदी तहसील में अकाल की समस्या के बारे में। आपने उसमें यह व्यवस्था फरमा दी कि आज पहाड़ी क्षेत्रों में अकाल की स्थिति के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। अब समय का अभाव है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि आप मेरे प्रस्ताव को सरकार के पास भेज दीजिए : वहां से उत्तर आवे, उसके बाद आप व्यवस्था फरमाइये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इसी प्रकार का....

श्री अध्यक्ष : आपका भी भेज दूंगा।

श्री यदुनाथ सिंह : कमलेन्द्र जी नहीं हैं तो डा. चन्द्रभान को मौका देंगे।

श्री अध्यक्ष : कमलेन्द्रजी नहीं हैं।

श्री नत्थी सिंह : नहीं हैं। हमारा था स्थगन प्रस्ताव और यह है ध्याना-कर्षण....

श्री अध्यक्ष : अब गर्वनर एड्रेस पर बहस शुरु हो रही है।

श्री नत्थी सिंह : नहीं अर्ज कर रहा हूं कि क्या हमको इस पर कल बोलने का मौका देंगे।

श्री अध्यक्ष : हां देंगे।

श्री नत्थी सिंह : नहीं स्थगन प्रस्ताव के वक्त।

श्री अध्यक्ष : कल की बात कल तय करेंगे।

श्री नत्थी सिंह : नहीं उस पर व्यवस्था क्या हुई, वह तो बेकार हो गया। आपने कह दिया था यहां बोलना।

श्री अध्यक्ष : कल्ला जी आपका क्या है ?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आपको मौका मिलेगा। अभी तो पूरा सैशन पड़ा है। चिन्ता क्यों कर रहे हैं आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

कर रहा हूं कि राजस्थान के पश्चिमी जिलों में अकाल पड़ा हुआ है। वहां राज्य सरकार कहीं पर तीन किलो और कहीं पर आठ किलो गेहूं देती है और जहां पांच-पांच वर्ष तक निरन्तर अकाल पड़ा हुआ है, वहां तीन किलो गेहूं कोलायत वगैरह में दिया जा रहा है, यह उचित नहीं है। इसलिए आप आधे घण्टे की चर्चा रखकर अथवा कालिंग अटैन्शन के माध्यम से सब लोगों को अकाल के बारे में चर्चा करने का मौका दें, ताकि इन सभी विषयों पर चर्चा हो जाये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, चर्चा करेंगे अकाल की।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि प्रतिवेदन

श्री दिग्विजय सिंह जी।

श्री दिग्विजय सिंह (परिवहन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की उपधारा 32 (2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 27वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1990–91 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री कालूलाल गुर्जर।

श्री कालूलाल गुर्जर (खनिज राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (ए) की उपधारा 3 का भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेट का 44 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1990–91 सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : श्री नवनीत लाल नीनामा।

श्री नवनीत लाल नीनामा (घाटोल) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 1991–92 अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 1976–77 (पंचम विधान सभा) के षष्ठम प्रतिवेदन में समाविष्ट समाज कल्याण विभाग की सेवाओं में आरक्षित पदों पर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की नियुक्ति विषयक् सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में परिपालनात्मक प्रथम प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : प्रो. सांवरलाल।

श्री सांवरलाल जाट (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, 1991–92 समिति का द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

विधायी कार्य : पुरःस्थापन

राजस्थान मोटर परिवहन यान पथकर (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह जी।

श्री दिग्विजय सिंह (प्रभारी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर परिवहन यान पथकर (संशोधन) विधेयक,

(श्री दिग्विजय सिंह)

1992 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटर यान पथकर (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री दिग्विजय सिंह (प्रभारी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर परिवहन यान पथकर (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान मोटर परिवहन यान पथकर (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या–13) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी

राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री गंगाराम चौधरी (प्रभारी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1991 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम–सीमा अधिरोपण (सशोधन), विधेयक 1991 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री गंगाराम चौधरी (प्रभारी मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम–सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या–(II) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री यदुनाथसिंह : संशोधन हैं हमारे।

श्री अध्यक्ष : हां हो जायेंगे संशोधन। अभी तो प्रस्तावित कर रहे हैं। जब प्रस्ताव पर विचार होगा तो संशोधन हो जायेंगे। अभी तो प्रस्ताव है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय का निम्नांकित रूप से अभिभाषण प्रस्तुत किया जाय....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अभिभाषण पर आभार प्रस्तुत किया जाये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : इस सभा में एकत्रित हम राजस्थान विधान सभा के

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं। जिस समय राजस्थान के अन्दर भैरोंसिंह जी की सरकार बनी उस समय की जो विषम परिस्थितियां थीं । आर्थिक क्षेत्र में....

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर समय का बंटवारा

श्री अध्यक्ष : एक मिनट थोड़ा विराजिये । मैं आपको समय बता दूं कितना-कितना दिया है।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद के लिए लगभग 16 घण्टे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है मैं पार्टियों के लिए समय का बंटवारा इस प्रकार करता हूं -

भारतीय जनता पार्टी	6 घण्टे 45मिनट
कांग्रेस आई	4 घण्टे 5 मिनट
जनता दल	2 घण्टे 15 मिनट
जनता दल (डी)	2 घण्टे
सी.पी.एम.	5 मिनट
निर्दलीय	50 मिनट

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कांग्रेस पार्टी और हमारे बीच जो बटवारा हुआ है, हमको तो मिले हैं 6 घण्टे और उनको 4 घण्टे मिले हैं, यह किस अनुपात से मिले हैं।

श्री अध्यक्ष : 84 और 51 के हिसाब से

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 84 और 51 के हिसाब से तो हम तो दुगुने हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, दुगुने कहां हुए, 84 और 51 के हिसाब से मिले हैं। दुगुने नहीं हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : 84 और 51 दुगुने नहीं होते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दुगुने नहीं होते लेकिन दुगुने के नजदीक होते हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : दुगुने भी नहीं होते नजदीक भी नहीं होते । बहुत दूर हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत नजदीक हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : नजदीक भी नहीं होते, बहुत दूर है। जनता दल-डी को अलग मिल गया।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद

श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर) : जिस समय शासन में हम लोग आये उस समय राजस्थान प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव की कमी थी, ला एण्ड ऑर्डर की सिच्युएशन खराब थी । मान्यवर, उस सारी परिस्थिति में जबकि सारे राजस्थान क्षेत्र में एक अराजकता की स्थिति पैदा हो गयी थी, घाटा ही घाटा इस सरकार को प्राप्त हुआ और हमारी जो योजनाएं थी, विनियोग दर थी वह कम थी कि विकास सम्भव नहीं था। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री जी को इसके लिये बधाई देना चाहता हूं

(श्री शिव किशोर सनाढ्य)

कि उन्होंने उन परिस्थियों में, इन दो सालों के अन्दर, दो बजट रखे । यह कितनी आश्चर्य की बात है कि बिना कोई कर लगाये राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान में विकास का कार्य किया है और आज आने वाले समय में जो हमारे बजट आकार बढ़ा है, 76 प्रतिशत, और अभी योजना आयोग ने हमारी वार्षिक योजना मन्जूर की है, वह 1400 करोड़ रुपये की है । इस तरीके से इन तीन सालों के अन्दर 76 प्रतिशत बढ़ा है । उस बजट के कारण आज सारे राजस्थान के अन्दर हमें दिखाई पड़ता है कि किस तरीके से विकास के कार्य हुये हैं । हमारी जितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जिस तरीके से लागू किया गया है, आज हमारा 20 सूत्री कार्यक्रम है उसमें भी हम लोगों को प्रशंसा प्राप्त हुई है सारे देश के अन्दर अन्य राज्यों की बनीस्पत । मैं बधाई देना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार के साथ में एक अच्छा समन्वय, एक अच्छा वातावरण बनाकर और उनके साथ में राज्य के हकों के लिये जबर्दस्त दबाव डालकर राजस्थान में जो योजना का पैसा केन्द्र सरकार से हमको अपने इन विकास के लिये लगने वाला है उसको माननीय मुख्य मंत्री जी, केन्द्र सरकार से लेकर आये ।

अभी हमारे यहां पर विपक्षी दलों के लोगों ने एक ज्ञापन, जबकि विधान सभा प्रारम्भ होने वाली थी, विधान सभा के अन्दर वह सारी बातें रखी जा सकती थी, लेकिन राज्यपाल महोदय को जाकर दिया और उसमें उन्होंने बताया, जो अखबारों में छपा है कि आज राजस्थान के अन्दर ला एण्ड आर्डर सिच्युएशन समाप्त होती चली जा रही है । पिछले सालों में जब से यह सरकार आयी है इस राजस्थान के अन्दर साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुये, साम्प्रदायिक दंगों का कहीं नाम नहीं रहा, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण राजस्थान के अन्दर बना । हमारी सीमाओं पर जो लोग होते थे, उन लोगों ने जिस तरीके से टेरॉरिस्ट मूवमेण्ट पंजाब और कश्मीर में कर रखा था, लेकिन हमारी पुलिस ने निरन्तर उन टेरॉरिस्ट मूवमेण्ट के ऊपर ध्यान दिया, उसको रोका, और जहां कहीं भी उन्होंने सर उठाने की कोशिश की उन्हें कुचल दिया गया । गंगानगर के अन्दर जिस तरीके से हथियार पकड़े गये, जिस तरीके से हमारी पुलिस ने उनको रोका है, उसके बाद यह कहा जाय कि सिच्युएशन खराब है। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, इन दो सालों के अन्दर अपराधों की संख्या जिस तरीके से पहले अपराध होते रहे लेकिन पुलिस की सतर्कता के कारण भीलवाड़ा के अन्दर बम फैक्टरी को हमारी ही पुलिस ने पकड़ा है और उन लोगों को बेनकाब किया है जो इस राजस्थान की सिच्युएशन को खराब करना चाहते थे । इस डिपार्टमेण्ट के लोगों ने प्रतापगढ़ के अन्दर जाकर, जहां हेरोइन का निर्माण होता था, उसको उन्होंने पकड़ा है । उदयपुर के अन्दर, जयपुर के अन्दर प्रभावी तरीके से इनकी रोकथाम के लिये पुलिस ने प्रयास किया है ।

मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के अन्दर, राजस्थान के अन्दर दो पुलिस बटालियन बनाने की बात कही गयी

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

है। पुलिस के लोगों के लिये सामूहिक बीमा योजना प्रारम्भ की गयी है इसकी वजह से पुलिस का मनोबल बढ़ेगा और हम राजस्थान के अन्दर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना सकेंगे जिसका उल्लेख माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किया कि राजस्थान अपने शौर्य के लिये, अपनी संस्कृति के लिये और अपनी वीरता के लिये जिस तरीके से प्रसिद्ध रहा है उसी तरीके से राजस्थान की सरकार ने निरन्तर इस बात की कोशिश की है कि हमारी सीमाओं के ऊपर भी जो तस्करी होती रही है, जो बड़े-बड़े लोगों के संरक्षण में होती रही है आज उस तस्करी के ऊपर लगाई गई और इस तरीके से 36 करोड़ रुपये का तस्कर का सामान राजस्थान में पकड़ा गया है। यह इस बात का प्रबल संकेत है कि राजस्थान का पुलिस प्रशासन किस तरीके से इन अपराधों की तरफ ध्यान दिये हुये हैं। मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं इस समय कि पहले तो थानों के अन्दर रपट ही दर्ज नहीं होती थी। रपट करवाने के लिये गरीब लोगों को, असहाय लोगों को बड़े-बड़े लोगों की मदद लेनी पड़ती थी, रिश्वत देनी पड़ती थी तब जाकर थानों के अन्दर रपट दर्ज होती थी लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में यह हिदायत दी कि छोटी से छोटी शिकायत भी दर्ज की जानी चाहिये। जिस किसी भी थाने से अगर यह रिपोर्ट आयेगी कि उसने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा। आज जिस तरीके से रिपोर्ट्स दर्ज हो रही है, आज महिलाओं के ऊपर जो पीड़न, उत्पीड़न होती थी वह राजस्थान के अन्दर समाप्त हुयी है। जिस तरीके से गुण्डागिरी कालेज और स्कूलों जहां खास करके लड़कियों की स्कूलें हैं, जहां लड़कियों के कालेज हैं वहां पर पुलिस ने व्यवस्था करके उस गुण्डागिरी को भी रोका है और इस तरीके से राजस्थान के अन्दर हम लोगों ने एक सम्वेदनशीलता देने की कोशिश की है। मैं उसके लिये, हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं, उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि अपराधों की रोकथाम के अन्दर जिस तरीके से उन्होंने काम किया है वह एक सराहनीय प्रयत्न है।

मैं मान्यवर, यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान शिक्षा, सड़क, चिकित्सा, पीने के पानी की दृष्टि से जिस तरीके से जूझ रहा था, बिजली, सड़क और सिंचाई के अन्दर जिस तरीके से तीसरा और चौथा नम्बर भारतवर्ष के अन्दर राजस्थान का था। इन सभी समस्याओं की तरफ राजस्थान सरकार ने ध्यान दिया। मैं इस अवसर पर माननीय शिक्षा मंत्री जी, उच्च शिक्षा मंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा कि किस तरीके से इन 40 सालों के अन्दर उदयपुर डिविजन जो जन जाति बाहुल्य क्षेत्र है

(2 20 म. प.)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल, सभापतिपदासीन)

उस क्षेत्र के अन्दर केवल दो कालेज, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अन्दर खोले। लेकिन इस राजस्थान की सरकार ने उन जनजाति क्षेत्रों में दो साल के अन्दर कुशल-

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

गढ़ सलूम्बर के अन्दर कालेज खोल कर इस तरीके से उनके विकास की बात की है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जन-जाति के लोग उस क्षेत्र में टोपीधारी बन्दूकों के कारण से पीड़ित थे, उनके पास जो छोटी-छोटी जमीनें थी, उनमें जुलाई, 80 तक की जमीनों के नियमितीकरण करने के लिए जो केम्प लगाये जा रहे हैं, उससे जनजाति क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। जनजाति क्षेत्र के लोग जिस तरीके से अब तक पीड़ित रहे हैं, इन चालीस सालों में, वह आज राहत की सांस ले रहे हैं। इतना रुपया केन्द्र का, इतना रुपया राज्य का उन जनजाति क्षेत्रों में लगा लेकिन आज देखा जा सकता है कि इन दो सालों में जितना काम हुआ है, उनको अधिकार प्राप्त हुए है, जिस तरीके से उनका शोषण किया गया और जो राज्य का पैसा आया। उतना पैसा लगने के बाद भी आज कोटड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और सिरोही का क्षेत्र, जो गुजरात के पास का लगा हुआ क्षेत्र है, उस क्षेत्र को देखलें, उन सब की तुलना कर लें तो आपको पता लग जायेगा। आखिर इतना रुपया गया कहां ? इस कारण कहना चाहता हूं कि आज भी जो फलासिया क्षेत्र और कोटड़ा क्षेत्र है उसमें किस तरह से गलत योजना बनायी गयी है कि आज भी वहां पर कोई क्रोस रोड्स नहीं है। वहां पर सड़कों की कमी के कारण काफी घूमकर कोटड़ा के क्षेत्र में जाना पड़ता है। इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इस बार उस क्षेत्र की तरफ ध्यान दिया और और हमारे सड़क मंत्री महोदय ने इस बात का प्रयास किया है कि कोटड़ा के अन्दर क्रोस रोड्स बना दी जाय। उसके कारण वहां के जनजाति के लोगों को राहत पहुंची। मैं कहना चाहता हूं कृषि मण्डी द्वारा अबकी बार जितनी सड़कों का निर्माण किया गया है, खनिज विभाग के द्वारा जितनी सड़कों का निर्माण किया गया है, उन सब का लाभ इन जनजाति क्षेत्र के लोगों को मिलने वाला है।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो 1971 की जनसंख्या के आधार पर 15 सौ तक की आबादी वाले गांवों को 1985 तक सड़कों से जोड़ दिया जाना चाहिए था वह नहीं जोड़ा गया। जब 1990–91 में हमारी सरकार बनी तो भी 1971 की जनसख्या के आधार पर 15 सौ की आबादी वाले गांवों को सड़कों से नहीं जोड़ा गया था। 259 गांव ऐसे बाकी रह गये थे। लेकिन मैं सड़क मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने 1990-91 में 102 गांव जोड़ दिये और 1991–92 में जो 102 गांव बाकी रह गये हैं वह भी जोड़ दिये जायेंगे। लेकिन मैं उलाहना भी देना चाहता हूं इस अवसर पर कि मंत्री महोदय 1971 की जनसख्या, आप कब तक कहेंगे ? अब तो 1991 की जससंख्या आ गयी है। अगर इसी कछुवे की चाल से चलते रहे तो निश्चित रूप से हम सड़कों के मामले में, जो सारे देश में पिछड़े हुए हैं और पिड़ते चले जायेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं राज्य के मुख्यमंत्री से मेरा विनम्र निवेदन यह है कि सड़कों की दृष्टि से क्रोस रोड्स नहीं होंगी तो हमारे गांव खुशहाल

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

नहीं हो सकते हैं। इसलिए अधिक से अधिक धन देने की कोशिश करें ताकि हम गांवों को सड़कों से जोड़ सकें।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से सड़कों को पहले बनाया जाता था–गिट्टी की सड़क, फिर डामर की सड़क लेकिन इस बार मंत्री महोदय ने जो सबसे अच्छा काम किया है वह यह किया है कि गिट्टी और धूल की सड़क नहीं बल्कि सीधी डामर की सड़क बनायी है। इसके कारण किसानों को लाभ होगा, गांव के लोगों को लाभ होगा। मैं यह भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने योजना बनाकर इस वार सड़कों की मरम्मत करने का काम किया है। चालीस सालों में जिन सड़कों पर एक टोकरी धूल भी नहीं डाली गयी है और जिन सड़कों पर गड्ढे थे। यहां आने वाले पयर्टक जब उन सड़कों पर से गुजरते थे तो यह महसूस करते थे कि जैसे ऊबड़-खाबड़ जमीन पर जा रहे हों। आपने साल में दो बार योजना बनाकर उन गड्ढों को भरने और उन सड़कों को नियमित करने का कार्य किया है। उसके कारण राजस्थान की जनता को उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा।

मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि समय पर राजस्थान कैनाल पूरी हो जाती यदि उसका काम समयबद्ध तरीके से किया गया होता तो 100 गुनी कीमत जो आज बढ़ गयी है, और जो आज हमको राजस्थान कैनाल बनाने के लिए तकलीफ उठानी पड़ रही है, वह नहीं उठानी पड़ती। समयबद्ध कार्यक्रम नहीं होने के कारण जो डिफेक्ट रह जाता है वह रह गया।

अभी पाली के अन्दर रानी के पास में जो पुलिया बनायी है, जिसका 6 महीने पहले उद्घाटन किया गया है, एक साल में वह बनने वाली थी लेकिन 6 महीने में उसको पूरा करके उसका उद्घाटन कर दिया गया है। जयपुर से आगरा को जो रास्ता जाता है उस घाट की गूणी को, यह सोचकर कि उसका निर्माण कार्य एक वर्ष में पूरा होगा हाथ मे लिया गया था लेकिन आपने केवल चार महीनों में ही पूरा करके जिस तरीके से राजस्थान के अन्दर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है उससे निश्चित रूप से अन्य विभागों को, अन्य मंत्रियों को....

श्री यदुनाथ सिंह : प्रेरणा लेनी चाहिए।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उससे हमारा काम समयबद्ध तरीके से होगा। समय पर पूरा करने से उसकी लागत भी कम आयेगी अन्यथा लागत बढ़ती चली जायेगी, ऐसा मेरा आग्रह है।

मेरा आपसे यह भी आग्रह है कि जिस तरीके से आपने सड़कों का मूल्यांकन कराने का काम किया है, डिपार्टमेंट का मूल्यांकन करने का काम किया है। मैं खैरवाड़ा में था और और वहां पर जब चीफ इंजीनियर साहब आये और केवल वही नहीं सातों सम्भागों के चीफ इंजीनियर वहां मूल्यांकन के

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

लिए आये थे उससे निश्चित रूप से हमारी क्वांटिटी और क्वालिटी में फर्क आने वाला है। इससे निश्चित रूप से इस डिपार्टमेण्ट में, जो खाऊ डिपार्टमेण्ट कहलाता था, जिसे भ्रष्ट डिपार्टमेण्ट कहा जाता था, उसमें जिस तरीके से क्वालिटी घटती चली जा रही थी, उसमें जिस तरह से काम हो रहा था, उसमें आपने जिस प्रकार से व्यक्तिगत समय देकर डिपार्टमेण्ट को सुधारा है, इस मूल्यांकन के आधार पर गुणात्मक और परिमाणात्मक कार्य का मूल्यांकन किया है, उससे लाभ होगा।

मैं चिकित्सा के क्षेत्र में राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम उदयपुर के लोग एक लम्बे अर्से से यह महसूस करते थे....

श्री यदुनाथ सिंह : ललितजी के घर बैठकर तैयार हुआ है क्या ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं निवेदन करूं कि आखिर मुझे सबका सहयोग मिलेगा। जब आपका मिलता है तो उनका भी मिलता है।

श्री सभापति : आप एकाग्रता से बोलते रहिए।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण चिकित्सा को प्राथमिकता दी जायेगी, यह इस सदन के अन्दर चिकित्सा मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था और उसी ग्रामीण चिकित्सा की दृष्टि से, जब हमने शासन सम्भाला था तो 358 डाक्टर और 900 ए. एन. एम. गांवों की कीमत पर चिकित्सकों का जिन गांवों में पदस्थापन किया गया था, वहां पर न होकर वे डाक्टर शहरों के अन्दर थे और उसके कारण स्थिति यह पैदा हो गयी कि गांव के अस्पताल, गांव की डिस्पेंसरी, गांव की पी. एच. सी. गांव का औषधालय नहीं चल रहा था बल्कि शहरों के अन्दर चल रहे थे। आपने इसको समाप्त करके गांव के लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया है मैं उसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। इन चालीस सालों के अन्दर राजस्थान के अन्दर 4 हजार डाक्टर्स लगाये गये। 40 सालों के अन्दर 4 हजार डाक्टर्स लगाये गये केवल उस शासन के द्वारा लेकिन 1500 डाक्टर्स की नियुक्ति और खास करके गांवों के अन्दर जहां लोग जाना नहीं चाहते थे, 1500 डाक्टर्स की नियुक्ति इन दो सालों में की गई है....

एक माननीय सदस्य : दो हजार।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : अगर आप कह रही हैं तो दो हजार डाक्टर्स लगाये गये हैं। इसी तरीके से आप यह भी देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल सुपरविजन की दृष्टि से जो डिस्ट्रिक्ट में सी. एम. एच ओ. होता था उसके पास जिस तरीके से काम था, ग्रामीण क्षेत्र में सुपरविजन नहीं हो पाता था। उस सुपरविजन कराने के लिए एक ग्रामीण सी एम. एच. ओ. प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट पर कायम किया गया है और उसकी वजह से जो गांवों से शिकायतें आती थीं उन पर जिस तुरन्त गति से जो एक्शन हो रहा है उससे ऐसा लगता है कि गांवों के लोगों को चिकित्सा सुविधा

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

मिल पायेगी। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। उदयपुर में मेडिकल कालेज में न्यूरोसर्जरी के डाक्टर्स नहीं होने की वजह से, न्यूरोसर्जरी का डिपार्टमेंट नहीं होने की वजह से हम चिन्तित थे, हमने अनेक बार कहा, कार्डीयोलोजी डिपार्टमेंट नहीं होने की वजह से हमने अनेक बार शिकायतें की, न्यूरोलोजी डिपार्टमेंट न होने से हमने अनेक बार शिकायतें की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज पांचों मेडिकल कालेजों के अन्दर यह डिपार्टमेंट बनाकर के वह जो सड़क पर एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिन लोगों को मौत निगल जाती है, जो नेशनल हाइवे पर एक्सीडेंट्स होते हैं इनसे उन लोगों की जीवन रक्षा हो सकेगी। आज हार्ट की बीमारी बढ़ती जा रही है, कार्डियोलोजी डिपार्टमेंट बनाने से इस पर भी रोक लगेगी। इस तरीके से चिकित्सा क्षेत्र में क्रान्ति हो रही है मैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने घोषणा की थी....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उदयपुर में इस विभाग की आवश्यकता थी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : अगर पहले होता तो काफी लाभ पहले मिल जाता।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने देवपुराजी के लिए कहा क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : जैसा कि पहले आपने घोषणा की थी 70 साल के बूढ़े, विधवा बहिनें और गरीबी की रेखा से नीचे के जो लोग हैं उनको चिकित्सा सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती थी, उनको दवा नहीं मिल पाती थी। उनके इनडोर पेशेन्ट होने पर उनके लिए मेडिकल बैंक बनाने की योजना बनाई गई है, मैं निश्चित रूप से सोचता हूं कि उन विधवा बहिनों के ऊपर, गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों के ऊपर, और 70 साल के बूढ़े लोगों के ऊपर पहले जो आर्थिक भार पड़ता था, वह अब आर्थिक भार नहीं होने के कारण, उनको राहत पहुंचेगी और इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

आज प्लानिंग के नाम पर जिस तरह से हास्पिटल्स में प्लानिंग की गई थी, जब हास्पिटल्स की चर्चा पर बहस हुई थी बड़े-बड़े चिकित्सालयों के अन्दर जिस तरह की स्थितियां पैदा हो चुकी थी उनको आज कन्ट्रोल किया गया है और उसकी वजह से आज गरीब आदमी महसूस करता है कि उसे राहत प्राप्त हुई है।

मान्यवर, अकाल की दृष्टि से, अभी जो स्थिति बताई गई कि यह अकाल तो हमको विरासत में प्राप्त हुआ है। यह अकाल तो हमको आने वाले समय में भी भोगना पड़ेगा क्योंकि हमने कभी इस तरह की दीर्घकालीन योजनायें बनाई नहीं जिसकी वजह से इस अकाल की विभीषिका से राजस्थान को उभारा जा सके। हमारे यहां वर्ष भर बहने वाली नदियां नहीं हैं। हमारा जो भू-जल है, पानी इतनी निचाई पर है कि उसका ठीक तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता। उनमें जो खारा पानी है उस खारे पानी की वजह से पीने का पानी प्राप्त नहीं हो सकता और इस लिए हर वर्ष अकाल की दृष्टि से हमको जूझना पड़ता था। इस बार अकाल की

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

बात चली और हमारे युवा अकाल मंत्री ने तुरन्त उस पर कार्यवाही की। केवल यह लांछन लगाया जा सकता है कि आज अकाल की तरफ ध्यान नहीं दिया गया लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से योजना बनाई गई है.... (व्यवधान) 60 साल तक युवा रहता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी पहचान बहुत अच्छी है।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह अभी खुद युवा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसी लिये तो कहा है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : इसलिये मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस अकाल को राजनैतिक आधार पर न घसीटें। मानवता के आधार पर सचमुच में जिस क्षेत्र में आवश्यकता है, उस आधार पर बहुत सोच-विचार के साथ, सहयोग के साथ अकाल से निपटना चाहिये। कभी अकाल खोलने के पीछे यह प्रयोजन रहता था कि अकाल खुल जाये। अकाल गरीबों के लिये नहीं खुलता था। गरीबों को उसका लाभ नहीं मिल पाता था। अकाल के पीछे आज भी अनेक इंजीनियर राजस्थान में मिल जायेंगे कि पहले अकाल के समय में मेरा नीचे का मकान बना था, दूसरे अकाल में ऊपर का भवन बन गया। अनेक नेता आपको ऐसे मिल जायेंगे जो अकाल की इन्तजार करते थे कि अगर मेरे यहां अकाल खुल जाये तो मेरा अकाल दूर हो जायेगा। हमारे मंत्रीजी ने जिस तरह की व्यवस्था की है, मुझे नहीं लगता कि अब कोई उस तरीके का लाभ ले सकेगा उसका अनुचित उपयोग कर सकेगा। आज उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालौर, बीकानेर, जोधपुर में जहां अभावग्रस्त क्षेत्र हैं, वहां अकाल राहत कार्य खोलने के लिये आदेश दे दिये गये हैं। अकाल राहत ऐसे नहीं कि सड़कों पर केवल मिट्टी डाल दी जाये और जब बरसात हो तो वह बह जाये। मुझे याद है राजस्थान में जब बाढ़ आई थी, जयपुर में भी आई थी, यहा-वहां मिट्टी जमा हो गई थी, उस मिट्टी को उठाने के लिये जिस तरीके का करप्शन किया गया जिस तरीके से बेइमानी की गई उसका स्वर राजस्थान की विधान सभा में भी गूंजता रहा। आज आवश्यकता इस बात की है कि अकाल के लिये जितना पैसा दिया जाये, जो कार्य किये जायें, जहां पर भूख है, भूखे मरते आदमी को रोजगार मिले, जो 22 रुपये मजदूरी बढ़ाई गई है ..

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : वह सूची आप मुख्य मंत्रीजी को दे दें, कार्यवाही तो मुख्य मंत्रीजी करेंगे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आप बोलिये।

एक माननीय सदस्य : यह मजदूरी ठीक है क्या ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : यह जो 22 रुपये मजदूरी तय की गई है वह बढ़ाने के लिये निश्चित रूप से विचार किया जाना चहिये। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, जो भी मजदूरी है वह उसको

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

पूरी तो मिले, उसे जो दलाल खा जाते थे जो बेइमान लोग खा जाते थे वह तो कम से कम उसे प्राप्त होगी। पंचायतों को जो अधिकार दिये जायेंगे, 50 हजार रुपये तक....

श्री परसादीलाल मीणा : पंचायतें कहां हैं ? पचायतें हैं क्या ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : पंचायतें हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : पंचायतों के चुनाव कब हुए थे ?

श्री सभापति : शान्त रहिये। आपका जब नम्बर आयेगा बोलने का तब आप जवाब दे दीजिए, माननीय सदस्य। बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। आप बोलिये, बोलिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मान्यवर सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल के नाम पर मिलने वाला एक-एक पैसा इस तरीके से खर्च होना चाहिए, लगना चाहिए जो उस गरीब को राहत पहुंचा सके। जनजाति क्षेत्रों के अन्दर हमारा पशुधन नष्ट हो रहा है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर जालौर—राजस्थान का 60 प्रतिशत भू-भाग और 40 प्रतिशत जनसंख्या इन 11 जिलों के अन्दर फैली हुई है, जो अभावग्रस्त हैं। वहां पर जो अधूरे काम हैं, सिंचाई के लिए एनिकट बनाये जाने चाहिए। हमारी नदियों का पानी दूसरे प्रदेशों में बह जाता है, हम उसे रोक नहीं पाते। माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की प्लानिंग की जानी चाहिए राजस्थान में कि हमारा जो पानी अन्य राज्यों में बहकर चला जाता है उस पानी को हम रोक सकें। तालाब-एनिकट जो बनाये गये थे, आज उनकी आवश्यकता है, लेकिन कम से कम ऐसे एनिकट और तालाब आप नहीं बनाएं जैसे पिछली बार जोधपुर और पाली जैसे क्षेत्र में बने थे। वहां जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ का कारण था कि वहां जो तालाब थे वे टूटे, नीचे के एनीकट टूटे, क्योंकि उनके अन्दर सीमेण्ट नहीं उनके अन्दर धूल मिलायी गयी थी। इस तरह से उनका निर्माण किया गया था। राजस्थान की सरकार को चाहिये था कि वह इस बात की जांच करती कि किन कारणों से टूटे हैं। और जब उन कारणों का पता लग जाता तो जिन लोगों के द्वारा वे बनाये गये थे उन पर राजस्थान में केसेज चलाये जाते। तो आगे यह बेइमानी करने का साहस किसी को नहीं होता। इसलिए मैं राजस्थान की सरकार को निवेदन करूंगा कि जो सिंचाई के साधन बनाये, जल संसाधनों की दृष्टि से जो प्रयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है उसकी वजह से राजस्थान खुशहाली की तरफ चलेगा।

मैंने जैसा निवेदन किया दो कालेज खोले गये। शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 40 सालों के अन्दर स्कूल बनाने के लिए, स्कूलों की मरम्मत के लिए कभी इतना रुपया आवंटित नहीं हुआ। लगभग 25 करोड़ रुपये स्कूलों की बिल्डिंग बनाने के लिए, उनकी मरम्मत के लिए दिया गया है। इतना रुपया 40 वर्षों के अन्दर,

(112)

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिए, स्कूलों की बिल्डिंग बनाने के लिए कभी नहीं दिया गया। जनजाति क्षेत्रों के अन्दर प्राथमिक और मिडिल स्कूल बनाने के लिए डूंगरपुर क्षेत्र का कह सकता हूं कि 100 विद्यालय अर्थात् 100 करोड़ रुपये, 78 करोड़ रुपये उदयपुर में, बांसवाड़ा में, सिरोही में जिस तरीके से दिये गये हैं, विद्यालय जिस तरीके से खोले गये हैं इतने विद्यालय कभी भी नहीं बने थे। में याद दिलाना चाहता हूं कि या तो "फूड फॉर वर्क" के अन्तर्गत 1977 में ये विद्यालय बने थे, इनकी बाउण्ड्रीज बनी थीं, गांवों में एनिकट बने थे, गांवों के खुर्रे बने थे, नालियां बनी थीं। उसके बाद इन विद्यालयों के अन्दर कभी पैसा नहीं दिया गया, उसकी वजह से वे विद्यालय नहीं बने। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से, वे सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने जा रहे हैं, उसी के साथ इस बात की भी प्लानिंग की जानी चाहिये कि हम जितने विद्यालय खोल रहे हैं उनमें अध्यापक पहले से तैयार किये जायं। हमारे यहां बी.एड., एस.टी.सी. किये हुए अनेक लोग है आपने बहुत प्रयास किया है कि ये पद रिक्त नहीं रहें। मैं चाहूंगा कि इसमें और बढ़ोतरी की जानी चाहिये। कालेजेज में 216 लैक्चरर्स को लगाकर आपने उन विद्यालयों की आकांक्षा पूरी करने का प्रयास किया है। वहां पर जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं, लैक्चरर्स के द्वारा ठीक तरह से उनकी पढ़ाई हो सके और आज जिस तरीके से कम्पीटीटिव एग्जामिनेशन्स में प्रतियोगिता बढ़ती चली जा रही है, राजस्थान के विद्यालयों और कालेजो से निकलने वाला बालक उस कम्पीटीशन में भाग ले सके और उसके लिए अपनी पूरी तैयारी कर सके।

• मान्यवर, एक बात यह भी कही गयी कि जब से यह सरकार आयी है इस सरकार ने स्वायत्तशासी संस्थाओं का गला घोंट दिया है। लोकतांत्रिक परम्परा के अन्तर्गत स्वायत्तशासी संस्थाओं के इलेक्शन होने चाहिये। कितने बरसों से इन सहकारी सस्थाओं में प्रशासक नियुक्त करके जिस तरीके से इन संस्थाओं को चलाया गया, लोकतन्त्र का गला घोंट दिया गया। जहां जन-प्रतिनिधि बैठने चाहिये थे वहां सरकारी कर्मचारी बैठा और सरकारी कार्यालयों की तरह से इन सस्थाओं को चलाया गया। माननीय सहकारिता मंत्री ने कहा था कि मैं बहुत शीघ्र ही इलेक्शन कराऊंगा। उन्होंने अपने वायदे के अनुसार क्रय विक्रय सहकारी समितियों के चुनाव कराये हैं, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव कराये हैं और अब जिलों के, प्रान्तों के चुनाव कराये जायेंगे, जब कि मैं ऐसे अनेक बोर्डों के नाम गिना सकता हूं कि जिस दिन से वे बोर्ड बने उन बोर्डों के चुनाव नहीं कराये गये — भेड़-ऊन विभाग आप ले लीजिए, राजस्थान बुनकर सघ ले लीजिये, राजस्थान सहकारी दुग्ध संघ आप ले लीजिये, हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटीज आप ले लीजिये, गंगानगर शुगर मिल ले लीजिये, गुलाबपुरा और गंगापुर की स्पिनिंग मिलें ले लीजिये, अनुसूचित जनजति सहकारी संघ ले लीजिये। 14-15 ऐसे संगठन को-आपरेटिव सैक्टर में इसलिये बनाये गये थे कि वहां पर जन-प्रतिनिधि बैठाकर उन लोगों को राहत

(श्री शिव किशोर सनाढ्य)

पहुंचा सकेंगे। लेकिन पिछले सालों में इनके चुनाव नहीं कराये गये। मैं राजस्थान सरकार खासकर मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि ऐसी जितनी संस्थायें हैं उन सारी संस्थाओं के अन्दर समय पर चुनाव होने चाहिये ताकि वहां पर जन-प्रतिनिधि बैठें और जिनकी राहत के लिए बोर्डों का निर्माण किया गया है उन लोगों को राहत दी जा सके।

मान्यवर, यहां कहा गया कि पंचायतों को समाप्त कर दिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों का आग्रह था राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी से, लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री ने हम सबको कहा कि वोट के द्वारा ही कोई परिवर्तन आना चाहिए, लोकतन्त्र तभी जीवित रह सकता है। प्रशासनिक कारणों के द्वारा उन संस्थाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए जिला परिषदें, ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां निश्चित रूप से चलती रहीं, कोई यह नहीं कह सकता कि समय से पहले उनको समाप्त किया गया। कुछ लोगों को इस बात की पीड़ा है। मैं निवेदन करूंगा राजस्थान की सरकार से कि उसने जो प्लानिंग की है, पंचायतों का परिसीमन करने के लिए आयोग बनाया है उसमें हम अपनी बात तो कह सकेंगे। अब तक राजनीतिक आधार पर पंचायत समितियां, ग्राम पंचायतें बनाई गई थीं, बड़े क्षेत्रों में बनाई गई थीं। आज दो हजार की जनसंख्या के आधार पर उन क्षेत्रों को बांटा जायेगा। विकेन्द्रीकरण की तरफ अगर हम बढ़ना चाहते हैं, विकेन्द्रीकरण में अगर हमारा विश्वास है, हम विकेन्द्रीकृत शासन चाहते हैं तो निश्चित रूप से पंचायतों के चुनाव अतिशीघ्र कराये जाने चाहिये।

गांवों के अन्दर, जिलों के अन्दर 30 जिले 30 काम। हम लोगों ने अपने क्षेत्र में बैठकर तय किया कि हमारे जिले के अन्दर किस तरह के काम किए जाने चाहिए। ऊपर से योजना नहीं आयी, हम लोगों ने खुद बैठकर तय किया, डी. आर. डी. ए. के दफ्तर में बैठकर हम लोगों ने इस बात को तय किया। हमारी प्राथमिकताओं को अगर हम तय करेंगे, गांव का आदमी तय करेगा तो निश्चित रूप से उसका लाभ होगा।

मैं इस अवसर पर माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि अनटाइड फन्ड का जो पैसा है, जिसको आपने कलक्टर के ऊपर छोड़ रखा है, कलक्टर ही उसका वितरण करेगा, कलक्टर ही उसके लिये सक्षम है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जनरल काउंसिल तो है, लेकिन कलक्टर के हाथ में ही है, उसके लिये यदि आप राजस्थान के जो विधायक हैं उन लोगों को भी दस लाख, 15 लाख, बीस लाख रुपये तक का अधिकार आप दें कि अपने क्षेत्र में अपनी मर्जी से वे लगा सकें। अपने क्षेत्र के विकास के लिये, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसके लिये भी उनको एक एक मंत्री के द्वार खटखटाने पड़ते हैं, कलक्टर के द्वार खटखटाने पड़ते हैं और आर. डी. ए. के द्वार खटखटाने पड़ते हैं। इसलिये आप विधायक को यह अधिकार दीजिये। आप

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

उनकी मानीटरिंग करिये प्राथमिकतायें तय कर सकते हैं, लेकिन विधायक यदि कहता है कि यह काम पहले होना चाहिये तो वह होना चाहिये, इससे राजस्थान की जनता इस सरकार को बधाई देगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : वह आपकी बात सुन ही नहीं रहे।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपने पंचायतों को 50 हजार रुपये तक का अधिकार दे रखा है। लेकिन जो काम कराया उसके बाद जे.ई.एन. के पीछे नकदी के लिये दौड़ना पड़ता है। जिन लोगों ने विद्यालय का निर्माण किया, तीस प्रतिशत पैसा दिया, बहुत ईमानदारी के साथ काम किया, उनको कह दिया जाता है कि मेजरमेंट्स होंगे, उसके बाद पैसा दिया जायेगा। इसलिये आप गांव के लोगों को अधिकार दीजिये, उनको मेटीरियल दीजिये, उनको मजदूरी का पैसा दीजिये, गांव के लोग स्वयं तय करें नालियां और खरे बनाने के बारे में, अपने क्षेत्र में सड़कें बनाने के बारे में, पुलियाएं बनाने के लिये, स्कूल बनाने के लिये और औषधालय और चिकित्सालय बनाने के लिये। वह स्वयं तय करें, यह अधिकार आप उन्हें दीजिये। इससे, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इससे जो भ्रष्टाचार पिछले 40 सालों से पनप रहा है, वह सारा भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा। जब गांव के आदमी की निगाह के अन्दर काम होगा, गांव के लोग बैठकर काम करायेंगे, तो उसमें कोई भी सीमेंट की जगह पर राख नहीं मिलायेगा, और कोई भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसके कारण उसको गांव के सामने नतमस्तक होना पड़े। अगर इस भ्रष्टाचार को मिटाना है तो यह जो प्रशासनिक प्रणाली आपने 40 साल से बना रखी है, उसको तोड़ कर निकलना होगा। एक नया मार्ग बनाना होगा।

मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि बजट का साठ प्रतिशत रुपया गांवों पर खर्च किया जायेगा। आपने साठ के बजाय बासठ प्रतिशत रुपये गांवों पर खर्च किया है, यह आपकी उपलब्धि है। आज विरोधी पक्ष वाले कितना भी चिल्लायें लेकिन गांव के व्यक्ति के मन में इस सरकार के प्रति श्रद्धा है और उस श्रद्धा का परिणाम यह होगा कि भ्रष्टाचार मिटेगा और गांवों का विकास होगा।

आपने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। आपने जिस तरीके से बजट रखा, आपने कोई कर नहीं लगाया, बल्कि कर घटा दिये। आपने दूसरा बजट रखा, कोई इलेक्शन्स होने वाले नहीं थे, फिर भी कोई कर नहीं लगाया। और आप पिछले बजट देख लीजिये, चुनाव के दिनों में तो कर नहीं लगायेंगे, कम कर देंगे, लेकिन जब सरकार बन गई, तो करों से लाद देते हैं।

कल राष्ट्रपति महोदय ने दिल्ली की संसद में अभिभाषण दिया। जिन मुद्दों पर उन्होंने स्टेस किया है उसमें लगता है कि जिस अर्थ नीति ने इस देश को बिगाड़ कर रखा दिया है, जिसमें ऋण लेकर ऋण

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

का ब्याज चुकाना पड़ता था, जिस प्रकार से खाड़ी संकट के कारण मुद्रा स्थिति बिगड़ी, और जिस तरह से विदेशी धन का दुरुपयोग किया गया, और अब जिस तरीके से हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री इस देश की अर्थ व्यवस्था सुधारने में लगे हुए हैं, निश्चित रूप से उसका असर, उसका प्रभाव हमारे राज्य पर भी पड़ने वाला है। आपने जिस तरीके से विकास की तरफ ध्यान दिया है, योजना आयोग में राजस्थान की प्रशंसा की गई है। बीस सूत्री कार्यक्रम तो बहुत समय से चल रहा है, लेकिन बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान के कार्य की योजना आयोग में और विकास परिषद् में सराहना की गई है। मैं सोचता हूं कि इस तरह से अगर विकास चलता रहा तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ सकेंगे और राजस्थान को राहत दिला सकेंगे।

मान्यवर, आज इस बात की भी आवश्यकता है कि प्रशासन संवेदनशील हो। प्रशासन संवेदनशील होगा तो जनता को राहत प्राप्त होगी और उसके लिए यह आवश्यक है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका फ्रस्ट्रेशन मिटाया जाय, जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनको प्रोत्साहित किया जाय। यह जो भागीरथ योजना राजस्थान में लागू की गई है और जिस तरीके से अच्छा काम करने वाले लोग हैं उन लोगों पर उसका प्रभाव पड़ेगा और उसकी वजह से प्रशासन संवेदनशील होगा और जनता के लिए यह संवेदनशील प्रशासन रहेगा। राज्य कर्मचारियों की भी अपनी कुछ मांगें हैं। समता समिति के द्वारा उनकी जो बहुत लम्बे अरसे से आर्थिक मांगें थीं उन पर आपने सहृदयता से विचार किया है। राजस्थान के एम्प्लाइज संवेदनशील हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनके साथ बैठकर के यदि उनकी समस्याओं पर चर्चा की जाय, यदि उन मजदूरों के साथ में चर्चा की जाय तो वह लोग राजस्थान के विकास में राजस्थान सरकार की निश्चित रूप से बहुत मदद करेंगे।

जिस तरीके से आपने न्यायालय खोले हैं, कितने मुंसिफ कोर्ट्स, कितने न्यायालयों को पदोन्नति दी गई हैं, ए.डी.जे. कोर्ट्स खोली गई हैं। हमने कहा था कि हम न्याय सुलभ करेंगे, यह न्याय इतना महंगा हो गया है कि मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर डिवीजन के अन्दर हाई कोर्ट बैंच की स्थापना की जानी चाहिए। वहां पर जन-जाति क्षेत्र के लोग हैं, वहां पर इस तरह के गरीब हैं जो जोधपुर तक जाते हैं। हमने जब यह कहा है कि हम सस्ता न्याय दिलवायेंगे। 40 साल के अन्दर जिनको न्याय नहीं मिला, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप उनको न्याय दीजिएगा, सामाजिक न्याय भी उससे मिलेगा। राजस्थान सरकार ने एम्प्लाइज के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया था और वह ट्रिब्यूनल जयपुर में है। जिस समय यह ट्रिब्यूनल बनाया गया था, मैं भी उस कमेटी में था और भावना यह थी जिस तरह की कोर्ट्स हैं और उनमें एम्प्लाइज को जाना पड़ता है उनसे उनको न्याय प्राप्त नहीं हो सकता है और जब इस प्रकार का सर्विस ट्रिब्यूनल होगा तो सरकारी कर्मचारियों को अपनी पैरवी,

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

अपनी वकालत स्वयं करने का अधिकार होगा, वह अपने आप ट्रिब्यूनल के सामने आ सकेंगे। लेकिन जयपुर में ट्रिब्यूनल बन जाने के बाद उसमें हाई कोर्ट के वकील जाने लगे, उसमें बड़े-बड़े वकील जाने लगे, उसके कारण से उसके पीछे जो भावना थी वह पूरी नहीं हो सकी। रेवेन्यू बोर्ड की बैंच अगर दूसरी जगह जा सकती है तो ट्रिब्यूनल के लोग महीने में प्रत्येक डिवीजनल हैड क्वार्टर्स पर क्यों नहीं जा सकते हैं। दो महीने में चले जायं, तीन महीने में चले जायं। जिस आदमी को जयपुर आकर बार-बार रुपया खर्च करना पड़ता है उससे वह बच सकेगा। मेरा यह निवेदन है कि न्याय प्राप्त करने के लिए जो संकेत किया गया है उस संकेत को आप निश्चित रूप से पूरा करेंगे।

मान्यवर, इस अभिभाषण के अन्दर जिस तरीके से अल्प व सीमान्त जोत वाले किसानों को राहत देने की बात कही गई है, जिस तरीके से राहत दी गई है कृषि के क्षेत्र में, जिस तरीके से आशा इसमें व्यक्त की गई है, आज तिलहन की दृष्टि से राजस्थान में तीन गुना उपज हुई है। कभी यह कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि भरतपुर और अलवर को छोड़कर यह तिलहन जालौर के क्षेत्र में भी इस तरह से बढ़ेगा। गंगानगर था केवल लेकिन आज जो योजना बनी है, तिलम् संघ के द्वारा कृषि के क्षेत्र जो हम विनियोग करने वाले हैं, क्योंकि कृषि और पशुपालन राजस्थान के लिए आवश्यक है इसलिए इस सन्दर्भ में जो दिशा निर्देशन दिया गया है उसके लिए राजस्थान की सरकार बधाई की पात्र है।

यह नंगी पहाड़ियां और पहाड़ काट दिए गए, इनके जंगल साफ कर दिये गए। आज हम विदेशी सहायता से, स्वीडन की सहायता से, जापान की सहायता से, केन्द्र की सहायता से जिस तरह की प्लानिंग की गई है, योजनाएं बनाई गई हैं–पालनपुर से लेकर दिल्ली तक, यह जो अरावली की पहाड़ियां हैं, जंगल थे उनसे जनजाति के लोग पनपते रहे, उनका सारा जीवन उनके ऊपर था लेकिन गलत नीतियों के कारण से यह जंगल काट दिए गए। ढकोला बना दिया गया। इससे कुछ लोग तो मालदार हुए, जो दलाल थे वह तो पनपे लेकिन उस क्षेत्र के लोगों का जितना उस पर जीवन आधारित था, वह ऐसा हो गया कि वह दूसरे स्थानों पर पलायन करने को बाध्य हो गए। इसलिए इसमें जो सकेत दिया गया है निश्चित रूप से यदि यह योजनाएं चलायेंगे तो वन क्षेत्र बढ़ेगा। जिस तरह की आप लोगों ने प्लानिंग की है तो हम इन पहाड़ियों को जो कभी वर्षों हरी-भरी दिखाई देती थीं, जो आज नंगी रह गई हैं, वह नंगी पहाड़ियां हम फिर से हरी भरी कर सकेंगे।

वन क्षेत्र के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार दिल्ली में बैठ कर जिस तरह के कानून बनाती है, क्षेत्र को नहीं देखती है। आज यह जो कश्मीर की समस्या है अगर उस समय की सरकार ने उस समय देखा होता तो यह समस्या खड़ी नहीं होती। इस तरह की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर देखने के बाद में ही निर्णय लिया जा

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

सकता था। यह वन भूमि के सम्बन्ध में दिल्ली में बैठकर निर्णय लिए गए हैं उनकी वजह से आज बिजली की लाइन उनमें से नहीं निकाल सकते हैं, यदि कोई एनीकट बनाना हो तो फोरेस्ट विभाग के चक्कर लगाने पड़ेंगे, जब तक वह नहीं निकालते आप हास्पिटल नहीं बना सकते हैं, आप औषधालय नहीं बना सकते हैं, आप होस्टल्स नहीं बना सकते हैं। इसके लिए निश्चित रूप से दिल्ली की सरकार पर यह दबाव डाला जाना चाहिए कि वह इस कानून में परिवर्तन करे ताकि उस फोरेस्ट का लाभ मिल सके।

आपने निर्णय किया है, नियम बनाये हैं कि फोरेस्ट की 7 तरह की जो प्रजातियां हैं उन प्रजातियों के माध्यम से आप उस गरीब को, उस बनवासी को आप राहत देना चाहते हैं। उसकी जो लघु उपज है, उसका अधिकार उसको दिया जाय ताकि वह उसे बेचकर अपना पालन कर सके, अपना जीवन-यापन कर सके और आज इस सभ्य समाज के अन्दर जब सारी दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है तो वह भी सम्मान के साथ रोटी खा सके और जी सके।

मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्तर्गत जो दिशा दी गई है, इस अभिभाषण को पढ़ने के बाद में एक संकेत दीखता है, एक स्वच्छ प्रशासन दिखाई देता है। जिन क्षेत्रों में हम आज तक पिछड़े रहे–चाहे चिकित्सा हो, चाहे कृषि हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे सामाजिक न्याय हो और चाहे पुलिस की व्यवस्था हो, इसमें संकेत प्राप्त होता है कि राजस्थान आपके नेतृत्व में इन दो सालों के अन्दर जितना आगे बढ़ा है, यह तीसरा वर्ष है इस तीसरे वर्ष के अन्दर भी निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे।

मैं आप सब लोगों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि धन्यवाद का प्रस्ताव एक मत से राजस्थान की जनताकी बहबूदी के लिए, राजस्थान के विकास के लिए राजस्थान सरकार की और राजस्थान के जन-प्रतिनिधियों की आवाज दिल्ली तक पहुंचे और जो समस्याएं हमारे सामने दिल्ली के द्वारा खडी की जाती हैं, अगर हम सब लोगों ने मिल-जुल कर यह प्रयास किया होता तो कल प्रोफेसर श्री केदार को और हमारे कम्युनिस्ट साथी को भूख-हड़ताल पर नहीं बैठना पड़ता। हम सब लोग जब यह मिलकर प्रयास करेंगे तब हम राजस्थान को अग्रणीय राज्यों में ला सकेंगे। आज तक हम बहुत पिछड़े हुए हैं इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए समन्वित होकर, साथ मिलकर हम काम करें। यही निवेदन करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री सांवरलाल।

श्री सांवरलाल जाट (भिनाय): सभापति महोदय, मैं प्रस्वाव का समर्थन करते हुए यह आशा और अपेक्षा करता हूं कि जो महामहिम का अभिभाषण है उसमें स्पष्ट रूप से इस बात की झलक मिलती है कि राजस्थान का अपना अलग से गौरव रहा है, अपना इतिहास रहा है। इसके साथ ही जो राजस्थान की हालत है वह आज की नहीं है, वर्षों से है। इस प्रदेश की

(श्री सांवरलाल जाट)

प्राकृतिक हालत ऐसी रही है कि अकाल पड़ना एक परम्परा बन गई। इन सबके होते हुए भी मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान की सरकार जो माननीय भैरोंसिंह जी के नेतृत्व में बनी है, ने इन दो वर्षों में लगातार गरीब किसाब, देहाती या हर पीड़ित वर्ग के हित के लिए कार्य करने का प्रयास है। राजस्थान में अकाल एक परम्परा है, जैसा मैंने निवेदन किया, परन्तु हमारा दुर्भाग्य है कि जो राज्य स्तर पर प्राकृतिक विपदा कोष बना है, उसमें भारत सरकार जो पहले अपना योगदान देती आई है, अपना योगदान सीमित करते हुए 93 करोड़ मात्र किया है। मैं सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अपने रिसोर्सेज बहुत सीमित हैं। एक परम्परा यह भी रही थी कि हिन्दुस्तान की सरकार जब जब भी प्रदेश में अकाल पड़ता था, अपने दल भेजती थी, उसका परीक्षण करवाती थी और उसके बाद में सहायता देती थी परन्तु नवें वित्त आयोग से यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इस कारण आज प्रदेश में अकाल है और राजस्थान सरकार ने सीमित साधन होते हुए भी 6 जिलों में अकाल की घोषणा करके रोजगार शुरू किए हैं। मैं आप सभी से यह आशा करता हूं कि इसके लिए हम सभी सदस्यों की एक राय होनी चाहिए और केन्द्र सरकार से अधिक से अधिक सहयोग इसके लिए मिले।

जब से यह राजस्थान सरकार बनी है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहली योजना, दूसरी योजना और तीसरी वार्षिक योजना का आकार लगातार बढ़ा है और यह राजस्थान सरकार ही ऐसी है जिसमें 76 पर्सेन्ट की योजना के आकार में तीन वर्षों में वृद्धि हुई है। निश्चित रूप से यह उपलब्धि है क्योंकि कई माननीय सदस्य जब 756–900 हुई तब भी उनका समर्थन किया था और बैठे हैं तो यह भी एक उपलब्धि है कि 1400 करोड़ की यह योजना बनी है। निश्चित रूप से यह दूसरा वर्ष 1966 के बाद है, जिसमें विनियोजित राशि राष्ट्रीय औसत के बराबर हुई है। मैं यह भी एक इस सरकार की उपलब्धि मानता हूं। पहला साल भी माननीय भैरोंसिंह जी जब मुख्य मंत्री थे तब था और अब भी यह दूसरा साल है।

जवाहर रोजगार योजना के अन्दर भी राजस्थान की स्थिति विशेष उल्लेखनीय रही है। 131 करोड़ के स्थान पर 170 रुपए खर्च करते हुए राजस्थान सरकार ने 506 लाख मानव दिवस का सृजन किया जो राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप में एक उपलब्धि है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस अभिभाषण को अगर भली भांति प्रत्येक माननीय सदस्य ने पढ़ा हो तो कृषि भूमि सुधार और वन के ऊपर सर्वाधिक ध्यान दिया गया। कृषि का बजट जो 9 करोड़ रुपए का था मेरे ख्याल से दो साल में 10 करोड़ रुपए का हो गया। ग्यारह गुना कृषि के बजट में इन्होंने वृद्धि की है। कृषि के लिए जन संग्रह विकास निदेशालय की अलग से स्थापना, तिलम् संघ की स्थापना करना किसानों के लिए विशेष उपलब्धि है मैं मैं कह सकता हूं, जिसमें यह भी

(श्री सांवरलाल जाट)

प्रावधान है कि अगर तिलहन की कीमत कम होगी, तिलम् संघ 160 करोड़ रुपए का तिलहन खरीदेगा, निश्चित रूप से किसानों को राहत मिलेगी। किसानों के भाव नीचे नहीं गिरने देंगे ऐसा प्रयास राजस्थान सरकार का है। सभापति महोदय, तिलहन का जो उत्पादन लगभग तीन गुना इन तीन वर्षों के अन्दर हुआ है। इस वर्ष हालांकि अकाल की स्थिति है, उसके बावजूद भी 28 करोड़ टन की आशा यह राजस्थान सरकार करती है।

इसके साथ ही मैं एक निवेदन और करूं कि भारत सरकार के द्वारा किसानों को जो सब्सिडी दी जाती थी, वह समाप्त करने के बाद भी इस वर्ष कृषि विभाग और किसानों की तत्परता से जो खाद काम में लिया गया था वह गत वर्षों की तुलना में अधिक काम में लिया। निश्चित रूप से हम यह सकते हैं कि सरकार का यह प्रयास है कि किसान आधुनिक तरीके से जो फर्टिलाइजर्स हैं, औषधि है उनका इस्तेमाल करते हुए अपना उत्पादन बढ़ाए।

भूमि सुधार के सम्बन्ध में जो यह सरकार करने जा रही है मैं यह कह सकता हूं कि अपने आप में एक उपलब्धि है "जो भू-अपखण्डन के कारण किसानों को परेशानियां होती थी उस अपखण्डन के मामले को समाप्त करने का यह राजस्थान सरकार विचार कर रही है, वह सराहनीय है।

इसी प्रकार जैसलमेर जिले में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के क्षेत्र में किसानों के खातेदारी अधिकार देने के लिए काश्तकारी अधिनियम की धारा 15-1 (ए) में संशोधन करने का विचार है जो सरकार की किसान हितैषी नीति का परिचायक है।

इसी प्रकार भूतपूर्व जागीरदारों की खुदकाश्त भूमि में जो उप-काश्तकार थे, उन काश्तकारों की समयावधि बढ़ाना, खातेदारी के लिए समयावधि बढ़ाना निश्चित रूप से किसानों के हक का फैसला होगा। इसी प्रकार किसानों को अपनी जमीन के लिए गिरदावरी रिपोर्ट के लिए भी परेशान होना पड़ता था, राजस्थान सरकार पास बुक को प्रमाणित प्रपत्र घोषित करने का विचार रख रही है।

मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार आज से पहले की सरकारों की तुलना में किसानों के प्रति ज्यादा संवेदनशील है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 1971-72 का भू-संशोधन का मामला जो अजमेर जिले से सम्बन्ध रखता है. विशेष रूप से माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने प्रयास भी किया, मीटिंग भी रखी हमारी जन-प्रतिनिधियों की। मैं आशा और अपेक्षा करता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह मांग भी करता हूं कि अजमेर जिले के किसानों की बीस साल की इस उलझी हुई गुत्थी को आप सुलझाइए जिससे आए दिन उनको जो परेशानी होती है, बार-बार कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, इस समस्या से आप मुक्ति दिलाएंगे। कृषि विभाग में इस सरकार के प्रयास से विश्व बैंक की 300 करोड़ रु. की

(श्री सांवरलाल जाट)

एक विशेष योजना या सहायता मिल रही है जो प्रशंसनीय है। इस योजना के द्वारा कृषि की सम्पर्क सड़कों का निर्माण होगा। एक जो विशेष बात है जिसके ऊपर यह सरकार विचार कर रही है, निश्चित रूप से प्रशंसा योग्य है कि अगर किसी भी गांव में छोटी-छोटी सम्पर्क सड़कें बनाएं तो उसको सामग्री उपलब्ध करवा दी जाए इसी फण्ड के माध्यम से, श्रम गांवों का हो तो निश्चित रूप से गुणात्मक दृष्टिकोण से मैं यह कह सकता हूं कि गांव वाले अच्छा काम करेंगे और जो कमीशन की सौदेबाजी हुआ करती है वह लगभग 30-35 परसेंट की बचत इस सरकार को होगी और अच्छा काम होगा।

इसी प्रकार वन विभाग के तहत चाहे अरावली योजना हो, चाहे इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के अन्दर योजना हो, जापान सरकार की सहायता से 300 करोड़ रुपए की जो योजना विशेष सहायता के लिए या पेड़ पौधे लगाने के लिए है, निश्चित रूप से सराहनीय कदम है।

मुख्य समस्या यह है कि जब संविधान बना था वन हमारा राज्य सूची में था। बाद में संशोधन होते हुए समवर्ती सूची में चला गया। इसलिए कई प्रकार की समस्याएं हैं जिनका बिना भारत सरकार की पूर्वानुमति के समाधान नहीं किया जा सकता। चाहे वह वन विभाग की सड़क बनाने का हो, चाहे पुलिया बनाने का हो, चाहे खनन का कार्य हो, प्रत्येक कार्य के लिए आपको भारत सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। इस कारण हम यह कह सकते हैं कि कुछ अवरोध हमारे कार्य में हुआ है जिसके लिए भारत सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए।

कानून और व्यवस्था की जहां तक स्थिति है, सभापति महोदय, 36 करोड़ रुपए का तस्करी का सामान हमारी सीमा सुरक्षा और पुलिस के द्वारा पकड़ा जाना निश्चित रूप से यह साबित करता है कि राजस्थान की पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखने में पूर्णतया सक्षम है।

कुछ दिन पहले हमने अखबार में पढ़ा था, माननीय महामहिम को ज्ञापन दिया गया था, ज्ञापन की कापी हमारे हाथ में है, जिसमें पहला आरोप यह लगाया गया कि राजस्थान सरकार प्रजातांत्रिक अधिकारों के ऊपर कुठाराघात कर रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी संस्थाओं में चाहे वह प्राथमिक सहकारी समितियां हों या क्रय-विक्रय सहकारी समितियां हों इनके चुनाव राजस्थान सरकार ने समयावधि समाप्त होने के बाद करवा दिए....

श्री ईश्वर लाल सैनी : पंचायतों का क्या हुआ ?

श्री सांवरलाल जाट : वह भी बता देंगे यह तो सुन लो आप। (व्यवधान)

श्री सभापति : सैनीजी, आपको बोलने का अवसर मिलेगा बीच में डिस्टर्ब न करें।

श्री सांवरलाल जाट : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह ऐसी संस्थाएं हैं जो आपके राज में बनी और आजादी के बाद बनी जिनके चुनाव आज तक नहीं हुए और राजस्थान सरकार ने यह घोषणा की कि वहां पर प्रशासक लगेगा 6 महीना, उसके बाद अवधि नहीं बढ़ेगी और इन संस्थाओं के चुनाव करवाए जाएंगे जो पहली बार चुनाव होंगे। इसलिए यह जो आरोप लगाया, इसे एक राजनैतिक आरोप मैं मानता हूं। चूंकि जो खुद नहीं कर पाये हमने कर दिया, चुनाव करवा दिये उसके ऊपर तो आरोप लगाया और जिनका आज तक चुनाव नहीं करवाया उनके बारे में कोई खैर-खबर नहीं ली।

ग्राम पंचायतों का जहां तक सवाल है, गांवों की समस्या भी थी, पंचायतों का क्षेत्र काफी बड़ा था। किसी पंचायत में 15-15 गांव थे, 20-20, 25-25 कि.मी. की दूरी पर गांव थे और जो पुराने समय में बनी हुई संस्थायें हैं, समय के अनुसार निश्चित रूप से उनके कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन होना जनहित में होता है। राजस्थान सरकार ने यह महसूस किया और उसके बाद पंचायतों का पुनर्गठन करने का जिम्मा लिया है। इसके लिए आयोग का गठन कर दिया गया, जिला कलक्टरों से रिपोर्ट आ गयी है। निःसन्देह जनहित के अन्दर पंचायतों का पुनर्गठन आज की आवश्यकता है और मैं आशा करता हूं कि राजस्थान सरकार गांव का हक गांव को देगी, गांव की व्यवस्था सुधारेगी और जहां भी जन सुविधा के अनुसार पंचायत मुख्यालय होगा, स्थापित करेगी। पंचायत समिति मुख्यालय स्थापित करेगी। तो यह तो एक प्रकार से जन-भावना के अनुरूप किया गया आवश्यक कदम है। जो पंचायतों के बन्द करने की बात आती है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लगभग 27 ग्राम पंचायतों में सरपंच ऐसे हैं जिनको बन्द कर दिया गया। उनके खिलाफ 17 (4) की कार्यवाही पंचायत एक्ट में चल रही है। तो माननीय सदस्य फैसला कर सकते हैं कि जब इतने सरपंचों के खिलाफ ऐसी घपलेबाजी की कार्यवाही है, उनको आप पद पर बैठाये रखें, तो जो गांव वालों का पैसा जाता है, क्या उसका भी आप शोषण करवाना चाहते हैं ? इसलिए यह जो कदम उठाया गया, निःसन्देह जनहित में है और अगर शिकायत मिलती है तो चाहे वह सरकारी प्रशासक है, उसके खिलाफ चाहे किसी प्रकार की शिकायत होगी... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको बोलने का अवसर दिया जायेगा। आप उनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं ?

श्री सांवरलाल जाट : सभापति महोदय, मेरा निवेदन यही है कि प्रत्येक क्षेत्र में चाहे विद्युत का क्षेत्र हो, हालांकि हम इन दो वर्षों में, हमारे और साथी भी बैठे हैं, जब चर्चायें हुआ करती थी कि हम विद्युत की नीति गांव वालों के भले के अनुरूप नहीं दे पा रहे हैं उस समय में बहुत कम लोग बोल पाते थे। हम कहते थे, आज भी स्थिति यह है परन्तु फिर भी मैं राजस्थान सरकार की इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि जो कोटा थर्मल पावर प्लाण्ट है, जिसका लोडिंग क्षेत्र 40 प्रतिशत था, उसको हमने 63 प्रतिशत तक कर

(श्री सांवरलाल जाट)

दिया। इसी प्रकार बरसिंगसर की योजना, सूरतगढ़ की योजना पर लगभग कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मैं यह आशा और अपेक्षा करता हूं कि....(व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : क्या शुरू हुआ, यह बतायें।

श्री सांवरलाल जाट : इसका मतलब यही है कि जब आप बोलेंगे और हम पूछेंगे तो जवाब नहीं दे पाओगे। हम तो फिर भी दे देंगे।

इसलिए मैं आप सबसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने जो भी कदम उठाया, किसानों और गांवों के हित में जितना कर सकती है, करने का प्रयास किया। किसी पाइन्ट को आप ले लीजिए जैसे कृषि मण्डी के स्तर पर आप लें तो जिला मण्डी कोष विकास की स्थापना का इरादा इस राजस्थान सरकार का है और उसकी मन्शा यह है कि अगर कृषि मण्डी में आय नहीं होती है तो निश्चित रूप से उस जिला कोष से कुछ धन उपलब्ध करवा कर उस क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करवाया जाय, निश्चित रूप से प्रशंसनीय कदम है। इसके अलावा कई चीजें ऐसी हैं जो इस अभिभाषण में नहीं दी गयी हैं और अपने आप में उपलब्धि है। राजस्थान में शिक्षा संस्थान खोलने का है, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, जन-अपेक्षाओं के अनुरूप सरकार ने उससे ज्यादा स्कूल इस वर्ष क्रमोन्नत की है। न्याय को ग्राम स्तर तक पहुंचाने के लिए मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना किया जाना। इसके साथ ही जहां-जहां आवश्यकता है, वहां पर कुछ कोर्ट्स अपग्रेड किये गये। तो यह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है।

तो मैं यही कह सकता हूं कि माननीय सभी सदस्य भी इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। चूंकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो राजस्थान के हित के विपरीत नजर आती है। इसमें जो-जो चीजें हैं, कृषि विभाग पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है और कृषि विभाग की उपलब्धियां भी वास्तव में इन दो-तीन सालों में जितनी रही हैं वह प्रशंसनीय है। मैं यही आशा करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : माननीय देवपुराजी।

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मैंने उनके भाषण को ध्यानापूर्वक सुना और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को भी प्रारम्भ से अन्त तक ध्यान से पढ़ा। जब मैं भाषण सुन रहा था, सभापति महोदय, मुझे लगा उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य उस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं, यह कहा गया है कि "गवाह चुस्त मुद्दई सुस्त"। अभिभाषण में राज्य सरकार ने जो बातें माननीय महामहिम राज्यपाल के मुंह से कहलवाई थी उससे कहीं ज्यादा बातें प्रस्ताव महोदय ने अभी इस सदन में कह

(श्री हीरालाल देवपुरा)

दी। अगर यह उपलब्धियां राज्य सरकार की होती तो मैं नहीं मानता कि राज्य सरकार उन बातों को इस भाषण में उल्लेख नहीं करती।

सभापति महोदय, राज्य सरकार की नीतियों और योजना पर दो अवसर आते हैं। एक अवसर है राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जिसके माध्यम से इस सदन को और राजस्थान की जनता को राज्य सरकार की इस वर्ष की उपलब्धियों का ज्ञान होता है, उनकी नीतियों का भी ज्ञान होता है और दूसरा अवसर है वित्त मंत्रीजी का बजट भाषण, जिससे अगले वर्ष की योजनाओं का इस सदन को और राजस्थान की जनता को ज्ञान होता है। उस दृष्टि से जब हम इस अभिभाषण को पढ़ते हैं तो हमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि राज्य सरकार की कोई उपलब्धियां इस वर्ष की रही हैं। आशायें व्यक्त की गयी हैं कि कृषि के क्षेत्र में आने वाले समय में इतना काम हो जायेगा, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी नीतियों के आधार पर इतना काम हो जायेगा। यह सभी आशायें इस अभिभाषण में व्यक्त की हैं। लेकिन इस चालू वर्ष में, जो 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाला है, राज्य सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं विभागवार कोई इस अभिभाषण में नहीं बताया गया। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी घोषणायें करने में और आश्वासन देने में, मैं समझता हूं, किसी से पीछे नहीं रहे हैं, सबसे आगे हैं। घोषणायें करना और आश्वासन देना राजनीतिज्ञ के लिए मैं किसी हद तक आवश्यक मानता हूं। मैं नहीं कहता कि आप घोषणायें मत करो, आप आश्वासन मत दो लेकिन मैं यह अपेक्षा करता हूं कि जो घोषणायें आपने की हैं, जो आश्वासन आपने दिये हैं, इनका इवेल्यूएशन, इनका मूल्यांकन भी आपने किया या नहीं कि कितनी घोषणायें आपकी सही उतरी और कितने आश्वासन आपके पूरे हुये....

एक माननीय सदस्य : 100 प्रतिशत।

श्री हीरालाल देवपुरा : आपने बिल्कुल सही कहा कि 100 प्रतिशत। मेरी भावनाओं को आपने समझ लिया। वह 100 प्रतिशत बिल्कुल नकारा रही है। उसमें किसी तरह की चीज मिली नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने।

सभापति महोदय, प्रस्तावक महोदय ने प्रारम्भ किया अपना भाषण। भारतीय जनता पार्टी के शासन आने के पश्चात्, मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में सरकार बनने के पश्चात् चूंकि सरकार दो पार्टियों से बनी है इसलिए भारतीय जनता पार्टी की अकेली तो नहीं है लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व वाली सरकार, इस सरकार के आने के पश्चात् राजस्थान में साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुये? भूल गये इस प्रस्ताव को महोदय इस बात को कि जयपुर में साम्प्रदायिक दंगे कब से प्रारम्भ हुए? 1947 में जब देश आजाद हुआ था....

श्री जोगेश्वर गर्ग : आपके राज्य में दंगे शुरू हुए।

श्री मदन दिलावर : आपके राज में शुरू हुए थे साम्प्रदायिक दंगे ।

श्री हीरालाल देवपुरा : तसल्ली से बैठिये । मैं स्वीकार करूंगा इस बात को कि हमारे राज में भी हुए हैं । मैं इससे इन्कार नहीं करूंगा लेकिन शान्ति से सुनने की क्षमता हमको सबको रखनी चाहिये ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : नवम्बर 1989 में दंगे हुए हैं ।

श्री हीरालाल देवपुरा : नवम्बर 1989 में, ठीक कह रहे हैं । जब देश के अन्दर एक वातावरण बन गया था । पार्लियामेंट में दूसरी सरकार आ गई थी....

(3.31 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

और राजस्थान में पार्लियामेंट के चुनाव हो चुके थे और 25 की 25 सीटें बी. जे. पी. ने जीती थी और उसी दिन जब जयपुर में जुलूस निकला था तब साम्प्रदायिक दंगे भड़के थे.... (व्यवधान)

जब 1947 में देश का विभाजन हुआ था लेकिन देश के विभाजन के समय भी जयपुर जैसी जगह में कोई साम्प्रदायिक दंगे नहीं भड़के । उस तारीख से पहले जयपुर में कभी कोई साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए । वह गम्भीर दंगा, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता और उसके पश्चात् माननीय मुख्य मंत्री जी की सरकार बनने के बाद जयपुर में जो दंगा हुआ और उस दंगे में जितनी मौते हुई, राजस्थान के इतिहास में वह काले अक्षरों में लिखा हुआ देखा जाता रहेगा कि उतनी मौतें कभी भी किसी भी साम्प्रदायिक दंगे में राजस्थान के अन्दर नहीं हुई । यह मत भूलिये कि आपके राज में; आपके शासनकाल में, साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक दंगों को अगर कहीं बढ़ावा मिला है, साम्प्रदायिक दंगों के लिए कहीं उत्तेजित किया है तो वह बी. जे. पी. की सरकार आने के बाद राजस्थान के अन्दर यह वातावरण बना है । यह वातावरण उसके पहले कभी नहीं था....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री मदन दिलावर : 1991 में दंगे करवाये हैं । कोटा के दंगों में आप लोगों ने मरवाया है....(व्यवधान) लोगों को मरवाया है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 1991 में बताइये कौनसे दंगे हुए हैं ? देवपुराजी ने बता दिया है ।

श्री चन्दन मल बैद : आपके सदस्य जिस तरह से व्यवधान कर रहे हैं तो हमको भी व्यवधान डालना आता है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज.... (व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, चुनावों के अन्दर मन्दिर निर्माण के नाम पर, भगवान राम के नाम पर किसने वोट लिये और अब मन्दिर और

(श्री हीरालाल देवपुरा)

मस्जिद की बात आम लोगों में किसने फैलाई है ? कहिये कि कांग्रेस ने फैलाई थी ? यह बात किसने फैलाई है अपनी आत्माओं से पूछिये, अपने मनों से पूछिये और जो कारण बने हैं कि राजस्थान के अन्दर साम्प्रदायिक दंगे उस समय हुए और वह साम्प्रदायिक दंगे इस तरह से राजस्थान के अन्दर कभी नहीं हुए थे....

श्री राजेन्द्र गहलोत : मन्दिर राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है।

श्री हीरालाल देवपुरा : खाली कहने से कुछ नहीं होगा लेकिन लोग जानते हैं इस बात को और लोगों ने समझा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत उपलब्धियां सरकार की बताई गई। इतनी उपलब्धियां सरकार की होती, राजस्थान की जनता के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता और राजस्थान की जनता आपके पीछे अंधी होकर चलने लगती। लेकिन आपकी सरकार के बनने के बाद दुबारा इस राजस्थान के अन्दर लोक सभा के चुनाव हुए। आपने 25 की 25 सीटें जीती थी 1989 में लेकिन जब यह दुबारा चुनाव हुए 1990 में तो कहां चली गई वे 25 सीटें। 13 सीटें कांग्रेस को मिली और केवल 12 सीटों में आपको संतोष करना पड़ा। केवल 11 महीने के पीरियड में। कोई लम्बा समय नहीं निकल पाया....

श्री कैलाश मेघवाल : 1989 में चुनाव हुए थे, बी. जे. पी. की 13 सीटें थीं और केवल एक कम हुई। आप बढ़ा-चढ़ाकर कैसे कह रहे हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं करेक्ट कर लेता हूं कि आपकी 13 सीटें थीं लेकिन विरोधी पार्टियां जितनी थीं, उनकी सबकी सांठ-गांठ थी। सबने मिलकर चुनाव लड़ा था। आपकी वह सीटें छोड़ी हुई थी। आप यह मत कहिये कि आपने उन सीटों पर अपना प्रचार नहीं किया, यह मत कहिये कि उन सीटों पर अपना प्रचार करने के लिए गये हैं, आपकी पार्टियों ने वहां पर काम नहीं किया है। आपकी पार्टी वहां पर थी। कहां चली गई फिर वह सीटें ? क्यों नहीं राजस्थान के लोग आपकी इन प्रगतिशील नीतियों के आधार पर, आपके इन राजस्थान की बहबूदी के आधार पर आपके पीछे लग गये ?

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, उसके बाद राजस्थान में चार उप-चुनाव हुए। राजस्थान उप-चुनावों का इतिहास रहा है कि जब कभी उप-चुनाव हुए हैं, जो पार्टी इम्पावर्ड थी, उस पार्टी को आम तौर पर वह सीटें मिली हैं। इस समय आपकी पार्टी इम्पावर है, कितनी सीटें खोई हैं आपने ? आप अपना आत्म-विश्लेषण कीजिए। आपको मालूम होगा कि राजस्थान के लोगों ने वहां पर आपको बिल्कुल नकारा है। निवाई की सीट से जीते माननीय कैलाश मेघवाल जी आपके बीच में बैठे हैं, मैं सदन में उनका स्वागत करता हूं। जीत कर आए हैं। कितने वोटों से जीते हैं ? मैं समझता हूं शायद कैलाश जी को भी शर्म महसूस हुई होगी कि मेरा जैसा व्यक्ति निवाई के अन्दर खड़ा हुआ, मुख्य

(श्री हीरालाल देवपुरा)

मंत्री भी वहां प्रचार करने गये, प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया और वहां से केवल 200 वोटों से जीतकर आए। और किस प्रकार से आए ? अखबारों में सुना था हमने तो कि वह सीट 171 वोटों से कांग्रेस जीत चुकी थी लेकिन उसके परिणाम को किस तरह से क्या किया गया, मैं नहीं कह सकता लेकिन यह स्थिति बनी।....(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय देवपुरा साहब, मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आपने कहा कि अखबारों में लिखी हुई बात आपकी कांग्रेस पार्टी का मसला था क्या आपने इसके खिलाफ कोई पिटीशन करने की कोशिश की ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं नहीं कहता आपने आगे का वाक्य सुना नहीं, कैलाश जी। मैं नहीं कहता कि किस तरह से क्या हुआ लेकिन 200 वोटों से आप जीते। उस जीत को हमने स्वीकार किया है। हमने उसमें ना नहीं की। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, बामनवास की सीट आपकी सीट थी। आपने उस सीट को खोया। उपाध्यक्ष महोदय, यह सारी स्थिति इस बात को बताती हैं कि राजस्थान की जनता ने आपके ऊपर से (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : डीग की भी बता देते।

श्री हीरालाल देवपुरा : डीग की सीट पर बी. जे. पी. की जमानत जब्त हुई है। (व्यवधान)

अगर कहीं इतना बड़ा होता, अगर कहीं थोड़ा बहुत भी होता कि राजस्थान की प्रगति हुई है, ये प्रगतिशील नीतियां हैं, राजस्थान का विकास हुआ, राजस्थान आगे बढ़ रहा है। मैं नहीं समझता कि इन चुनावों के अन्दर राजस्थान के लोग आपको इस तरह से नकारते। इसीलिए हमने कहा है कि इस सरकार के समय में न कोई विकास हुआ, न कोई दूसरा काम देखने को मिला। राजस्थान के लोग आज महसूस करते हैं कि राजस्थान में क्या कोई सरकार भी चल रही है। बहुत तारीफ की थी आपने कि नीचे के लेवल पर क्या स्थिति बनती है, आज सदन में आपने कहा है कि पार्टी के अनुशासन से आप बंधे हुए हैं। मैं मानता हूं इस बात को लेकिन आपका दिल जानता है कि जब तहसील में जाते हैं तो क्या काम होता है, कैसे काम होता है। पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो क्या काम होता है, कैसे काम होता है और किस तरह से काम करवाना पड़ता है। कौन नहीं जानता इस बात को ? अभी खाद्य मंत्री जी थोड़ी देर पहले जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि माननीय सदस्यों ने, मैं समझता हूं कि ज्यादा सदस्य बी. जे. पी. के होंगे उनके पास आने वाले, माननीय सदस्यों ने यह बात बताई कि तहसील स्तर पर बहुत ज्यादा गड़बड़ियां होती हैं। तो वे गड़बड़ियां क्या हैं ? किस चीज को इंगित करती हैं वे। वे गड़बड़ियां भ्रष्टाचार के सिवाय और दूसरी बात नहीं है कि कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है शुरू से आखिर तक। आज भ्रष्टाचार एक तरह से शिष्टाचार बन गया है। आम लोग कहने लग गये कि बिना पैसे आज काम नहीं होता चाहे पटवारी के पास जाओ, चाहे

(श्री हीरालाल देवपुरा)

पुलिस के पास जाओ, चाहे तहसील में जाओ, चाहे किसी के भी पास जाओ। भ्रष्टाचार के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत जोर से कहा था। उस समय ऐसा लगता भी था कि मुख्य मंत्री जी ने इतने जोर से बात कही है तो निश्चित रूप से इसमें कदम उठायेंगे लेकिन जब मैंने गये समय में यहां पर बोला था, तब मैंने कहा था मुख्य मंत्री जी यह दोधारी तलवार, जिसके जोर से आप कह रहे हैं, उसका कहीं दूसरा असर न पड़े। उस दिन आपने मुझसे कहा था कि मैं आपसे यह अपेक्षा नहीं करता था कि इस तरह की बात को कहोगे लेकिन आज जो परिणाम सामने आ रहे हैं वे इस बात को बता रहे हैं कि दोधारी तलवार किस ओर चल पड़े? जहां वार करना चाहते थे वहां तो वार नहीं लगा लेकिन वह दूसरी तरफ पड़ गई। और आज राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। माननीय मुख्य मंत्री जी, आप इंस्पेक्शन करके देखिए, इस बात की नीचे से ऊपर तक कहीं पर भी इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह गई है, चारों तरफ यह आवाज उठी हुई है, इसको आप नकारें नहीं और सही रूप में लें। सही रूप में लेंगे तो मैं समझता हूं कि कुछ कदम भी आप उठा पायेंगे और इसको इसी तरह से लेते रहे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना, आपके अच्छे काम की तारीफ आप करते रहिए लेकिन मौके पर राजस्थान की जनता निश्चित रूप से आपको जवाब देती रही है और आगे भी देती रहेगी, इसमें कोई संदेह मुझे नहीं है।

मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन आपके सामने कई चिट्ठियां आई। गत बार इस सदन के अन्दर भी कई बातें यहां पर उठीं। पी. डब्ल्यू. डी. की बातें उठीं, एक्साइज डिपार्टमेंट की बातें भी उठीं। हो सकता है वे बातें गलत हों, सही नहीं हों लेकिन, माननीय मुख्य मंत्री जी, आपसे हम अपेक्षा करते हैं कि उनकी जांच करके लोगों के सामने आप स्पष्ट तस्वीर लायेंगे जिससे कि कम से कम भ्रम तो दूर हो जाय। किसी भी राजनीतिक दल के लिए उसके खिलाफ जो वातावरण बनता है, उस वातावरण को साफ करने के लिए जरूरत है कि हम उसकी तस्वीर साफ करके उनके सामने रखें। राजनीति में काम करने वाले हम लोगों के लिए यह अच्छी बात नहीं है कि इस तरह की बातें उलझती चली जाय और हम उनका कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दें। जब विधान सभा में ये बातें उठी थीं तो उन बातों के, मैं मानता था, निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी गंभीरता से लेंगे क्योंकि इस बात को बड़े जोरों से मुख्य मंत्री जी ने कहा था। इसलिए मैं मानता था कि मुख्य मंत्री जी इसको गंभीरता से लेंगे उसका निराकरण होगा और उसका स्पष्टीकरण आयेगा, तथ्य सामने आयेंगे और दूध का दूध व पानी का पानी होगा। तो आज आपको भी जोश के साथ कहने का मौका मिलता कि ये आरोप लगे थे और इन बातों में कहा तक सत्यता है? ये संदेहास्पद चीजें आपके और हमारे लिए खतरनाक साबित होती है। इसलिए इन संदेहास्पद चीजों को साफ करने की जरूरत है और साफ नहीं करते हैं तो आम लोगों में क्या

(श्री हीरालाल देवपुरा)

धारणा बनेगी और इसका जो नतीजा निकलता है वह स्वयं आप सोच लें कि आम लोगों में इसकी क्या धारणा होगी। साधारण व्यक्ति उन बातों की गहराई में नहीं उतरता और ऊपरी बातें सुनता है तो उसी तरह का वातावरण बनता है और वह वातावरण किसके लिए क्या लाभ-दायक होगा ? यह मैं पार्टी के दृष्टि से नहीं कहना चाहता। यह सब राजनीतिज्ञों के ऊपर लागू होता है और यह चीज जब एक के ऊपर आती है तो दूसरे पर भी वही लांछन लगता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन बातों को थोड़ी गंभीरता से लें और उनका विश्लेषण करके फिर देखें कि सही बात क्या है तो उसकी हम भी तारीफ करेंगे। हम चाहते क्या हैं, हम सदन में किसलिए आए हैं ? इसलिए नहीं आए कि हमको राज मिल जाय। बल्कि इसलिए आये हैं कि राजस्थान का विकास हो। राजस्थान का विकास आपके माध्यम से हो, चाहे कांग्रेस के माध्यम से हो या किसी और दल के माध्यम से हो, आपका और हमारा लक्ष्य एक है। जब एक लक्ष्य है तो हमको इन बातों से ऊपर उठकर इन चीजों को विश्लेषण करके देखना होगा तब आपको मालूम होगा। केवल मैं भाषण दे दूं और कोई तारीफ में आपके दो साथी उधर से बोल जांए और महीने भर विधान सभा चलती रहेगी, डिबेट यहां होती रहेगी तो उससे कोई परिणाम निकलने वाला नहीं होगा। जब तक आप इन चीजों की गहराई में जाकर इनका सही रूप में विश्लेषण करके इनको साफ नहीं करेंगे तब तक ये चीजें साफ नहीं होंगी।

यहाँ पर शिक्षा के बारे में कहा गया कि शिक्षा की दृष्टि से उच्च शिक्षा में 2 कॉलेज उदयपुर डिवीजन में खोले। यह बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई और 40 वर्षों में कॉलेज नहीं खोले व अंधकार हो गया। 2 कॉलेज खोलने से उपलब्धि बता दी। कॉलेज खोलने से उपलब्धि नहीं होगी। उदयपुर से आने वाले माननीय सनाढ्य साहब, जब तक हम प्राइमरी एजुकेशन के बारे में ध्यान नहीं देंगे, मैं पूछना चाहता हूं कि प्राइमरी शिक्षा के लिए आपने कितने स्कूल खोले ? प्राइमरी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए आपने कितने अध्यापक गाँवों में भेजे ? आज जो प्राइमरी स्कूल गांवों में चल रहे हैं उनमें अध्यापकों की कमी है। क्यों रोक लगा दी अध्यापकों की भर्ती के ऊपर ? आपको भ्रष्टाचार की बू आती है। यही ना ? कोई ऐसी प्रक्रिया बना देते जिसके माध्यम से टीचर्स का चयन हो जाता और वे वहां चले जाते, मेरिट का फार्मूला बना देते उसके आधार पर बिना किसी संकोच के जिसका नम्बर आता वह चला जाता लेकिन स्कूल चलता। नये स्कूल खोलते तो मालूम होता कि स्कूल खोले हैं। कुछ जगह आपने सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल खोले हैं। कौनसे क्षेत्र में खोले हैं ? आपका राज था आप जैसा चाहते वैसा हो सकता है लेकिन राजस्थान को एक निगाह से आपको देखना पड़ेगा। राजस्थान को राजनीतिक आधार पर आप नहीं बांट सकते। एक क्षेत्र का आप विकास करें और दूसरे क्षेत्र को अछूता रखें। देख लीजिए, मुख्य मंत्री जी, आपने किन-किन जिलों में और किन-किन कांस्टिट्एंसीज में स्कूल खोले हैं और कौनसे क्षेत्र अछूते रहे हैं ? आपको अंदाजा लगेगा कि कितना

(श्री हीरालाल देवपुरा)

पक्षपात हुआ है। यह पक्षपात करके राजस्थान की सरकार चलाना चाहें तो चलाइये लेकिन कितने दिन चलायेंगे ? जनता के सामने आना पड़ेगा और जनता इसका जवाब देगी उससे मालूम पड़ेगा आपको कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया ? (व्यवधान) वह तो कम खुले लेकिन जो खोले हैं वो कहां खोले हैं ? मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि आपने खोले नहीं और जो खोले हैं, वे कहां खोले हैं ?

श्री यदुनाथ सिंह इसमें बड़ा घोटाला हुआ है। पिछली बार जो आपकी लिस्ट थी, जो इन्होंने निरस्त किए थे इन्होंने वे ही खोले हैं। तो कांग्रेसियों के तो तमाम खुल गए। जो पिछली बार जीता था वह तो मारा गया और जो नहीं आया उसका तो भला हो गया।

श्री हीरालाल देवपुरा : यदुनाथ सिंह जी, मुझे मालूम है। मेरे क्षेत्र में कुल मिलाकर 47 स्कूल बंद हुए थे उनमें से एक भी स्कूल नहीं खुला। पंचायत समिति, आमेट में 20 और पंचायत समिति, कुंभलगढ़ में 27, उनमें से एक भी स्कूल नहीं खुला। यह तो मैं खड़ा हूं कांग्रेसी आपके सामने, इसलिए यह उदाहरण देकर आप नहीं चल सकते। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज निवेदन कर रहा था कि यह सरकार जो कुछ भी थोड़ा-बहुत काम करती है उस काम को भी राजस्थान के विकास की दृष्टि से नहीं देखती, उस काम को करती भी है तो पक्षपात के आधार पर करना चाहती है। यह बात कब तक चलने वाली है ?

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बात की गई, सहकारिता संस्थाओं के बारे में बात की गई। गत सत्र में भी हमने इस बारे में बात की थी। यह पंचायती राज संस्थाओं को भंग करके आपकी सरकार ने प्रजातन्त्र का गला घोंटा। आज कोई काम ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का नहीं हो पा रहा है। कोई माध्यम ही नहीं है आपके पास। किसके माध्यम से आप काम करना चाहते हैं, कौनसी एजेंसी है जिसके माध्यम से आप काम करना चाहते हैं ? आपने पंचायतों का भार ग्राम सेवकों के ऊपर सौंप दिया और वे ग्राम सेवक एक पंचायत पर एक नहीं, वह भी कहीं 4 पंचायतों पर एक है तो कहीं 3 पंचायतों पर एक है। राजस्थान की पंचायतें कितनी बड़ी हैं और कैसी स्थिति में है यह आप स्वयं को मालूम है। वह ग्राम सेवक उन पंचायतों को कैसे संभालेगा ? और उन ग्राम सेवकों का उन पंचायतों के अन्दर विकास के लिए क्या इंटरेस्ट होगा ? वह ग्राम सेवक वहां का रहने वाला नहीं है, वह उस जिले का रहने वाला नहीं है। मेरी पंचायत समिति में भरतपुर के ग्राम सेवक लगे हुये हैं, मेरी पंचायत समिति में सवाई माधोपुर के ग्राम सेवक लगे हुए हैं। उस ग्राम सेवक को गांव के अन्दर क्या तकलीफ है, उस गांव के अन्दर क्या विकास लोग चाहते हैं, उसको कोई अंदाजा नहीं है। न वह कोई प्रस्ताव देता है और न वहां के लिए कोई मंजूरी आती है। जे. आर. वाई. का पैसा भारत सरकार से सीधा आता है उसमें आपकी कोई दखल नहीं है। वह पैसा उसके पास आया तो पिछले काम का जो पैसा बाकी था, जो लास्ट इंस्टालमेंट नहीं चुक पाई थी

(श्री हीरालाल देवपुरा)

उसके हिसाब-किताब में बराबर हो गया। नया काम एक भी इस वर्ष में जे. ग्रार. वाई. का कहीं पर भी नहीं है।

ग्रापने एक योजना बनाई "ग्रपना गांव-ग्रपना काम"। ग्रच्छी योजना लगी हमें। हमने भी उसका स्वागत किया था, ग्रच्छा प्रस्ताव है। वह ही चीज है जो, 52-53 में हमने श्रमदान के ग्राधार पर, जनसहयोग के ग्राधार पर शुरू किया था। उसको ग्रापने नया नाम दिया। नामकरण करने में तो ग्राप माहिर हैं, उसमें कोई दो-राय नहीं है। कहीं 'ग्रपना गांव-ग्रपना काम,' कहीं 'ग्रंत्योदय योजना' कहीं 'भगीरथ योजना,' ये सब नाम तो ग्राप बहुत ग्रच्छे देते हैं, नाम देने में ग्राप माहिर हैं।

श्री चन्दन मल बैद : पंडित हैं क्या ?

श्री हीरालाल देवपुरा : ग्रापने एक काम किया कि 60 प्रतिशत सरकार देगी ग्रौर 30 प्रतिशत इसमें जनता का सहयोग होगा ग्रौर वह कैश के रूप में होगा। उसको भी मैं ग्रच्छा मानता हूं। डाइरेक्ट श्रमदान को मैं ठीक नहीं मानता, उसमें कई बातें इधर-उधर हो सकती है लेकिन कैश ग्राप ले लें बहुत ग्रच्छी बात है। कैश के साथ ग्राप वह करवाना चाहते थे, हमारे गांवों के ग्रन्दर वह काम खुले। साल भर वह काम चले, पूरे भी नहीं हो पाये, ग्रापने योजना बदल दी। उल्टा कर दिया। 60 प्रतिशत गांव वालों को खर्च करना पड़ेगा ग्रौर 30-35 प्रतिशत सरकार देगी कैसे किया ग्रापने ? पंचायतों को बीच में डाला। 30 प्रतिशत गांव वालों का, 35 प्रतिशत पंचायत का ग्रौर 35 प्रतिशत सरकार का। मुख्य मंत्रीजी, मैं जानना चाहूंगा कि यह 35 प्रतिशत पंचायत में कहां से ग्रायेगा ?

एक माननीय सदस्य : गवर्नमेंट से ग्रायेगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : गवर्नमेंट कहां से देगी ? यह 35 प्रतिशत पैसा जो जे ग्रार.वाई. के ग्रन्दर ग्राता था, जिस पैसे से दूसरे काम-काज होते थे, उस पैसे का उपयोग लेकर के ग्रापने उनको सीमित कर दिया ग्रपना गांव ग्रपना काम योजना में, उसका ग्रौर उसका सम्बन्ध क्या है ? जिन पंचायतों के पास पैसा नहीं, उस क्षेत्र में तो फिर वह काम होने ही नहीं। तो नहीं करना है तो साफ कहिये कि हम यह काम नहीं कर सकते। सरकार के पास पैसे की कमी है। समझ में ग्रायेगी बात कि बजट नहीं है, प्रावधान नहीं है, राजस्थान सरकार की ग्रामदनी नहीं है, काम नहीं हो सकते स्पष्ट कहिये, उसमें क्या बात है ? लेकिन इस तरह से भुलावे में डाल कर, लोगों को गुमराह करके यह बात करें कि पंचायत ने पैसे नहीं दिये इसलिए काम यहां पर शुरू नहीं हुए, यह ठीक नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि जो एक साल पहले काम शुरू हुए थे 30 ग्रौर 70 के रेश्यो के हिसाब से, वह काम पूरे हुए नहीं ग्रौर उन कामों के ग्रन्दर पैसा रोका गया, लम्बे समय तक वह काम बंद पड़े रहे ग्रौर ग्राज भी कई जगह वह काम ग्रभी ग्रधरझूल में लटके हुए हैं। हमने काम शुरू करवा दिये, एम्बीशियस योजना थी, खूब ग्रच्छी लगी हमें, काम शुरू करवा दिये लेकिन परिणाम

(श्री हीरालाल देवपुरा)

क्या हुआ, आज वह काम अधूरे पड़े हैं और जे.आर.वाई. में जितने भी अधूरे काम पड़े हुए थे आज वह ज्यों के त्यों अधूरे पड़े हुए हैं।

सड़कों के बारे में भी यहां पर काफी कहा कि आपने सम्पर्क सड़कें खूब करवा दी। गांव-गांव सड़कों से जोड़ दिये। पता नहीं, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य उदयपुर से बाहर कहां-कहां गांवों के अन्दर घूमे हैं, मैं नहीं कह सकता लेकिन उदयपुर जिले का मुझे ज्ञान है गांव-गांव का, कि कितनी सड़कें यहां पर गांवों में बनी। एक भी सड़क, जिसको कहा जाय कि यह सम्पर्क सड़क के रूप में यहां पर बना दी गई, मैं नहीं समझता कि वहां पर कोई सड़क बनी है। मेरे क्षेत्र में बनी हुई अधूरी सड़कें, सम्पर्क जो कि अधूरी पड़ी हुई हैं, आज तक उसके बाद अधूरी की अधूरी पड़ी है। उनमें एक भी पत्थर इधर से उधर नहीं लगा। कहां पर वह सड़कें बनीं, कौन से क्षेत्र में वह सड़कें बनी? यही नहीं, जो मंजूर शुदा सड़के हैं, मैं उन सड़कों की बात नहीं कहना चाहता जो दूसरी योजनाओं में बनी हैं लेकिन मंजूर शुदा सड़कें, जिन पर दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर का काम अधूरा रह गया, छुट्टा रह गया क्योंकि पहले की मंजूरी के पैसे समाप्त हो गये इसलिए उन सड़कों की तरफ आपने कोई ध्यान नहीं दिया, वह सड़कें आज ज्यों की त्यों अधूरी पड़ी हैं। किस क्षेत्र की बात करें।

एक माननीय सदस्य : ठेकेदार भाग गये।

श्री हीरालाल देवपुरा : ठेकेदार का कोई सवाल ही नहीं है। इन्दौराजी, बैठिये। ठेकेदार भगने का कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न इस बात का था कि उन सड़कों का जो बजट उस साल तक दिया हुआ था वह बजट पूरा हो गया। आगे बजट मंजूर करना था, सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं, पैसा अगर नहीं लगा और वहां की अगर सड़क कम्पलीट नहीं करोगे तो जो पैसा खर्च हुआ है, जो पैसा उस पर लगा है, उसका भी क्या उपयोग हुआ? उसका भी कोई उपयोग नहीं हुआ। तो उसको पूरा करवाना जरूरी था कि आप बजट स्वीकार करते, उन सड़कों को पूरा करवाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह सब चीजें आज अधूरी पड़ी हुई हैं जो आज बरबाद हो रही हैं, खराब हो रही हैं जिनके ऊपर काम होना जरूरी है. आगे बढ़ाना जरूरी है। वह चीजें वहां पर नहीं है....

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह कहना भूल गया कि जब हमने उदयपुर जिले में सारी रोड्स को देखा तो केवल आपका कुम्भलगढ़ और नाथद्वारा क्षेत्र सड़कों की दृष्टि से उदयपुर जिले में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। अब इसके लिए कौन दोषी है, यह आप सोचिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह तो मुझे मालूम है। आपको मालूम नहीं है। आज आप यहां सदन में तो यह कह रहे हो लेकिन आपने मेरे सामने कई बार कहा है कि जितने विकास कुम्भलगढ़ क्षेत्र में सड़कों की दृष्टि से आपने किया, आपको जेलेसी थी, उस वक्त हम शासन में थे इसलिए

(श्री हीरालाल देवपुरा)

आपको जेलेसी थी कि जो कुछ भी विकास आप कर रहे हो, एक ही एक तरफ करते चले जा रहे हो, हमारे क्षेत्र में भी तो देखो, यह आप कहते थे।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो वास्तविकता नहीं है।

श्री हीरालाल देवपुरा : यही वास्तविकता है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं ...

श्री हीरालाल देवपुरा : आप बिराजिये आप बिराजो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सनाढ्यजी, बैठिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मतलब अगर मैं उसको कहना प्रारम्भ करूं ना तो आप....

श्री हीरालाल देवपुरा : मुख्यमंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराज जाओ आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके निर्वाचन क्षेत्र का इलाका तो बहुत पिछड़ा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उदयपुर डिवीजन में जितने काम हुए हैं, उनके अनुपात में आपके इलाके में काम कम हुए....

श्री चन्दनमल बैद : आप ज्यादा कीजिए ना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : करूंगा। ऐसी बात नहीं है। और इसीलिए एक बार में ही एक साल में 47 स्कूल वहां खोलने पड़े। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल देवपुरा : मुख्य मंत्री महोदय, आप उसे गलत समझ रहे हैं। 47 प्राइमरी स्कूल उस बात का हिस्सा है जो छः हजार स्कूल आपने बंद किये थे उनमें से वह 47 स्कूल है। हर पंचायत समिति में कम से कम 15 से लेकर 25 तक स्कूल बंद हुए हैं। तो मैं अकेले की बात नहीं कह रहा। उसी हिसाब से मेरी पंचायत समितियां दो हैं। एक पंचायत समिति में 27 स्कूल और एक पंचायत समिति में 20 स्कूल हैं। कोई ऊपर नहीं गये हैं....

श्री चन्दनमल बैद : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी 30 से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इस बात को मान लो, आपका इलाका पिछड़ा हुआ है।

श्री हीरालाल देवपुरा : इलाका पिछड़ा हुआ है कम्पेरेटिव स्थिति में मैं नहीं कहता कि इलाका पिछड़ा हुआ नहीं है। कम्पेरेटिव स्थिति में पिछड़ा हुआ है। आपको उस इलाके का ख्याल नहीं होगा। 1947 से पहले उस इलाके को आपने देखा होता तो आप अन्दाज लगाते कि वह इलाका क्या था और आज वह इलाका क्या है। यह तो वहां के लोग कहते हैं।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

इसकी बात मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे यहां उसकी पैरवी करने की आवश्यता नहीं है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि विकास के काम के नाम पर आज सब तरह के काम बंद पड़े हैं कोई विकास का काम इस सरकार के आने के बाद राजस्थान में दिखता हुआ नजर नहीं आता। गांवों के लोग कहते हैं। एक पत्थर आज आगे नहीं सरका सड़कों का, न किसी और बातों का।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंचायती राज की बात कर रहा था और इसी सिलसिले में ही विकास की बात मैंने कही है। आज इन पंचायती राज संस्थाओं के लिए, जब इन संस्थाओं को आपने भंग किया था, मैं भंग शब्द काम में ले रहा हूं और आप उसे कहेंगे कि उसकी टर्म खत्म होने के बाद हमने उनको समाप्त किया, हम चाहते थे कि आप उनके चुनाव करवाते। पुनर्गठन करना था पंचायतों का तो उन पंचायतों की मियाद बढ़ाते और जन-प्रतिनिधियों के सामने रहते हुए उनके पुनर्गठन की आप बात करते तो कोई बात होती। कोई जरूरी नहीं है कि पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। पुनर्गठन होना चाहिए। काफी समय के बाद पंचायतों का पुनर्गठन हो, जरूर होना चाहिए। पुनर्गठन के लिए, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपके सामने ही विपक्ष के कुछ लोगों के साथ मीटिंग हुई थी, पुनर्गठन की चर्चा की थी और आपने एक बात कही थी कि मैं जल्दी से जल्दी इन बातों को पूरा करना चाहता हूं और कैसे जल्दी हो सकती हैं, यह भी आपने बताया था। हर जिले के अन्दर आप एक सीनियर आफिसर को भेजेंगे, हमने एतराज किया था इस बात पर विपक्ष की तरफ से कि आपने पुनर्गठन के अन्दर जन-प्रतिनिधियों का सहयोग नहीं लिया। जो आपके यहां पर यह आंकड़े बन कर आये हैं, अधिकारियों के माध्यम से आये हैं, लोगों की भावनाओं को आपने नहीं जाना है। आपने कहा था, फैसला किया था उस मीटिंग में, कि हर जिले के अन्दर हम सीनियर आफिसर को भेजेंगे, कमिश्नर रैंक के आफिसर को भेजेंगे और वह हर पंचायत समिति की तारीख मुकर्रर कर वहां पर जन-प्रतिनिधियों से इन प्रस्तावों के ऊपर विचार करेगा और उसमें जो भी संशोधन होंगे उसके आधार पर पुनर्गठन कर दिया जायेगा। तारीख भी आपने तय कर दी और उस आधार पर आप चुनाव करवाना चाहते थे लेकिन वह समय निकल गया, चुनाव अब तक नहीं हुए....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो पहला व्यक्ति हूं पार्टी की तरफ से बोलने वाला।

श्री उपाध्यक्ष : कल कार्य सलाहकार समिति में यह तय किया गया था कि छः बजे तक सदन चलेगा। मुझे इसीलिए सदन को निवेदन करना है ...

एक माननीय सदस्य : हमारा टाइम है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं उसका एतराज नहीं कर रहा हूं। मुझे यह सूचना देनी है कि छः बजे तक और करना है दस वक्ता और हैं और दो घंटे हैं खाली। इसलिए थोड़ा लिमिट कीजिए। (व्यवधान) नहीं, आपको मैं रोक नहीं रहा हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा : मुझे क्षमा करें, मैं तो यह समझा कि आप मुझे रोक रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, यह घंटी तो रोकने की नहीं है सूचित करने की है।

एक माननीय सदस्य : चलाने की है।

श्री उपाध्यक्ष : चलाने की भी नहीं है।

(4·00 म. प.)

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा होता कि इन पंचायती राज संस्थाओं को आप कायम रखते और इन संस्थाओं के रहते हुए आप चुनाव कराते। लेकिन आप चुनाव क्यों कराते? सहकारी समितियों को आपने भंग किया और सहकारी समितियों को भंग करके ग्राम सेवा सहकारी समितियों के आपने चुनाव करा दिये। हमने समझा कि आगे भी चुनाव हो जायेंगे लेकिन जब ग्राम सेवा सहकारी समितियों के परिणाम आपने देखे और उसके आधार पर जिला स्तर और शीर्ष स्तर पर संस्थाएं बनने का स्वरूप आपने देखा तो आपको लगा कि इस आधार पर हमारे हिसाब से संस्थाएं नहीं बन पायेगी। आपने उनके चुनाव नहीं कराये। वही नतीजे देख कर, आपके बाई–इलेक्शन के नतीजे देखकर, लोक सभा चुनाव के नतीजे देख कर आपने देखा कि पंचायतों के चुनाव करा लेंगे तो यह पंचायतें हमारे साथ आने वाले नहीं, यह कारण रहा है आपके चुनाव नहीं कराने का। कोई कारण नहीं था कि नौ महीने का समय निकल जाने के बाद भी आप उनका पुनर्गठन नहीं कर सकते थे और उनके चुनाव नहीं करवा सकते थे। चुनाव कराने के लिए नीयत चाहिए, मंशा चाहिए, मन चाहिए। वह नीयत, मंशा और मन आपका चुनाव कराने का नहीं है और उसके पीछे राजनीतिक दृष्टिकोण से आप सोच रहे हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि सहकारी संस्थाओं के अन्दर हम राजनीति नहीं लाना चाहते। मुख्य मंत्री महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि अभी जो क्रय-विक्रय सहकारी समितियों और उपभोक्ता भण्डार के चुनाव हुए, पता लगाइये कि वहां राजनैतिक आधार पर आपके उम्मीदवार खड़े किये गये थे या नहीं किये गये थे? एक तरफ आप कहते हैं कि राजनीति के आधार पर नहीं बनाना चाहते इन संस्थाओं को, इन संस्थाओं में राजनीति नहीं लाना चाहते और दूसरी तरफ जो उम्मीदवार खड़े करते हैं, आप पार्टी के नाम से उम्मीदवार खड़े करते हैं।

क्या राजनीति नहीं आयेगी उसमें? उसमें राजनीति निश्चित रूप से आयेगी। यह दो बातें क्यों कहते हैं। स्पष्ट कहिये कि हमें राजनीति लानी है, लायेंगे राजनीति। पंचायती राज संस्थाओं में राजनीति लानी है तो लायेंगे राजनीति। क्यों नहीं स्पष्ट कहकर हम चलें? क्या दिक्कत है? कथनी और करनी में भेद मत रखिये। यही तो हम कहते हैं कि सरकार की करनी और कथनी में भेद है। यह सरकार कहती क्या है और करती क्या है। हमारा यही तो आरोप है, और है क्या। न तो पंचायती राज संस्थायें काम कर रही हैं। पंचायती संस्थायें काम नहीं करना चाहती। सारे कामकाज ठप्प पड़े हैं।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर वितरण व्यवस्था की भी बात कही गयी थी और कहा गया था कि वितरण व्यवस्था काफी सुचारू रूप से चल रही है। अभी खाद्य मंत्री जी जब जवाब दे रहे थे तो उन्होंने महीनेवार आंकड़े दिये कि भारत सरकार ने गेहूं कितना आवंटित किया और हमने कितना गेहूं उठाया। शायद एक महीना ऐसा आया था जिस महीने में भारत सरकार के आवंटन किये गये की अपेक्षा ज्यादा गेहूं, दो चार हजार टन ज्यादा गेहूं उठाया गया। सब महीनों में आवंटन जितना हुआ उतना गेहूं नहीं उठाया जा सका। क्या भारत सरकार को दोष देना चाहते हैं ? भारत सरकार आवंटन करती है। माननीय मुख्य मंत्री जी आपको भी मालूम है पिछली खपत देखती है कि क्या केपेसिटी है राजस्थान के अन्दर खपत की। इसी साल में गये महीने में कितनी खपत हुई थी उसके आधार पर आवंटित करती है। आप आवंटित किये हुए गेहूं को यदि नहीं उठा पाये तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उसका असर पड़ेगा और जो आप आवंटन चाहते हैं वह आवंटन वह आपको नहीं हो पायेगा। इसका नुकसान राजस्थान को है। हम कभी महसूस करते हैं। जो आवंटन हुआ उसकी कमी महसूस करते हैं और कमी महसूस करते हुए भी हम उस आवंटन के माल को नहीं उठा पा रहे हैं, हमारी केपेसिटी नहीं है तो भारत सरकार किस लिए अनाज देगी हमको। किस आधार पर हमको अनाज देगी ? क्या स्थिति देखकर अनाज देगी। जो देते हैं उसको भी उठाते नहीं है फिर किस मुंह से मांगेंगे। इसलिए इस चीज को सुधारने की बहुत बड़ी जरूरत है। आज गांवों के अन्दर न पूरा गेहूं मिल रहा है न पूरी समय पर चीनी मिलती है, न मिट्टी का तेल मिलता है। आज यह स्थिति बनी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, आप इस पद्धति को बदलिये। अभी खाद्य मंत्री जी कह रहे थे कि जिनको जरूरत है उसको रोक नहीं सकते और जिनको जरूरत है वह भी लेना चाहते हैं और जो बाजार भाव से गेहूं खरीद सकते हैं वह भी लेने आते हैं हमारी चीपग्रेन शाप पर, उसको भी हम मना नहीं कर सकते। आप इसका कोई तरीका निकालिये। जो क्षेत्र खेती के आधारित क्षेत्र नहीं हैं, जो वर्ग जैसे मजदूर वर्ग है और जो वर्ग खेती नहीं करते उस वर्ग की तरफ आप पहले ध्यान दीजिए। उस क्षेत्र के अन्दर जैसे आदिवासी क्षेत्र है, आपका रेगिस्तानी इलाका है उस पर आप पहले ध्यान दीजिए। जहां अनाज कम पैदा होता है लोगों को मिलता नहीं है, जो मजदूरी पर आधारित हैं उनको चाहिए गेहूं। उनको आप दीजिए। स्पेशल आवंटन कीजिए। क्यों शहरों में ही सब दुकानें चलें और गांवों के अन्दर दुकानें नहीं चलें। कम कीजिए शहर के अन्दर, अगर आप महसूस करते हैं कि शहर के लोग खरीद सकते हैं तो क्या जरूरत है शहर के अन्दर गेहूं देने की और दूसरी चीजें देने की ? लेकिन आप शहरों में डिस्ट्रिब्यूशन पूरा करें और गांवों को निगलेक्ट करें तो निश्चित रूप से गांवों के अन्दर असन्तोष फैलेगा। उसको लोग देखते हैं, लोग उसको इन्कार नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने प्रधान मंत्री

(श्री हीरालाल देवपुरा)

जी को बाड़मेर में बुलाया और एक नयी योजना का उद्‌घाटन कराया। प्रधान मंत्री जी आये और आपने कहा कि एक हजार की जनसंख्या पर एक फेयर प्राइज शाप होगी और तारीख दी कि आज की तारीख से यह होगा। वह फेयर प्राइज शाप किस को खोलनी थी? भारत सरकार को? नहीं वह फेयर प्राइज शाप राजस्थान सरकार को खोलनी थी। क्या उस आधार पर हमने फेयर प्राइज शाप खोली? आपने व्यवस्था बैठाई नहीं, आपने सिस्टम जमाया नहीं और सिस्टम नहीं जमाने के बाद भी आप बराबर मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार नहीं दे रही है, भारत सरकार नहीं दे रही है और जो कुछ भारत सरकार दे रही है उसको आप उठा नहीं पा रहे हैं। यह क्या स्थिति है? इस स्थिति को आपको देखना होगा। इस क्षेत्र में भी आप असफल रहे हैं, मैं ऐसा कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, अकाल की बात अभी चली। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज के अखबार में हमने पढ़ा कि राजस्थान सरकार ने कुछ जिलों में कुछ गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। फरवरी का महीना चल रहा है, खरीफ फसल की जिन्सवारी अक्टूबर में होती है। अक्टूबर में परिणाम आ जाते हैं, मालूम होता है कि कहां कितनी फसल पैदा होगी। अक्टूबर के अन्त तक सरकार को मालूम हो जाता है और नवम्बर का महीना होता है तब कहा जा सकता है कि कौन से गांव हमारे अभावग्रस्त हैं। अभी तो आपने कुछ ही जिलों को किया है, अभी शेष जिलों में और बाकी हैं। कब अभावग्रस्त घोषित करना चाहते हैं। अभावग्रस्त घोषित नहीं करके इतने दिनों तो लोगों को अभाव में रख दिया और स्थिति हुई कि आज कई इलाकों से लोग बाहर जाकर अपना कामकाज करना शुरू करने लग गए। मुझे मालूम है माननीय मुख्य मंत्री जी, विपक्ष के नेता की हैसियत से आप यहां कहा करते थे कि लोग पलायन कर रहे हैं और सरकार असफल है, उनको काम नहीं दे पा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने काम खोल दिये आपने? बजट भाषण में आपने कहलवाया कि नौवें वित्त आयोग में केवल 93 करोड़ रुपये इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के लिए खर्च करने के लिए निश्चित किये हैं। 9वें वित्त आयोग को लगे दो साल हो गए। 93 करोड़ रुपया गये साल का और 93 करोड़ रुपया इस साल का लगभग 186 करोड़ रुपया यह तो खर्च कर दो। यह खर्च करके काम तो शुरू करवा दो। हम आपका साथ देते....

श्री चन्दनमल बैद : यह लिमिट थोड़े ही है।

श्री हीरालाल देवपुरा : हम आपका साथ देते भारत सरकार से पैसा लाने में। मजबूर करते भारत सरकार को। राजस्थान की हालत खराब है और मजदूरी के लिए आप पैसा दीजिए लोगों को। भारत सरकार ने कांग्रेस के समय में 600 करोड़ रुपया दिया था। ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए, कभी भी केन्द्र सरकार पीछे नहीं

(श्री हीरालाल देवपुरा)

रही। लेकिन पहले शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। हम शुरुआत करके पूरे तथ्य लेकर भारत सरकार के सामने जायेंगे तो निश्चित रूप से भारत सरकार पैसा देगी। वरना किस आधार पर पैसा देगी। आपने टेस्ट वर्क्स शुरू नहीं करवाये। आपने यह नहीं देखा कि किस क्षेत्र में इसकी कितनी गहराई है, कितनी गम्भीरता है। इसलिए आप टेस्ट वर्क्स शुरू करवाते तो आपको अन्दाजा लगता कि यहां पर क्या स्थिति है। वह चीज आपने शुरू नहीं करवाई और अकाल राहत के लिए केवल यह कहने मात्र से कि हम भारत सरकार से पैसा मांगेंगे, कब मांगेंगे? फरवरी का महीना, मार्च, अप्रेल और मई में क्या स्थिति बनेगी? इसका अन्दाजा माननीय मुख्य मंत्री जी आप स्वयं लगा सकते हैं। आप राजस्थान को जानते हैं, राजस्थान की स्थिति से आप वाकिफ हैं, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति से आप वाकिफ हैं, राजस्थान की परम्पराओं से आप वाकिफ है, राजस्थान के लोगों के कामकाज के तरीकों से आप वाकिफ हैं। आपको मालूम है कि किस स्थिति में लोग यहां रहते हैं। उनके लिए हम को पहले से प्लान करना पड़ेगा। आम एन टाइम पर कुछ करना चाहेंगे तो संभाल नहीं पायेंगे उस स्थिति को। आज अकाल राहत के अन्दर, इस भीषण स्थिति के अन्दर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ भी आपने नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के बारे में मैंने काफी कुछ कहा है और शेष मैं कुछ कहना चाहता नहीं। कानून और व्यवस्था की बात पर मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगा। बड़ी तारीफ की गयी कि राजस्थान में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, सुदृढ़ है। कोई खामी नहीं है। हमने बार्डर के ऊपर तस्करी के अन्दर इतना माल जप्त किया है, इतना पकड़ा है, हमने सीमाओं पर ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, वह ठीक है राजस्थान की अंदरूनी हालत क्या है उसको देखिये। बोर्डर पर तो आप भी देखते हैं, भारत सरकार भी देखती है। बोर्डर पर तो कई तरह के चैक्स हैं लेकिन अन्दर क्या हालत हो रही है? जयपुर में दिन-दहाड़े हत्यायें होती हैं, छुरे मारे जाते हैं, बंदूक चलाई जाती है। उन हत्याओं का कहीं पता लगा आपको?

एक माननीय सदस्य : नजर नहीं आती हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : नजर नहीं आएगी। कभी नजर नहीं आएगी आपको। जिन आंखों से आप देखना चाहते हैं उन आंखों से नहीं दिखेगा। पंकज सिंघवी की हत्या क्या छुपा हुआ काण्ड है, कृष्णा यादव की हत्या क्या छुपा हुआ काण्ड है? क्यों नजर आएगी आपको। आज तक उनका पता नहीं चला। रोज अखबारों की सुर्खियों में आता है कितनी महिलाएं जल गयी, दहेज के कितने प्रकरण आये, यह कोई छिपी हुई बात है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दिल्ली में क्या होता है? वह छिपी हुई बातें हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं उनको डिफेंस नहीं करूंगा मुख्यमंत्री जी।

श्री चन्दनमल बैद : हम दिल्ली के एम.एल.ए. नहीं हैं और आप दिल्ली के मुख्यमंत्री नही हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं उसको डिफेंस नहीं करूंगा। मैं राजस्थान की बात कह रहा हूं, अपने मन की पीड़ा आपको बता रहा हूं । मैं दूसरी बात नहीं कह रहा हूं। आज राजस्थानी जैसी जगह में यह स्थितियां हों तो गांवों की क्या हालत होगी ? कौन पूछने जा रहा है वहां ?

आपने कहा कि पुलिस स्टेशन में हिदायत दे दी गयी है कि जो सूचना आये उनको नोट करो हिदायत आपने दे दी। अमल कितना हो रहा है ? मंत्री महोदय हुक्म देते हैं कि सड़क पर खड्डे नहीं रहें अमल कितना हो रहा है ? इसको देखना पड़ेगा कौन-सा पुलिस स्टेशन है जो कितना काम कर रहा है ? सब के मन में यह चीजें हैं। गांवों में चोरियां होती हैं। आज तक बरामद नहीं हो पा रही हैं। मेरे इलाके की चोरियां 6, 7, 8, 10 महीने हो गये, आज चोरियां बरामद नहीं हो पा रहा हैं। जहां राजधानी में यह हालत हो तो गांवों के अन्दर तो पुलिस स्टेशन दूर है, राजधानी में पुलिस स्टेशन यहीं है। केवल पुलिस स्टेशन ही नहीं, सीनियर मोस्ट आफिसर पुलिस के यहां बैठते हैं, उनकी आंखों के नीचे यह चीजें घटती चली जाए, उनका पता नहीं लगे। क्या बात करें हम कानून और व्यवस्था की। केवल साम्प्रदायिक दंगे इस वर्ष नहीं हुए, इसको आप अच्छा मान लो कि कानून और व्यवस्था ठीक हो गयी । यह कानून और व्यवस्था ठीक होने की बात नहीं है और साम्प्रदायिक दंगों के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं उसको दोहराना नहीं चाहता।

इस एकता यात्रा से क्या सिद्ध होता है ? यह किस बात की निकाली थी ? कौन नही चाहता है कि एकता यात्रा नहीं निकलनी चाहिए ? लेकिन इस एकता यात्रा के नाम पर आपने क्या किया ? कश्मीर में वहां पर जितने आतंकवादी हैं मिलिटेंस हैं उनको एकजुट कर दिया आपने जिनको पकड़ने की कार्यवाही शुरू हो गयी थी, जो पकड़े जा रहे थे या उन पर दबाव पड़ गया था उस दबाव को आपने खत्म कर दिया । उनके हौसले और बढ़े। आज देश के अन्दर यह जो स्थिति पैदा की जा रही है, मैं समझता हूं कि यह देश के लिए बहुत घातक होगी उपाध्यक्ष महोदय, यह स्थिति देश के लिए बड़ी घातक होगी और इससे हमें बचना चाहिए। कौन नहीं चाहता भारत की एकता? हम सब चाहते हैं। इसके लिए यात्रा की जरूरत नहीं होती। गांव-गाँव में हम जैसे सब लोगों को जाकर बैठना होगा....(व्यवधान) एक जाग्रति लोगों में पैदा करनी होगी। केवल यात्रा निकाल देने मात्र से राजनीतिक लाभ आप लेना चाहते हैं। राजनीतिक लाभ आप कितना ले पायेंगे ? यह मत भूलिये कि एक बार मंदिर के नाम पर वोट मिल गये तो बार-बार मंदिर-मस्जिद के नाम पर वोट मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है। क्यों नहीं मंदिर बनाया आपने वहां पर ? क्या दिक्कत थी....

श्री हेमराज मीणा : 40 साल तक आपकी सरकार थी। कश्मीर के इशू को क्यों नहीं उठाया आपने । आज हमने उठाया तो इसको राजनीतिक बता रहे हैं आप (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री हीरालाल देवपुरा : आपको उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है ।

श्री चन्दनमल बैद : आप तो मंदिर के पुजारी बन जाओ जाकर के ।

हीरालाल देवपुरा : मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि इस नाम पर वोट लिए गये । हम इस पक्ष के नहीं हैं कि झगड़ा फैला कर लोगों को गुमराह करके वोट लें । हम सही बात कहकर, स्पष्ट चीज कह कर लोगों के सामने जाना चाहते हैं और उसी आधार पर वोट लेते हैं । नतीजा देख लीजिए । पंजाब में आज जो चुनाव हुआ है, जिस रूप में कांग्रेस जीतकर के उभरी है, जनता ने इस बात को समझा है कि देश में एक मात्र अगर राजनीतिक पार्टी है, जो इस प्रकार के आतंकवाद को खत्म कर सकती है, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रख सकती है तो मात्र कांग्रेस पार्टी है जिसकी वजह से आज करीब-करीब तीन-चौथाई सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतकर आयी और संसद में 12 में से 11 सीटें आज कांग्रेस ने ली है.... (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : पहले भी आप ही थे । आतंकवाद आप लोगों ने पैदा किया है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज बिराजिये आप ।

श्री हीरालाल देवपुरा : यदि कश्मीर में चुनाव हुए तो आपको परिणाम सामने देखने को मिलेंगे । रोज पंजाब वाली स्थिति के परिणाम आज कश्मीर में सामने आये हैं । तो मैं कहना चाहता हूं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कश्मीर में चुनाव करा दीजिए ।

श्री हीरालाल देवपुरा : चुनाव करवाना मेरे हाथ में नहीं है । मुझे कोई पूछे तो निश्चित रूप से राय दूंगा, लेकिन यह तो उन नेताओं के सोचने की बात है कि वह कब करायें और कब नहीं करायें । मेरा विश्वास है कि जब भी फैसला होता है तो नतीजा वही आयेगा जो नतीजा आज पंजाब में आया है ।

श्री चन्दनमल बैद : राजस्थान में भी वही नतीजा आयेगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पंजाब में तो बहुत सीटें ऐसी हैं जिनमें $6\frac{1}{2}$ प्रतिशत वोटों से आप जीते हैं ।

श्री हीरालाल देवपुरा : हम तो एक वोट से जीते हैं लेकिन जीते हैं आपकी पार्टी का क्या हुआ, मैं तो यह जानना चाहता हूं ? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमारे पास फोर्स और पुलिस नहीं थी वोट दिलाने के लिए ।

श्री चन्दनमल बैद : आप तो बी. एफ. सी. से ही नीचे रह गये ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इतना छोटा टारगेट था कि $6\frac{1}{2}$ पर्सेण्ट वोट आप नहीं ला सके ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विश्नोईजी, आपको प्रचार करने के लिए बुलाया था, आप क्यों नहीं आये ?

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में क्या हुआ, उसके बारे में मैं अभी दो बातें कह चुका हूं। लोकसभा के चुनाव और उप चुनाव, जो अभी बाई इलेक्शन हुए थे, वह परिणाम भी बताते हैं कि आप कितने पानी में हैं। आपके सोचने की बात है, मैं कोई ज्यादा नहीं कहना चाहता। आप गम्भीरता से सोचिये। खाली यहां ऊंची-ऊंची बातें कहने से काम नहीं चलेगा। लोगों के मनों को पहचानिये कि क्या सोचते हैं लोग ? उनके दर्दों को सुनिये कि कितना उनके गांवों में हो रहा है, अगर काम नहीं हो रहा है तो यही परिणाम आने वाले हैं जो इस बाई इलेक्शन का है। वही परिणाम आगे भी राजस्थान में देखने को मिलेंगे। आप यहां हमारी कुर्सियों पर होंगे और कांग्रेस उन कुर्सियों पर होगी जिन पर आप बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये आप।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं काफी कुछ कह चुका हूं और मुझे बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बातें तो कहने के लिए बहुत हैं, अगर मैं कहना शुरू करूंगा तो आप ही कहेंगे कि हमारा समय चला गया इसलिए मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं कहना चाहता हूं। इसलिए हमने कहा है कि यह सरकार अकर्मण्य सरकार है। इस सरकार के कार्यकाल में राजस्थान का विकास अवरुद्ध हुआ है, रुका है, कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, कानून और व्यवस्था की स्थिति चरमरा गयी है और राजस्थान में हम आज ऐसा महसूस करते हैं कि राजस्थान में कोई सरकार ही नहीं है। अच्छा होता माननीय मुख्य मंत्रीजी यह सब बातें भी माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बताते तो हम भी शरीक होते आपके इस धन्यवाद प्रस्ताव में राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण यहां पर दिया, उसका हमें धन्यवाद अर्पित करना चाहिए। राज्यपाल महोदय इस सदन में पधारे, उनका तो हम स्वागत करते हैं लेकिन दुर्भाग्य से उनके मुंह से जो बातें कहलाई गयी, उनका हम विरोध करते हैं। राज्यपाल महोदय का धन्यवाद करता हूं कि राज्यपाल महोदय इस सदन में पधारे। इसका मैं जरूर धन्यवाद करता हूं, लेकिन उनके मुंह से जो बातें कहलाई गयी उनका घोर विरोध करता हूं और पुनः यह बात कहना चाहता हूं कि यह सरकार अकर्मण्य सरकार है, नाकारा सरकार है और माननीय भैरोंसिहजी, आप राजनीति के बहुत बड़े और गहरे विद्वान हैं, आप सब जानते है और प्रक्रिया भी जानते हैं और कई बार आपने सरकारों से इस सदन में इस्तीफा मांगा है, मैं आपसे इस्तीफा नहीं मांगता मैं तो आप से कहता हूं कि इन सारी स्थितियों को देखते हुए स्वयं आप त्याग पत्र दे दें, इनसे छुटकारा पायें। आप बहुत परेशान हैं इस परेशानी से मुक्ति लें, अपना स्वास्थ्य ठीक रखें धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मदन लालजी सैनी।

श्री मदन लाल सैनी (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्षजी, अभी विपक्ष की ओर से माननीय देवपुराजी इस प्रकार की काल्पनिक चर्चाएं कर रहे थे। उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि उप चुनावों में उन्होंने एक सीट ज्यादा जीत कर बड़ा तीर मार लिया। वास्तव में उनकी जो पुरानी आदतें रही हैं बूथ कैप्चर करने की, उस बूथ कैप्चरिंग के द्वारा उन्होंने इस प्रकार का जो एक प्रयास किया उस प्रयास में एक सीट उन्होंने जीती। राजस्थान की विधान सभा में चार उप चुनावों में एक जीत लेना उनकी कोई योग्यता या सरकार की नीतियों.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष - माननीय पारीक साहब, आप विराजिये।

श्री मदन लाल सैनी : भारतीय जनता पार्टी के लोग चार-चार नाम से फर्जी लोन लेने के आदी नहीं हैं। यहां एक व्यक्ति का नाम भी वही रहता है, उसके बाप का नाम भी वही रहता है। एक चीज को गिरवी रखता है, हम एक चीज को दस-दस नाम से गिरवी रखने के आदी नहीं हैं, माननीय विधायक महोदय।

श्री राजेन्द्र पारीक : क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं इन सब बातों से आप यहां पर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सैनीजी, आसन को सम्बोधित कीजिये माननीय पारीक साहब, बिराजिये।

श्री मदन लाल सैनी : मैं, आप चाहेंगे तो बता दूंगा, कल बोलने वाला हूं। यह जो सवाल खड़ा हुआ, माननीय उपाध्यक्षजी, राज्यपाल महोदय ने जो कहा है वास्तव में उन्होंने राजस्थान में जो सारी सारी स्थिति देखी है, समझी है, इस अभिभाषण को देखने, पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि उनका अभिभाषण वास्तविक धरातल पर बनाया गया अभिभाषण है।

माननीय उपाध्यक्षजी, पिछले समय में हमने जो एक वायदा किया था संवेदनशील प्रशासन देने का, वह वायदा पूरा किया है। जनता को सीधा, सस्ता और सुलभ न्याय मिले, जनता को परिवादों में उलझना नहीं पड़े, इस प्रकार की छोटी-छोटी व्यवस्थाएं की हैं। एक प्रकार से 96 मुंसिफ अदालतें नयी खोली हैं, कुछ को क्रमोन्नत किया है ताकि जनता कम से कम दूरी पर जाकर जल्दी से जल्दी न्याय प्राप्त कर सके। मुकदमे जो लम्बे समय तक अनिर्णित पड़े रहते हैं उनका निर्णय भी जल्दी हो सके। भ्रष्टाचार पर रोक लगे इसका भी प्रयास किया गया है। अभी कह रहे थे, भ्रष्टाचारी घूम रहे हैं। वास्तव में भ्रष्टाचार है। आज भी भ्रष्टाचार है इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह किसके पाप का परिणाम है? इस हाउस में यह भी विचार करना पड़ेगा। क्या भारतीय जनता और जनतादल (दिग्विजय) की सरकार पिछले वर्षों में निरन्तर राज करती आ रही थी? वास्तव में भ्रष्टाचार इस देश की रग-रग में इस प्रकार से कांग्रेस की पूर्व सरकार ने बना दिया, आज एकदम से उसका मूलोच्छेद करने में उतनी ही ताकत लगानी पड़ेगी जिस लम्बे समय से यह भ्रष्टाचार खड़ा किया गया। इस भ्रष्टाचार को दूर

(श्री मदनलाल सैनी)

करने का, कम करने का प्रयास इस समय हुआ है यह इस समय नहीं होता तो इस प्रकार की जो विकास की योजनाएं हैं, माननीय उपाध्यक्षजी, राजीव गांधी ने कहा था, मैं एक रुपया दिल्ली से भेजता हूं लेकिन 15 पैसे गांव की चौपाल तक गांव के विकास में रह जाते हैं। हम लोगों ने वह काम नहीं होने दिया। आज जयपुर से भेजा जाने वाला एक रुपया गांव की चौपाल तक गांव के विकास विकास के काम में पूरा का पूरा लगे, यह आज हमारा प्रयास है और वह लग रहा है। उसी कारण से आज यह विकास हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्षजी, इस प्रकार का प्रयास किया कि सरकारी भूमि पर जो अतिक्रमण किया जा रहा है उसको रोका जा सके। सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि जो इस प्रकार के अतिक्रमण करने वाले लोग हैं, गोचर भूमि पर अतिक्रमण करने वाले लोग हैं, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले लोग हैं, उनको कारावास की सजा दी जा सके। इस प्रकार की योजना सरकार ने बनायी है।

माननीय उपाध्यक्षजी, किसानों को रिकार्ड की हेराफेरी के कारण से बड़ी परेशानी होती है। किसान अदालत में बार-बार जाता है। पास बुक के आधार पर पास बुक को आथेन्टिक डाकूमेंट बना कर किसान को एक प्रकार से अधिकार दिया जा रहा है कि उसकी पास बुक की एण्ट्री फाइनल एण्ट्री मानी जायगी। इस प्रकार का परिवर्तन करने से राजस्थान के किसानों को एक बड़ी राहत मिलेगी।

कृषि प्रधान यह प्रान्त है। इस प्रान्त में पिछले समय में कृषि पर जितना विनियोग हुआ है, मान्यवर, पिछले वर्ष में नौ करोड़ का हुआ, आज की स्थिति यह है कि दस ग्यारह गुणा हमने बढ़ोतरी की है विनियोग में। बाकी योजना बनी है, उसमें कृषि को प्राथमिकता दी गयी है। जो नयी योजनाएं हैं उनमें फव्वारा योजना है नालियों के निर्माण की योजना है, कुओं का बीमा की योजना है, सामूहिक नलकूप किसान मिल कर बना सकें ताकि एक व्यक्ति पर आर्थिक भार नहीं पड़े, इस प्रकार की योजना है। राजस्थान में फलों का विकास हो इसके लिये भी एक विशेष योजना है। सरकार की जो इस प्रकार की नीति है उसी का परिणाम है कि राजस्थान तिलहन में आज तीसरे स्थान पर देश में है। सरसों में हम पिछले समय से पहले नम्बर पर चलते आ रहे हैं, उसी का परिणाम है। आज 28 लाख टन रिकार्ड उत्पादन तिलहन में हमने प्राप्त किया है पिछले वर्ष के 23 के मुकाबले में। वास्तव में यह कृषि परक जो नीतियां हैं, जो किसानों को सुविधाएं दी गयी हैं उन्हीं का परिणाम है कि आज इस स्थिति पर हम पहुंचे हैं।

अकाल के कारण से पिछले वर्ष के 110 के मुकाबले में 82 लाख टन का उत्पादन हुआ, उत्पादन कम हुआ यह बात ठीक है लेकिन उसके कारण से जो सरसों का उत्पादन बढ़ा और राजस्थान को एक लाभ मिलना चाहिये था, हमको 600-700

[redacted]

(श्री मदनलाल सैनी)

करोड़ का घाटा हुआ, सरसों के अधिक उत्पादन के कारण से 500 करोड़ का घाटा हमारा पूरा होता है। आज इसके कारण से पहले स्थान पर सरसों में राजस्थान है। 74 करोड़ की विश्व बैंक से योजना चार जिलों के लिये विशेष रूप से तैयार की गई है, जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और उदयपुर के लिये। वहां जो ढलान का पानी है, उस एरिया में जो पानी बह कर निकल जाता है उसका पूरा बराबर उपयोग किया जा सके इसके लिये विश्व बैंक की सहायता से 74 करोड़ रुपये की योजना बनी है। गांवों में ग्रामीण जलग्रहण विकास के लिये एक निगम की स्थापना की गयी है ताकि जल की एक-एक बूंद का उपयोग किया जा सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बारानी भूमि का विकास करना राजस्थान की आवश्यकता है। उसको पूरा करने के लिये जिन क्षेत्रों में 20 प्रतिशत से कम सिंचाई होती है, इस प्रकार के जो 188 ब्लाक्स हैं उन ब्लाक्स में चरागाह के विकास के लिये, फलों के विकास के लिये, अन्य दूसरा जो खेती का विकास है उसके लिये एक योजना सरकार बना रही है। उसके कारण से किसानों का और भी विकास होगा। यह बात ठीक है कि नवें वित्त आयोग के कारण से हमको मिलने वाली जो सहायता है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। महंगाई तो बढ़ रही है, प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ रही हैं लेकिन भारत सरकार हमको जो 93 करोड़ रुपया देती थी उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही इसके कारण से हमारी योजनाओं पर भी प्रतिकूल असर आयेगा। लेकिन फिर भी सरकार का यह दृढ़ निश्चय है कि किसानों को जो लाभ मिलने वाला है उसमें कोई कटौती नहीं की जाय। विश्व बैंक की सहायता से 300 करोड़ की योजना कृषि विकास के लिए अलग से लागू की जा रही है। इसमें पशुपालन पशुओं की नस्ल, फल विकास तथा मत्स्य विकास के ऊपर विशेषकर जोर दिया जायेगा। अंडरग्राउण्ड पानी के सर्वेक्षण का भी इसमें विषय रहेगा, जिससे भूमिगत जल का उपयोग अधिक से अधिक किया जा सकेगा। किसानों को बार-बार दस जगह चक्कर न काटना पड़े, इसके लिए कृषि विपणन बढ़ाने के लिए भी सरकार ने जिला मण्डी कोष की स्थापना की है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मण्डी शुल्क एक ही जगह पर लिया जाये, इस प्रकार की भी व्यवस्था की है। इंदिरा गांधी नहर का जिन आवंटियों को कब्जा नहीं मिला है, उनको कब्जा दिये जाने का भी प्रयास किया जा रहा है और तीस हजार हैक्टेयर खालों का निर्माण करके किसानों को राहत दिये जाने की भी चर्चा की गई है, इससे किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। चम्बल कमाण्ड एरिया में भी बूंद-बूंद का उपयोग किये जाने का एक नया प्रयोग किया जा रहा है। पिछली बार यह चर्चा हुई कि खाद का पूरा वितरण नहीं हुआ लेकिन इस बार जो खाद का उपयोग राजस्थान में हुआ, वह 20 प्रतिशत अधिक हुआ है। पर हैक्टेयर 19 किलो की जगह 26 किलो का प्रयोग

(146)

(श्री मदनलाल सैनी)

किसानों ने किया है । हमारी साख भी बढ़ी है । इस बार 23 के मुकाबले 96 करोड़ का फसली ऋण हमने किसानों को बांटा है । इस बार हमारी सरकार का प्रयास है, सरकार इसके लिए वचनबद्ध है कि सरसों का भाव न गिरे । किसानों को परेशानी न हो, इसके लिए सरकार 250 करोड़ की सरसों किसानों से खरीदेगी । मान्यवर, यह बात कही जा रही थी कि यहां प्रजातन्त्र का गला घोट रहे हैं लेकिन प्रजातन्त्र का गला किन्होंने घोटा ? डेयरी के चुनावों की बात हुई तो डेयरी के चुनाव कब, किसने करवाये, हाउसिंग फाइनैंस कोपरेटिव सोसायटी के चुनाव कब हुए ? गुलाबपुरा, हनुमानगढ़, गंगानगर की मिलों के चुनाव कब-कब हुए ? बुनकर संघ और सहकारी उपभोक्ता संघ के चुनाव कब हुए ? यह किसका दोष है ? आज उस दोष का परिमार्जन किया जा रहा है । सरकार ने एक लाइन तय कर दी कि दो साल के बाद कोई भी प्रशासक नहीं रहेगा, दो साल में चुनाव कराना अनिवार्य कर दिया और कांग्रेस शासन तो जाते-जाते भी कई निगमों में प्रशासक नियुक्त कर गया । इस प्रकार की कार्यवाही आज सरकार में इस समय नहीं हो रही है और आपको ध्यान होगा कि जिनके चुनाव का समय पूरा नहीं हुआ, उन बैंकों या दूसरी संस्थाओं को समय से पहले भंग नहीं किया गया । सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पाली आदि के जो सहकारी बैंक थे, जिनका समय बाकी था, उनका समय पूरा करने दिया गया । यह सरकार आने के बाद, जो संस्थान पहले घाटे में चल रहे थे, पिछले दो वर्षों में यह रिकार्ड है कि केशोराय-पाटन की शुगर मिल, जो जीवन में केवल एक बार लाभ में रही थी शुरू में और जो निरन्तर घाटे में चल रही थी, अब इस सरकार के आने के बाद पहली बार लाभ में आई है । आज तक लाभ में नहीं आई थी । उसी का नहीं है और भी हमारी जो गंगानगर, हनुमानगढ़ की कपड़ा मिलें हैं, वह कपड़ा मिलें भी आज लाभ में आ रही हैं, पहले यह सब मिलें घाटे में चल रही थीं । आज बीज निगम जो लम्बे समय से घाटे में चल रहा था....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये ।

श्री मदनलाल सैनी : वह भी आज लाभ में आया है । राजफेड भी आज लाभ में आया है । 130 करोड़ का लाभ राजफेड में हुआ है और तिलम संघ भी आज लाभ में है । तिलम संघ ने आज 5 करोड़ का नेट प्रोफिट दिया है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी बात रखना चाहूंगा, एक चर्चा चली कि आर. सी. डी. एफ को हम एन. डी. डी. बी. को दे रहे हैं. उसके साथ में कुछ बात चीत कर रहे हैं । वास्तव में हमारी फ्रिजिंग की जो क्षमता है, उस क्षमता का पूरा उपयोग हम नहीं कर पा रहे थे । उसके साथ हमारा समझौता होने के कारण से डेढ़ लाख लीटर की जगह हम 9 लाख लीटर और खरीद सकेंगे । किसानों का दूध अधिक खरीदा जायेगा, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा । किसानों को सस्ते भाव में दूध देने को बाध्य नहीं होना पड़ेगा । यही नहीं, समाज कल्याण के माध्यम से भ्रष्टाचार पर रोक

(श्री ...लाल सैनी)

...ा है। समाज कल्याण विभाग ने कितने फर्जी छात्रावासों और सोसायटीज के खिलाफ कार्यवाही की है। यह भ्रष्टाचार पर रोक नहीं तो और क्या है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : बस करिये । कृपया एक मिनट।

श्री मदनलाल सैनी : पानी के क्षेत्र में भी हमने काफी प्रगति की है। एक हजार गांवों में हैण्ड पम्प, पांच सौ ढ़ाणियों में हैण्ड पम्प, एक हजार एस टी, एस सी की बस्तियों में हैण्ड पम्प का हमने लक्ष्य पूरा किया है। यह सारे नलकूप हमारी योजना के अतिरिक्त लगे हैं। सम्पर्क सड़कों और पुलियों के लिए सामूहिक सहकारिता के आधार पर और गांव के लोग काम करें, इस प्रकार की योजना बनी है । सड़कों पर खड्डों की बात आ रही थी तो जो कुछ बातें सत्तारूढ़ पार्टी ने अच्छी की हो, उसकी सराहना होनी चाहिए। वास्तव में सड़कों पर खड्डे मिलेंगे नहीं, और कहीं मिलेंगे तो आप लोगों का जहां ज्यादा आना-जाना होगा, वहां खड्डे हुए होंगे। बरसिंगपुर की लिग्नाइट बिजली का काम और सूरतगढ़ का तापीय बिजली का कारखाना, यह सारे जो निजी क्षेत्र में बने हैं, उसके कारण जो हमारी कमी है, उसकी हम पूर्ति कर सकें, इस दृष्टि से भी चित्तौड़ में इस प्रकार के प्रपोजल्स आये हैं। वह मंजूर होने पर हमको पांच सौ मेगावाट की अतिरिक्त बिजली मिलेगी । मथानिया में सौर ऊर्जा की व्यवस्था भी की जा रही है और हमने थर्मल से अतिरिक्त उत्पादन 23 प्रतिशत बढ़ाया है। उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया गया था और ज्ञापन दिया गया कि पंचायतों के चुनाव नहीं कराये गये, पंचायतों का डीलिमिटेशन हो रहा है और डीलिमिटेशन तार्किक है। 60–60 हजार की आबादी वाली एक-एक पंचायत राजस्थान में चल रही थी । बीस-बीस किलोमीटर लम्बे क्षेत्र में पंचायतें थीं । वहां डीलिमिटेशन होना जनहित और प्रजातन्त्र के उपयोग में भी आवश्यक था, वह कार्यव ही हो रही है। छिपी हुई कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। नोटिफिकेशन हो रहा है। उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति यह कार्यवाही करने में समर्थ है। आखिर में, मैं सरकार से यह भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से तिलम संघ की स्थापना करके किसानों को एक राहत दी है और राजस्थान बीज क्रान्ति में जो अग्रणी भूमिका देश में निभा रहा है, उसी प्रकार से कपास के क्षेत्र में भी हमको एक निगम बनाना चाहिए । कपास निगम बनाना चाहिए जिसके कारण राजस्थान तिलम संघ की तरह, जैसे सरसों में राजस्थान पहले नम्बर पर है, कपास के क्षेत्र में भी पहले नम्बर पर आये। इससे कपास मिलें अधिक से अधिक लगेंगी और लोगों को रोजगार भी अधिक मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को यह भी कहना चाहूंगा कि जो कार्यक्रम, योजनाएं बनाई जाती हैं, वह समयवद्ध होनी चाहिये। मेवाड़ बोर्ड की तरह राजस्थान के अन्य हिस्सों में वहां के डवलपमैण्ट की योजनाएं बनायी जानी चाहिए। शेखावाटी का जो मरु प्रदेश है, शेखावाटी बोर्ड के नाम से

(श्री मदनलाल सैनी)

भी इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। भूमि रूपान्तरण का कानून जन सामान्य के लिए सरल और सुलभ कराना चाहिए। अन्य जो प्रक्रियाएं हैं, उनको भी ठीक करना चाहिए। अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सरकार की नीति, सरकार क्या करना चाहती है किसानों को किस रूप में ले जाना चाहती है और उद्योगों के विषय में जो बात कही है, यह वास्तव में आज राजस्थान की आवश्यकता है। हम सब लोग मिलकर इसका समर्थन करें, इसको पास करें। धन्यवाद। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे सदन के माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि कल कार्य सलाहकार समिति की बैठक में एक आम राय हुई थी कि सदन की कार्यवाही प्रतिदिन 6 बजे तक चले। मैं ऐसी व्यवस्था के लिए आप सबसे यह आशा करता हूं कि आप सब सहयोग देंगे। अपनी बात को संक्षिप्त रूप में कहने की कृपा करें। माननीय चन्द्रभान जी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : 9–9, 10–10 बजे तक सदन चला है। यहां बोलने के लिए लोग आते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति की बैठक में जो आम राय हुई थी, उसकी सूचना दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पाइण्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन।

श्री उपाध्यक्ष : हां बोलिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहूंगा कि डा. साहब अपनी बात कह रहे हैं तो यह समय जनता दल के समय में गिना जायेगा या इनका व्यक्तिगत समय, क्योंकि आप इस समय जनता दल के सदस्य नहीं हैं....आप इस समय निर्दलीय विधायक के रूप में यहां बैठे हैं। जनता दल का समय जनता दल के लिए निर्धारित है....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : विधान सभा में अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी सदन को ऐसी कोई सूचना नहीं है इसलिये जनता दल का ही टाइम माना जायेगा....(व्यवधान).... माननीय अध्यक्षजी के सामने यह प्रश्न उठाया गया लेकिन अभी कोई इसमें निर्णय नहीं किया गया है, निर्णय नहीं हुआ है अभी तक।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : इनके राष्ट्रीय अध्यक्षजी ने सूचना दी है कि इनको दल से निष्कासित कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गृह मंत्रीजी, उसके बारे में यहां निर्णय हो जायेगा उसके बारे में कोई....(व्यवधान)....अभी तक निर्णय नहीं हुआ है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुंझुनू) : ...साफ मना किया है।

You are not the P. A of Mr. Bomai or Mr Speaker. Why are saying that ?

... राठौड़ : जब यह जनता दल ... हीं हैं तो जनता दल का समय ... सकते हैं....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप ... आधार पर कह रहे हैं। (व्यवधान) आपके पास क्या सूचना है ? इसकी आसन के पास सूचना नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बिराजें। माननीय माहिर आजादजी बिराजें। माननीय डाक्टर चन्द्रभानजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य जब तक असम्बद्ध घोषित नहीं किये जाते हैं तब तक जनता दल के ही सदस्य रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर चुका हूं कि इस मामले में निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी के सामने यह विचाराधीन मामला है इसलिये यह जनता दल का ही समय माना जायेगा। माननीय डाक्टर चन्द्रभानजी।

श्री दिग्विजय सिंह : जनता दल का समय तो माना जायेगा पर आप क्या इनको जनता दल का सदस्य भी मानने की मान्यता दे रहे हैं। इनको जनता दल का समय तो ठीक है पर आप क्या इनको जनता दल का सदस्य भी मानने की (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप भी तो जनता दल के ही हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, तो अब आप क्या हैं ? आप एक जगह तो रुकिये।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : हम क्या हैं, क्या नहीं है आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जनता ने सर्टिफिकेट दिया है और जनता दल में है। आपकी तरफ भागने वाले लोगों में से नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर चन्द्रभानजी, आप अपना भाषण प्रारम्भ करें।.... (व्यवधान) .. माननीय चन्द्रभानजी, प्रारम्भ कीजिये आप अपना भाषण।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अभिभाषण पत्र मेरे हाथ में है, यह देखने में बहुत सुन्दर और आकर्षक है। इसकी प्रिंटिंग और बाईडिंग भी अच्छी है लेकिन इसके अन्दर कुछ नहीं है, कतई दम नहीं है। खैर, इस सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं थी। जैसी सरकार होगी उसका वैसा ही अभिभाषण पत्र होगा। अभी उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री सनाढ्यजी ने मालूम नहीं कि इस अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन में कितनी सारी उपलब्धियां गिनायीं और कितनी प्रशंसा की। माननीय सैनी साहब ने भी, जो उदयपुरवाटी गुढ़ा क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने भी काफी उपलब्धियां गिनायीं।

मैं इस सरकार के सन्दर्भ में केवल इतना चाहूंगा कि यह सरकार जब शासन में आयी थी तब तो जनता के मेन्डेट से आयी थी लेकिन अब यह सरकार जोड़-तोड़ की सरकार है, दल बदलुओं के सहारे चलने वाली सरकार है इसलिये इसे जनता

(डा. चन्द्रभान)

की सरकार कहा जाना, उपाध्यक्ष महोदय, उचित नहीं होगा। जहां तक जनतंत्र का सवाल है, इस सरकार का जनतांत्रिक संस्थाओं में कतई विश्वास नहीं है। राज्य की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की नींव कहिये या अंतिम व्यक्ति के पास में जनतंत्र को पहुंचाने वाली जो संस्थाएं होती हैं वह है पंचायत और जिनको रोजमर्रा के काम कहिये जिससे जुड़ा हुआ एक साधारण इन्सान है, सहकारी संस्थाएं हैं और जहां से जनतंत्र की नींव लगती है–छात्र संघ ले लीजिये। इन किन्हीं के राजस्थान में चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। कहने को घोषणा के नाम पर या आश्वासन के नाम पर बहुत कुछ कहा जाता है लेकिन 9 महीने का समय कोई कम समय नहीं होता। 9 महीने हो गये, लेकिन पंचायतों के सन्दर्भ में सरकार कोई फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। परिसीमन होना चाहिये, पुनर्गठन होना चाहिये लेकिन सरकार के पास में कलक्टर के माध्यम से चार महीने से, उपाध्यक्ष महोदय, रपट आयी हुई है लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। पंचायतों के चुनाव नहीं होने से गांवों में विकास के तमाम कार्य रुक गये हैं। अभी जनता दल (डी) के एक माननीय सदस्य ने कहा कि सरपंच लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार की कई शिकायतें थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यह लोग जो प्रशासन में बैठे हैं चाहे आई.ए.एस. हो, चाहे आर.पी.एस हो, चाहे आर.ए.एस. हो, चाहे पटवारी हो और चाहे ग्राम सेवक हो, इनको आपने सर्टिफिकेट दे रखा है ईमानदारी का? अभी सवेरे चर्चा हुई थी कि [illegible] ए. एस. अधिकारियों के खिलाफ [illegible] हो रही है। मतलब जो जनता के [illegible] चुने जाते हैं वे गैर ईमानदार हैं और जो जनता के [illegible] होता लिए सरकार के द्वारा जिनका चय[illegible] है, जो नौकरी का काम करते हैं वे सब लोग ईमानदार हैं? उपाध्यक्ष महोदय, यह सोची समझी रणनीति है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनकी ग्रामीण विकास में कोई रुचि नहीं है। यहां पर कहने को हजार बातें कही गयी हैं। कहा गया कि 62 पर्सेण्ट धन गांवों में विकास के ऊपर खर्च किया गया है लेकिन असल में कहां किया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 1991-92 में विकास के कार्यों के लिये और अलग-अलग विभागों में जितनी धनराशि आवंटित की गयी उसका कितना प्रतिशत खर्च किया गया है? असल में कितना खर्च हुआ, प्रशासनिक व्यय उसके ऊपर कितना हुआ, कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितने कमीशन के काम किये गये? यहां पर बड़े-बड़े विकास कार्यों के नाम गिनाये गये। मैं मेरे क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं. पी. डब्ल्यू. डी. महकमे को मैं और महकमों के बजाय गतिशील मानता हूं। लेकिन एक किलोमीटर सड़क भी पी. डब्ल्यू. डी. ने मेरे क्षेत्र में नहीं बनायी। मेरे क्षेत्र में ही नहीं, मेरे जिले में कहना चाहूंगा। पुरानी सड़कों की मरम्मत जरूर कई जगह पर हुयी है। लेकिन यह कहना, 1971 के यहां पर आंकड़े दिये जाते हैं 1992 में, जब 1991 की जनगणना हो गई कि जिन गांवों की आबादी 1500 थी उनकी आबादी तीन हजार या साढ़े तीन हजार से ज्यादा हो गई है। उनके नाम

(डा. चन्द्रभान)

गिनायें जाते हैं कि उनको सड़कों से जोड़ दिया जायेगा। 35 हजार से ज्यादा गांव हैं राजस्थान में और यह कहा जाता है कि 102 गांव हैं जिनको सड़कों से जोड़ दिया गया है और 200 कई गांवों को और जोड़ दिया जायेगा। इसको यह सरकार अपनी उपलब्धि मानती है। समूचे राजस्थान में अकाल है लोग भूख से मर रहे हैं। फरवरी का महीना समाप्त होने को है, अक्टूबर में सरकार के पास गिरदावरी की रिपोर्ट आ गयी। मेरे क्षेत्र के 240 गांवों में से 215 गांवों को कलक्टर ने अभावग्रस्त माना है। यहां से एक भी गांव को अभावग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। नये मंत्री बने हैं हमारे मित्र मेघवालजी। इन्होंने केवल साढ़े पांच हजार गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है....

श्री कैलाश मेघवाल (अकाल राहत मंत्री) : अकालग्रस्त कहिये, अभावग्रस्त क्यों कह रहे हो।

डा. चन्द्रभान : अकालग्रस्त कहिये या अभावग्रस्त कहिये। मैं दावे के साथ में कहता हूं कि राजस्थान के 35 हजार गांवों में से 2-4-5 हजार गांवों की बात तो छोड़ दें, 30 हजार से ज्यादा गांवों में अभाव की स्थिति है लेकिन सरकार (व्यवधान) आप स्वीकार करते हैं। खैर, आप तो अभी आये हैं। पहले दूसरे लोग मंत्री थे, पुष्पाजी इस विभाग की मंत्री थी, उनको तो पर्यटन, कला में ही समय नहीं मिलता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फरवरी और मार्च के माह में घोषित करके आप क्या करना चाहते हैं। सरकार यह कहती है कि हमारे पास रुपया नहीं है। 93 करोड़, 93 करोड़, 93 करोड़ रुपये इनको और मिल सकते हैं, कुल मिला कर 280 करोड़ रुपये इनके पास होते हैं। यदि इनको खर्च करेंगे तो ऐसी बात नहीं कि केन्द्र सरकार से मदद नहीं मिले। गेहूं के मामले में केन्द्र सरकार, योजना और विकास के मामले में केन्द्र सरकार जी. आर वाई. के मामले में केन्द्र सरकार, अकाल के मुकाबले में केन्द्र सरकार। तो फिर आप क्या हैं ? आप किस नाम की, सरकार किस नाम की चीज है ? आप दूसरे कामों के लिये, धार्मिक कार्यों के लिये तो दुनिया भर का पैसा जुटा सकते हैं। राजस्थान में अकाल पड़ा तो कुछ नहीं। यह तो गौ रक्षा करने वालों की सरकार है। यहां से चले जाइये बीकानेर की सड़क पर। आपको जगह-जगह गायों के अस्थी पंजर दिखायी देंगे। गायें मर रही हैं, पशु मर रहा है, पशुधन हमारा नष्ट हो रहा है और यहां पर लिखा जा रहा है कि पशु की नस्ल सुधारी जायेगी। जब पशुधन नहीं रहेगा तो नस्ल कहां से रहेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल की इतनी गम्भीर स्थिति है फिर भी सरकार के जूं नहीं रेंगती है। सरकार अकाल को जब प्रभावी मानती है जब यहां पर अखबारों में खबर छपेगी कि बाड़मेर जिले में 15 आदमी अकाल के कारण, भूख के कारण मर गये। मैं कहना चाहता हूं, पिछले छह महीने से लोगों को पूरा कैलोरी भोजन नहीं मिलता। वे लोग इतने कमजोर हो गये हैं कि अब गर्मी के मौसम में पीने का पानी शुद्ध मिलेगा नहीं उनको,

(डा चन्द्रभान)

तरह-तरह की बीमारियां फैलेंगी और उनकी मौत होगी। पशुधन नष्ट हो रहा है, गांवों से आदमी जा रहे हैं, रोजगार उनके पास है नहीं, तरह-तरह की बीमारियां फैल रही हैं और सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है।

बिजली के बारे में क्या कहूं। एक मेगावाट इन्होंने दो साल में पैदा नहीं की। अभी कह दिया कि सूरतगढ़ में काम शुरु हो गया। कहां शुरु हो गया ?.... सुमित्राजी समझती हैं. वे मंत्री रही हैं, हम भी कुछ समय मंत्री रहे हैं। बातचीत चली थी, अभी काम शुरु नहीं हुआ है। चित्तौड़गढ़ में आप निजी क्षेत्र में बिजली देना चाहते हैं, यह राजस्थान की जनता के साथ सबसे बड़ा अन्याय होगा। इस थर्मल पावर प्लाण्ट की तीन महीने में तो बिड़ला के यहां से रिपोर्ट तैयार होकर ही नहीं आयी है। धौलपुर में, जहां से मुख्य मंत्री महोदय चुनकर आते हैं, वहां इसका सर्वे हो रहा है। विश्वनाथ प्रताप सिंह और चन्द्रशेखर जी की सरकार चली गयी पर अभी सर्वे ही हो रहा है। ग्रामीण विकास नहीं।

अकाल की स्थिति का मुकाबला करने के लिए यह सरकार सक्षम नहीं, पीने के पानी के लिए, यहां पर मंत्री महोदय मौजूद नहीं हैं, 91 92 के पूरे साल में मैं दावे के साथ कहता हूं कि झुंझुनू जिले के पी.एच.ई.डी. व एक्स ई. एन. आफिस के लिए एक इंच पाइप लाइन नहीं भेजी। मैं उस क्षेत्र से चुनकर आता हूं जहां पर खारा पानी है। (व्यवधान) आपको अलग से दे दी होगी। पी. एच. ई. डी. के दफ्तर में तो नहीं गयी। आपके क्षेत्र में भी पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है, आपको मालूम है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह सरकार का पक्षपात दर्शाती है। गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य, यदि आपको दी है तो यह सरकार का पक्षपात है।

डा. चन्द्रभान : अगर ऐसी बात है तो पी. एच ई डी का एक्स. ई. एन. हम को सही जानकारी नहीं देता है और उसने स्वयं ने विजिलेंस कमेटी की मीटिंग में बताया है। आप तो उसमें नहीं जाते हैं। उसने स्वीकार किया है कि हमें कोई पाइप लाइन इस वर्ष नहीं मिली है।

फिजूल खर्ची के बारे में पहले कहा गया था कि रविवार के दिन गाड़ियां नहीं चलेंगी, अब खूब चलती हैं। टेलीफोन और बिजली के बिल कम करेंगे पर मालूम नहीं क्या हुआ। जब मंत्री लोग ही कटौती नहीं करेंगे तो अधिकारी वर्ग क्यों इस काम में हाथ बंटायेगा।

भ्रष्टाचार, ला एण्ड आॅर्डर, कम्यूनल हारमोनी की बात यहां कही गयी है। खैर, जयपुर में दंगे हुए, जयपुर के बसने के बाद इतना बड़ा दंगा कभी नहीं हुआ था, समूचे राजस्थान में इतना बड़ा दंगा कभी नहीं हुआ पर मरहम लगाने का काम नहीं हुआ। एक साल से ज्यादा समय हो गया, उसकी जांच रिपोर्ट तक नहीं आयी और जो लोग दोषी थे, जिनको जेल के सींखचों में बंद होना चाहिए था, वह खुली तफरीह कर रहे हैं और इसलिए कि उनकी

(डा. चन्द्रभान)

सरकार तक पहुंच है। सरकार में वह लोग शामिल हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था की बात कही जाती है, मुख्य मंत्रीजी यहां पर मौजूद नहीं हैं, 12 सितम्बर को जब पिछला सत्र चला था, पंकज सिंघवी का मामला साधारण मामला नहीं है, मुख्य मंत्रीजी ने एक सप्ताह में उस पर कार्यवाही हो जायेगी, यह कहा था, कितने सप्ताह गुजर गये, पांच महीने का समय गुजर गया, पंकज सिंघवी हत्याकाण्ड का पता नहीं लगा।

महिलाओं की रक्षा की बात यहां बहुत जोर-शोर से कही गयी, उनकी आन-शान की बात यहां पर बहुत जोर से कही गयी, उनके शौर्य की बात इस अभिभाषण में बहुत कही गयी है और कृष्णा यादव की आदर्श विद्या मंदिर के पास स्कूल में दिन दहाड़े हत्या कर दी गयी, चार महीने से कोई सुराग नहीं। आशा मेहता की राजापार्क में दहेज के कारण हत्या कर दी गयी, कोई कार्यवाही नहीं की गयी। बल्कि जो लोग सरकार की बैंचों पर बैठे हैं वह उन की मदद में उतरते हैं। मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे का पदाधिकारी है आशा मेहता का पति और उपाध्यक्ष महोदय, आपसे कहना चाहूंगा, मैं आरोप की भाषा में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जब राजधानी में इस तरह खुले आम हत्यायें होती हैं, लूट होती है, चोरियां होती हैं, डकैतियां होती हैं, मेरे जिले में तो चोरियों की संख्या बहुत बढ़ गयी है, इतनी बढ़ गई कि लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराना ही मुनासिब नहीं समझा। मेरा खुद का स्कूटर चोरी हो गया।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आपके जिले में ही क्यों चोरियां होती हैं ? यह क्यों बढ़ी ?

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की राय से सदन की बैठक का समय एक घण्टा बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन की बैठक का समय एक घण्टा बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद

डा चन्द्रभान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था नाम की चीज राजस्थान में नहीं रह गयी है। जनता का थानों और कोर्ट-कचहरी में विश्वास नहीं रह गया है। जिस सरकार को गतिशील सरकार कहा जाता है, जनता का विश्वास

(डा. चन्द्रभान)

जन प्रतिनिधियों में भी नहीं रह गया है, जनता का विश्वास सरकारी अधिकारियों में नहीं रह गया है और जनता कहती है कि काम उसका होता है जिसकी मुट्ठी और जेब में दाम होता है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इसलिए बहुत सारे लोग तो आपके पास भी नहीं आते हैं और हमारे पास भी नहीं आते हैं। यह स्थिति आज के दिन बन गयी है। भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है। मैं कहना चाहूंगा कि किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। किसके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे? आर.ए.एस. के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, आई.ए.एस के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। बेरी कमीशन बैठा दिया, राजनेताओं के खिलाफ बैठाया, बड़े-बड़े अधिकारियों के खिलाफ जमीन के घोटाले हैं और बैरी कमीशन अब खत्म भी हो गया है। एक व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है तो जनता में विश्वास की स्थिति पैदा नहीं होती है, निराशा की स्थिति पैदा होती है कि सरकार में बैठे लोग फिजूल की बात करते हैं और भइया, इस सरकार के चलते इस व्यवस्था के चलते भ्रष्टाचार पनपेगा। मुख्य मंत्री महोदय की उम्र ज्यादा हो गयी है, लगता है वह स्वयं अब निराश हो गये हैं और उनकी टीम में भी कोई दम नहीं लगता है, उसमें भ्रष्टाचार से लड़ने का दम नहीं है।

जहां तक शिक्षा और चिकित्सा का सवाल है, शिक्षा के क्षेत्र में इतना कहना चाहूंगा कि शिक्षा के विस्तार के लिए सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम हाथ में लेने की बात कही गयी है। अजमेर, भरतपुर, डूंगरपुर और सीकर जिले को इसमें लिया गया है। मैं पूछना चाहूंगा कि इसका क्या क्राइटेरिया, प्रायोरिटी है? राजस्थान में शिक्षा की दृष्टि से देखा जाय, लिट्रेसी रेट, झुंझुनू जिला दो नम्बर पर है। स्कूल लिट्रेसी वहां सबसे ज्यादा है, महिलाओं में शिक्षा का प्रसार सबसे ज्यादा है फिर झुंझुनू जिले को क्यों शामिल नहीं किया गया? सम्पूर्ण साक्षरता होनी चाहिए, उसके लिए पक्ष-विपक्ष को सहयोग करना चाहिए।

यदि यहां पर साक्षरता का प्रतिशत बढ़ेगा तो जनसंख्या को नियंत्रित करने में हम को सहयोग मिलेगा। जनसंख्या हमारी एक बड़ी समस्या है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

अभी तो 10 मिनट ही हुए हैं। 15 मिनट तो लेने दीजिए। मैं समय को ध्यान में रखते हुए बहुत तेजी से भी बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जैसी व्यवस्था दी गयी है। 10 बजे तक बोलिए, समय आपका है।

डा. चन्द्रभान : हमारा समय दो घण्टे 15 मिनट है, उसको तो पूरा होने दीजिए उसमें आप यह दो मिनट अभी वाली मत जोड़ना। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाह रहा था कि शिक्षा की स्थिति यह है कि सरकारी शिक्षा के प्रति किसी का यकीन नहीं रह गया है। चाहे आप हो

(डा. चन्द्रभान)

या कोई दूसरा हो । मेरे तो बच्चे हैं नहीं, लेकिन जिनके हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले हैड मास्टर हों या प्रिंसिपल हों, उन्होंने अपने लड़कों को प्राइवेट स्कूलों में भेजना शुरु कर दिया है । उनकी फीस बहुत ज्यादा है । मुझे बड़े आश्चर्य के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान जैसे राज्य में आज, शिक्षा के क्षेत्र में जो पवित्र राज्य था, वहां पर केपीटेशन फीस को बढ़ावा मिल रहा है । एम.आर ई.सी. जिसके चेयरमैन मुख्यमंत्री महोदय थे और मेडिकल कालेज, जयपुर जिसका मैं छात्र रहा हूं, माननीय चतुर्वेदी चिकित्सा मंत्री हैं, पोलो टेक्निक, फार्मास्यूटिकल, एक नया निजी मेडिकल कालेज खोल रहे हैं, निजी मेडिकल कालेज में किस आधार पर दाखिला होगा । कोटा में आपने मेडिकल कालेज खोल तो दिया लेकिन बजट का प्रावधान नहीं किया है । आप गिना सकते हैं । इन मेडिकल कालेजों के बजट में से कटौती कर दी है पर वहां पर अध्ययन-अध्यापन का कार्य शुरू नहीं हुआ है । केवल उसकी घोषणा है । इसी तरह से निजी मेडिकल खुलेगा और निजी आधार पर वहां दाखिले होंगे । एम.आर.ई.सी. जैसी प्रतिष्ठित संस्था में उन लड़कों का दाखिला हो रहा है उपाध्यक्ष महोदय, जो पी.ई.टी और पी एम. टी. में 36 प्रतिशत अंक भी नहीं ले पाये । मेडिकल कालेज में पहली बार केपीटेशन फीस वाले लड़के का ट्रान्सफर हो गया है । यह बहुत शर्म और दुख की बात है । चिकित्सा मंत्री जी आप जांच कराइये, आपकी जानकारी में यह मामला आना चाहिए था । पोली टैक्निक और फार्मास्यूटिकल कालेज तो खरीद लिये जाते हैं, पिलानी में पोली टेक्निक कालेज है, भरतपुर में फार्मास्युटिकल है, उदयपुर में है, गंगानगर जिले में एक है जहां पर 15–15 हजार में दाखिला होता है । यह साउथ की बीमारी नार्थ में और राजस्थान में आ रही है जिससे हमारी प्रतिभाओं पर विपरीत असर पड़ रहा है । शिक्षा का जिस तरह से व्यवसायीकरण हो रहा है, उसको रोकना चाहिए ।

चिकित्सा के क्षेत्र में कहा जाता है कि विकास हो रहा है । आप सुपर स्पेशला-इजेशन एस.एम.एस. अस्पताल में अभी शुरू नहीं कर पाये हैं, दो साल से कोशिश कर रहे हैं । आपने जिला अस्पताल जयपुर में खोलने की बात कही थी लेकिन वह नहीं खोल पाये । आपने जनाना अस्पताल में तबादले की बात कही थी पर वह भी नहीं कर पाये । आप राज्य के जिला स्तरीय हास्पिटल्स में सफाई की व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कर पाये हैं....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कोर्ट का स्टे वेकेट कराने में आप सहयोग करें ।

(5.00 म.प.)

डा. चन्द्रभान : यह आपका काम है । हम भी सहयोग करेंगे । लेकिन जिले के अस्पतालों में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है । झुन्झुनू के खेतन अस्पताल में जो व्यवस्था है, आप बताइये कोई सिस्टम नहीं सवाई मानसिंह अस्पताल में वार्ड ब्वाय और स्वीपर की भर्ती नहीं की जाती है । हास्पिटल में या तो जिनकी पहुंच है या पैसा है उनका इलाज होता है और गरीब

(डा. चन्द्रभान)

आदमी की कोई परवाह नहीं है । वह प्राइवेट हास्पिटल में जाकर लुटने का काम करता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी यहां पर विकास की बात कही गयी। कृषि और औद्योगिक विकास की बात कही गयी। यह बतायें कि कितने हैक्टेयर जमीन पर अबकी बार बुआई की गयी ? कहा गया कि योजना का आकार बढ़ गया, रुपए का अवमूल्यन हो गया, उपाध्यक्ष महोदय; योजना का आकार किस राज्य का नहीं बढ़ा, राजस्थान ने कौनसा नया काम किया है ।

एक बात और मुख्य रूप से कहना चाहता हूं और इसलिए कहना चाहता हूं कि इस पूरे अभिभाषण में गरीबी की बात बहुत कही गयी है, पिछड़ों की बात बहुत कही गयी है, लेकिन मण्डल कमीशन का कोई जिक्र नहीं किया है । जो लोग आर्थिक, सामाजिक शैक्षिणक दृष्टि से पिछड़े हैं उनको सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने की बात यह जनता सरकार नहीं कर सकती है । यह जनता दल के हमारे मित्र लोग जो दिग्विजय के नाम से जाने जाते हैं इनकी हिम्मत नहीं होती वहां पर बोलने की.... (व्यवधान)....दो साल से मण्डल कमीशन की रिपोर्ट....(व्यवधान) उत्तर प्रदेश में दो साल से आपकी भारतीय जनता पार्टी की हकूमत है....

श्री कालीचरण सराफ : आपको जनता दल से निकाल दिया....

डा चन्द्रभान : यह स्पीकर साहब का मामला है....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री जगतसिंह दायमा : माननीय डाक्टर साहब । जनता दल में हम दोनों साथ थे । आपने एक दिन भी मण्डल आयोग की बात नहीं की थी, आज कह रहे हैं....

डा. चन्द्रभान : यह तो आप मुख्य मंत्रीजी से पूछिये । आप बैठ जायें। उपाध्यक्ष महोदय, यह समय काउंट न कीजिये । इनको बैठा दीजिये ।

श्री जगतसिंह दायमा : काउंट कैसे नहीं कीजिये । यह सच्चाई है ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रिमण्डल में कोई भी बात होती है उसको गुप्त रखना पड़ता है । यह माननीय मंत्री महोदय ने जो बात कही है

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी कोई बात नहीं कही है इन्होंने

श्री बुलाकीदास कल्ला : इन्होंने अभी अभी कहा है कि मण्डल आयोग की बात नहीं करते थे या करते थे, यह यहां पर मंत्रिमण्डल की बात नहीं कर सकते

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी कोई बात नहीं कही गई है । कृपया आप बिराजें । 20 मिनट हो गये ।

डा. चन्द्रभान : दो मिनट । यह राजस्थान की जनता जानती है कि मण्डल आयोग के पक्ष में बोलने वाला कौन है

(डा. चन्द्रभान)

और इसके विरोधी कौन लोग हैं । जहां तक मंहगाई का सवाल है, मंहगाई बढ़ रही है, केवल केन्द्र का नाम ले लेते हैं । यहां जमाखोरी हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, किसके खिलाफ आपने कार्यवाही की है । आपने कितना गेहूं आवटंन किया, कितनी चीनी, कितना तेल आवंटन किया, कितना गांवों में गया । मेरे जिले में तो गेहूं 700 ग्राम जाता है । उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं इस पूरे के पूरे अभिभाषण पत्र में नवयुवकों के रोजगार की कोई बात नहीं कही गई हैं । सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि बढ़ती बेरोजगारी के लिये उनके पास कोई समाधान नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय जो सरकार मंहगाई को कम नहीं कर सकती, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ नहीं कर सकती, अकालग्रस्त जनता को राहत नहीं दिला सकती, नौजवानों के रोजगार का इन्तजाम नहीं कर सकती, शिक्षा के स्तर को सुधार नहीं सकती, लोगों को सस्ती और सुलभ चिकित्सा उपलब्ध नहीं करा सकती, जो गांवों के विकास के मार्ग को आगे नहीं बढ़ा सकती, जो सहकारी संस्थाओं और पंचायतों के, छात्र संघों के चुनाव नहीं करा सकती

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

वह सरकार निकम्मी है, जन विरोधी सरकार है, गतिहीन सरकार है, नाकारा सरकार है, इस सरकार को तत्काल त्याग-पत्र दे देना चाहिये और राजस्थान में नये सिरे से चुनाव कराके जनप्रिय सरकार गठन होनी चाहिये । मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का जो केवल फर्जी आंकड़ों के आधार पर जो अभिभाषण पत्र बना हुआ है, मैं पूरी तरह से विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री चुन्नीलाल जी इन्दलिया ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नौखा) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर मैं सदन में मेरे विचार प्रकट कर रहा हूं । उपाध्यक्ष महोदय, इस समय में जो सदन शुरू हुआ है । राजस्थान में, खास तौर से पश्चिमी जिलों में भयंकर अकाल है और अकाल का एक कारण ऐसा भी है । उपाध्यक्ष महोदय, अर्से से यह सरकार जिन लोगों के हाथ में रही, यदि अकाल को समाप्त करने का कोई प्रोग्राम बना लेते आज से पहले तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से अकाल खत्म नहीं तो कमजोर इसको किया जाता... (व्यवधान) आप चुप रहिये, आपको लगता है । उपाध्यक्ष महोदय, चाहे राजस्थान केनाल हो, चाहे कुओं से सिंचाई हो, चाहे चारे का बैंक बनाने के लिये मेड़ के पानी से, या कुएं के पानी से घास पैदा करते तो निश्चित रूप से अकाल समाप्त होता । लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि इस ओर चाहे किसी की सरकार हो, कोई ध्यान नहीं दिया गया । क्योंकि गांवों से पक्ष के चुनकर जरूर आये हैं लेकिन गांवों की तरफ उनका दिमाग नहीं है । राज्य सरकार ने, भारत सरकार ने जो जीवन धारा की जो योजना बनाई है मैं उसके बारे में थोड़ा सा सदन को अवगत करा दूं । सुमित्रा जी जानती हैं, वह बीकानेर जाती हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जिस जगह से मैं

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

चुनकर आया हूं मेरे इलाके में $2\frac{1}{2}$ हजार से ज्यादा इस साल कुएं खुदे हैं, हरेक कुएं का; यदि इनकमटैक्स वाले लफड़ा नहीं करें तो मैं आमदनी का ब्यौरा दूं। हमारे यहां पर 275 फिट पर पानी आता है और 275 फिट पर 90 दिन या 4 महीने में एक कुआं तैयार होता है। कुएं की खुदाई करने के बाद, मूंगफली की खेती है, उसको आप ध्यान से सुनें। पंजाब और हरियाणा के बड़े से बड़े काश्तकार के सात लाख का नरमा आज तक मैंने नहीं देखा है चाहे वह हवाई जहाज से दवा छिड़कावें, चाहे कुछ भी करें। हमारा इलाका रेतीला इलाका है। 5 लाख, 6 लाख 7 लाख की एक कुएं पर फसल है। उपाध्यक्ष महोदय, मूंगफली की खेती ले ली गई है। और मूंगफली की खेती लेने के बाद आज उन कुओं पर कनक और सरसों की हरियाली देखिये। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पीने का पानी नहीं था। लोग अपनी ढाणियों में टांके बनाकर जीवन व्यतीत करते थे। वहां अब 8 घण्टे में ट्यूबवैल खोदकर तैयार किया जाता है। आप ताज्जुब करेंगे, राजस्थान सरकार ने उस इलाके में उपाध्यक्ष महोदय, ट्यूबवैल खोदने के लिये बैंक से सबसिडी और बैंक लोन मिलाकर के चार लाख रुपये दिलाये। जिस काश्तकार के ज्वाइंट खेती हो, चार लाख रुपये यदि ट्यूबवैल के हो गये तो उस काश्तकार के परिवार ने अकाल को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। केदार जी और हमारे कामरेड साथी ने धरना दिया पानी के लिये उस केनाल की सफाई नहीं हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला कोई आज का नहीं है। 45 साल तक वह राज कर गये और इसमें आप भी मंत्री रहे लेकिन उस नहर की आज तक सफाई नहीं हुई। यह छोटी मोटी तो कमियां हैं लेकिन अकाल को समाप्त करने के लिये नये तरीके से आपको विचार बदलना पड़ेगा....

एक माननीय सदस्य : मंत्री नहीं बनायेंगे।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री की बात नहीं है, न कोई संतरी की बात है। मैं तो आपको केवल सच्ची बात कह रहा हूं। आज जैसलमेर में, बीकानेर में, इन्दिरा गांधी केनाल से करीब चालीस साल बाद इस धरती पर पानी आया है, यदि खाले बनाकर दे देते तो निश्चित रूप से आज अकाल कमजोर होता लेकिन आज अकाल की तरफ कोई ध्यान नहीं है। दूसरा अकाल के वक्त पर.... (व्यवधान)....आप शांत रहिये। आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। बिल्ली का कायदा है वह दही के लिये म्याऊं म्याऊ करती है। आप तो उस श्रेणी में हैं, म्याऊ म्याऊं करने से न तो कोई राज बदलता है, राज बदलने के लिये दिमाग चाहिये.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में आज रोजगार की कमी है। अकाल राहत कार्यों की कमी है

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

और खाद्य सामग्री गेहूं है वह जीरो पर है। आज भारत सरकार यदि गांव के लोगों के दिमाग को समझती तो राजस्थान में खाद्य सामग्री एक किलो गेहूं वह भी आज समय पर नहीं मिलता है राजस्थान में, इसका दोषी भैरोंसिह सरकार नहीं है, भारत सरकार है....(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह इनका दोष नहीं है लेकिन इसमें एक कमी है....विरोधी पक्ष अगर हाउस में ताकतवर हों तो समय पर राजस्थान का अकाल का काम शुरू होता, समय पर लोगों को खाने को अनाज मिलता। लेकिन विरोधी पक्ष राजस्थान में कमजोर है। इन्होंने 40 साल तक राज किया है, राज करने वाले आदमी को काम का कोई पता नहीं होता। एक घोड़े को दाना देता है और एक घोड़े पर सवार होता है। आप लोगों ने राज के पास रहकर अपना शरीर कमजोर कर लिया, बाकी आपको कोई ज्ञान नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, गांव की चाहे छोटी पंचायत हो चाहे बड़ी पंचायत हो, सामने विरोधी पक्ष अगर मजबूत होगा, विरोधी पक्ष की आत्मा में सच्चाई होगी तो राज को झुकना पड़ेगा। नहीं तो ये भैरोंसिह शेखावत बैठे हैं....

एक माननीय सदस्य : यहां आओ न फिर।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : आपके साथ क्या करें ? चालीस साल तक देख लिया। देवीलाल जी के साथ आपने क्या किया हम जानते हैं, और आपके साथ क्या हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत कार्यों पर....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उसमें आप भी शामिल थे, कांग्रेस में शामिल थे।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं नहीं था आपके साथ था। (व्यवधान) देखिये मैं कांग्रेस का उपाध्यक्ष नहीं था। जवाब दे देता हूं। मैं उस वक्त था जब गोलियां चलती थीं, जब शहीद होते थे। आज भी हमारे घरों में शहीदों के कपड़े टंगे हुए हैं, मूर्तियां लगी हुई हैं। आप, जो कांग्रेस के बने हुए एजेन्ट हो, आपको इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, आप कांग्रेस के अवसरवादी लोग हो। आप कांग्रेस का स्वाद लेने वाले लोग हो। लेते जाइये, मुबारकबाद, जिन्दाबाद आपको, करिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : सन् 1972 में शहीद कब हुए ? (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : कोई गप्प नहीं ठोक रहा हूं, मैं मन से बोल रहा हूं। झुंझुनू में जो शहीद हुए उस वक्त.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : हम सुमित्रा जी, आप से पीछे नहीं हैं।.. (व्यवधान) आप तो बिराज जाओ, कुंवर साहब, आपका यह धन्धा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह धन्धा चलता है. जीव धोरा भी होता है, लेकिन जीव धोरा होने से उल्टी हो सकती है जीव

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

सोरा नहीं होगा। मैं कह रहा था अकाल राहत कार्य की बात। मैं मानता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में अकाल राहत कार्य अभी तक शुरू नहीं किये गये हैं। सरकार को समय रहते चालू करने चाहिये। पर मजबूरी है राजस्थान सरकार की। भारत सरकार राजस्थान सरकार को अकाल राहत के लिए पैसे नहीं दे रही है, पक्षपात कर रही है और इस सरकार को दबाने की चेष्टा कर रही है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह जनहित का मामला है, जनता का सवाल है, गरीबों का मामला है। देश हमारा है, इस देश का गरीब किसान हमारा है भारत सरकार की सहानुभूति हमारे साथ होनी चाहिए। मुझे दुख है इस बात का कि भारत सरकार पक्षपात कर रही है और पक्षपात करके राजस्थान को बहुत बड़े घाटे में पहुंचा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, रहा गांवों के विकास में धन का सवाल। भारत सरकार ने गांवों के विकास में धन की कटौती की है, निश्चित रूप से की है। यह कटौती नहीं होनी चाहिए।

श्री रामनारायण वर्मा : कितने पैसे की ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : पांच करोड़ की। अगर पांच करोड़ सालाना आप कम करोगे तो बड़ा घाटा होगा।

श्री रामनारायण वर्मा : आप खर्च ही नहीं कर रहे हो।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : सब कर रहे हैं खर्च।

श्री रामनारायण वर्मा : कहां हो रहा ? केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में कितना पैसा आता है, आपने कितना खर्च किया ? आप खर्च करने की स्थिति में नहीं हो। आपको पता ही नहीं है कितना पैसा कहां से आता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उपाध्यक्ष महोदय, चाहे जीवनधारा का काम हो चाहे और कोई, भारत सरकार से जितना बजट कांग्रेस की सरकार को मिलता, मैं कह रहा हूं, निश्चित रूप से उतना पैसा नहीं दिया जा रहा है, हमारे साथ पक्षपात बरता जा रहा है भारत सरकार की तरफ से, जो नहीं बरता जाना चाहिए।

श्री हेतराम बेनीवाल : हमारी सरकार कौनसी है ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : हमारी सरकार तो आप आगे बैठे दोनों हो। आपका दिल जितना हमारे प्रति साफ है, सदन के प्रति जितना साफ है, राजस्थान की जनता के प्रति जितना साफ है उतना ही मेरा आपके प्रति है। हम मौके की तलाश कर रहे हैं। पहले ही डोल-डोलकर आप लोग मंत्री बने, कितने दिन रहे ? बांधे से कठै ब्याव हुयो के ? के कोई मंत्री के लायक हो के, पहली तो घर में सोचो। ये बैठे हमारे नेता महोदय, राय ही नहीं ली। हम बनेंगे, हम बनेंगे। धक्के से बनोगे तो

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

कितने दिन रहोगे आप ? आप तो होली के बींद थे। इस तरह टिप रहे होंगे तो कितने टिपे ? चेष्टा तो आप मेरी भी कर रहे हो कि टिपा दें। मैं बनने वाला नहीं हूं, इसलिए आप ध्यान रखो अपना · आप लोगों का धर्म हो सकता है, लेकिन राजस्थान के लिए एक होकर, किसी तरह के पक्षपात पार्टीबाजी में नहीं पड़कर एक साथ संघर्ष करो तो पण्डित जी, केदार जी, नहर से ज्यादा खेती कुओं के कारण हमारे अब हुई है। आज 200 कुएं चल रहे हैं। गये लोग ठेठ तक। तीन सौ फीट पानी है। 11 कुओं से खेती हो रही है, खूब मूंगफली हो रही है। अगर हम एक गांव का अकाल खत्म कर दें, एक परिवार का कर दें, एक तहसील का कर दें या एक जिले का कर दें तो निश्चित रूप से हमारी कामयाबी होगी। मैं चाहूंगा सदन से कि अकाल को समाप्त करने के लिए जीवनधारा और राजस्थान कैनाल को आगे बढ़ाइये, उसके काम में गति लाइये और कुओं से जो खेती है उसमें भी सहयोग दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी मार्फत राज्य सरकार से, मंत्री मण्डल से अकाल राहत कार्य शुरू करने का सहयोग चाहता हूं कि इन्सानियत के नाते इस कार्य को शीघ्र चालू किया जाय। खाद्य सामग्री, गेहूं जीरो है उसके लिए केदार जी, चलिये, आप और हम, कांग्रेस वाले सब, धरना देंगे और मंत्रियों को भी साथ लेंगे। पार्लियामैण्ट के आगे धरना दें ताकि अनाज ज्यादा से ज्यादा मिले। इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अमीन खां जी।

श्री अमीन खां (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के जिस अभिभाषण पर बहस चल रही है वह अभिभाषण मैंने एक से चौबीस पेज पूरा पढ़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान के जिलों–बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में फरवरी में जाकर अकाल घोषित किया जाय, यह राजस्थान में पहली मिसाल है, अपने आप में ये तारीफ भले ही कितनी भी करें। मैंने एक अतारांकित प्रश्न पूछा है अकाल राहत मंत्री से। उसके जवाब में यह आया है कि बाड़मेर जिले में 34 गांव ऐसे हैं जिनमें बरसात की एक बूंद भी नहीं पड़ी। इस साल की काश्त भी जब धरती की नहीं हुई और फरवरी में अकाल घोषित करते हो, क्या यह गरीबों के साथ न्याय की बात है ? बाड़मेर जिले की 14 लाख 33 हजार आबादी में से मुश्किल से एक लाख की आबादी शहर की हो सकती है। 13 लाख 33 हजार ग्रामीण आबादी में सभी गांव अकालग्रस्त घोषित होने से साबित होता है कि सरकार ने सारे गांव अकाल में माने हैं। आज जिले में दो हजार मजदूर भी काम पर नहीं लगते हैं। पिछली सरकार में, जिनकी आप निन्दा करते हो, अकाल राहत मंत्री जी आप रिकार्ड देख लो, इस फरवरी और मार्च में 50 हजार से ऊपर मजदूर लगाये जाते थे। आपने आज दो हजार मजदूर भी नहीं लगाये।

नम्बर दो, जहां तक पीने के पानी का सवाल है, पेयजल की जितनी योजनाएं हैं

(श्री ग्रमीन खां)

रेगिस्तानी इलाके में करीब-करीब सभी फेल चल रही हैं। उसका कारण है कि योजनाओं की मेण्टिनेंस के लिए जो पैसा अनाउन्स किया जाता था अकाल में, विशेष रूप से अकाल सहायता फण्ड में से पेयजल योजनाओं को जो पैसे दिये जाते थे, इस अकाल राहत विभाग ने अभी तक एक नया पैसा पी. एच. ई. डी. को अलाट नहीं किया है। बाड़मेर-जैसलमेर जिले में मैं आपको योजनावाइज 3–4 योजनाओं के गांव गिनाता हूं जिनमें 50 प्रतिशत कमीशण्ड गांव सरकार बोलती है वहां 6–6 महीनों तक पानी नहीं गया है। जैसलमेर के असिस्टैंण्ट इंजीनियर श्री केवलिया, सरकारी अधिकारी का राजस्थान पत्रिका में एक स्टेटमैण्ट आया है कि हमारे पास एक नट-बोल्ट खरीदने का भी कोई मद में पैसा नहीं है, इसलिए मेण्टिनेंस नहीं हो रही है और गांवों में जो पानी की समस्या है उसका मैं कतई जिम्मेदार नहीं हूं। यह अकाल राहत का है।

गोपाल प्रोग्राम है इस सरकार का। हमारे जिले में मैंने तो कई गांवों में गायें मरी हुई देखी हैं। और जो दुधारू गायें हैं, जो पुरानी घास है उन किसानों के पास स्टॉक में वह 40–45 रुपये मन पर मिलती है। उससे किसान पशुपालक अपना गुजारा तो चलाते हैं, लेकिन उसको घर में पूछें तो गायों को चाटा और गाला नहीं मिलेगा तो गायों में दूध एक छटांक भी नहीं होगा। जब दूध नहीं होगा तो वहां लोगों में एक भयंकर मुसीबत और पैदा होगी। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि बाड़मेर जिले में कम से कम 50 हजार मजदूर मार्च में लगने चाहिये और मई-अप्रैल में एक लाख से ऊपर। तो कुछ राहत है, नहीं तो राहत आप अपने फाइल में भले चौगुनी मान लो पब्लिक को तो आज तक राहत जीरो है।

रहा सवाल चिकित्सा का : चिकित्सा मंत्री बहुत ज्यादा अच्छी व्यवस्था के लिए एलान करते हैं। बाड़मेर और जैसलमेर जिले की सीमावर्ती डिस्पैन्सरीज में दो-दो साल से कोई डाक्टर नहीं है। कई जगह डाक्टर भेजे हैं तो वे डाक्टर ऐसे हैं जिनकी सेवाओं का कोई पता नहीं। इंजेक्शन लगाते हैं उनके फोर्थक्लास। डाक्टर के लगाये हुए इन्जेक्शन के लोगों ने आपरेशन कराये। मैं बताता हूं बाड़मेर जिले की गराप, गडरा रोड़, बाड़मेर जिले की बीण्ड कापा, जैसलमेर जिले की देई कोट। जैसलमेर के देई कोट में मंत्री महोदय, एक डाक्टर की लोगों ने शिकायत की.।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : जांच हो गयी।

श्री ग्रमीन खां : आपने जांच करायी। उस जांच का आपने जवाब दिया कि असत्य शिकायत पायी गयी। शिकायतकर्ता एक मैं भी था। उस अधिकारी ने मेरे को कतई नहीं पूछा। उस अधिकारी ने, जाइण्ट डाइरेक्टर, जो जोधपुर का है, रिटायर हुआ है उसने डाक्टर से बयान लेकर 30 हजार रुपये लेकर आपके पास रिपोर्ट भेजी है। आपको अगर हमारी बात से सन्तोष नहीं तो उसका प्रमोशन करो, और दस साल

(श्री अमीन खां)

रखो। हमें कोई चिन्ता नहीं है, बदनामी आपकी होगी। दूसरी बात है शिक्षा की। सारे हिन्दुस्तान में राजस्थान शिक्षा में सब से नीचे, और राजस्थान में शिक्षा में सबसे नीचे जिला बाड़मेर, जिसके अन्दर मिडिल स्कूल, हायर सैकण्ड्री स्कूल, सैकण्डरी स्कूल में 50 प्रतिशत पद आज भी कई सालों से खाली पड़े हैं। आज इस आजादी के युग में आप तो कहते हैं कि गरीबों का जमाना आ गया, सबको अधिकार मिल गये। लेकिन जहां 50 प्रतिशत शिक्षक नहीं उन ग्रामों के गरीब लोग पटवारी की परीक्षा में भी क्या पास हो सकते हैं ? आर. ए. एस., आर. पी. एस , आई. ए. एस. इनको तो दूर छोड़िये, लेकिन थर्ड क्लास टीचर पास होने में भी उनकी मजबूरी है। सब बाहर के लोग आकर वहां मास्टर बनते हैं और राजनैतिक प्रभाव से ट्रान्सफर कराकर चलते हैं।

अब सड़कों का मामला ले लीजिये। मंत्रीजी कहते हैं कि सड़कों का जाल बिछा दिया। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे बाड़मेर जिले में कोई नई सड़क निर्माण नहीं हुई। और सड़कों की जो रिपेयर्स करानी चाहिये, वह भी आज तक कुछ नहीं हुई। मंत्रीजी, यह जिला सीमावर्ती है। इस सीमवर्ती जिले में दो मुसीबतें हैं। एक मुसीबत तो कुदरती है, आँधियों से सड़कों पर रेत आ जाता है बार-बार। दूसरी मुसीबत यह है कि यह जिला सीमावर्ती होने से फौज की जो एक्सरसाइज होती है, वह उन सड़कों पर होती है जो फेमिन में बनी हुई हैं, और वह सारी एक्सरसाइज में टूट जाती हैं। और अकाल राहत के तहत जो सड़कें बनी हुई हैं उनके लिये आपका विभाग एक टक्का भी नहीं रखता। तो उन सड़कों का आखिर धणी धोरी कौन है ? उन सड़कों का प्रशासन काम लेता है, पब्लिक काम लेती है, बसें चलती हैं, उन सड़कों को आप नदारद मानते हैं, यह मेरे खयाल से जन हित में नहीं है और राष्ट्र हित में नहीं है। इन सड़कों की मरम्मत होनी चाहिये।

अल्पसंख्यकों के बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आया कि पहली बार हज जाने वालों के लिये बहुत सुविधा दी गई है। मैं कहता हूं पहली बार ज्यादा अन्याय किया गया है। पहले राजस्थान में एक हज कमेटी थी, उसमें मैं भी मेम्बर था, श्री शिवचरण माथुर उसके अध्यक्ष थे। हमने तय किया था कि शहरों में रहने वाले मुसलमान पैसे वाले व्यापारी होते हैं, होशियार होते हैं; और ग्रामीण लोग गरीब होते हैं, अनजान होते हैं। अब पूरे राजस्थान के मुसलमानों को अगर आप एक ही कुर्रा निकालते हैं तो बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर का एक भी आदमी हज नहीं जा सकता। हमने क्या किया था कि पापुलेशन के आधार पर हर जिले में कितने मुसलमान हैं, क्या आबादी है, उस आबादी के हिसाब से कितना प्रतिशत बाड़मेर के मुसलमान जायेंगे, अगर बाड़मेर का चार का नम्बर आता है तो चार ही जायेंगे, और जयपुर के दस आते हैं, तो दस ही जायेंगे। इस साल कुर्रे में बाड़मेर जिले और जैसलमेर जिले के एक भी आदमी का नम्बर नहीं आया। क्या यह न्याय की बात है ? शहर के आदमियों का

(श्री अमीन खां)

फायदा दिया और पैसे वाले आदमियों को फायदा दिया। गरीब आदमी इस कुर्रे से कभी नहीं आयेगा। मंत्रीजी इस पर ध्यान से सोचें। डिस्ट्रिक्ट वाइज पापुलेशन आपके पास है, उससे कुर्रा करें, तो बाड़मेर से 4 आदमी जायेंगे तो चार का कुर्रा निकालें। तो कम से कम चार तो जायेंगे, नहीं तो एक भी नहीं जायेगा। अगर बाड़मेर से अलग कुर्रा नहीं निकाला तो बीस साल में भी एक भी आदमी हज नहीं जायेगा। और आपने कह दिया कि हमने न्याय कर दिया।

अब रहा सवाल अल्पसंख्यकों के बारे में। हमारे गांवों में मदरसे हैं, मस्जिदें हैं। पीढ़ियों से वहां रहते हैं, कभी किसी मुसलमान के साथ किसी हिन्दु की किसी धार्मिक बात पर शिकायत नहीं हुई और न आज तक कोई शिकायत है। लेकिन प्रशासन, मस्जिद के लिये कोई असत्य भी बात कर ले कि मस्जिद बन रही है, तो वारन्ट लेकर पहुंच जाते हैं कि मस्जिद बनाने की कतई इजाजत नहीं है। संविधान की धारा 28 से 30 तक में खुली व्यवस्था है कि अल्पसंख्यकों की निजी संस्थाएं उर्दु में चाहे पार्सी में चाहे अरबी में शिक्षा दे सकते हैं, उन पर कोई पाबन्दी नहीं होगी। लेकिन मदरसों को आपने राजस्थान में रिलीजस प्लेस मान लिया। आप लोग यहां विद्वान बैठे हैं, क्या यह रिलीजस प्लेस है ? हमसे कहा जाता है कि मदरसों में आपको बच्चों को पढ़ाने की क्या जरूरत है। जरूरत यह है कि जैसे कोई बच्चा रामायण नहीं पढ़ सकता, गीता नहीं पढ़ सकता तो वह हिन्दू नहीं बन सकता, उसी तरह वह मुसलमान बच्चा जिसको कुरान का ज्ञान नहीं है वह मुसलमान नहीं बन सकता। इसलिए कुरान के पढ़ाने का आप सरकारी स्कूलों में इन्तजाम कर दें, तो मदरसों वालों को हम मना कर देंगे। अगर सरकार यह इन्तजाम नहीं करेगी, तो संविधान में हरेक को अलग-अलग अधिकार दिये गये हैं। इसलिये आप इसको रिलीजस प्लेस मत मानो, और अगर मानते हो तो यह जन हित में नहीं है। यू.पी. के अन्दर जितने भी मदरसे हैं उन पर सरकार की कोई भी पाबन्दी नहीं है। परन्तु यहां पाबन्दी है। एक मिनट में अनुसूचित जाति/जन जाति के सम्बन्ध में बोलना चाहता हूं। जैसलमेर जिले में भ्रष्टाचार अभियान के तहत 2 आफिसर मिले और दोनों ही मेघवाल जो करोड़ों रुपया इस देश का खा गए। एक असिस्टेंट इंजीनियर वाटर वर्क्स और एक डाक्टर रामजीलाल। उनके भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज हुए। औरतों की जांच हुई, उनके घरों की जांच हुई, उनकी जमीनों की जांच हुई और आखिर में एक डाक्टर ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इंजीनियर को जैसलमेर से बाड़मेर ट्रांसफर किया, बाड़मेर से जोधपुर किया और जोधपुर से डूंगरपुर किया। रूपाराम मेघवाल इंजीनियर जहां जहां पर रहा उसकी कार्यवाही देख लें उसने जितनी भी क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाएं हैं वह कम से कम समय में कमीशन की हैं, करके दिखाई हैं उतने दूसरे ए. ई एन. ने नहीं करके दिखाई हैं। बशर्ते कि वह पहला मेघवाल इंजीनियर बनकर आया था। इसलिए वह नहीं रहना चाहिए।

(श्री अमीन खां)

अब रहा सवाल पंचायतों के पुनर्गठन का....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये। यह आप कह चुके हैं।

श्री अमीन खां : पंचायतों के पुनर्गठन में पूरा पक्षपात किया गया है। आखिर में एक बात कहना चाहता हूं।

अब न्याय की बात, जहां पुलिस का मामला है। जितने वहां पर पुलिस थाने हैं। 45 साल की आजादी के बाद में चाहे कांग्रेस का राज रहा हो चाहे और किसी का राज रहा हो–एक ही जाति विशेष के सारे थानों में थानेदार, एक ही जाति के सारे सर्किल आफिसर और एक ही जाति के उससे सीनियर आफिसर्स। क्या यह डेमोक्रेसी है और सकुंलिज्म है। कोई सवाल उठाते हैं तो कहते हैं कि साहब बार्डर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर आदमी की काबलियत देखी जाती है। बाड़मेर के वर्तमान एस.पी. ने जितना तस्करी का माल पकड़ा वह सारा शेड्यूल्ड ट्राइब्स का है। उसके पूर्व जिसको योग्यता मानते हैं उसका 4 पर्सेन्ट भी नहीं पकड़ा। क्या अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों में योग्यता नहीं है। उसी के पड़ौस में जैसलमेर के एस पी. को जिनको योग्यता में हम और आप काबिल मानते हैं वह उससे तस्करी का माल पकड़ने में कम हैं तो मेरी, उपाध्यक्ष महोदय, गुजारिश है ... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजिये।

श्री अमीन खां : आपको मेरे बीच में इस तरह से बोलने का अधिकार नहीं है।....

श्री मदन दिलावर : अपराध जाति नहीं करती है आदमी करता है।

श्री अमीन खां : अन्त में महामहिम राज्यपाल महोदय से जो गलत बयान दिलवाया गया है मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उससे ज्यादा एफिशियेन्सी दिखाई है आप समझते नहीं हैं और यों ही बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो यहां पर सदन में अभिभाषण पढ़ा उस पर धन्यवाद देने के लिए जो प्रस्ताव आया है उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं और इस प्रदेश के मुख्य मंत्री, माननीय श्री भैरोंसिंह जी को अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं।

श्री हेतराम बेनीवाल : खुद की तरफ से नहीं ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय क्षेत्र की जनता में मैं शामिल हूं। उन्होंने केवल तीन-बजटों में ही राजस्थान प्रदेश की वार्षिक योजना को 76 प्रतिशत बढ़ौतरी प्रदान कर दी। इतनी तीव्र गति से

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

बढ़ौतरी 44 साल के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुई ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : 3 वर्ष कहां हुए हैं, दो ही हुए हैं ।

श्री जोगेश्वर गर्ग : तीसरा बजट शब्द बोला हूं । माननीय सदस्य ध्यान से सुनिए जरा ।

श्री हेतराम बेनीवाल : तीसरा बजट कहां आ गया, दूसरा ही है ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : 3 ही बजटों में प्रदेश की वार्षिक योजना में जो बढ़ौतरी हुई है उस बढ़ौतरी का ज्यादा से ज्यादा लाभ गांवों को मिला है । पहले अधिकांश बजट शहरों पर खर्च होता था, परन्तु पिछले दो वर्षों में बजट का निर्धारित 60 पर्सेन्ट लक्ष्य से भी अधिक 62 पर्सेन्ट बजट का पैसा गावों के हिस्से में आया जो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है ।

इस रुख को देख कर मुझे एक शायर की दो पंक्तियां याद आ रही हैं और मैं यह पंक्तियां मोहम्मद माहिर आजाद साहब को समर्पित करता हूं–

"कि आदतन ये तो मुखातिब हैं
समन्दर की तरफ ।

(नदियों की आदत होती है ।)

"कि आदतन ये तो मुखातिब हैं
समन्दर की तरफ ।
इन नदियों को काट कर नहरें बनानी
चाहिए ।।"

वह जो बजट का रेला पहले शहरों की तरफ पहुंचता था । शहरों के ही मंत्री, शहरों के ही आफिसर जो सारा बजट शहरों में घसीट के ले जाते थे, ग्रामीण जनता के हिस्से में कुछ नहीं आता था । बजट का अधिकांश पैसा गांवों के हिस्से में लाया गया है और उसी के कारण से गांवों में विकास हुआ है ।

मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्षों में शायद ही कोई गांव ऐसा बचा होगा जिसमें विकास का कोई न कोई काम नहीं हुआ हो और सारे के सारे काम पक्के हुए हैं, स्थाई महत्व के काम हुए हैं । छोटे से छोटे गांव में कुछ न कुछ काम हुए हैं, कुछ न कुछ उसके हिस्से में पैसा आया है और ऐसा आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ । इन दो वर्षों में यह चमत्कार हमारे मुख्य मंत्रीजी ने करके बताया है । उसका कारण यह रहा है कि वह स्वयं ग्रामीण परिवेश से आये हैं, हम में से अधिकांश लोग गरीब घरों से आये हैं । हमें गरीब की पीड़ा का मालूम है और इसीलिए हमने गरीब को गणेश मानकर पूजना शुरू किया और उनकी तरफ पूरा ध्यान दिया ।

अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी । एक वरिष्ठ माननीय सदस्य कह रहे थे अपने क्षेत्र के विकास के बारे में, कि कम पैसा मिला उसके लिए कह रहे थे । 40 साल तक आप राज करते रहे और अब भी आप कह रहे हैं कि मेरा क्षेत्र अविकसित है । फिर आपने क्या किया 40 साल तक । ठीक कह रहे हैं कि बिलकुल मजे किए । गांवों में जब विकास की गंगा

(श्री ओगेश्वर गर्ग)

पहुंच रही है, जिन गांवों को उपेक्षित किया गया, जिन गांवों में विकास की गंगा नहीं पहुंची आज तक वहां विकास की गंगा पहुंच रही है। इस सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे गांव का उदाहरण देना चाहूंगा। भैंसवाड़ा गांव का मैं रहने वाला हूं। हमारे ठाकुर साहब तीन बार एम. एल. ए. रहे। दो बार वह स्वयं और एक बार उनकी पत्नी। वह कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे। उस गांव की हालत क्या हुई वह मैं आपको बताना चाहूंगा। 44 साल में पहली बार सरकारी पैसे से सार्वजनिक उपयोग के दो भवन इस बार बन रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि 44 साल तक उस गांव में, जिस गांव का इतना बढ़िया प्रतिनिधित्व रहा सरकार में और विधान सभा में, उस गांव में राजकीय पैसे से कोई विकास नहीं हुआ। वहां पर पहली बार दो भवन बन रहे हैं उससे छटपटाहट हो रही है कि यह क्यों हो गया, कैसे हो गया ? इसको रुकवाने की कोशिश की गई। यह मेन्टेलिटी उधर के लोगों की रही है इधर की नहीं है। हमने तो हर काम में जहां आवश्यकता है वहां कराने की कोशिश की है। हमारे यहां हैण्ड पम्प की प्राथमिकता तय करने के लिए मुझसे पूछा गया। तो मैंने कहा कि जहां पर आवश्यकता हो वहां पर करिए। राजनीतिक आधार पर कोई प्राथमिकता तय नहीं होगी यह नीति हमारी सरकार ने तय की है और हम लोग उस नीति पर अडिग होकर चल रहे हैं। उसी के कारण से सामने वालों को तकलीफ हो रही है तो उस तकलीफ से हमको परवाह नहीं है। जनता हमारे कामों की प्रशंसा कर रही है, जनता हमारे कामों से खुश है। इस बात को कोई इंकार नहीं कर सकता है।

कृषि के विकास के लिए जो काम हुए हैं उस सम्बन्ध में मेरे से पूर्व बोलने वाले कह चुके हैं। कृषि के क्षेत्र में विशेषकर तिलहन के विकास में जो योगदान इन दो वर्षों का रहा है वह उल्लेखनीय है। इन दोनों वर्षों में ही तिलहन का उत्पादन तिगुना हो गया है। हमारे जालौर जिले जैसे रेतीले क्षेत्र में, जहां पर पानी की सुविधा नहीं हुआ करती थी, कुएं बहुत कम हुआ करते थे वहां पर भी भरपूर फसल सरसों की हो रही है। उसका कारण सरकार की योजनाएं हैं। सरकार ने कृषकों की तरफ ध्यान दिया उसी के कारण से इतना बड़ा करिश्मा हुआ है। उसके साथ ही अगले वर्ष के लिए एक जो एक स्वप्न संजोया है 300 करोड़ रुपये की कृषि विकास की विशाल योजना राजस्थान के लिए अगले वर्ष में आने वाली है। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कृषकों की तरफ इतना अधिक ध्यान दिया। तिलम् संघ के माध्यम से जालौर जिले में जो काम हुआ है तिलम् संघ की सरसों की परियोजना का वर्षों से निर्माण कार्य चल रहा था, उत्पादन कुछ नहीं हो रहा था उसको इसी वर्ष शुरु करवाया गया। 1991 में उसने उत्पादन शुरू कर दिया। यदि सरकार उसके पीछे नहीं पड़ती, ध्यान नहीं देती तो यह और लम्बा चल सकती थी और अधिक समय लग सकता था, विलम्ब हो सकता था लेकिन सरकार की नीतियों के कारण उसने बहुत जल्दी अपना

(166)

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

काम शुरू किया है, उत्पादन शुरू किया है।

अभी यहां पर घोषणाओं के बारे में कुछ कहा गया था कि यह सरकार मात्र घोषणाएं करती हैं। यह प्रश्न करने वालों से मेरा प्रश्न है कि क्या वह दिसम्बर, 1989 और जनवरी, 1990 को भूल गए हैं जब उन्होंने जी भर के घोषणाएं की थीं, जमीन आसमान को मिलाने के बारे में घोषणाएं की थीं। वह सारी घोषणाएं रद्दी की टोकरी में चली गई। अब उनके बारे में बोलते हुए भी उन्हें शर्म आती है। उनकी बात करना तक वह भूल गए। उनको पूरा करना तो दूर की बात है पर उनका उल्लेख करने की हिम्मत नहीं होती है और वह उल्टे हमारे पर आरोप लगाते हैं कि हम केवल घोषणाएं करते हैं। उन लोगों को करारा जवाब दिया है हमने इन दो वर्षों में हमारी अधिकांश घोषणाओं को पूरा करके।... (व्यवधान)....

उपाध्यक्ष महोदय, अरावली विकास की योजना बनी है। बहुत महत्वपूर्ण योजना है वन विकास के लिए जापान सरकार के सहयोग से उससे निश्चित रूप से अरावली का सारा क्षेत्र फिर से हरा-भरा हो सकेगा। लेकिन इस सम्बन्ध में मेरी एक शिकायत भी दर्ज कराना चाहता हूं कि जालौर का प्रतिनिधि होने के नाते मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जालौर जिले में भी अरावली पर्वत श्रृंखलाएं बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई हैं, परन्तु उस जिले को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह योजना फाइनल हुई, जिस समय इस योजना पर काम चल रहा था, योजना को पूर्णता प्रदान की जा रही थी उस समय इस सदन में और राजस्थान सरकार में जिले के तीन मंत्री थे और एक महामंत्री....

श्री मोतीलाल मीणा (सवाई माधोपुर) : कितने आयुर्वेदिक औषधालय खोले हैं आपने ? (व्यवधान)....

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, हम इनका भाषण बड़ी शान्ति से सुनते हैं अब हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कल से देख रहे हैं कि हमारी तरफ से बोलने वाले माननीय सदस्यों को बार-बार टोका जा रहा है।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग : राजस्थान की सरकार में तीन-तीन मन्त्री जालौर जिले से थे और एक महा मंत्री, इन चार-चार बड़ी हस्तियों के होते हुए जालौर की जनता के साथ अन्याय हो गया। यहां इतनी विशाल अरावली की पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। उस जिले के विकास में बहुत बड़ा रोड़ा अटका है उसके लिए जालौर की जनता उन लोगों को तो क्षमा नहीं करेगी और मैं अब भी निवेदन करूंगा राज्य सरकार के माननीय मन्त्री जी से, माननीय मुख्य मन्त्री जी से कि जालौर जिले में जो अरावली की पर्वत श्रृंखला फैली है उनके विकास के लिए अलग से कोई योजना बनाएं और उनको भी हरा भरा करने की दृष्टि से कुछ सुझाव मैंने भी दे रखे हैं उन पर भी अमल करें। एक बढ़िया योजना को प्रस्तुत करें जिससे उस क्षेत्र का विकास हो सके।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

उपाध्यक्ष महोदय, बोलने को बहुत कुछ है मेरे पास लेकिन समय की सीमा है। मैं केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह सायंकालीन कक्षाएं शिक्षा की दृष्टि से, शिक्षा के विस्तार की दृष्टि से जो शुरू करने का निर्णय लिया गया है अधिकांश शहरों में उसके लिए मैं शिक्षा मन्त्री जी को साधुवाद दूंगा। उनसे निवेदन करूंगा कि उस योजना में जालौर को पीछे नहीं छोड़ें, जालौर शिक्षा की दृष्टि से कोई बहुत आगे नहीं है बहुत पीछे है और इसलिए उसमें जालौर को जरूर सम्मिलित करें।

मैं माननीय लोक निर्माण मन्त्री जी का धन्यवाद करूंगा। गत वर्ष जालौर जिले में बाढ़ आई थी। उस बाढ़ के समय जिले की सारी सड़कें तहस-नहस हो गई थीं, एकदम सफाया हो गया था सड़कों का। लेकिन उन्होंने अपने कुशल प्रशासन और व्यक्तिगत रुचि लेकर उन सारी सड़कों को तीन चार महीनों के अन्दर-अन्दर पहले से बेहतरीन बनाकर दे दिया उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं जालौर की जनता की तरफ से।

पर्यटन मन्त्री जी से मेरा निवेदन है पर्यटन विकास को उन्होंने जो प्राथमिकता दी है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करूंगा और साथ में उनसे निवेदन करूंगा कि पर्यटन के विकास में परम्पराओं को ध्यान में वैसे तो पहले से ही वह रख रही हैं, भविष्य में भी ध्यान में रखें। पुरानी परम्पराओं को दृष्टिगत रखते हुए यदि विकास किया गया पर्यटन का तो अधिक उपयोगी होगा, अधिक लाभकारी होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामकरण।

श्री रामकरण (मेड़ता) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का प्रस्ताव उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो रखा और जैसा कि माननीय देवपुरा जी ने. डाक्टर चन्द्रभान जी ने जो बातें कहीं थी कि अभिभाषण केवल एक आंकड़ों का मायाजाल है इसके अलावा कुछ भी नहीं था। यह सही है कि राज्यपाल के मुंह से सरकार जो फाइनेन्शियल ईयर में जितनी भी जो उपलब्धियां होती हैं वह कहलाना चाहती है और आगे क्या करना चाहती है यह भी कहलाना चाहती है। इस पूरे अभिभाषण को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। इस पूरे साल के अन्दर इस सरकार ने क्या प्रगति की, क्या एचीवमेंट किए, एक भी बात नहीं कही गई है। केवल जैसा कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, चतुर हैं केवल लुभावने शब्दों के अन्दर यह सारा अभिभाषण तैयार किया गया है। और बातें बहुत कही गई हैं। ग्रामीण विकास के मामले में हमारे मुख्य मंत्री महोदय यह कहते आ रहे हैं और इधर के माननीय सदस्य कहते आ रहे हैं कि 62

(श्री रामकरण)

परसेंट पैसा गांवों के विकास में लगाया गया, मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के कौन से इलाके, किस ग्रामीण विकास के मद के ऊपर आपने विकास किया है ? गांव में कितनी सड़कें बनाई, कितनी गांव में नई स्कूलें आपने खोली ? कितने आपने औषधालय खोले ? कितनी आपने सिंचाई योजनाएं दी ? कितनी बिजली का विस्तार किया ? कितने आपने अस्पताल खोले ? मैं समझता हू कि जीरो है। राजस्थान के इतिहास में इस शासनकाल में जितना विकास कम हुआ है आज तक चालीस साल के शासन में नहीं हुआ । पिछले शासन-काल में भी कमी रही होगी।

इसलिए माननीय सदस्य ने बार बार बिना तथ्यों के आधार के ऊपर बीच में जो व्यवधान डालने की बात करते हैं वास्तविकता से परे जाकर यह जानते हैं कि राजस्थान कृषि प्रधान देश है जहां का मुख्य धंधा सिंचाई है। सिंचाई केवल कुओं से होती है। अगर आप कुओं के ऊपर बिजली नहीं देंगे तो आपका इलाका सूखा रह जायेगा। कितनी बड़ी परियोजनाएं हैं आपके पास राजस्थान में ? केवल एक राजस्थान नहर है, बहुत धीमी कछुए की चाल से आप बढ़ रहे हैं। बिजली के मामले में दो साल के शासनकाल के अन्दर, मैं पूछना चाहता हूं आपने जनरेशन के अन्दर कितनी प्रगति की ? एक भी किलोवाट आपने नया पैदा नहीं किया है । चार योजनाएं जो आप बता रहे हैं। सूरतगढ़ की योजना केवल है, भारत सरकार से पैसा मिल गया है, फाइनेन्शियल सेंक्शन मिल गई है। सब कुछ हो गया है मगर केवल तीन चार इन्जीनियर लगा रखे हैं और कोई भी काम आपका प्रगति पर नहीं है।

यह आपकी धौलपुर की योजना जो केवल कागजों में अटकी हुई है यह आपका पर्यावरण विभाग और सभी नहीं कर रहे हैं तो इसकी कोई उपलब्धि नहीं है । जैसा कि इन्होंने बताया और एक यह योजना बरसिंहसर की है। सन् 1988 से जैसा कि माननीय सुमित्रा जी भी कह रही थी उस समय भी चल रही थी और इसके ऊपर कोई भी प्रगति नहीं हो रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास केवल बार बार इस प्रकार हाउस में एलान करने से तो होता नहीं है। मैं मेरे नागौर जिले में दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी विकास इस सरकार के शासन-काल के अन्दर किसी क्षेत्र में नहीं हुआ है, न सड़कों में हुआ है।

स्कूलों की तो हालत यह है कि दो साल से मिडिल स्कूलों में एक एक अध्यापक बैठा है। क्या बच्चों को पढ़ाएंगे ? तीन-तीन सौ लड़के हैं, चार चार सौ लड़के हैं। बार बार सरकार यह आश्वासन देती आ रही है। नये अध्यापक आप क्यों नहीं भर्ती करते हो। इसलिए राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण आया है इस अभिभाषण में इस सरकार ने क्या काम किया, कितने एचीवमेंट किए, इसके ऊपर आपका बिल्कुल जीरो है और वह इसलिए कि आपने कई प्रकार की योजनाओं के नाम दे दिए। अपना गांव और अपना काम, तीस परसेंट के पैसे को, मुझे मालूम है कि मेरे जिले में कई योजनाएं हैं मगर पैसा नहीं है एक भी

(श्री रामकरण)

काम सैंक्शन नहीं हुआ केवल थोथी योजनाएं हैं। इस प्रकार केवल योजनाएं जो हैं पहले वाली योजना का दूसरा नाम दे देने मात्र से कोई विकास नहीं होता है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास के ऊपर 62 परसेंट का यह आंकड़ा किस मद में गिनाते हैं ? कौनसे मद के अन्दर इन्होंने रुपया खर्च किया है ? यह आज जो कुछ भी पैदावार हो रही है यह न समझिए कि आपके प्रशासन की कुशलता के कारण हो रही है यह तो परमात्मा की देन है कि इस बार दो बार बारिश हो गई है। इसलिए आपकी यह पैदावार हो रही है। वरना तो बिजली की हालत यह है कि इस पूरे साल के अन्दर आप देख लीजिए ट्रांसफार्मर कितने जले हैं, बारह हजार ट्रांसफार्मर खरीदने के इन्होंने साल भर पहले आर्डर दिए थे। एक भी ट्रांसफार्मर आज तक नहीं आया। महीने-महीने भर तक ट्रांसफार्मर जले पड़े रहते हैं। लोगों को बिजली नहीं मिलती है। भयंकर भ्रष्टाचार होता है। दस-दस हजार रुपए ट्रांसफार्मर के लिए काश्तकारों को देने पड़ते हैं। भ्रष्टाचार मिटाने की जो बात कही गई है यह तो भ्रष्टाचार का नमूना है।

जहां तक पेयजल का सवाल है पूरे राजस्थान में पेयजल की यह समस्या क्या मिटाएंगे ? जैसा डाक्टर चन्द्रभान जी ने यह बात कही थी कि हमारे हर विजिलेंस की मीटिंग में यह मामला आता है और पेयजल और बिजली सबसे इम्पार्टेन्ट मुद्दे होते हैं। एक भी इंच इस विभाग के पास पाइप नहीं है फिर यह कहां से पेयजल की यह सारी समस्या दूर करेंगे। इनकी मशीनरी फालतू पैसा लेती है, बिना मतलब बैठी है। सारे गांव प्यासे पड़े हैं, सारी योजनाएं बेकार पड़ी हैं इस मामले में इनका कोई सुधार नहीं हुआ है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सबसे बड़ी बात पंचायतों की बात है। आप एक तरफ तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं और दूसरा आज करीब 8–10 महीने से सारे गांवों में जो जितना भी काम था पंचायतें भंग करके एक ग्राम सेवक जो साधारण स्तर का आदमी और जिसके पास तीन-तीन, चार-चार ग्राम पंचायतें हैं, क्या उसका गांवों में इन्ट्रेस्ट है ? कुछ भी काम नहीं करता है। सारे गांवों की हालत बड़ी खराब है। सारे रास्ते बन्द हो गए हैं। अतिक्रमण भयंकर रूप से हो रहा है कोई काम नहीं हो रहा है और विकास की कोई बात ही नहीं है और पंचायतों के पुनर्गठन की बात चार-चार महीने हो गए कलक्टर से यहां सारे कागजात आए पड़े हैं इन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। चुनाव कब होंगे कोई भरोसा नहीं है। इस प्रकार डेमोक्रेसी, महात्मा गांधी का जो सपना था उसको यह चकनाचूर कर रहे हैं और गांव का जो आधार है उसकी सारी बातें कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा, गांवों में, मैं भी पहले पंचायत समिति में प्रधान था, मेरी पंचायत समिति में 17 स्कूलें थी एक भी स्कूल आज से वापिस नहीं खोली गई है। फालतू मकान पड़े हैं। गांव वालों ने अपना पैसा इकट्ठा करके गांव में जगह-जगह

(श्री रामकरण)

स्कूलें बनाई। यह प्राथमिक शिक्षा भी जब आप नहीं दे रहे हैं, स्कूलें नहीं खोल पा रहे हैं तो प्रगति आप किस क्षेत्र के अन्दर काउंट करते हो। इसलिए एक बात जरूर है कि सरकार ने इस फाइनेन्शियल इयर में दो बातों के अन्दर तो वास्तव में तरक्की की है। एक तो भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर पहुंचा है इसके अन्दर इन्होंने बहुत प्रगति की है। आज किसी भी विभाग में आप चले जाइए, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। मन्त्रियों का अपने स्टाफ के ऊपर कोई कण्ट्रोल नहीं है। अपने अधिकारियों पर कोई अंकुश नहीं है केवल सत्ता एक आदमी के हाथ में है, मुट्ठी में है, सारे मंत्री मुट्ठी में हैं। इतने ट्रांसफर कर दिये कि एक महीने में तीन-तीन बार भी एक आदमी का ट्रांसफर कर दिया। दो मामलों में इन्होंने बहुत प्रगति की है। इसलिए अन्त में मैं कानून और व्यवस्था की बात के बारे में....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रामकरण : एक मिनट में समाप्त करता हूं। न्याय पालिका की जितनी दुर्दशा इस शासन में की गयी है। आज हमारे मेड़ता में डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं। डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज की हालत एक चपरासी के बराबर कर दी गयी है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेन्ट के मुताबिक उनको वीक में तीन दिन तो नागौर में जाना पड़ता है तो महीने में 12 दिन तो वह वहां जाता है। एक सप्ताह परबतसर जाता है। डिस्ट्रिक्ट जज क्या तो परबतसर काम करेगा, क्या मेड़ता काम करेगा और क्या नागौर काम करेगा। कई बार हमने माननीय मंत्रीजी से इस बारे में निवेदन किया है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि यह सरकार सभी क्षेत्रों में विफल रही है। राजस्थान का विकास बहुत पिछड़ गया है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का विरोध करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा

(अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र पारीक (अनुपस्थित)

श्री अचला राम

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़ (उप मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटे के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय आधा घंटे के लिए बढ़ा दिया जाय ?

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, यह आप ही की व्यवस्था है कि सदन 6 बजे तक चलेगा।

डा. चन्द्रभान : हाउस नहीं चलेगा। यह बी. ए. सी. का जो फैसला है यह

(डा. चन्द्रभान)

फैसले के विरुद्ध है यह आपकी व्यवस्था के विरुद्ध है। (व्यवधान) और यदि आज ही यह व्यवस्था टूट जायेगी तो....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : प्रस्ताव वापस लिया जाय।

श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़ : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अचलारामजी के भाषण तक समय बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि अचलारामजी के भाषण तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय अचलारामजी के भाषण तक बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पानी पीने गया था।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम बोला गया था आप नहीं थे। पानी का प्रश्न नहीं होता है। नाम पुकारा गया था, आप नहीं थे। (व्यवधान)

माननीय अचलारामजी।

श्री अचलाराम (देसूरी) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा राजस्थान पाकिस्तान की सीमा से लगता हुआ है। बहुत समय पहले से तस्करी वहां पर होती रही है। और पूर्व सरकार उसको आंख मूंद करके देखती रही है किन्तु हमारी सरकार ने 36 करोड़ का तस्करी का माल पकड़ करके जो काम किया है यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक इसी तरह से हमारी सरकार ने उपभोक्ता सामग्री के वितरण के लिए जगह जगह सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए जिला स्तर और तहसील-स्तर पर समितियां बना करके, ठीक तरह से वितरण किया जाय, इसकी समितियां बनायी और इसके बार-बार सुझाव लिये जाते हैं यह भी हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। 300 करोड़ रुपये की कृषि विकास परियोजना जो लागू की गयी है यह भी हमारी सरकार की उपलब्धि है। और जो कृषि मण्डी के टैक्स पहले जगह-जगह लगते थे और अब एक ही जगह जिन्सों पर टैक्स लगा करके किसान का जो हित देखा है वह हमारे लिए बहुत ही हितकर है। जिला मण्डी विकास कोष की स्थापना करके कमजोर कृषि उपज मण्डियों को सहायता देना कितना बढ़िया कदम है। उपाध्यक्ष महोदय, सरसों के जो भाव बार-बार गिर जाते थे उसको खरीदने के लिए हमारी सरकार ने 250 करोड़ रुपये की योजना जो बनायी है वह हमारे किसान के लिए बहुत हितकर कदम है। और हमारी सरकार किसानों के हित में बहुत अच्छे काम कर रही है। 20 सूत्री कार्यक्रम में राजस्थान का पहला स्थान होना एक सराहनीय कदम है। जवाहर योजना में जब 135 करोड़ रुपये रखे गये थे किन्तु जनहित के कामों में 171 करोड़ रुपये खर्च किये और 39

(श्री अचलाराम)

करोड़ रुपये अधिक खर्च करना हमारे राजस्थान के विकास के कार्यों की एक उपलब्धि है। उपाध्यक्ष महोदय, इन्दिरा आवास योजना में 41 हजार आवास गरीबों को आवासीय सुविधा दिलाने के लिए सरकार ने जो भवन बनाये हैं वह प्रशंसनीय है। एक गरीब का हित चिन्तन करके मकान बनाये हैं और अलाट किये गये हैं; ठीक इसी तरीके से ग्राम पंचायतों को 50 हजार रुपये विकास के कार्यों में खर्च करने का जो अधिकार दिया है जिससे हर गांव में कोई न कोई काम निश्चित रूप से हुआ है। कहीं बैंक बनी है, कहीं पटवार घर बना है यह हमारी विकासशील सरकार की एक उपलब्धि है। अपना गांव अपना काम जैसी योजना लागू करके जनता को विकास के कार्यों में भागीदार बनाया है और उस भागीदारी के कारण गांव-गांव में दानदाता आगे आये हैं और विकास के कार्य करवा रहे हैं इससे सरकार के प्रति और जनता के प्रति दान-दाताओं का एक....(व्यवधान) और विकास की गति को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, गरीब जातियों को अन्त्योदय में लेकर के 70 हजार व्यक्तियों को लाभान्वित करना और उनके ऊपर 22 करोड़ रुपये खर्च करना एक प्रशंसनीय कार्य है। ठीक इसी तरीके से अरावली में वन क्षेत्र लगाने के लिए 176 करोड़ रुपये की जो राशि रखी गयी है जापान सरकार की सहायता से वह राशि केवल जंगल लगाने के लिए ही खर्च नहीं की जाये किन्तु उसके जगह-जगह अगर एनीकट बनाये जायें तो उन एनीकट्स में जंगली जानवर पानी पीयेंगे और वे किसानों को नुकसान नहीं पहुंचायेंगे और बाहर नहीं आयेंगे और यह हमारे सूखे राजस्थान में वर्षा के लिए भी उपयोगी होंगे। पिछली सरकार ने हमारे राजस्थान में अम्बेडकर पूर्व प्रशिक्षण संस्थायें खोल कर के जगह-जगह प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिये हैं और वे जगह-जगह सफल होकर रोजगार के लिए तैयार हुये हैं और सफल हुये हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने सन् 1971 की आबादी के अनुसार 1500 की आबादी वाले गांवों को जोड़ने की जो योजना बनाई इसके कारण जगह-जगह सड़कें बनी, पुल बने और डीप ठीक हुए जिससे हमारे राजस्थान में सड़कों का आवागमन ठीक हुआ।

आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर नगर-पालिकाएं हैं और जो कम आबादी वाली नगरपालिकाएं हैं उनको सरकार ने परिवर्तित करके पंचायत बनाई जिससे उनको पंचायत के नियमानुसार अधिक एड मिलती है और उनका विकास ठीक होता है। मेरा निवेदन यह भी है कि वे नगरपालिकाएं जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं उन नगरपालिकाओं को पंचायतों में परिवर्तित कर दिया जावे ताकि उनका विकास अधिक हो। ऐसी कई नगरपालिकाएं हैं जहां कर्मचारियों को 11-11, 12-12 महीने से वेतन भी नहीं दिया गया है। जैसे कि पाली जिले की सादड़ी नगरपालिका ऐसी नगरपालिका है जहां 11-12 महीने से कर्मचारियों को

(श्री अचलाराम)

वेतन नहीं मिल रहा है। ऐसी नगर-पालिकाओं को पंचायत में परिवर्तित कर देना चाहिए।

ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन कर हमारी जनता की भावनाओं का आदर किया है नहीं तो बहुत दूर-दूर तक जो गांव थे और पंचायत मुख्यालय तक पहुंचने में बहुत दिक्कत आती थी और एक ही व्यक्ति या सरपंच का ठेका होता था और वह ठेका प्रथा जो मिट गई और नए सरपंचों ने जनता को विकास के कामों में भागीदार बनाया था....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सरकार ने 28 मुंसिफ न्यायालय, 11 अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, 6 जिला न्यायालय, 18 न्यायालयों को क्रमोन्नत करके जनता को सस्ता न्याय दिलाया है। सरकार की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।

मेरा यह भी निवेदन है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति को सरकारी नौकरी में विभिन्न पदों पर भर्ती करके पीछे वाले बैकलॉग को पूरा कर देना चाहिए और पिछले समय के सेटलमेंट के द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के खेतों का गलत इन्द्राज हो गया है उनको सुधार देना चाहिए। नगरपालिका क्षेत्र में आवास हेतु भूमि रूपान्तरण की जो रेट 45 रुपया प्रति गज है उसे 10 रुपये प्रति गज कर देना चाहिये ताकि नगर-पालिकाओं की आय बढ़ सके। आने वाले ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों, सहकारी समितियों, सहकारी बैंकों, विभिन्न निगमों, बोर्डों में अनुसूचित जाति/जनजाति को प्रतिनिधित्व देना चाहिये ताकि उनका प्रतिनिधित्व उभर सके। मैं यह बात कहकर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का तहे दिल से समर्थन करता हूं और सरकार को धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल पूर्वान्ह 11-00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.04 बजे बुधवार, दिनांक 26 फरवरी, 1992 के पूर्वान्ह 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 1 की सूची

राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध विचाराधीन जांच प्रकरणों जिनमें नियम 16 के तहत आरोप पत्रादि जारी कर दिये गये हैं के सम्बन्ध में सूचना।

क्र. सं.	नाम अधिकारी	क्र. सं.	नाम अधिकारी
1	2	1	2
1.	सर्वश्री धर्मपाल सिंह राठौड़ (से. नि.)	23.	सर्वश्री रामेश्वर जूनवाल
2.	,, अमीलाल (से. नि.)	24	,, कालूराम कमलेश
3.	,, सी. एल. मीणा	25.	,, आर. पी. निडर
4.	,, बी. एल. मेघवाल	26.	,, नानकराम वर्मा
5.	,, अम्बा प्रकाश सक्सैना	27.	,, उम्मेद सिंह राठौड़
6.	,, बंशीधर यादव	28.	,, नाथाराम शर्मा
7.	,, गुलाबचन्द गुप्ता	29.	,, उम्मेद सिंह राठौड़
8.	,, डी. एन. गुप्ता (से. नि.)	30.	,, उम्मेद सिंह राठौड़
9.	,, डी. आर. मीणा	31.	,, उम्मेद सिंह राठौड़
10.	,, जी. एल. शर्मा	32.	,, राधेकांत शर्मा (से. नि.)
11.	,, अजीत सिंह यादव	33.	,, आई. सी. चौधरी
12.	,, जी. सी. जिन्दल	34.	,, एच. सी. कटारा
13.	,, डी. एन. गुप्ता (से. नि.)	35.	,, उम्मेद सिंह राठौड़
14.	,, गौतम मुकर्जी	36.	,, सिन्डी भास्कर
15.	,, धनवान चन्द भण्डारी	37.	,, विष्णु अवतार
16.	,, जी. पी. नागर	38.	,, मूलाराम चौधरी
17.	,, गोविन्द सिंह राठौड़	39.	,, मूलाराम चौधरी
18.	,, आत्माराम कुदाल	40.	,, मूलाराम चौधरी
19.	,, गंगासहाय वर्मा	41.	,, एच. के. बक्सी
20.	,, गुलाबचन्द सिंदल	42.	,, आर. एल. डाबी
21.	,, भगवानाराम	43.	,, जगदीश प्रसाद शर्मा
22.	,, नवरंग राय	44.	,, एच. सी. कटारा

क्र. सं.	नाम अधिकारी	क्र. सं.	नाम अधिकारी
1	2	1	2
45.	सर्वश्री एच. सी. कटारा	65.	सर्वश्री जुगलकिशोर माथुर
46.	,, एच. सी. कटारा	66.	,, जे. सी. देसाई
47.	,, ज्वाला प्रसाद	67.	,, रामलाल चौधरी
48.	,, एम. आर. चौधरी	68.	,, आर. सी. धरमानी
49.	श्रीमती मीना विश्नोई	69.	,, बिरदी चंद
50.	श्री श्रीराम वर्मा	70.	,, मनोज कुमार शर्मा
51.	,, बी. के. जैन	71.	,, जे. एस. यादव
52.	,, उम्मेद सिंह राठौड़	72.	,, बिरदी चंद
53.	,, एच. सी. माहेश्वरी	73.	,, बिरदी चंद
54.	,, के. जी. विजयवर्गीय	74.	,, बिरदी चंद
55.	,, निरंजन कुमार खोवा	75.	,, रंगरूप मल कोठोरी
56.	,, जुगलकिशोर माथुर	76.	,, सुनीलकान्त गौतम
57.	,, सुखदेव प्रसाद	77.	,, राजपाल सिंह चौहान
58.	,, रामलाल चौधरी	78.	,, राजपाल सिंह चौहान
59.	,, आर. सी. रूगटा	79.	,, बिरदी चंद
60.	,, एस. एस. भण्डारी	80.	,, बिरदी चंद
61.	,, वाई. सी. भटनागर	81.	,, बिरदी चंद
62.	,, नवरंग राय	82.	,, श्रीराम वर्मा
63.	,, वी. डी. मिश्रा	83.	,, राधेश्याम शर्मा
64.	,, सुमन कुमार विग	84.	,, आर. सी. गुप्ता
		85.	,, यादराम आर्य

(176)

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 2 की सूची

परिशिष्ट–अ

जिला सवाई माधोपुर में पंजीकृत किस्मवार सहकारी समितियों एवं उनका चुनाव संबंधी विवरण

क्रम. संख्या	समितियों का प्रकार	समितियों की संख्या	अवसायनाधीन समितियां	कार्यरत समितियों की संख्या	समितियां जिनमें चुनाव हो चुके हैं	चुनाव से शेष
1	2	3	4	5	6	7
1.	सवाई माधोपुर केन्दीय सह. बैंक	1	–	1	–	1
2.	भूमि विकास बैंक	2	–	2	–	2
3.	होलसेल भण्डार	1	–	1	1	–
4.	जिला सहकारी संस्थान	1	–	1	–	1
5.	दुग्ध संघ	1	–	1	1	–
6.	दुग्ध उत्पादक सह. समितियां	96	4	92	–	92
7.	कृषि ऋणदात्री स स. (ग्राम सेवा सह. स)	280	12	268	249	19
8.	क्रय विक्रय सह. स.	5	–	5	3	2
9.	अरबन को-आपरेटिव बैंक	1	–	1	–	1

1	2	3	4	5	6	7
10.	मत्स्य सहकारी समितियां	4	1	3	3	–
11.	गृह निर्माण सह. स.	30	4	26	25	1
12.	बुनकर सह. स.	41	7	34	30	4
13.	श्रमिक ठेका सह. स.	23	4	19	15	4
14.	प्राथमिक भंडार	10	2	8	4	4
15.	बचत एवं साख सह. स.	17	6	11	10	1
16.	तिलहन उत्पादक सह. स.	75	–	75	67	8
17.	औद्योगिक सह. स.	51	23	28	22	6
18.	अन्य सह. स.	42	24	18	15	3
		681	87	594	445	149

परिशिष्ट–3

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

वृक्षारोपण योजना के भौतिक लक्ष्य

7. **श्री नवनीतलाल नीनामा** (घाटोल) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में पौध रोपण द्वारा वन लगाने की योजना चालू है ? यदि हां, तो पौधे रोप कर वन लगाने की योजना किस वर्ष से प्रारम्भ की गई ?

(2) राज्य के दक्षिणी जिलों यथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही में वन विभाग द्वारा वन रोपण का कार्य कौनसे वर्ष से प्रारम्भ किया गया ? इन जिलों में वन कहां-कहां पर लगाये गये हैं ? वनों का नाम वन चौकियों की सम्बन्धित रेन्ज, जिला आदि की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा जो वन रोपण किया जाता है उसके भौतिक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस व्यवस्था में सुधार करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

राज्य में वृक्षारोपण का कार्य 1955–56 से प्रारम्भ किया गया है।

(2) राज्य के दक्षिणी जिलों यथा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ सिरोही में विभाग द्वारा वृक्षारोपण क्रमश: वर्ष 1974–75, 1975–76, 1961–62, 1977, 1955–56 में प्रारम्भ किया गया। इन जिलों में लगाये गये वनों के सम्बन्ध में चाही गई सूचना अत्याधिक विस्तृत होने के कारण सदन के पटल पर रखा जाना सम्भव नहीं है।

(3) जी नहीं।

लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में कारागृह

8. **श्री ईश्वरलाल सैनी** (लक्ष्मणगढ़) : क्या कारागृह राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मुख्यालय लक्ष्मणगढ़ (अलवर) पर कोई उप कारागृह नहीं होने के कारण विचाराधीन बन्दियों को जिला मुख्यालय कारागृह में रखना पड़ता है, जो लक्ष्मणगढ़ से लगभग 50 किलोमीटर के फासले पर है ? क्या विचाराधीन (अण्डर ट्रायल) बन्दियों को हर पेशी पर लाना ले जाना पड़ता है ?

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

(2) क्या इस प्रकार बार-बार अलवर कारागृह से अभियुक्तों को लाना व ले जाना सुरक्षा की दृष्टि से उचित है ?

(3) यदि नहीं, तो राज्य सरकार मुख्यालय लक्ष्मणगढ़ (अलवर) पर उप कारागृह निर्माण के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जिला कारागृह अलवर से बंदियों को तारीख पेशी पर पर्याप्त पुलिस अभिरक्षा में भेजा जाता है ।

(3) लक्ष्मणगढ़ (अलवर) पर उप कारा-गृह निर्माण का वर्तमान में निर्माण कराये जाने का विचार नहीं है, क्योंकि औसतन दो बंदी प्रतिदिन जिला कारागृह से तारीख पेशी पर भिजवाये जाते हैं ।

रोहिड़ावाली केन्द्र (श्रीगंगानगर) का गबन प्रकरण

9. श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया)– क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित रोहिड़ावाली केन्द्र (श्रीगंगानगर) में आडिट में कितनी रकम का गबन पाया गया ? इस संबंध में अब तक विभाग ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) इस प्रकार की संस्थाओं में राज्य सरकार ने कितने गबन के केस पकड़े हैं और उनमें कितनी रकम वसूल की जानी है ? जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) मानव सेवा मंदिर समिति, रोहिड़ावाली (श्रीगंगानगर) को विभाग द्वारा प्रदत्त अनुदान के बारे में प्राप्त शिकायतों की जांच संयुक्त–निदेशक (जोधपुर एवं बीकानेर सम्भाग) द्वारा करवाई गई है । प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त संस्था द्वारा इन्हें प्रदत्त अनुदान राशि के दुरुपयोग करने की शिकायत प्रथम दृष्टया पाये जाने पर इस संस्था के कार्यकलापों की विशेष आडिट के आदेश जारी किये जा चुके हैं । आडिट रिपोर्ट प्राप्त होने पर दुरुपयोग की गई राशि की वसूली की कार्यवाही की जावेगी ।

(2) विभाग द्वारा अनुदानित संस्थाओं के निरीक्षण के दौरान या उनके विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर जांच करवाई जाती है तथा प्रत्येक मामले के गुणावगुणों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्यवाही निम्नानुसार की जाती है ।

संस्था विशेष व निर्देशित अवधि के बारे में सूचना मिलने पर स्पष्ट उत्तर देना सम्भव होगा ।

लूणकरणसर में पशु चिकित्सालय खोलने के मानदण्ड

10. श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) :–पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपाक्या करेंगे :–

(1) लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 1990–91 से आज तक कितने पशु चिकित्सालय कौन-कौनसी जगह खोले गये हैं ? इनके खोलने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये है ?

(2) क्या यह सही है कि पूर्व से कार्यरत पशु चिकित्सालय सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार इनके क्रियाकलाप में सुधार हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1990-91 से आज तक राज्य में कहीं भी नये पशु चिकित्सालय नहीं खोले गये हैं।

अतः इनके खोलने के मापदण्ड अपनाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(2) प्राप्त सूचना के अनुसार पूर्व से कार्यरत पशु चिकित्सालय संतोषप्रद कार्य कर रहे हैं। एकीकृत पशु विकास कार्यक्रमों के माध्यम से इन चिकित्सालयों के उप केन्द्रों द्वारा सुदूर क्षेत्रों में हिमकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

चित्तौड़गढ़ का बाड़ी मानसरोवर बांध

11. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में बन रहे बाड़ी मानसरोवर बांध के लिए अब तक कितनी राशि सरकार ने स्वीकृत की व कितनी खर्च हुई ?

(2) क्या यह सही है कि बांध का कार्य बन्द हो गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि पुनः शुरू हो गया है, तो कब ?

(3) क्या बांध की डूब में आने वाली भूमि का सभी कृषकों को मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक सरकार सभी को मुआवजा दे देगी ?

(4) जिन कृषकों को मुआवजा दे दिया गया है व जिनको देना शेष है, उनके नाम व राशि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में बन रही बाड़ी मानसरोवर सिचाई परियोजना (बांध) के लिये अब तक राज्य सरकार द्वारा वर्षवार स्वीकृत राशि एवं उपयोग (खर्च) की गई राशि का विवरण निम्न अनुसार है—

(सिंचाई मंत्री)

क्र सं	वर्ष	बजट आवंटन (लाख रु)	बजट उपयोग (लाख रु.)
1.	1989–90	5 00	5.00
2.	1990–91	40.00	40.00
3.	1991–92	85.00	51.85
			(जनवरी, 92 तक)

(2) बाड़ी मान सरोवर सिंचाई परियोजना (बांध) का कार्य जारी हैं।

(3) बांध की डूब में आने वाली भूमि का सभी कृषकों को मुआवजा नहीं दिया गया है. क्योंकि बाड़ी बांध का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भिक अवस्था में ही है एवं इसे वर्ष 1996–97 तक पूरा करना प्रस्तावित है। परियोजना का निर्माण कार्य एवं मुआवजा भुगतान कार्य साथ-साथ किया जा रहा है जिसके अनुसार बांध निर्माण पूरा होने के पूर्व सभी कृषकों का मुआवजा भुगतान कर दिया जायेगा।

(4) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भदवासिया (जोधपुर) में खातेदारी अधिकार

12 श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) :
एवं
श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम भदवासिया तहसील जोधपुर के खसरा नं 58/2 रकबा 12 बीघा में विभिन्न व्यक्तियों के नाम वर्ष 1989 एवं 1990 में तत्कालीन सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा खातेदारी अधिकार दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उन खातेदारी अधिकारों को समाप्त करने के लिये राज्य सरकार द्वारा रेफरेन्स किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा खातेदारी अधिकार दिये जाने पर विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

(3) राजस्व मण्डल, अजमेर में रेफरेन्स का क्या परिणाम रहा ? क्या सरकार अवैध खातेदारी प्राप्त व्यक्तियों को भूमि के प्रयोग करने पर रोक लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, तहसीलदार, जोधपुर ने राजस्व मण्डल में रेफरेन्स करने हेतु प्रार्थना-पत्र कलक्टर, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत किया है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,

(राजस्व मंत्री)

1955 की धारा 232 के तहत सुनवाई हेतु कलक्टर, जोधपुर की अदालत में विचाराधीन है। अभी तक राजस्व मण्डल को रेफरेन्स नहीं किया गया है।

(2) इस सम्बन्ध में पत्र दिनांक 19.11.91 द्वारा कलक्टर, जोधपुर को निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रकरण की जांच करें और यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अनियमितता करना पाया जावे तो, उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव भिजवावें। अभी तक कलक्टर, जोधपुर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) अभी तक राजस्व मण्डल को रेफरेन्स नहीं किया गया है। जहां तक भूमि पर रोक लगाने का प्रश्न है, इस बारे में कलक्टर, जोधपुर ने तहसीलदार जोधपुर को रेफरेन्स के निर्णय तक यथा स्थिति बनाये रखने हेतु आदेश दे दिये गये हैं, तथा भूमि रूपान्तरण कार्यालय को मौके की स्थिति में परिवर्तन न होने देने बाबत भी निर्देश दिये हैं।

कैलादेवी वन क्षेत्र में अवैध खनन

13. **श्री प्रभुलाल पटेल** (सपोटरा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कैलादेवी के सुरक्षित वन क्षेत्र में अवैध खनन कार्य चल रहे हैं ?

(2) यदि हां, तो कहां-कहां तथा सरकार ने इसे रोकने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। 8 खानें खनिज विभाग की मंजूरी से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के पूर्व से चल रही है।

(2) चूंकि कोई अवैध खनन नहीं हो रहा है अत: किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

अनुसूचित जाति/जन जाति के छात्रावासों को दी जा रही सुविधाओं में अभिवृद्धि

14. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : एवं **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राज्य में कुल कितने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्रावास विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं तथा उनमें क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं ? क्या वे पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार उक्त छात्रावासों में दी जा रही सुविधाओं में वृद्धि करने का विचार रखती है ?

उत्तर

समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति के 232 राजकीय तथा 43 अनुदानित कुल 275 छात्रावास तथा अनु. जन जाति के 185 राजकीय तथा 48

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

अनुदानित कुल 233 छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। उपरोक्त छात्रावासों में रहने वाले छात्र/छात्राओं को दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है, जो सदन के पटल पर रख दिया गया है। यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में विभाग के अधीन संचालित छात्रावासों में उपरोक्त सुविधायें प्रदान करने हेतु दिनांक 1-11-91 से मैस भत्ते की राशि रुपये 170/– प्रतिमाह प्रति छात्र से बढ़ाकर रुपये 250 /– प्रतिमाह प्रति छात्र कर दी गई है।

परिशिष्ट 'अ'

सुविधायें :—

प्रत्येक छात्रावास में नियमानुसार निम्न सुविधायें दिये जाने का प्रावधान है :–

1– भोजन नाश्ता, कपड़ा, बिजली, पानी, बाल कटाई, साबुन, तेल, जूतों आदि पर व्यय, मैस समिति जो कि इन नियमों के अन्तर्गत होंगे, के द्वारा किया जावेगा। इस काम के लिये मैस समिति की कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों हेतु 250/– रुपये छात्र प्रतिमाह की दर से $9\frac{1}{2}$ माह हेतु राशि जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

2– प्रत्येक सत्र में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को 60/– रुपये प्रति छात्र एवं कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 40/– रुपये प्रति छात्र पुस्तकें, स्टेशनरी तथा फीस हेतु दिये जावेंगे। यह राशि सत्र के प्रारम्भ में एक मुश्त ही छात्रों को जिलाधिकारी/अधीक्षक द्वारा दी जावेगी।

3– प्रति छात्र को निम्न सामान उपलब्ध कराया जावेगा :–

1. एक दरी
2. दो कम्बल
3. एक तकिया मय दो गिलाफ
4. दो चादर
5. एक गद्दा

4– प्रत्येक छात्र को निम्नानुसार बर्तन दिये जावेंगे :–

1. एक थाली
2. दो कटोरी
3. एक प्लास्टिक मग (बड़ा)

5– प्रत्येक छात्र को अपना सामान रखने हेतु एक अलमारी अथवा लोहे का बक्सा दिये जाने का प्रावधान है।

6– प्रत्येक छात्र को एक चारपाई या लकड़ी का तख्ता उपलब्ध कराया जावेगा।

जोधपुर के विभिन्न मार्गों पर निगम बस सेवा

15 श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जोधपुर से मूण्डवा, मूण्डवा से जोधपुर, कुचेरा से जोधपुर, जोधपुर से कुचेरा, मेड़ता से जोधपुर वाया भोपालगढ़, बिलाड़ा से आसोप, आसोप से बिलाड़ा, बिलाड़ा से मूण्डवा, मूण्डवा से बिलाड़ा इन मार्गों पर प्रतिदिन कितनी निजी बसें चल रही हैं ? सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार इन मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर निगम की बसें चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जोधपुर से मूण्डवा, कुचेरा से जोधपुर तथा मेड़ता से जोधपुर-जोधपुर-भोपालगढ़ एकीकृत मार्ग के अलग-अलग अंश हैं। इस एकीकृत मार्ग पर कुल 22 बसों को परमिट स्वीकृत हैं जिनकी प्रतिदिन वापसी सेवाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है—

1. जोधपुर से मूण्डवा–1
2. जोधपुर से कुचेरा–3
3. मेड़ता से जोधपुर वाया भोपालगढ़–2

बिलाड़ा से आसोप तथा बिलाड़ा से मूण्डवा, पाली-मूण्डवा व बिलाड़ा-आसोप एकीकृत मार्ग के भाग हैं। इस एकीकृत मार्ग पर कुल 16 बसों को परमिट स्वीकृत हैं जिनकी प्रतिदिन वापसी सेवाओं का विवरण निम्न प्रकार है—

1 बिलाड़ा से आसोप–5
2. बिलाड़ा से मूण्डवा–2

उक्त एकीकृत मार्गों की बसें मार्ग के अन्य मार्गों पर भी नियमित सेवाएं संचालित करती हैं।

(2) जी नहीं। वर्तमान में निगम विद्यमान राष्ट्रीयकृत मार्गों पर संचालन को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु प्रयत्नशील है। अतः भविष्य में इन मार्गों के राष्ट्रीयकरण करने का निगम का कोई विचार नहीं है।

रावी-व्यास-सतलज जल विवाद

16. श्री केदारनाथ शर्मा (श्रीगंगानगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पंजाब पुनर्गठन एक्ट, 1966 व रावी-व्यास अतिरिक्त पानी के बंटवारे सम्बन्धी अन्तर्राज्यीय समझौते, 1981 के अनुसार हैड वर्क्स (रावी-व्यास-सतलज) का नियंत्रण (ज्वाइन्ट कन्ट्रोल) साझा होना चाहिए ?

(2) इसको लागू करवाने के लिये राज्य सरकार ने क्या प्रयास किए ?

(3) पंजाब सरकार के इस समझौते की शर्तों को न मानने का क्या औचित्य है ?

उत्तर

(1) पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 के सैक्शन 79 (1) के तहत सतलज, रावी-

(सिंचाई मंत्री)

व्यास नदियों के पानी का बंटवारा अन्तर्राज्यीय समझौते के क्रियान्विति के लिए रोपड, हरिके और फिरोजपुर के हैड वर्क्स का नियंत्रण, देख रेख व कार्यान्विति भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड के पास होना चाहिए।

(2) इसे लागू करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को लगातार अनुरोध किया जा रहा है एवं माननीय मुख्यमंत्री राज. द्वारा माननीय प्रधान मंत्री जी को भी अनुरोध किया गया है प्रयास चालू है।

(3) इस प्रश्न का उत्तर पंजाब सरकार ही दे सकती है। समझौते की शर्तें नहीं मानने का कोई औचित्य नहीं है।

डोली (धार्मिक स्थलों) की भूमि का पुजारियों/महंतों द्वारा बेचान

17. श्रीमती मदन कौर (गुढामालानी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या प्रदेश में डोली (धार्मिक स्थलों) की भूमि के सम्बन्धित पुजारियों/महंतों को खातेदारी के कानूनन अधिकार दिये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन पुजारियों ने डोली की जमीन का बेचान किया और विभिन्न तहसीलों में खरीददारों के नाम रजिस्ट्रियां करवादी हैं ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार अब ऐसी जमीनों के खरीददारों को बेदखल करने की कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) राज्य सरकार के ध्यान में ऐसे प्रकरण आये है जिनमें मन्दिर की जमीन पुजारियों के खातें में अंकित कर दी गई है और ऐसे कुछ पुजारियों ने मन्दिर की भूमि का अनियमित बेचान भी किया है।

(3) जिन मामलों में ऐसे अवैध हस्तान्तरण/बेचान कर नामान्तरकरण तस्दीक कर दिये गये हैं उनको निरस्त करने हेतु राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत राजस्व मण्डल में रेफरेन्स प्रस्तुत किये गये हैं। रेफरेन्स के मामलों में निर्णय के पश्चात् ही बेदखली की कार्यवाही की जा सकती है।

बाड़मेर वन मण्डल के वन रक्षक की पदोन्नति

18. श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) एवं **श्री अमीन खां** (शिव): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या बाड़मेर जिले में बाड़मेर वन मंडल के वन रक्षकों की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1970–71 व 1971–72 में की गई थी ? यदि हां तो उनको अब तक पदोन्नति न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

जी हां। उक्त वर्षों में नियुक्त 50 में

(वन मंत्री)

से 18 वन रक्षकों को सहायक वनपाल के पद पर पदोन्नति दी जा चुकी है। शेष 32 को सहायक वनपाल के रिक्त पद उपलब्ध नहीं होने के कारण पदोन्नति नहीं दी जा सकी है किन्तु 1–9–88 से चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जा चुका है।

राज्य के छात्रावासों में रिक्त पद

19. श्री अचला राम (देसूरी) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में समाज कल्याण विभाग के अधीन कुल कितने छात्रावास कार्यरत हैं ?

(2) ऐसे कितने छात्रावास हैं जहां पर छात्रावास अधीक्षक या सहायक छात्रावास अधीक्षक के पद रिक्त हैं ? ऐसे रिक्त पद वाले छात्रावासों की देख-रेख कौन करता है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में समाज कल्याण विभाग के अधीन कुल 539 छात्रावास स्वीकृत है जिनमें से 446 राजकीय व 93 अनुदानित छात्रावास हैं।

(2) वर्तमान में राजकीय छात्रावासों में सहायक छात्रावास अधीक्षक के 70 पद रिक्त हैं। ऐसे रिक्त पद वाले छात्रावासों की देख-रेख समीप ही रिक्त अन्य छात्रावास के अधीक्षक को अतिरिक्त कार्यभार देकर, की जा रही है।

राज्य के शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोजगारों हेतु गठित विजयशंकर व्यास कमेटी

20. श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरी-सिंहपुरा) एवं **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार ने राज्य में बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए श्री विजयशंकर व्यास की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था ? उक्त कमेटी का क्या कोई प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में शिक्षित एवं अशिक्षित युवकों की बेरोजगारी को कब तक समाप्त कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) राज्य में बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन कर पूर्ण रोजगार प्रदान करने के अवसरों के लिये सुझाव देने हेतु प्रो. वी. एस. व्यास की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। समिति का प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है जिस पर राज्य सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है।

(2) राज्य सरकार द्वारा अधिकाधिक रोजगार सृजन के प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य की पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना में विनियोजन के निर्धारण के

(मुख्य (कार्मिक) मंत्री)

समय ऐसे रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों/विकास मदों को प्राथमिकता दी जा रही है जिनसे रोजगार की अधिक संभावना है। बेरोजगारी को कब तक समाप्त कर दिया जाएगा इसका अनुमान निश्चित रूप से नहीं लगाया जा सकता।

बीसलपुर बांध के विस्थापितों को मुआवजा

21. श्री सांवरलाल जाट (भिनाय) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा बीसलपुर बांध के विस्थापितों को मुआवजा एवं बसने हेतु वैकल्पिक जगह उपलब्ध करवा दी गई है ?

(2) यदि हां, तो किस-किस को कितना-कितना मुआवजा दिया गया और कहां-कहां उन्हें बसाने की व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या बीसलपुर की डूब में आई भूमि से प्रभावित व्यक्तियों को सरकार उनकी इच्छानुसार शहरी क्षेत्र में बसाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रथम चरण में बांध क्रेस्ट लेवल (302.3 मी.) तक बनाया जाना प्रस्तावित है जिसके कारण ±309 मी. तक की जमीन व सम्पत्ति बाढ़ से प्रभावित होने की सम्भावना है। प्रथम चरण की बाढ़ से प्रभावित होने वाले विस्थापितों को मुआवजा दिया जा रहा है एवं उन्हें बसाने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है।

(2) जिन विस्थापितों को मुआवजे के भुगतान हेतु चैक जारी कर दिये गये हैं उनका विवरण संलग्न प्रपत्र 'अ' में दिया गया है। इन विस्थापितों को जिन कोलोनियों में बसाया जा रहा है उनकी सूची संलग्न प्रपत्र 'ब' में दी गई है।

(3) जी नहीं। विस्थापितों को वहीं बसाया जावेगा जहां उन्हें कृषि भूमि का आवंटन किया जावेगा ताकि वे कृषि भूमि की समुचित देखभाल कर सकें। शहरी क्षेत्रों में विस्थापितों को बसाने हेतु समुचित मात्रा में आवासीय भूमि भी उपलब्ध नहीं है एवं कृषि भूमि से दूर शहरी क्षेत्रों में बसाये जाने पर कृषि भूमि की समुचित देखभाल भी सम्भव नहीं हो सकेगी।

प्रपत्र–अ

मुआवजा भुगतान की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	सम्पत्ति का विवरण		भूमि का विवरण		
		मकान मालिकों की संख्या	राशि	भूमि मालिकों की संख्या	राशि	योग
1	साकवूवाड़ा	—	—	88	49,02,241/–	49,02,241/–
2	डाबर खुर्द	—	—	32	4,55,076/–	4,55,076/–
3	डाबरकलां	—	—	9	1,58,240/–	1,58,240/–
4	सुजानपुरा	—	—	27	24,83,796/–	24,83,796/–
5	सांडला	218	66,39,522/–	301	2,25,21,279/–	2,91,60,801/–
6	रावता	55	10,35,615/–	—	—	10,35,615/–
7	बास चतरा	6	77,663/–	19	12,26,335/–	13,03,998/–
8	भहेड़ा	—	—	350	1,33,78,473/–	1,33,78,473/–
9	भासू	—	—	70	53,81,057/–	53,81,057/–
10	बास भागीरथ	—	—	47	22,80,868/–	22,80,868/–
11	भवरथला	5	98,180/–	77	50,28,222/–	51,26,402/–
12	बीसलपुर	354	1,05,74,053/–	301	1,53,53,991/–	2,59,28,044/–
	योग	638	1,84,25,033/–	1321	7,31,69,577/–	9,15,94,611/–

परिशिष्ट–ब

ग्रामवार आवासीय भू-खण्डों हेतु आवंटित भूमि की सूची

क्र. सं.	कालोनी का नाम	तहसील	आबादी आवंटन भूमि	
			खसरा नं.	रकबा (बीघा में)
1	2	3	4	5
1.	थड़ोली	टोडारायसिंह	127	33 बीघा
2.	लाडपुरा	,,	2/1	10 ,,
3.	राजमहल–I	देवली	872	8 ,,
4.	राजमहल–II	देवली	294	4 ,, 10 बिस्वा
5.	धांधोली	,,	483	8 ,,
6.	पोल्याड़ा	,,	542	8 ,,
7.	दूनी	,,	858	8 ,,
8.	जलसीना	,,	303	8 ,,
9.	जूनिया	,,	1/1	8 ,,
10.	देयड़ावास	,,	1169	8 ,,
11.	दौलता (पनवाड़)	,,	40/1	5 ,,
12.	बन्थली	,,	1646/1	8 ,,
13.	मुडिया खुर्द	,,	305	8 ,,
14.	महुआ	टोंक	75	8 ,,
15.	छान	,,	861	8 ,,
16.	अलीपुरा	,,	378/2	8 ,,
17.	जुनियां	केकड़ी	1846 1846 1 1 1 2	15 ,,

163 बीघा 10 बिस्वा
(41·4 हैक्टर)

नाचना (जैसलमेर) में भू-आवंटन के मानदण्ड

22. **श्री चुन्नीलाल गरासिया** (उदयपुर ग्रामीण) :,

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (हनुमानगढ़) : एवं

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नाचना उपनिवेशन नम्बर 1 जिला जैसलमेर में भूमि आवंटन हेतु कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये ?

(2) उक्त क्षेत्र में भूमि के आवंटन में राज्य सरकार द्वारा क्या मानदण्ड तय किये गये हैं ? क्या उक्त मानदण्डों की पूर्ति आवेदनकर्ता करते हैं ?

(3) उक्त प्रार्थना पत्र जो भूमि आवंटन हेतु प्राप्त हुये हैं उनमें नायब तहसीलदार, सहायक कानूनगो व पटवारी द्वारा गलत तस्दीक करने की शिकायत क्या सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नाचना उपनिवेशन तहसील नं. 1 में सामान्य भूमि आवंटन हेतु 2999 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए।

(2) राजस्थान उपनिवेशन (इं. गां. न. प.) क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय (नियम, 1975) के प्रावधानों के अनुसार केवल वही व्यक्ति सामान्य आवंटन हेतु पात्र हैं जो (1) राजस्थान के मूल निवासी हैं। (2) सद्भावी कृषक अथवा कृषि श्रमिक हैं। (3) जिनकी आय का मुख्य स्रोत कृषि है तथा (4) जो सम्पूर्ण भारत में 25 बीघा से कम भूमि धारित करते हैं। उक्त 2999 आवेदनकर्ताओं में से अब तक जांच उपरान्त 435 आवेदनकर्ता उक्त मापदण्डों की पूर्ति नहीं करते पाए गये, जिनके आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिये गये हैं।

(3) जी नहीं।

खैरवाड़ा में वन व्यापार मण्डल का डिपो

23. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खैरवाड़ा में वन व्यापार मण्डल का डिपो था ? यदि हां, तो यह कब से बंद है और क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि वन व्यापार मण्डल से जलाऊ लकड़ियां उपलब्ध नहीं होने से जंगलों से वृक्षों की अवैधानिक कटाई हो रही है ?

(3) क्या सरकार खैरवाड़ा में पुन: वन व्यापार मण्डल के माध्यम से जलाऊ लकड़ियां उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जलाऊ लकड़ी उपलब्ध नहीं होने के कारण यह डिपो 1-2-1992 से बन्द किया गया है।

(वन मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। जलाऊ लकड़ी उपलब्ध नहीं होने के कारण इस डिपो को पुनः चालू करना सम्भव नहीं है।

पंचायत समिति रानीवाड़ा एवं जसवन्त पुरा में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावास

24. श्री रतना राम चौधरी (रानीवाड़ा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या पंचायत समिति रानीवाड़ा एवं जसवन्तपुरा में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावास खोले जाने की मांग क्षेत्र की जनता द्वारा की जाती रही है ? यदि हां, तो अब सरकार इन दोनों स्थानों पर कब तक छात्रावास खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां। यह राज्य के उपलब्ध वित्तीय साधनों पर निर्भर करेगा।

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 1 की सूची

पाली जिले में पड़ने वाले बस मार्ग एवं वाया यात्री वाहनों की सूची

क्र. सं.	मार्ग का नाम	मार्ग में पड़ने वाले ग्रामों के नाम	वाहनों की संख्या
1.	पाली–बिलाड़ा	निम्बेड़ा निम्बली सरसरदार समंद फार्म इन्द्रोका की ढाणी सरदार समंद फार्म, चन्दासनी पोपड़ नगागांव दुरीबाड़ी, खुटालिया पडा सतावडा गुजरावास बडी बिलाडा	4
2.	पाली–डरी	पाली कान्दरा दलायपुरा सादड़ी भावरी राम कुलभाना	2
3.	पाली नाडोल, पाली–देसूरी, सादड़ी–ढोला ए. मार्ग	मडती, हेमावास, सोनाईगाणी, गुडा नाखा ठाकुराना, गुडासोनीगरा, खोड, इटतरा मेड़ती –यान जबाली स्टेशन, ठारोया, खारडा किशन-पुरा नाडोल, आकोली, बालेताप, खेरना, सागनी, रेवानी, वसून्दरा, सोमेसा, भादरला, खोवाड़ा, लेपटाबा, खुनाडी, पिलोवनी, गेन्दडी, सुमेन, देसूरी, सादड़ी–मादा, सिन्दरनी, अना-गिरानी ढोलोभ, विरपुरा, घेडा, बिजाबारानी, रानी, मांब सिन्दरली नाडोल ढोला	16
4.	पाली–रानी	पाली मडनो रामसिबा गुन्दाल, लेतपुरा खोड, वातवा, गुडा, दुर्गादातार, चान्दबाई मडनु, अनासिया खटे भगवानपुरा रानी	7
5.	पाली–जोजावर	पाली–उत्वन, लाम्बिया, बालेलान, साकडा-वास खेरवा,	3
6.	पाली गेलावास पाली मोकलसर लाली चाणोद एको मार्ग	पाली जबडिया केरलागांव, धर्मधारी, गडवास वोटोला, जेतपुरा सानद पेन्डा मान्डावास खवानी लामडा–डोडस समधा, धुन्धाडा मेलावास पाली–माडाना रायडा, डेन्खां,	8

1	2	3	4
		भावरी, मालवा, राजकोठावास की ढाणी गोविन्दरा-रामा, भंवरडा मोतीसरी खण्डा राखी सखड़ी, वरनन मोकनसर पाली मंडाली देन्डा बाला करना गुडा एन्दता चाणोद	
7.	रानी देसुरी सादड़ी	रानी–बिजोका-बरकाणा, बिराला, नाडोन, गुडापृथ्वीराज, नारलाई, देसुरी, दुदापुरा, घाणेराव खरेडा, सुथारों का गुडा, सादड़ी	8
8.	बाली, रानी चाणोदी शिवगंज, वाणोद, फालना मोकलसर, कवुराडा, एवं सुमेरपुर बागरा ए. मार्ग.	बाली, रानीगांव बिरानी, खांगरी, कोसेलाव, दोलपुरा, ढाला, बातराई, पावा, फालना, गांव खिगन, सुमेरपुर, नाकोडा, फालना, रानी, फालना, महादेवीजी, साण्डेराव, खोवाडा, कोसेलाव, राजपुरा, बलाना, खिवांदी, पोसाला, पुराडा, सुमेरपुर, तखतगढ़, मोगरा, हिमाला, पाली भारान्दा, वाणोद मोकेलसर	24
9.	बाली–नावी	बाली, बोया, वाकलाई, पेखा, बीसलपुर, बलतना, कोलवाडा, सुमेरपुर, पामावा, खोवांदी,	4
10.	बाली–नाणा, सिरोही :– रोड रोहीडा बाली भोमाणा, ए. मार्ग	नाणा, बाली, सिरोहीरोड, मोबा, गलाना, पादरना, बीलापुर, भाइन्दसरा, कोटर नाणा स्टेशन, नाणागांव, आमली, गारवाडा, आमली, सिरोही, बाली, नाणा सिरोही रोड	
11.	खरनपुरा–बाली सुमेरपुर–फालना	बाली, कोट, पुनाडिया, लुणावा, पादरना, बीजापुर, विसलपुर, बलवना, एरनपुरा, सुमेरपुर	4
12.	सादड़ी–पिण्डवाडा	सादडी, भादरास, नुणा, मालारी, बिलिया, लाटाडा, लुणावा, वारखा, पासावा, सेवाडी, पादरता, बीजापुर, भाटन्ट, बडा, कोठार, भन्दर, बावन्डरी, नाणा स्टेशन, नाणा गांव, आमलिया, सिरोही रोड, पिण्डवाडा	3
13.	सोजत नाडोल रानी	मांगोली, मनसा, बावडी, खेरला, दूदोड, हेमलियावास, मा. जक्शन, भगवानपुरा, आऊता, जैतपुरा, देवलि, जानुन्दा, औरता,	9

1	2	3	4
		जोजावर, नाडोल रुगपुरा, बिणारिया, केशर-सिंह गुडा, रानी	
14.	भीमाणा-शिवगंज-हरजी	भोमाया, नाणा, मोरोबेडा, रुघनाथपुरा, शिवगंज पालडी, कोरटा, कोरटा, भरूनदा नाणा, नावी, पावटा, तख्तगढ़, बलाना, उम्मेदपुर, हरनी	9
15.	सुमेरपुर जावाल	सुमेरपुर, शिवगंज, पालडी, जोयला, पीसालिया, अरटवाडा, मेव, बागान, संगालिया, अन्दोर, सूवणा, खेडा, गोल, जावाल	6
16.	सोजत, फुलाद, देसूरी, बिलाडा, रानी, पीपाड जैतारण, खारची सोजतरोड पाली, सोजतरोड, बिजांगुडा हरीपुर, फुलाद, जैतारण बिजलियावास ए. मार्ग	सोजत सिटी, धोनावास, बागावास, खारडी, जोगडावा, मा. जक्शन, विशनछोटा, बाडसा गोदावास, सुगालिया, भीमालिया, सीगेसर, जवाली, भगवानपुराव बन्टा, रानी सोजतरोड, धुघला, मुसालिया, बोरठानी, कंटालिया, हरियामाली, गुडावतरा, गुडाकला. गुडारामसिंह, सागरवास, केनवाद, देवली, लाडपुरा, बिलागुडा, हरीपुर, साबलपुर, खेंडाकल्ला, गुडाबिला, लाडपुर, बेठालाबेडी, गुडाकला, गूडावतरा, गुडासागा, कन्टलिया, सेखाजारा, तोबारी, सारणा, सिरीयारी, फुलाद, भूंटा, जनासनी, खुशालपुरा, कर्मावासमलियान, पीपरिया, दोरनाडी, कर्मावास पटा, चण्डावल, स्टेशन बरगडी, सोजतरोड, सिसरवाडाभेषाणा, दूदोल	6
17.	हरीपुर जैतारण	हरीपुर निलाम्बा, कुशालपुरा, बागियावाडा, निम्बाज, ठाकरवास, जैतारण	2
18.	हरिपुर–बिलाडा	हरीपुर–निलाम्बा, कुशालपुरा, चावन्डिया, रामपुरा, देवली, पाटवा, जाणवास, खारिया, बिलाडा	6

1	2	3	
19.	जैतारण मेड़तारोड	तरिया, खारड, दगराना, खुददाबाणा, बोरून्दा, रानीवाल, लातोती, निगल गगराणा लम्बा, पुल्लु, भांकरा की ढाणी	6
20.	पाली मा. जक्शन राणावास	पाली नया गांव पाली, उत्वत, रावलवारा लाम्बिया, आकडावास, खेखा, रामपुरा, गोदावास, बाडता, बिठ्ठडाखुर्द, सूर्यनगर, राणावास	2
21.	सुमेरपुर–बलदरा	सुमेरपुर, पोमावा, खियान्दी, बांकली, जाणा केराल, नावा, पलाई, रीयावास, पावटा, सेदरिया,	6
22.	पाली सोजतसिटी	पाली, भलिलाव, भागसर, बीजापुर, सकापुरा, गोड़ावास सुरायाला, धाकडी, धीनावास, बीजावास, सोजतसिटी	4
23.	सोजतसिटी–समदडिया	सोजतसिटी, रेन्दडी, भेसनी, सीसरवादा, सोजतरोड बहिबाल, लदुवाज, सागरवासबुडा-गडा, गुडारामसिंह, समदडिया	2
24.	पाली बिलाडा मुन्डवा	पाली निम्बेडा, निम्बली, सरदारसमंद इन्द्रा-की ढाणी, नई ढाणी, चन्द्रालाईबोर्ड, बिट-सिरासनी, कटालिया, वादारानी, पोपडा, नयागांव, हरीशाला, खुटालिया, मुंडासिहवा, गुजरावास, माकासन, बिलाडा, विवाक पियाऊ	17
25.	सोजतरोड–पाली	सोजतरोड, अलावास, सिसरवादा, भेषाणा, दुदोड़ विजनियावा, सोवला, खारडा, लालका, पडासला, मुमादरा, बहिलगावास, पाली	2
26.	पाली-बाला	चापावंत फार्म, बागडोया, ढाणी, बागडीया गांव, दुर्तदसा, मडली, काला, पोपलिया ढाणी, लोलडा, माडपरिया, चन्दलाई, चोपड, जावेरा, दुसागान, होतुपर	1
27.	सोजतसिटी-सरदारसमंद	मार्ग बन्द है	

1	2	3	4
28.	हरीपुर लाम्बिया	रायपुर, एस. एच. दोसलिला, आकेली, मोह-डरि, मोड मोडरोड,	2
29.	लुणी-पाली	रेन्दडा, वादोया की ढाणी, खाडी, सोनाई, लाखा की ढाणी, मौरीन्दु, पोर देलेशाहशब्द, चोटोला, धुमटी	
30.	सोजत–पुष्कर-अजमेर	सोजतसिटी-सरदारपुरा, खोखरा, साडिया, चण्डावल देवली, रामपुरा, बासनी, निम्बेडा, चावण्डिया, कुशालपुरा, जानासनो, जैतारण, बायागुडी, धोन्द्राबड, बलाडा, रावडिया, रास सेवरिया	8
31.	रानी राणावास	मार्ग बन्द है	
32.	रानी-सादडी-रणकपुर	मोकमपुरा-माताजी का बाडा-भोटवाडा-मुण्डारा-दुगती-नाटाडा-सादडी-लुणावा-बारवा-तानावा-सेबाडी-ढाणी-मालारी-जुणा	2
33.	जयपुर-जसाखेडा	मार्ग बन्द है।	

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 16 की प्रति

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–3) विभाग

जिला कलक्टर,
उदयपुर,

क्रमांक प. 1 (14) राज(ग्रुप–3/91) जयपुर, दिनांक 6.6.91

विषय :—मैसर्स–डी. एस. मार्बल्स प्रा. लि. उदयपुर का अभ्यावेदन बाबत औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण.

सन्दर्भ :—आपका पत्र क्रमांक एफ 1213(53) राजस्व/90)485 दिनांक 2.2.91

महोदय,

उपरोक्त विषय में निदेशानुसार लेख है कि राष्ट्रीय राजमार्ग से बदला जाने वाले राजमार्ग के दाहिनी ओर के क्षेत्र को औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाने की सहमति नगर नियोजन विभाग द्वारा दी गई है। तदनुसार कार्यवाही हेतु इस विभाग के पत्र क्रमांक प. 2(69) राज/3/91 दिनांक 15.4.91 द्वारा लिखा जा चुका है।

मैसर्स डी. एस. मार्बल्स इकाई की प्रस्तावित भूमि आराजी ख. नं. 567 रकबा .02400 ख. नं. 568 रकबा .00100, ख. नं. 569 रकबा .01300, ख. नं. 570 रकबा .00900, व खसरा नं. 607 रकबा .01100 प्रार्थी की खातेदारी भूमि को समर्पित करने पर राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ सपरिवर्तन/रूपान्तरण) नियम, 1961 सपठित राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र का आवंटन) नियम, 1959 के प्रावधानों/शर्तों के अन्तर्गत मार्बल उद्योग की स्थापना हेतु मैसर्स–डी. एस. मार्बल्स उदयपुर को संपरिवर्तन/आवंटन की राज्य सरकार की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

औद्योगिक इकाई द्वारा बाउण्ड्री वाल, कमरे तथा फाउण्डेशन तक का निर्माण किया जा चुका है। अतः राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण) नियम, 1961 के नियम 7 के अन्तर्गत शास्त्री आरोपित कर नियमन किया जावे।

आपके कार्यालय की पत्रावली संलग्न कर प्रेषित है।

भवदीय,
ह०
शासन उप सचिव

(198)

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 22 की सूची

सूची "क"

सराय फतह मेमोरियल, उदयपुर की स्थाई स्टोक पंजिका के सामान का विवरण तथा शेष की स्थिति :–

क. सं.	नाम आईटम	कुल नग	कमरों में सामान	कार्यालय व सराय परिसर में	शेष (स्टोर में रखा हुआ)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	दरियां	6	–	–	6	
2.	ड्रेसिंग टेबल	23	18	–	5	
3.	पायदान	10	–	–	10	
4.	कुर्सियां	68	28	6	34	
5.	टेबल	36	13	–	23	
6.	आफिस टेबल	3	–	2	1	
7.	आलमारी लकड़ी	2	–	2	–	
8.	बाल्टियां लोहे की	50	23	2	25	बागवान एवं मिस्त्री के पास
9.	तिजोरी	1	–	1	–	कार्यालय में फिक्स
10.	पेट्रोमेक्स	3	–	–	3	
11.	छत के पखे	42	27	3	12	
12.	ताले	55	47	3	5	
13.	स्टूल लकड़ी के	7	–	2	5	
14.	सीमेन्ट की टंकीयां	3	–	3	–	फिक्स है
15.	लोहे की खाट	45	25	–	20	
16.	स्प्रे पम्प	1	–	–	1	
17.	गार्डन मशीन	1	–	–	1	बागवान के पास
18.	केंची	1	–	–	1	,, ,,
19.	पाईप रबड़	100 फीट	100 फीट	–	1	,, ,,
20.	पम्प सेट	2	–	–	2	परिसर में फिल्म
21.	बेरो मीटर	1	–	–	1	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7
22.	ट्यूब लाईटपट्टी	34	13	21	–	कार्यालय बराण्डा पोर्च में फिक्स
23.	यात्री पट्ट	2	–	–	2	पोर्च में फिक्स
24.	लोहे के दरवाजे	2	–	–	2	

"सूची ख"

सराय फतह मेमोरियल, उदयपुर के कमरों में रखे गये सामान का विवरण

क्र.	कमरा नं. व श्रेणी	पंखे	पलंग लोहे	बाल्टी लोहे	कुर्सियां	ड्रेसिंग टेबल	स्टेंडी टेबल	ट्यूब पटरी	ताला	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	44 (डीलक्स)	3	3	1	2	–	1	3	1	नोट :– निम्न
2.	1 (वि. शि.)	1	1	1	2	1	1	1	1	सामान सराय
3.	3 (,,)	1	1	1	2	1	1	1	1	परिसर में फिक्स
4.	4 (,,)	1	1	1	2	1	1	1	1	है :–
5.	6 (,,)	1	1	1	2	1	1	1	1	1. बैरो मीटर
6.	7 (प्रथम)	1	1	1	1	1	1	1	1	दीवार में फिक्स
7.	16 (,,)	1	1	1	1	1	1	1	1	2. यात्री पट्ट–दो
8.	38 (,,)	1	1	1	1	1	1	1	1	3. पम्प सेट-दो
9.	51 (,,)	1	1	1	1	1	1	1	1	परिसर में फिक्स
10.	2 (द्वितीय)	1	1	1	1	1	–	–	1	4. तिजोरी कार्या.
11.	5 (–,,–)	1	1	1	1	1	–	–	1	में फिक्स
12.	8 (–,,–)	1	1	1	1	1	–	–	–	5. टेबिल फैन ,,
13.	9 (–,,–)	1	1	1	1	1	–	–	1	6. सीमेन्ट की टंकी –3
14.	10 (–,,–)	1	1	1	1	1	–	–	1	
15.	11 (–,,–)	1	1	1	1	1	–	–	1	7. गार्डन मशीन एक
16.	12 (–,,–)	1	1	1	1	1	–	–	1	8. कैंची–एक

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	13 (द्वितीय)	1	1	1	1	1	–	–	1	9. ट्यूब पट्टी
18.	14 (–,,–)	1	1	1	1	–	1	–	1	कार्यालय बरांडा
19.	15 (–,,–)	1	1	1	1	1	–	–	1	एवं एक पोर्च
20.	57 (–,,–)	1	1	1	1	1	–	–	1	में फिक्स 21
21.	58 (–,,–)	1	1	1	1	–	1	–	1	
22.	59 (–,,–)	1	1	1	1	–	1	–	1	
23.	60 (–,,–)	1	1	1	1	–	1	–	1	
24.	24 (कमरे तृ.)	–	–	–	–	–	–	–	24	
25.	23 (हाल)	–	–	–	–	–	–	1	–	
26.	26 (हाल)	–	–	–	–	–	–	1	–	
योग :—		27	25	23	28	18	13	13	47	

परिशिष्ट 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 28 की सूची

परिशिष्ट "क"

जिला	तहसील	स्थाई करे जाने वाले श्रमिकों की कुल संख्या	अनु. जाति	अनुसूचित जनजाति
1–बाड़मेर	शिव	12+7	1+1	1+1
	बायतु	2	1	–
	बाड़मेर	6	–	–
	गुड़ामालानी	7	–	–
	पचपदरा	6	–	–
	शिवाना	8	2	2
	चौहटन	6+1	–	1
		47+8	4+1	4+1
2–जैसलमेर	जैसलमेर	14+4	3+1	3
	पोकरण	12+1	–	–
		31	4	3

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 29 का विवरण

परिशिष्ट "क"

वृद्ध, विधवा एवं विकलांगों को पेन्शन दिए जाने सम्बन्धी श्रेणीवार विवरण :—

1–वृद्धावस्था एवं विधवा पेन्शन—

यह पेन्शन निम्न प्रकार के वृद्ध एवं विधवाओं को दी जाती है :—

1. 58 वर्ष के पुरुष, 55 वर्ष की महिला अथवा किसी भी आयु की विधवा ।
2. राजस्थान के मूल निवासी अथवा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से 3 वर्ष से अधिक समय से राजस्थान में निवास कर रहे वृद्ध/विधवा ।
3. जिनके पति-पत्नी अथवा 20 वर्ष से अधिक आयु के पुत्र (दत्तक पुत्र सम्मिलित) पुत्र का पुत्र नहीं है एवं उनकी आयु का कोई साधन नहीं है ।
4. जिनकी स्वयं की नियमित आय का कोई साधन नहीं है अथवा किसी भी स्रोत से रुपये 30/– प्रतिमाह से अधिक की आय नहीं होती है ।
5. भीख मांगने वाले पेन्शन के अधिकारी नहीं हैं ।

2. विकलांग पेन्शन—

पेन्शन निम्न प्रकार के विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है :—

1. जो विकलांग 8 वर्ष से अधिक आयु के हैं, राज्य सरकार के निर्णय के उपरान्त आयु सीमा में पूर्णतः छूट दी जा सकेगी ।
2. जिनके 20 वर्ष की आयु से अधिक का पिता, माता, भ्राता पितामह, पति-पत्नी, पुत्र, पुत्र का पुत्र न हों और वह सम्बन्धी आजीविका कमाने योग्य न हो ।
3. स्वयं की आय का कोई साधन न हो अथवा किसी भी स्रोत से रुपये 20/– प्रतिमाह से अधिक पेन्शन अथवा उसे पालतू भत्ता नहीं मिलता है ।
4. भीख मांगने वाले पेन्शन के अधिक हीं हैं ।

————

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 31 का विवरण

राजस्थान सरकार

राजस्व (ख) विभाग

संख्या एफ. 4 (10) राजस्व (ख) ग्रुप-1/63 जयपुर, दिनांक 4 जून, 1965

विषय - बिला-नाम कुओं के स्वामित्व का मामला।

जनवरी, 1963 में किशनगढ़ सब-डिवीजन की कुछ तहसीलों में स्थित बिला-नाम कुओं के स्वामित्व के विषय में जिलाधीश, अजमेर ने सरकार को लिखा था। इस पर राजस्थान के विभिन्न जिलों में इस प्रकार के कुओं से सम्बन्धित स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्व मण्डल से निवेदन किया गया। अपेक्षित सूचना अब मिल गई है और इसकी जांच भी करली गई है।

2. सचिवालय में उपलब्ध बिला नाम कुओं की पत्रावलियों एवं साथ ही सरकारी सूचना के आधार पर ऐसा मालूम हुआ कि कुछ जिलों, विशेषतः कोटा, झालावाड़ तथा टोंक में पूर्व किये गये बन्दोबस्त कार्यों में असंख्य कुओं को आसामियों का होना अभिलिखित किया गया किन्तु बन्दोबस्त कार्यो की पुनरावृति में, किसी न किसी प्रकार इन्हीं कुओं को बिला नाम के रूप में अभिलिखित किया गया जिसको अर्थ यह लिया गया कि ये सरकार के हैं और, चूंकि, सम्बन्धित आसामी अपनी आपत्तियां उठाने में असफल रहे परिणाम स्वरूप प्रविष्टियां अन्तिम रूप से हो गई और अब भी हो रही है।

3. फिर, जागीर भूमियों के पुनर्ग्रहण होने तथा जमींदारी भू-सम्पदाओं को अवाप्ति के पश्चात कुछ जिलों, जागीर क्षेत्रों में स्थित कुएं, बिला नाम अथवा पड़त सरकार के रूप में अभिलिखित किये गये।

4. कुओं की दूसरी श्रेणी भी है जहां भूमि, जो कुओं के पानी से सींची जाती है, आसामी के खाते में हैं किन्तु पैमाइश संख्या, जिसमें कुआ स्थित है, सिवायचक, बिला-नाम अथवा अनभिधृत रूप में अभिलिखित की गई है। अतः फलस्वरूप ऐसे कुएं सरकार के माने जाते हैं।

5. सरकार के समक्ष यह बात भी आई है कि कुछ गांवों में जहां खातों के एकीकरण के लिए हाल ही में कार्यवाहियां की गई थी कतिपय ऐसे भी कुए मिले हैं हैं जिनसे ऐसे आसामियों की भूमियों की सिंचाई होती रही है जिनके वे कुएं अभी

तक भी है पर पुनर्विभाजन के परिणाम स्वरूप उन सर्वे नम्बरों को जिनमें कुएं स्थित है, सिवाय–चक अथवा अनभिधृत सरकारी भूमि के रूप में अभिलिखित किया गया है।

6. और कुछ ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अपने खर्चे से कुएं बनाये परन्तु सिवाय चक बिला नाम अथवा अनभिधृत सरकारी भूमियों तथा अन्य मामलों में इस प्रकार के कुओं के सम्बन्ध में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम संख्या 15, 1956) की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाहियां निर्णीत पड़ी हुई हैं। इस संबंध में यह स्मरण किया जावे कि अनभिधृत सरकारी कृषि भूमियों, जिन पर अतिक्रमणकारियों ने कुए बना डाले थे, के अनधिकृत कब्जे के नियमन के सम्बन्ध में सरकार ने एक परिपत्र (संख्या एफ 3) (66) राजस्व (ख) ग्रुप–2/62, दिनांक 16 अगस्त, 1963) जारी किया था।

7. ऐसे भी मामले है जिनमें अनभिधृत गैर–मुमकिन भूमियों पर लोग कुएं बना रहे हैं (देखिये गैर मुमकिन भूमि पर अनधिकृत कब्जे के नियमन के विषय में सरकारी परिपत्र संख्या एफ 11 (232) राजस्व (सं)/64, दिनांक 10 दिसम्बर, 1964)

8. कुछ आसामियों ने अपने खेतों के संलग्न गोचर भूमियों में कुएं बनाये है।

9. कानूनी स्थिति की सावधानी पूर्वक जांच करली गई है। राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम, 1955 (राजस्थान अधिनियम, 3, 1955) की धारा 5 के खण्ड (19) के अन्तर्गत कुआ "सुधार" की परिभाषा में आता है। उसी अधिनियम के खण्ड (24) में दी हुई "भूमि" की परिभाषा ऐसे शब्दों में लिखी हुई है कि उसमें "कुआ" भी सम्मिलित है। उसी अधिनियम के खण्ड (32) में "लगान" की परिभाषा ऐसी है कि उसमें कुओं के अन्तर्गत आने वाली भूमि का लगान भी शामिल है। टिनेन्सी अधिनियम की धारा 15 की उप धारा (1) के अन्तर्गत आसामियों को खातेदारी अधिकार प्रदान करने के लिए सरकार ने कोई अधिशुल्क वसूल नहीं किया। अधिनियम में उन भूमियों, जिनमें ऐसे खातेदारी अधिकार प्रोदभूत है, में स्थित कुओं का मूल्य वसूल करने का कोई प्रावधान नहीं हे। टिनेन्सी अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत खुद काश्त के आसामियों तथा शिकमी आसामियों को खातेदारी अधिकार तथा "सुधारों" में अधिकारों की प्रोदभूमि होने के लिए कुओं की कोई पृथक क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती (देखिये धारा 23 की उपधारा (2)। सरकार "नालबट" वसूल नहीं कर सकती, न सरकार को कुएं वाली भूमि को भाड़े पर देते समय कानून अन्तर्गत कुवे का मूल्य वसूल करने का हक है, इसका कारण यह है कि कुआ भूमि के साथ जाता है और यह पृथक रूप में नहीं

माना जाता है। टिनेन्सी अधिनियम की धारा 96 के अन्तर्गत स्वीकृत लगान दरों से अधिक सरकार लगान वसूल नहीं कर सकती।

10. यदि एक कुआ खातेदारी आसामी के अधिक्षेत्र में स्थित है बिना इस बात के विचार के कि आया, जागीर भूमि के पुनर्ग्रहण अथवा कुछ जमीदारी अथवा विश्वेदारी मौजों (स्टेट) के उत्पादन होने पर, अथवा राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम, 1955 की धारा 15 अथवा 19 के अन्तर्गत, ऐसे आसामी को खातेदारी अधिकार मिले (प्रोदभूत हुए) हो–और इतना होने के बावजूद, किसी भी कारण से ऐसा कुआ "बिला नाम" अथवा "मिल्कीय सरकार" के रूप में अधिकार-अभिलेख में अभिलिखित किया जा सकता है। प्रपत्र संख्या 8 (कुओं के विवरण, राजस्थान भू–राजस्व) भू–मापन अभिलेख तथा बन्दोबस्त (सरकारी) नियम, 1957 के संलग्न अथवा वार्षिक रजिस्टरों के (राजस्थान भू–राजस्व भू–अभिलेख) नियम, 1957 के संलग्न प्रपत्र संख्या पृष्ठ 29 (कुआ विवरण), अधिकार–अभिलेख अथवा वार्षिक रजिस्टरों में इन्द्राजों के अधिकारी पर सरकार ऐसे कुओं के स्वामित्व का दावा नहीं करना चाहती है तथा खातेदारी आसामी के अधिक्षेत्रों, जिनमें ऐसे कुवे स्थित हैं, के स्वामित्व में समक्ष ऐसे कुओं का होने का अभिलेख किया जाय और वार्षिक रजिस्टरों में आवश्यक संशोधन कर दिये जायें।

11. ऐसे कुओं के स्वामित्व के विषय में भविष्य में कोई सन्देह अथवा विवाद न उठे सम्बन्धित खातेदार आसामियों को, 31 दिसम्बर, 1965 तक (इस परिपत्र के संलग्न प्रपत्र में) आवेदन करने तथा प्रति कुआ फीस 25/– रु. भुगतान के पश्चात तहसीलदार से औपचारिक रूप में सनद अथवा पट्टा प्राप्त करने का परामर्श दिया जाये। सनद का प्रारूप इस पत्र के संलग्न प्रपत्र में हो सकता है। यहां तक कि औपचारिक आवेदन पत्र के अभाव में अथवा उपरोक्त तारीख की समाप्ति पर तहसीलदार स्वयं के विवेक से कार्यवाही कर सकता है बशर्ते कि सम्बन्धित आसामी सनद की फीस का भुगतान करने को तैयार हो।

12. सम्बन्धित खातेदार आसामियों के पक्ष में बिना किसी औपचारिक आवेदन के परन्तु प्रति कुआ, प्रति नामान्तर एक रुपया नामानान्तरण फीस वसूल करने पर ऐसे कुआ का नामान्तरण भी हो सकता है।

13. सनद फीस तथा नामान्तरण फीस की रकम दीर्घ शीर्ष "9–भूराजस्व" में जमा करानी चाहिये।

14. कोई कुआ जो—

(क) या तो अकाल सहायता कार्यों अथवा अन्य कार्यों में सरकारी खर्चे से बनाया गया था, अथवा

(ख) राजगमन द्वारा अथवा उत्तराधिकारियों के न होने के कारण लावारिस रूप में सरकारी सम्पति हो गया है।

तो उसे सरकारी सम्पति के रूप में ही समझा जाना चाहिये। समस्त दूसरे कुए जो खातेदार आसामियों की भूमियों की सिंचाई करते हैं लेकिन "सिवाय चक" बिलानाम "पड़त" अथवा अनभिधृत भूमि में स्थित है उन्हें उन आसामियों के समझे जिनकी भूमियों की ये सिंचाई करते हैं। यह पैरा 2,3,4,5,6 7 और 8 उल्लिखित कुओं की समस्त श्रेणियों पर लागू होता है। उन लोगों को, जिनकी भूमियों की ऐसे कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है, इन कुओं को उनकी सम्पति घोषित किये जाने के लिए अपने आवेदन पत्र (संलग्न प्रपत्र में) 31 दिसम्बर, 1965 तक पेश करने आज्ञा दी जानी चाहिये। ऐसे आवेदन पत्र के प्राप्त होने पर, स्व–विवेक से, अथवा बिना किसी औपचारिक आवेदन पत्र के तहसीलदार द्वारा जांच की जानी चाहिये, उसे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य, यदि कोई हो, की जांच करनी चाहिये तथा और बातों के साथ-साथ, राजस्थान भू-राजस्व (भू–मापन अभिलेख तथा बन्दोबस्त) नियम, 1957 के संलग्न प्रपत्र संख्या 8 में कुओं के विवरण में अथवा राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम, 1957 के संलग्न प्रपत्र संख्या पृष्ठ 29 (कुओं का विरण) में तथा उपरोक्त अन्तर्विष्ट अनुदेशों के अन्तर्गत समुचित आज्ञायें पारित करनी चाहिये। यदि इस बात पता चले कि कुआ न तो सरकार के द्वारा न सरकार के खर्चे से बनाया गया है, अथवा राजगमन द्वारा या लावारिस रूप में कुआ सरकार की सम्पति नहीं है तो ऐसे कुए का उस व्यक्ति के पत्र में अभिलेख किया जाना चाहिये जिसकी भूमियों की यह सिंचाई करता है, तथा वार्षिक रजिस्टर में आवश्यक संशोधन कर दिये जाये, तथा संलग्न प्रपत्र में 25 रु. फीस के वसूल करने के पश्चात प्रार्थी को एक सनद भी दे दी जाये, तथा प्रति नामान्तरण प्रति कुआ एक रुपया नामान्तरण फीस के वसूल होने पर बीना किसी औपचारिक आवेदन के नामान्तरण भी उसके पक्ष में स्वीकृत किया जाय। ऐसे मामलों में सनद फीस तथा नामान्तरण फीस भी उपरोक्त दीर्घशीर्ष में जमा कराई जाय।

15. यदि किसी कुए की अधिकृत निर्माण सम्बन्धी कुछ कार्यवाहियां भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत निर्णीत पड़ी हुई हो तो ऐसी कार्यवाहियां बन्द कर दी जानी चाहिये और बिना किसी औपचारिक आवेदन के इन अनुदेशों के अनुसार मामले का निपटारा किया जाना चाहिये।

16. धारणाधिकार के नियमित होने तथा सनद जारी होने पर कुओं तथा कुओं के अन्तर्गत पड़ने वाली भूमि से, स्वीकृत लगान दर से लगान निःसन्देह वसूल किया जाना चाहिए।

17. एक आसामी के कुए का दूसरे आसामी द्वारा प्रयोग किये जाने के मामले में किसी भी सरकारी आदेश की आवश्यकता नहीं है, कारण यह कि उन सम्बन्धित व्यक्तियों के पारस्परिक व्यवस्था का प्रश्न है।

18. जहां तक उन कुओं का सम्बन्ध है जो केवल पीने के काम में आते हैं और जिनसे कोई सिंचाई नहीं होती है, ऐसे कुओं का इसी प्रकार उपयोग किया जाना जारी रखा जाय तथा उनकी विद्यमान प्रविष्टियां अपरिवर्तनशील रहनी चाहियें।

19. जिलाधीशों को भी अपने अपने जिलों में इन अनुदेशों को विस्तृत प्रचार करने की कार्यवाही करनी चाहिए।

20. आपके अधीनस्थ समस्त तहसीलदारों को कृपया तुरन्त परिपालनार्थ आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये जायें और इन अनुदेशों की क्रियान्वित सम्बन्धी त्रैमासिक रिपोर्ट सरकार को पेश की जाये।

408

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 36 की सूची

विधान सभा क्षेत्र की कृषि उपज मण्डी समिति बारां की सम्पर्क सड़कों का विवरण

क्र. सं.	सड़क का नाम	स्वीकृति दिनांक	माप (कि. मी.)	अनुमानित लागत (लाख रुपये)	पूरा होने का कारण/स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	सम्पर्क सड़क कोटड़ी से तुलसा से	9·5·88	1·50	4·50	डामर का कार्य पूर्ण हो गया है।
2.	सम्पर्क सड़क झालावाड़ रोड़ से दिलौरा	1·9·89	1·50	3·00	600 मीटर लम्बाई में डब्ल्यू. बी. एम. की कुटाई एवं सी. डी. कार्य पूर्ण हो चुके हैं। डामर का कार्य मार्च 92 तक होने की संभावना है। शेष लम्बाई के लिये संशोधित स्वीकृति दिसम्बर 91 में प्राप्त हुई है।
3.	सम्पर्क सड़क मंडोसा से पाटेटा	1.9.89	2.00	6.00	कुछ कार्य करने के पश्चात् ठेकेदार ने कार्य बन्द कर दिया। अब शेष कार्य ठेकेदार की लागत एवं कीमत पर कराने की कार्यवाही की जा रही है।

1	2	3	4	5	6
4.	सम्पर्क सड़क शिवपुरी रोड़ से बाबड़ खेड़ा	18.5.90	1 50	3.00	कार्य की गई समयावधि में पूर्ण होने की संभावना है।
5.	सम्पर्क सड़क इकलेरा	8.2.91	3.00	12.00	जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत/शेष राशि जवाहर रोजगार योजना से न मिलने से कार्य बन्द है।
6.	सम्पर्क सड़क झालावाड़ से खेराली पंचायत	1.9.890	2.00	6·00	एलाइनमेन्ट का निश्चय न होने के कारण

209

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 38 की सूची

राज्य में चल रही मिनी आई. टी. आई. की जिलेवार सूची

टाडा योजना के अन्तर्गत :

1. मिनी आई. टी. आई. सलूम्बर (उदयपुर)
2. मिनी आई. टी. आई. सराड़ा (उदयपुर)
3. मिनी आई. टी. आई. सिम्बलवाड़ा (डूंगरपुर)
4. मिनी आई. टी. आई. झाड़ोल (उदयपुर)
5. मिनी आई. टी. आई कुशलगढ़ (बांसवाड़ा)
6. मिनी आई. टी. आई. कोटड़ा (उदयपुर)
7. मिनी आई. टी. आई. बागीदोरा (बांसवाड़ा)
8. मिनी आई. टी. आई. धरियावाद (उदयपुर)
9. मिनी आई. टी. आई. खैरवाड़ा (उदयपुर)

माडा योजना के अन्तर्गत :

1. मिनी आई. टी. आई पिण्डवाड़ा (सिरोही)
2. मिनी आई. टी. आई. तालेड़ा (बूंदी)
3. मिनी. आई टी. आई. भिण्डर (उदयपुर)
4. मिनी आई. टी. आई. जहाजपुर (भीलवाड़ा)
5. मिनी आई. टी. आई. गंगापुरसिटी (सवाईमाधोपुर)
6. मिनी आई. टी. आई. चित्तौड़गढ़
7. मिनी आई. टी. आई. बारां
8. मिनी आई. टी. आई. फालना (पाली)
9. मिनी आई. टी. आई. गोगुन्दा (उदयपुर)
10. मिनी आई. टी. आई. अकलेरा (झालावाड़)
11. मिनी आई. टी. आई. शाहपुरा (भीलवाड़ा)

इसके अतिरिक्त निम्न स्थानों के संस्थान उनके सामने अंकित जिलों के आई. टी. आई. में ही चल रही है :

1. अरनोद आई. टी. आई. प्रतापगढ़
2. गढ़ी आई. टी. आई. बांसवाड़ा
3. माण्डों की पाल आई. टी. आई. डूंगरपुर।

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 41 का विवरण

कृषि उपज मण्डी समिति, जोधपुर में मरम्मत पर हुए व्यय का विवरण–

क्र. सं.	कार्य का नाम	व्यय राशि वित्तीय वर्ष 90–91 में
	(अ) मुख्य मण्डी (अनाज)	
1.	विशेष मरम्मत ब्लाक ई द्वितीय	13,190·00
2.	ब्लाक ए व ई पर कोपिंग का कार्य व पाइप लगाने का कार्य विशेष मरम्मत कार्य	76,758·00
3.	बरामदा निर्माण एवं विशेष मरम्मत कार्य ब्लाक एल	1,57,143·00
4.	विशेष मरम्मत कार्य ब्लाक सी एवं डी	77,461·00
5.	विशेष मरम्मत कार्य ब्लाक एफ, जी एवं एच	6,935·00
6.	लिटल सपोर्ट के लिए गर्डर फिक्स करने का कार्य ब्लाक ए, बी, ई, एल–1 से एल–2, के–1 से के–2 एवं जे–1 से जे–2	1,39,758·00
7.	विभिन्न भवनों की वार्षिक मरम्मत कार्य	3,66,032·00
		8,37,277·00
	(ब) गौण मण्डी (बासनी)	
1.	विभिन्न भवनों की वार्षिक मरम्मत कार्य	85,871·00
2.	विशेष मरम्मत कार्य ब्लाक 'ए'	2,424·00
3.	विशेष मरम्मत कार्य ब्लाक (बी)	823·00
4.	विशेष मरम्मत कार्य ब्लाक 'सी'	553·00
5.	वार्षिक मरम्मत सड़क पाली रोड़ से सब यार्ड बासनी	21,996·00
		1,11,667·00
	(स) सड़क कार्य	
1.	विशेष मरम्मत कार्य सं. सं. गागानी से धम्बुकड़ा	1,80,836·00
2.	विशेष मरम्मत कार्य सं. स. बासनी तम्बोलिया से जाजीवाल कलां जोन प्रथम एवं द्वितीय	2,932·00
		1,83,768·00
	कुल योग—	11,32,712·00

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 43 की सूची

क्र. सं.	नाम जिला	मांगे गये आवेदनों का विवरण
1.	अजमेर	54 बार
2.	अलवर	3 बार
3.	बाड़मेर	2 बार
4.	बूंदी	2 बार
5.	बांसवाडा	निल
6.	भरतपुर	2 बार
7.	भीलवाड़ा	1 बार
8.	बीकानेर	निल
9.	चूरू	2 बार
10.	चित्तौड़गढ़	2 बार
11.	डूंगरपुर	59 बार
12.	श्रीगंगानगर	3 बार
13.	जयपुर	1 बार
14.	जोधपुर	निल
15.	जैसलमेर	निल
16.	जालौर	2 बार
17.	झुन्झुनूं	2 बार
18.	झालावाड़	2 बार
19.	कोटा	2 बार
20.	नागौर	64 बार
21.	पाली	2 बार
22.	सीकर	1 बार
23.	सवाईमाधोपुर	126 बार
24.	सिरोही	निल
25	टोंक	निल
26.	उदयपुर	9 बार
27.	धौलपुर	3 बार
28.	बारां	1 बार
29.	दौसा	निल
30.	राजसमन्द	2 बार

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 44 की सूची

वर्ष 1990–91 में ओलावृष्टि से हुई फसल की क्षति का सर्वे राजस्व अधिकारी (तहसीलदार) द्वारा किया गया जिसका विवरण तहसील वाइज निम्न प्रकार है—

क्र. सं.	नाम तहसील	खातेदार सं.	फसलों में क्षतिग्रस्त रकबा (है.)
1.	मावली	210	101
2.	वल्लभनगर	41	3
3.	गोगुन्दा	190	24
	योग	441	128

परिशिष्ट–15

अतारांकित प्रश्न संख्या 46 का विवरण

कार्यालय सहायक अभियन्ता, बीहड़ सुधार कार्यक्रम, खण्डार

(राशि लाखों में)

क. सं.	कार्य का नाम	1989–90	1990–91	1991–92	योग
1	2	3	4	5 (31 जनवरी तक)	6
	बीहड़ सुधार कार्यक्रम के तहत				
1.	किशनपुरा–ए	1–02	0–83	0–02	1–87
2.	किशनपुरा–बी	0–63	0–86	0–13	1–62
3.	खानपुरा	0–65	0–73	0–07	1–45
4.	बलबल–1	0–47	0–19	0 03	0–69
5.	बड़ी काछारा–1	0–49	—	—	0–49
6.	,, ,, 11	0–56	—	—	0–56
7.	,, ,, 111	0–74	0–25	0–12	1–11
8.	बड़ी का धारा	0–58	0–16	—	0–74
9.	सिंगार कला–1	0–58	0–33	0–07	1–08
10.	,, 11	0–84	0–67	0–01	1–52
11.	धर्मपुरी–1	0–46	0–08	0–14	0–68
12.	,, 11	1–21	0–22	0–55	1–98
13.	,, 111	0–99	0–38	0–21	1–38
14.	,, 4	1–04	0–48	0–27	1–79
15.	,, 5	0–68	0–46	0–05	1–19
16.	,, 6	0–48	0–59	0–03	1–10
17.	बादलगंज–1	0–86	0–31	0–17	1–37
18.	,, 11	0–34	0–21	0–01	0–56
19.	,, 111	0–69	1–63	0–27	2–59
20.	,, 4	0–02	2–09	0–18	2–29
21.	सेवती–1	0–02	1–15	0–30	1–47
22.	,, 11	—	1–13	0–23	1–36

1	2	3	4	5	6
23.	कचनारी–1	0–82	0–30	0–07	1–19
24.	,, 11	1–14	0–30	0–07	1–51
25.	रेडाबद 1	0–62	0–21	—	0–83
26.	,, 11	1–52	0–43	0–34	2–29
27.	क्वालजी	0–16	0–07	—	0–23
28.	क्वालजी रामनगर–1	1–08	0–50	—	1–58
29.	करीना खुर्द	0–92	0–78	0–43	2–13
30.	करीना कला	1–93	0–54	0–03	2–50
31.	करीना–1	0–32	0–28	0–11	0–71
32.	क्वालजी रामनगर–11	1–82	1–42	—	3–24
33.	,, ,, 111	0–45	1–14	—	1–59
	योग	24.13	18.72	3.91	46 76

1	2	3	4	5	6
	मैसिव कार्यक्रम के तहत				
1.	नोमनियां एनीकट	—	—	0–64	0–64
	राष्ट्रीय जलग्रहण विकास कार्यक्रम के तहत				
1.	खेड़ वाटरसैड	—	—	0–38	0–38

परिशिष्ट–16

अतारांकित प्रश्न संख्या 48 का विवरण

राजस्व सचिव महोदय के कक्ष में दिनांक 25–6–84 को आयोजित मीटिंग का कार्यवाही विवरण।

आज राजस्व सचिव महोदय की अध्यक्षता में जोधपुर शहर में स्थित कोक्स कुटीर नामक भूमि से सम्बन्धित मामलों में राजकीय दृष्टिकोण तय करने हेतु मीटिंग आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया :—

1 श्री के. के. सक्सैना, सचिव, स्वायत, शासन एवं नगरीय विकास विभाग।

2. श्री एस. डी श्री वास्तव, जिलाधीश, जोधपुर।

3. श्री. जी. आर. यादव, उप शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–4) विभाग।

जिलाधीश, जोधपुर के पत्रांक राज./83/907 दि. 25-12-83 के अनुसार विवादग्रस्त भूमि के ख. नं 513/1, 513/3 एवं 513/0 कुल भूमि 91 बीघा प्रारम्भ में ससूरिया पहाड़ी से नये बिजलीघर तक के लिये तत्कालीन प्रस्तावित योजना हेतु गजट नोटिफिकेशन दि. 19-5-47 द्वारा अवाप्त की गई थी। इस भूमि के तत्कालीन मालिक श्री गिरधारी छैग्रा एवं चुन्नीलाल कोम धाची को 5318 रु. 10 आना 9 पाई की राशि मुआवजे के तौर पर अदा कर दी गई। इस प्रकार तीनों व्यक्तियों के खातेदारी एवं समस्त अधिकार समाप्त हो गये। इस भूमि में से ख. नं 513/1 व 513/3 के बाबत मुकदमा नं 72/1973 एवं 73/1973 सहायक जिलाधीश (एस. डी. ओ.) जोधपुर के न्यायालय में विचाराधीन है। ख. नं. 513/10 के सम्बन्ध में जो मामला दीवानी अदालत में चल रहा था, वह 26-2-83 को निर्णित हो चुका है। अब जो दो मामले उप जिलाधीश, जोधपुर के न्यायालय में विचाराधीन है और जिसमें इस भूमि के स्वामित्व का प्रथम विचाराधीन है उनकी पैरवी प्रभावी तौर पर करने के लिये जिलाधीश, जोधपुर जिले सुयोग्य एवं सक्षम अधिवक्ता का नाम पैनाल लेंवे या अन्य सुझायेंगे ताकि राज्य हित को प्रभावी तौर पर प्रस्तुत किया जा सके। इन दोनों प्रकरणों का निर्णय भी शीघ्रातिशीघ्र करवाने का प्रयास जिलाधीश करेंगे। जिलाधीश जयपुर से अधिवक्ता का प्रस्ताव आने पर राजस्व विभाग द्वारा शीघ्रता से उसकी नियुक्ति की जावेगी।

3. सचिव, स्वायत शासन एवं नगरीय विकास विभाग ने यह भी अवगत कराया कि इस सम्बन्ध में एक याचिका राज उच्च न्यायालय में भी कुछ निजी व्यक्तियों द्वारा दायर की हुई है। जिसमें स्थगन आदेश जारी हुए है। उन्होंने यह भी बतलाया कि इस रिट याचिका में राज्य सरकार की ओर से अति. जिलाधीश, जोधपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है। राज्य सरकार द्वारा उन्हें यह निर्देश दिये हुए है कि याचिका

कन्टेस्ट नहीं किया जावे। इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

(1) राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्थगन प्रार्थना पत्र पर जो आदेश है उसमें राज्य सरकार की ओर से "कन्टेस्ट" नहीं किया जावे–इसका मतलब यह है कि इसका विरोध नहीं किया जाय। परन्तु याचिका के उत्तर में राज्य सरकार की ओर से यह पक्ष रखा जावे कि विवादग्रस्त भूमि राजकीय है और नगर सुधार न्यास जोधपुर को इसके सम्बन्ध में पक्षकारों ने राजीनामें का कोई अधिकार नहीं है। याचिका का जवाब एवं पैरवी प्रभावी तौर पर की जावे।

(2) राजस्व सचिव नगरीय विकास एवं स्वायत शासन विभाग को विवादग्रस्त भूमि के राज्य सरकार में निहित होने के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे।

(3) राजस्व विभाग द्वारा उपरोक्त स्थिति स्पष्ट किये जाने पर सचिव स्वायत शासन एवं नगरीय विकास सचिव, नगर सुधार न्यास, जोधपुर को यह निर्देश जारी करेंगे कि उपरोक्त याचिका एवं उप जिलाधीश, जोधपुर के न्यायालय में चल रहे दोनों प्रकरणों में वहां राज्य सरकार से अनुरूप पक्ष (स्टेण्ड) प्रस्तुत करें। रखें।

(4) जिलाधीश, जोधपुर रिट याचिका में भी राज्य सरकार की ओर से पैरवी की समुचित व्यवस्था करेंगे।

(5) अति. जिलाधीश, जोधपुर जो प्रभारी अधिकारी है, इस याचिका का जवाब न्यायालय में प्रस्तुत करने से पूर्व राजस्व विभाग को भी दिखलायेंगे।

4. जिलाधीश, जोधपुर ने अवगत कराया कि रिकार्ड में यह प्रमाण उपलब्ध है कि विवादग्रस्त भूमि तत्कालीन जोधपुर स्टेट द्वारा वर्ष 1947 में अधिकाग्राहित की गई थी और भूमि के स्वामियों (बापीदारों) को इसका मुआवजा भी उसी समय दे दिया गया था। यह भूमि राजस्व विभाग द्वारा नगर सुधार न्यास जोधपुर को कभी भी हस्तान्तरित नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में यह भूमि भी स्पष्ट रूप से राजकीय है। रिट याचिका एवं दो वादो में इस पक्ष का प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

ह०
उप शासन सचिव,
राजस्व (ग्रुप–4) विभाग

(ग्रुप–6 (75) आर/4/83 दि. 9-7-84

परिशिष्ट–17

अतारांकित प्रश्न संख्या 49 का विवरण

सामाजिक वानिकी गंगापुर के तहत वर्ष 1985 में कराये गये कार्यों की सूची

क्र. सं.	वर्ष	लेखामद	कराये गये कार्यों का विवरण	है.	
1	2	3	4	5	6
1	1985–86	313 वन (ड) बागान योजनायें (–) वन विभाग के अधिकरण से II–अन्य वृक्षारोपण योजना लघु निर्माण	मार्ग वृक्षारोपण गंगापुर स. माधोपुर (30 आर कि. मी.)	16 है.	वन मण्डल करौली से स्थानान्तरित
		अनुरक्षण	टाक्सी	30 है.	,,
	1986–87	313 (ख) वन संरक्षण और विकास वन भूमि पर वृक्षारोपण ग्रामीण ईन्धन योजना	जीवली	30 है.	
		केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	नौगावा–II	20 है.	
		पंचायत भूमि			
		2406–वानिकी और वन्य जीवन 101–वन संरक्षण और विकास	लिवाली	30 है.	
		7–परिभाषित वनों का पुनरारोपण	बूचौलाई	45 है.	
		पड़तभूमि पर वृक्षारोपण			

1	2	3	4	5	6
		वेस्ट लैण्ड प्लान्टेशन			
		अकाल राहत कार्य			
		राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	लिवाली	200 है.	
		राष्ट्रीय ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी	जगरामपुरा	200 है.	
		सड़क किनारे वृक्षारोपण	चूलीवीट	30 है.	
			सिन्थोली	25 है	
		कम्युनिटी वुडलोटस	नौगावा	20 है.	
			सीतोड	20 है.	
	987–88	परिभाषित वनों का पुनर्वास	सिन्थोली	50 है.	
		अकाल राहत कार्य	बूचोलाई	50 है.	
			कनकटी	100 है.	
			लिवाली	50 है.	
			जगरामपुरा	50 है.	
			नवागांव	100 है.	
	1988–89	राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी			
		परिभाषित वनों का	लाखां	50 है.	
		पुनर्वास कर सहित	बिचपुरी	50 है.	
			कुआ गांव	50 है.	
		सिलवीपेस्टरोल	गंगापुर	20 है.	
		ईन्धन वृक्षारोपण	गांवड़ी		
		ग्रामीण ईन्धन वृक्षारोपण योजना वन भूमि	कुनकुटा	50 है.	
		मैन्युअल प्लान्टिंग	जीवद	40 है.	
	1989–90	सिलवीपेस्टरोल	भावला	15 है,	
		इन्धन वृक्षारोपण	मच्छीपुरा	15 है.	
		सड़क मार्ग वृक्षारोपण	कोयला से सीतोड़	2 है.	

1	2	3	4	5	6
		केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	सुमेल	20 है.	
		सी. एस. एस.	बूचोलाई	20 है.	
			गढ़ीगोपालपुरा	20 है.	
	1990–91	सिल्वी पेस्टरोल	दुदुपुरा	15 है.	
			मेडी	30 है.	
			भांवरा	20 है.	
			मेडी फुलवाड़ा	15 है.	
			बैराड़ा	15 है.	
		इमारती लकड़ी	मौरेल नदी–I	15 है.	
			मौरेल नदी–II	15 है.	
			कुशलपुरा	20 है.	
			कुशलपुरा	15 है.	
		परिभ्रांषित वनों का	कोटड़ी	25 है.	
		पुनर्वास कर सहित	अनावरा	50 है.	
			बूचोलाई	50 है.	
		रूट सहित	फजीलपुरा	50 है.	
			मिलकपुरा	50 है.	
		ग्रामीण ईन्धन वृक्षारोपण	इरन्या	25 है.	
			मेडी	25 है.	
		जवाहर रोजगार योजना	गोठ गौरपा	75 है.	
		केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	बिरदक्या	25 है.	
		सी. एस. एस.	मच्छीपुरा	10 है.	
			बैराड़ा	20 है.	
		बीहड़ सुधार कार्यक्रम	फूलवाड़ा	50 है.	
			अमरगढ़ चौड़	30 है.	
	1991–92	बीड़ सुधार योजना केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	फूलवाड़ा	50 है.	
		सिलवी पेस्टरोल	बिदरक्या	25 है.	
		नंगी पहाड़ियों पर वृक्षारोपण	बूचोलाई	25 है.	

1	2	3	4	5	6
		सामाजिक वानिकी			
		सिलवी पेस्टरोल	बिदरक्या	15 है.	
			बूचोलाई	15 है.	
			अमरगढ़-ए	35 है.	
			अमरगढ़-बी	15 है.	
		ईन्धन वृक्षारोपण	टटवाड़ा-I	15 है.	
			टटवाड़ा-II	15 है.	
		इमारती लकड़ी	मौरेल नदी	15 है.	
		परिभ्रांषित वनों का	टटवाडा	50 है.	
		पुनर्वास रूट सहित	चतुर्भुज जी	50 है.	
		रूट सहित	चूली	50 है.	

(222)

कार्यालय उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, सवाई माधोपुर

वास्तविक रिपोर्ट

श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार दिनांक 24-1-92 को रेंज गंगापुर स्थित बूचौलाई 25 हैक्टर वर्ष 91–92, आर. बी. एच. का शत प्रतिशत भौतिक मूल्यांकन अधोहस्ताक्षरक की देख–रेख में किया गया। इस कार्य हेतु कार्यालय के सहायक वन संरक्षक श्री लालसिंह को क्षेत्र का भौतिक सत्यापन करने का कार्य सौंपा गया एवं गणना कार्य के संबंध में क्षैत्रीय वन अधिकारी, सवाई माधोपुर और क्षैत्रीय वन अधिकारी बोंली द्वारा विभिन्न रेंज से उपलब्ध कराये गये वनपाल, वनरक्षक एवं स्थानीय केटलगार्डस की कमेटी गठित कर गणना करवाई गई। सर्वेयर श्री रामकिशन मालव से उक्त क्षेत्र का सर्वे करवाया गया। मूल्यांकन के पश्चात् निम्न तथ्य प्रकाश में आये—

1. पौधे-क्षेत्र में निर्धारित नोर्म्स से काफी कम संख्या में पौधे लगाये गये हैं। इस क्षेत्र में कुल 27,500 पौधे लगने थे जबकि गणना करने पर मात्र 6120 पौधे ही मौके पर पाये गये।

2. ट्रेन्चें—कुल ट्रेन्चें मौके पर 950 पाई गई जो निर्धारित नोर्म्स से कम हैं।

3. क्षेत्र के सर्वे के दौरान यह पाया गया कि उक्त क्षेत्र मात्र 12 है. है जबकि वृक्षारोपण क्षेत्र 25 हैक्टर का होना चाहिये।

उक्त गणना के समय वर्तमान में पदस्थापित क्षेत्रीय वन अधिकारी गंगापुर भी मौके पर उपस्थित थे। इस संबंध में समस्त मस्टर रोल एवं माप पुस्तिकायें आदि जब्त करने के लिये आदेश सहायक वन संरक्षक को दिये जा चुके एवं जांच कार्यवाही प्रारंभ करा दी गई है।

ह./–
उप वन संरक्षक,
सामाजिक वानिकी
सवाई माधोपुर।

शुद्धि-पत्र

क्र. सं.	स्कम्भ सं.	पंक्ति सं	अशुद्ध	शुद्ध
1.	36	22	प्रश्न सं. ( )	(5)
2.	121	2	श्री हरिदेश जोशी	श्री हरिदेव जोशी
3.	121 से 125	फोलियो	नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव	नव नियुक्त मंत्रियों का परिचय